


‘नमाज उसी तरह पढ़ो जिस
तरह मुझे पढ़ते हुए देखते हो’
(अलहदीस)



गमाज़े गबवी



तृतीब

डा० सैयद शफीकुर्रहमान हिफजुल्लाह

नमाज़ इसी तरह पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखते हो —अलहदीस

नमाज़े नबवी

सहीह अहादीस की रोशनी में

इसका अर्थ यह है कि इसका उद्देश्य यह है कि

मिलाएं और बढ़ावा दें।

संकलन

डा० सैयद शफीकुर्रहमान हिफजुल्लाह

तहकीक व तख़्रीज

अबू ताहिर जुबेर अली हिफजुल्लाह

तस्वीह व तन्कीह

शेख हाफिज़ सलाहउद्दीन यूसुफ

प्रकाशक

अल किताब इन्टर नेशनल

मुरादी रोड, बटला हाउस, जामिया नगर, नई दिल्ली-25

सुनिश्चित और सही इस्लाम का राजीव द्वारा लिखा गया ग्रन्थ

©संवाधिकार प्रकाशकाधीन

मुस्तक फूल

पुस्तक का नामः नमाजे नबवी

संकलन : डॉ सैयद शफीकुर्रहमान हिफजुल्लाह

ज़ेरे निगरानी : सैयद शौकत सलीम

संख्या : एक हजार

प्रकाशन वर्ष

2012

मूल्य

₹120

प्रकाशक

अल किताब इन्टर नेशनल

मुरादी रोड, बटला हाउस, जामिया नगर,

नई दिल्ली-110025

विषय-सूची

प्रकाशक की ओर से	13
इत्तदाइया	15
प्रस्तावना	21
किताब व सुन्नत के अनुसरण का हुक्म	29
रहमतुल्लिल आलमीन सल्ल० का खुतबा	36
नमाज़ : फर्जियत, श्रेष्ठता और महत्व	38
संतान को नमाज़ सिखाने का हुक्म :	38
नमाज़ छोड़ना, कुफ़ का एलान है :	38
नमाज़ की श्रेष्ठता :	40
नमाज़ी और शहीद :	43
नमाज़ का महत्व :	44
पाकी का बयान	49
पानी का बयान :	49
पेशाब पाखाना के शिष्याचार	50
लैट्रीन में जाते समय की दुआ :	50
लैट्रीन से निकलते समय की दुआ :	51
पेशाब पाखाना के भसाइल :	51
पैशाब की छींटों से बचने की कड़ी ताकीद :	53
नापाकियों की पाकी का बयान :	53
मासिक धर्म के खून से भीगा कपड़ा :	54
मनी का धोना :	54
दूध पीते बच्चे का पेशाब :	54
गन्दगी लगा जूता :	55
कुत्ते का जूठा :	55
मरे हुए का चमड़ा :	55
बिल्ली का जूठा :	56

सोने चांदी के बर्तन में खाना :

56

नापाकी (संभोग के बाद) के आदेश : 56

संभोग और गुस्ल जनाबते : 56

औरत को भी स्वप्न दोष होता है : 57

जुंबी के बालों का मेसला 58

नापाक से मेलजोल और मुसाफ़ा जाइज़ है : 59

मासिक धर्म वाली औरत से सोहबत करने की मनाही : 60

मज़ीद के निकलने से गुस्ल वाजिब नहीं होता : 60

मज़ीद मनी और वदी का फ़र्क़ 61

सफ़ेद पानी के आने से गुस्ल नहीं : 61

मासिक धर्म वाली औरत को छूना और 61

उसके साथ खाना जाइज़ है : 61

मासिक धर्म वाली औरत के कुरआन पढ़ने की नापसन्दीदगी : 62

इस्तिहाज़ा का मसला : 63

मासिक धर्म वाली औरत को नमाज़ और रोज़ा की मनाही : 64

निफ़ास का हुक्म : 65

गुस्ल, बुज़ू और तयम्मुम 66

गुस्ल जनाबत का तरीका : 66

गुस्ल जनाबत का बुज़ू काफ़ी है : 67

अन्य गुस्ल : 67

जुमा के दिन गुस्ल : 67

मथियत को गुस्ल देने वाला गुस्ल करे : 68

नव मुस्लिम गुस्ल करे : 68

ईदैन के दिन गुस्ल : 69

अहराम का गुस्ल : 69

मक्का में दाखिल होने का गुस्ल : 69

मिस्वाक का बयान : 69

बुज़ू का बयान 70

नींद से जाग कर पहले हाथ धोएं : 70

तीन बार नाक झाड़ें : 71

मसनून वुजू की पूर्ण तर्कीब :	71
चेतावनी :	73
वुजू के बाद की दुआएँ :	74
वुजू के बाद यह दुआ भी पढ़ें :	74
वुजू की गढ़ी हुई दुआएँ :	75
वुजू के अन्य मसाइल :	75
मसनून वुजू से गुनाहों की माफ़ी :	75
खुशक एड़ियों को अज्ञाब :	76
वुजू से दर्जों की बुलन्दी :	77
तहीयतुल वुजू से जन्नत अनिवार्य :	77
एक वुजू से कई नमाज़े :	78
मौज़ों पर मसह करने का बयान :	78
जुराबों पर मसह करने का बयान :	78
सहाबा रजिं० का जुराबों पर मसह करना :	80
अरब शब्दकोष से “जोरब” का अर्थ :	80
पगड़ी पर मसह :	81
वुजू तोड़ने वाली चीज़ों :	81
मज़ी निकलने से वुजू :	81
शर्मगाह को हाथ लगाने से वुजू :	82
नींद से वुजू :	82
हवा निकलने से वुजू :	82
कै, नकसीर और वुजु	83
तयम्मुम का बयान	83
जनाबत की हालत में तयम्मुम :	84
तयम्मुम का तरीका :	85
नमाज़ी का लिबास	86
मस्जिदों के आदेश	90
मस्जिद की श्रेष्ठता :	90
कुछ मस्जिदों में नमाज़ों का सवाब :	91

तहीयतुल मस्जिद (मस्जिद का तोहफा) :

91

प्याज़ और लहसुन खाकर मस्जिद में न आओ :	92
मस्जिद में थूकना :	92
मस्जिद में सोना :	93
मस्जिद में क्रय-विक्रय :	93
मस्जिद जाने की श्रेष्ठता :	93
मस्जिदों में खुशबू :	95
मस्जिद के नमाजियों के लिए खुशखबरी :	95
मस्जिद की देखभाल करने वाला मोमिन है :	95
क़ब्रिस्तान और हमाम में नमाज़ की मनाही :	96
मस्जिद में दाखिल होते समय की दुआ :	96
मस्जिद से निकलते समय की दुआ :	97
मस्जिद में आवाज़ बुलन्द करना मना है :	97
नमाज़ों के समय	99
पाचों नमाज़ों के समय :	99
नमाज़ फ़ज़र अंधेरे में :	100
गर्म और ठंडे मौसमों में नमाज़े ज़ोहर का समय :	101
नमाज़ जुमा का समय :	101
नमाज़ अस्व का समय :	101
नमाज़ मगरिब का समय :	102
नमाज़ इशा का समय :	102
मस्जिदों के इमामों को नमाज़ प्रथम समय पढ़ानी चाहिए :	103
इन समयों में नमाज़ न पढ़ें :	103
छुटी हुई नमाज़ें :	105
सफ़र में अज्ञान देकर नमाज़ पढ़ना	106
नमाज़ें मजबूरी में छूट जाएं तो कैसे पढ़ें?	106
अज्ञान व इकामत	108
अज्ञान की शुरुआत :	108
अज्ञान के जुफ़्त (दो दो) कलिमात :	108
फ़ज़र की अज्ञान में :	109

नमाज़े नबवी

तकबीर के ताक़ (एक एक) कलिमात :	110
दोहरी अज्ञान :	110
अज्ञान की विशेषताएं :	111
अज्ञान का जवाब देना	112
अज्ञान के बाद की दुआएं :	113
वसीले की तशरीह :	114
दुआए अज्ञान में वृद्धि :	114
अज्ञान व इकामत के मसाइल :	116
किबला और सुतरा	120
किबला के आदेश :	120
सुतरा का व्यान :	121
नमाज़ी के आगे से गुज़रने का गुनाह :	122
जमाअत के साथ नमाज़	124
महत्व :	124
औरतों को मस्जिद में आने की इजाज़त	125
नमाज़ वाजमाअत के विभिन्न मसाइल	126
पंवितयों में मिलकर खड़ा होने का हक्म :	127
पंवितयों का क्रम :	131
पंक्ति के पीछे अकेले नमाज़ पढ़ना :	132
पंक्तिबद्ध के दर्जे :	133
इमामत का व्यान :	133
लम्बी नमाज़ पर नबी करीम سल्ल० का क्रोध :	135
नमाज़ में सन्तोष :	136
इमामों पर मुसीबत :	136
नमाज़ पढ़ाकर इमाम नमाजियों की तरफ मुंह फेरे :	137
इमाम की इमामत के आदेश :	137
औरत की इमामत :	139
इमामत के कुछ मसाइल :	139
नमाज़े नबवी : पहली तकबीर से सलाम तक	142
ग्यारह सहाबा रज़ि० की गवाही	142

क़्रान्ति :	143
पहली तकबीर :	145
सीने पर हाथ बांधना :	146
औरतों और मर्दों की नमाज़ में कोई अन्तर नहीं :	147
सीने पर हाथ बांधकर यह दुआ पढ़ें :	148
या यह दुआ पढ़ें :	149
या यह दुआ पढ़ें :	149
नमाज़ और सूरह फ़ातिहा :	150
आमीन का मसला :	153
तिलावत के शिष्टाचार :	155
नमाज़ की मसनून क्रिरअत :	157
सूरह इख्लास की महत्व :	159
नमाज़े जुमा और ईदैन में तिलावत :	159
जुमा के दिन नमाज़े फ़ज़र में :	160
नमाज़े फ़ज़र में :	160
ज़ोहर व अस्स की नमाज़ में :	161
नमाज़ मगरिब में :	163
नमाज़ इशा में :	163
विभिन्न आयतों का जवाब :	164
नमाज़ में रोना :	166
रफ़अ यदैन :	166
रफ़अ यदैन न करने वालों के तर्कों का विश्लेषण :	169
पहली हदीस :	169
दूसरी हदीस :	170
तीसरी हदीस :	171
रुकूअ का बयान :	174
रुकूअ की दुआएँ :	175
सन्तोष, नमाज़ का रुक्न है :	176

नमाज़े नवबी

१८१	चेतावनी :	१८३
१८२	सज्दे के आदेश :	१८३
१८३	औरतें बाजू न बिछाएं :	१८६
१८४	अल्लाह की समीपता का दर्जा :	१८६
१८५	सज्दे में जन्नत :	१८७
१८६	जन्नत में रसूलुल्लाह सल्ल० का साथ :	१८८
१८७	सज्दे की दुआ :	१८९
१८८	बीच का जल्सा (दो सज्दों के बीच बैठना) :	१९२
१८९	जल्से की मसनून दुआएं :	१९३
१९०	दूसरा सज्दा :	१९३
१९१	जल्सए इस्तराहत :	१९४
१९२	दूसरी रकअत :	१९४
१९३	तशहूद :	१९५
१९४	मसला रफ़अ सबाबा :	१९७
१९५	आखिरी क़ाअदा (तशहूद) :	१९८
१९६	यह दुरुद भी पढ़ सकते हैं :	१९९
१९७	दुरुद के बाद की दुआएं :	२००
१९८	नमाज़ का समापन :	२०२
१९९	कुछ अन्य मजीद आदेश :	२०२
२००	सज्दा सहू (भूल के सज्दे) का बयान :	२०४
२०१	तीन या चार रकअतों के सन्देह पर सज्दा :	२०४
२०२	पहले क़ाअदा के छोड़ने पर सज्दा :	२०५
२०३	नमाज़ से फ़ारिग होकर बातें कर चुकने के बाद सज्दा :	२०५
२०४	चार की जगह पांच रकअतें पढ़ने पर सज्दा :	२०६
नमाज़ के बाद मसनून अऱ्कार		२०८
२०५	चेतावनी : दुआए रसूल सल्ल० में वृद्धि :	२०८
२०६	आयतल कुर्सी :	२१२
२०७	फ़र्ज नमाज़ के बाद सामूहिक दुआ :	२१५
नमाज़ की सुन्नतों का बयान		२२०
२०८	मुअक्किदा सुन्नतें : जन्नत में घर !	२२०

रसूलुल्लाह सल्ल० सुन्तें घर में पढ़ते थे :

221

८१३	गैर मुअकिदा सुन्तें :	221
८१४	मगारिब से पहले दो रकअतें :	221
८१५	जुमा के बाद की सुन्तें :	222
८१६	फ़ज़र की सुन्तें की श्रेष्ठता :	222
८१७	फ़ज़र की सुन्तें फ़ज़रों के बाद पढ़ सकते हैं :	223
८१८	नमाज़ों की रकअतें :	223
८१९	तहज्जुद (क्रयामुल्लैल) क्रयामे रमज़ान और वित्र	225
८२०	श्रेष्ठता :	225
८२१	नबी रहमत सल्ल० का तहज्जुद का शौक़ :	226
८२२	नींद से जागते समय पढ़ें :	226
८२३	तहज्जुद की दुआएं	230
८२४	रसूलुल्लाह सल्ल० की तहज्जुद की हालत :	231
८२५	रसूलुल्लाह सल्ल० की रात की नमाज़ :	235
८२६	रात की नमाज़ का तरीक़ा :	235
८२७	पांच, तीन और एक वित्र :	237
८२८	तीन वित्रों की किरअतः	238
८२९	वित्रों के सलाम के बाद :	240
८३०	दुआए कुनूत :	241
८३१	चेतावनी :	243
८३२	कुनूते नज़िला:	244
८३३	रमज़ान के क्रयाम (नमाज़ के लिए खड़े रहना) :	245
८३४	रसूलुल्लाह सल्ल० ने तीन रात क्रयामे रमज़ान किया :	245
८३५	रसूलुल्लाह सल्ल० ने रमज़ान में तहज्जुद नहीं पढ़ी :	247
८३६	क्रयामे रमज़ान : ग्यारह रकअतें :	247
८३७	सहरी और नमाज़े फ़ज़र के बीच का समय :	248
८३८	सफ़र की नमाज़	249
८३९	क़स्त की हद :	250
८४०	सफ़र में अज्ञान और जमाअत :	251
८४१	सफ़र में दो नमाज़ें जमा करना :	251

जमा की दो सूरतें हैं :	251
सफ़र में सुन्तें माफ़ हैं :	252
हज़र (बिना सफ़र के) में दो नमाज़ों का जमा करना :	253
नमाज़े जुमा	254
जुमा, बेहतरीन दिन :	254
जुमा की फ़र्ज़ियत :	254
जुमा के मसाइल :	255
खुतबे के बीच दो रकअतें पढ़कर बैठो :	259
गर्दनें न फलांगो :	260
जुमा में पहले आने वालों को सवाब :	260
खुतबा जुमा के मसाइल :	261
ज़ोहर एहतियाती की बिदअत :	262
(मात्र) जुमा के दिन रोज़ा रखना :	263
जुमा का दिन और दुर्खद शरीफ की अधिकता :	263
जुमा की अज्ञान :	263
नमाज़ ईदैन	261
मसाइल व आदेश :	264
ईदगाह में औरतें :	266
ईद की तकबीरें :	267
ईद की नमाज़ का तरीक़ा :	268
ईदुल अज़हा के दिन नमाज़े ईद पढ़कर कुरबानी करनी चाहिए :	268
नमाज़े कसूफ़ : सूरज और चांद ग्रहण की नमाज़	271
सूरज ग्रहण की नमाज़ का तरीक़ा :	272
नमाज़ इस्तिस़का	274
नमाज़ इशराक	278
नमाज़ इस्तिख़ारा का ब्यान	280
नमाज़ तस्बीह	282
अहकामुल जनाइज़	285
बीमार का हाल पूछना	285

कफन व दफन

४८१	अन्तिम सांसों में नसीहत :	२९१
४८२	मौत की इच्छा करना	२९१
४८३	आत्महत्या सख्त गुनाह है :	२९२
४८४	मयित को चूमना :	२९२
४८५	मयित का गुस्सा :	२९३
४८६	मयित का कफन :	२९४
४८७	मयित का सोग :	२९४
४८८	मयित पर रोना :	२९५
४८९	शोक प्रकाश के शब्द :	

नमाज़े जनाज़ा

४९०	जनाज़े में सूरह फ़ातिहा :	२९८
४९१	पहली दुआ :	२९९
४९२	दूसरी दुआ :	२९९
४९३	तीसरी दुआ :	३००
४९४	चौथी दुआ :	३००
४९५	जनाज़े के मसाइल :	३०१
४९६	गायबाना नमाज़े जनाज़ा :	३०२
४९७	कब्र पर नमाज़े जनाज़ा :	३०४

तदफ़ीन व ज़ियारत

४९८	कब्रों को पक्का बनाने की मनाही :	३०६
४९९	कब्रों की ज़ियारत :	३०७
५००	ज़ियारत कुबूर की दुआएँ :	३०८

अन्य नमाज़े

५०१	नमाज़ तौबा :	३१०
५०२	लैलतुल क़द्र के नवाफ़िल :	३१०
५०३	पंद्रहवीं शाबान के नवाफ़िल :	३१०

प्रकाशक की ओर से

नमाज़ इस्लाम के पांच बुनियादी स्तंभों में से एक अत्यन्त महत्वपूर्ण स्तंभ है। यह अमल भी है और अक्षीदा भी। मोमिन की पहचान भी है और मेराज भी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि हमारे और उन (काफ़िरों) के बीच अन्तर नमाज़ है। यही वजह थी कि कुफ़्र की तरफ़ संबंधित होने के भय से कपटी भी मस्जिदे नबवी में आकर नमाज़ें पढ़ते थे।


नमाज़ में केवल ज़बान ही अल्लाह से बात नहीं करती, बल्कि दिल भी उसकी बारगाह में सम्मान व मुहब्बत, भय व डर और उम्मीद के शिष्टाचार वजा लाता है। किसी ने ख़ूब कहा है :

“जब अल्लाह की बातें सुनने को जी चाहता है तो कुरआन पढ़ता हूं। जब अपनी सुनाने को दिल चाहता है तो नमाज़ शुरू करता हूं।” क्योंकि नमाज़ी जब सूरह फ़ातिहा पढ़ता है तो अल्लाह तआला हर हर आयत का जवाब देता है।

निःसन्देह नमाज़ एक सम्पूर्ण इबादत है जो शारीरिक, ज़बानी और हार्दिक इबादात का सुन्दर समन्वय है। लेकिन इसकी स्वीकार्यता इस बात पर निर्भर है कि इसे रसूलुल्लाह सल्ल० की सुन्नत के मुताबिक़ अदा किया जाए। नमाज़ से संबंधित हर किताब की पेशानी पर यह हीसे नबवी ‘सल्लू कमा रअैतुमूनी उसल्ली’ (नमाज़ इसी तरह पढ़ो जिस तरह तुमने मुझे नमाज़ पढ़ते हुए देखा है) ज़रूर लिखी जाती है, लेकिन इन किताबों के अध्ययन से यह कड़वी हक्कीकत सामने आती है कि वह मसनून तरीक़े पर नहीं लिखी गई बल्कि सुन्नते नबवी की बजाए अपने अपने मत का प्रचार करने के लिए लिखी गई हैं। किताब व सुन्नत की बजाए अपने अपने मत के बचाव के अमल के दौरान हीसों के चयन में न केवल मुहदिसीन के प्रमाणिक उसूलों की अवहेलना की जाती है बल्कि नफ़स अम्मारा (तामसमन) की सन्तुष्टि के लिए हीसों की ग़लत व्याख्या करने और उन्हें ज़ईफ़ क़रार देने की भी हर संभव कोशिश की जाती है।

अतएव जब पाठक सुन्नते नबवी को सहीह किताबों के होते हुए सतही किस्म की किताबों में तलाश करता है तो वह नमाज़े नबवी के तरीके से दूर

होता चला जाता है। इसलिए ज़रूरी था कि नमाज़ को सुन्नत के मुताबिक़



अदा करने का सहा तरीक़ा हदीस नबवी का प्रमाणिक किताबों से सीध मुरत्तब किया जाए, अलहम्दुलिल्लाह अल्लाह तआला ने हिन्दुस्तान में पहली बार अल किताब इन्टर नेशनल दिल्ली को ऐसी ही किताब “नमाज़े नबवी सल्ल०” के नाम से प्रकाशित करने का सौभाग्य प्रदान किया जो आपके हाथों में है।

“नमाज़े नबवी” डॉक्टर सव्यद शफ़ीकुरहमान साहब ने तर्तीब दी है जो सम्पूर्ण, सरल और आसान होने के साथ साथ सैकड़ों अहादीसे रसूल व निशानात से सजी है। नमाज़ के बारे में तमाम बातों को समेटे हुए निःसन्देह यह किताब अपने विषय पर एक अच्छी दस्तावेज़ है। इस किताब की प्रमुख खूबी यह है कि इसमें केवल और केवल सही हदीसों को जमा करते हुए ज़ईफ़ अहादीस से बचा गया है। अहादीस की जांच व छटनी प्रख्यात आलिमे दीन हाफ़िज़ ज़ुबैर अली ज़ई साहब ने की है। और किताब पर प्रत्यालोचन का कार्य प्रसिद्ध उलमा किराम ने बड़े परिश्रम और गहरी नज़र से किया है और ज़रूरत पड़ने पर नोट भी लिखे हैं। इन महान उलमा में मौलाना अब्दुरशीद साहब नाज़िम इदारा उलूम इस्लामिया झांग, मौलाना अल्लाह यार मुर्दरिस दारुल हदीस मुहम्मदिया जलालपुर पीर वाला, इसी मदरसा के फ़ाज़िल मौलाना अब्दुल जब्बार और मौलाना हाफ़िज़ सलाहुद्दीन यूसुफ़ शामिल हैं।

इसके अलावा नमाज़ से संबंधित सभी विवादित मसाइल में अत्यन्त सावधानी और संजीदगी से क़लम उठाया गया है। इंशाअल्लाह आप महसूस करेंगे कि जहां नमाज़ वेहयाई और बुरे कामों से रोकती है वहीं नमाज़ी का अकीदा भी संवारती है।

अल्लाह तआला से दुआ है कि मुसलमानों को इस किताब के ज़रिए नमाज़े नबवी सल्ल० अदा करने की तौफ़ीक़ बख़्शो।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

इत्तदाइया

सारी की सारी प्रशंसा और स्तुति उस अल्लाह के लिए है जिसने अपने बन्दों पर नमाज़ फ़र्ज़ की, उसे क़ायम करने और अच्छे तरीके से अदा करने का हुक्म दिया, इसकी स्वीकार्यता को विनय व विनम्रता पर निर्भर किया, इसे ईमान और कुफ़्र के बीच अन्तर की अलामत और बेहयाई और बुरे कामों से रोकने का साधन बनाया।

अल्लाह की प्रशंसा व स्तुति के बाद रसूलुल्लाह सल्लूॢ पर, दुरुद व सलाम हो, जिन्हें अल्लाह तआला ने सम्बोध करते हुए फ़रमाया :

﴿وَإِذَا كُنْتَ مَعَ النَّاسِ فَلَا تُرِكْ ﴾ (النَّحْل: ١٦) ﴿وَإِذَا كُنْتَ مَعَ النَّاسِ مَأْتِيْلَ إِلَيْهِمْ﴾

“और हमने आप पर यह ज़िक्र (कुरआन) उतारा है ताकि जो (इरशादात) लोगों के लिए उतारे गए हैं आप उनका स्पष्टीकरण व व्याख्या कर दें।” (सूरह नहल : 44)

अतएव आप अल्लाह के हुक्म के पालन में तैयार हो गए। और जो शरीअत आप पर नाज़िल हुई आपने उसे सामान्यता पूरे स्पष्टीकरण के साथ लोगों के सामने पेश कर दिया फिर भी नमाज़ के महत्व को देखते हुए उसे और ज्यादा स्पष्ट रूप में पेश किया और अपनी करनी व कथनी से उसका आम प्रचार किया यहां तक कि एक बार नबी सल्लूॢ ने मिंबर पर नमाज़ की इमामत फ़रमाई। क़ायम और रुकूूः मिंबर पर किया, (नीचे उतर कर सज्दा किया फिर मिंबर पर चढ़ गए) और नमाज़ से फ़ारिग होकर फ़रमाया :

﴿إِنَّمَا صَنَعْتُ مَا لَتَسْأَلُوا بِي وَلَتَعْلَمُوا صَلَاتِي﴾

“मैंने यह काम इसलिए किया है ताकि तुम नमाज़ अदा करने में मेरी पैरवी कर सको और मेरी नमाज़ की कैफ़ियत मालूम कर सको।”

और इससे भी ज्यादा ज़ोरदार शब्दों में अपनी पैरवी को निश्चित ठहराते

हुए फ़रमाया :



“तुम इस तरह नमाज पढ़ो जिस तरह मुझे नमाज अदा करते हुए देखते हो।”¹

और फ़रमाया :

“अल्लाह ने पांच नमाजें फ़र्ज़ की हैं जो व्यक्ति अच्छी तरह वुजू करे, समय पर नमाज अदा करे और रुकूअ सुजूद और विनय का आयोजन करे तो उस इंसान का अल्लाह पर ज़िम्मा है कि उसे माफ़ कर दे और जो व्यक्ति इन बातों का ध्यान न रखे उसका अल्लाह पर कोई ज़िम्मा नहीं है, चाहे तो उसे माफ़ करे और चाहे तो उसे अज़ाब दे।”²

नबी अकरम سल्ल० पर सलात व सलाम के बाद अहले बैत और सहाबा किराम रज़ि० पर भी सलात व सलाम हो जो नेकोकार और परहेजगार थे। जिन्होंने नबी अकरम सल्ल० की इबादत, नमाज, करनी और कथनी को नक़ल करके उम्मत तक पहुंचाया और केवल आपके कथनों व कर्मों को ही दीन और अनुसरण योग्य क़रार दिया। और उन नेक इंसानों पर सलात व सलाम हो जो उनके पद चिन्हों पर चलते रहे और चलते रहेंगे।

इस्लाम में नमाज का बड़ा दर्जा है और जो व्यक्ति इसको क़ायम करता है और उसकी अदाएँगी में कौताही नहीं करता वह अज़ व सवाब और श्रेष्ठता व इकराम का हक़दार होता है फिर अज़ व सवाब में कमी बेशी का पैमाना यह है कि जितना किसी इंसान की नमाज रसूले अकरम सल्ल० की नमाज के ज़्यादा क़रीब होगी वह उतना ही अज़ व सवाब का ज़्यादा हक़दार होगा और जितनी उसकी नमाज नबी सल्ल० की नमाज से अलग होगी उतना ही कम अज़ व सवाब हासिल करेगा। रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया :

“निःसन्देह बन्दा नमाज अदा करता है लेकिन उसके कर्म पत्र में उस (नमाज) का दसवां, नवां, आठवां, सातवां, छठा, पांचवां, चौथा, तीसरा या

1. सही बुखारी, अध्याय अज़ान, हदीस 631।

2. सुनन अबी दाऊद, सलात, अध्याय फ़िल मुहाफ़िज़, हदीस 425, 1420। इसे इमाम इब्ने हिबान ने सहीह कहा।

आधा हिस्सा लिखा जाता है”।

शैख़ नासिरुद्दीन अलबानी फ़रमाते हैं :

“लेकिन हमारे लिए रसूल अकरम सल्ल० की तरह नमाज अदा करना उस समय संभव है जब हमें विस्तार के साथ आपकी नमाज की कैफ़ियत मालूम हो और हमें नमाज के वाजिबात, शिष्टाचार, तौर तरीके और दुआओं व ज़िक्र का पता हो। फिर उसके अनुसार नमाज अदा करने की कोशिश भी करें तो हम उम्मीद रखते हैं कि फिर हमारी नमाज भी इसी तरह की होगी जो अश्लीलता और बुरी बातों से रोकती है और हमारे कर्म पत्र में वह अज़र व सवाब लिखा जाएगा जिसका वायदा किया गया है।”

(सिफ्त सलातुन्नबी सल्ल०)

यहां यह ज़िक्र करना भी अत्यन्त ज़रूरी है कि तौहीद (ऐकेश्वरवाद) तमाम सद कर्मों की असल है। अगर तौहीद नहीं तो तमाम कर्म बेकार, व्यर्थ और बे फ़ायदा हैं। तौहीद नहीं तो ईमान नहीं। तौहीद और शिर्क एक दूसरे की विलोम हैं। जिस तरह तौहीद के बिना निजात मुमकिन नहीं इसी तरह शिर्क की मौजूदगी में निजात असंभव है। अल्लाह तआला फ़रमाता है :

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِرُ أَنْ يُشْرِكَ بِهِ وَيَقْبِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنِ يَشَاءُ وَمَنِ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ أَفْرَطَ إِنَّمَا عَظِيمًا﴾ (النساء : ٤٨)

“निःसन्देह अल्लाह शिर्क को नहीं माफ़ करेगा और उसके अलावा जिस गुनाह को जिसके लिए चाहेगा माफ़ कर देगा। और जो व्यक्ति अल्लाह के साथ शिर्क करता है वह बहुत बड़ा गुनाह करता है।” (सूरह निसा : 48)

और फ़रमाया :

﴿الَّذِينَ مَأْمُنُوا وَلَئِنْ يَكُسُوا لَمْ يَمْنَعْهُمْ بِطْلُرِي أُولَئِكَ لَمْ أُمِّنْ وَهُمْ لَمْ يُمْتَدُونَ﴾ (الانعام : ٦)

“जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अपने ईमान को जुल्म (अर्थात् शिर्क) से लतपत नहीं किया तो ऐसे ही लोगों के लिए सलामती है और यही लोग

1. सुनन अबी दाऊद, सलात, अध्याय माजा फ़ी नुक्सानुसलात, हडीस 794, इमाम इब्ने हिबान से इसे सहीह कहा है।

मार्गदर्शक प्राप्त हैं।”

(सूह अनआम : 82)

रसूलुल्लाह सल्ल० के फरमान के अनुसार (इस आयत में) जुल्म से मुराद शिर्क है।¹

इससे साबित हुआ कि कुछ लोग ईमान लाने के बाद भी शिर्क करते हैं जैसा कि दूसरी जगह फरमाया :

﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُون﴾ (بूफ़ ١٢/١٠٦)

“और बहुत से लोग अल्लाह पर ईमान लाने के बावजूद मुशिर्क होते हैं।” (सूह यूसुफ़ : 106)

अतः नमाज़ की स्वीकार्यता के लिए पहली शर्त यह है कि अल्लाह तआला को उसकी ज्ञात व सिफात में एक माना जाए और माना जाए कि अल्लाह की न पली है और न ही औलाद। कोई अल्लाह के नूर का टुकड़ा (नूरुम मिन नूरुल्लाह) नहीं। अल्लाह का किसी इंसान में उत्तर आने का अकीदा, हलूल, वहदतुल वजूद और वहदतश शहूद खुला शिर्क है। यह भी माना जाए कि कायनात के तमाम मामले केवल अल्लाह तआला के क़ब्जे व बस में हैं। इज्जत व ज़िल्लत उसी के पास है। हर नेक व बद का वही मुश्किलकुशा और हाजतरवा है।² लाभ व हानि का मालिक भी वही है और अल्लाह के मुकाबले में किसी को ज़रा सा भी इंगित्यार नहीं। हर चीज़ पर उसी की हुक्मत है और कोई अल्लाह के मुकाबले में किसी को पनाह नहीं दे सकता। केवल अल्लाह तआला ही हमेशा से है और हमेशा रहेगा। उसके अलावा हर चीज़ को फ़ना (ख़ात्मा) है। यह भी केवल अल्लाह तआला का हक्क है कि वह लोगों की व्यक्तिगत और सामूहिक ज़िंदगी गुज़ारने का तरीक़ा अर्थात् दीन नाज़िल करे क्योंकि हलाल व हराम का निर्धारण करना और क़ानून बनाना उसी का हक्क है बल्कि वास्तविक आज़ापालन केवल अल्लाह ही के

1. सहीह बुखारी, तफसीर सूह अनआम, हदीस 4629, ईमान अध्याय जुल्म दून जुल्म, हदीस 32।

2. अर्थात् हाजतरवाई और मुश्किलकुशाई में उसका अपना एक अंदाज और तरीक़ा है जिसमें वह कभी किसी को शरीक नहीं करता। (अब्दुस्सलाम कीलानी)

लिए है। चूंकि अल्लाह तआला ने यह दीन, मुहम्मद सल्ल० के ज़रिए हमारे पास भेजा, अतः आज अल्लाह तआला का आज्ञापालन का एक मात्र साधन वह आदेश हैं जो मुहम्मद सल्ल० ने सहाबा किराम रज़ि० और उनके ज़रिए पूरी उम्मत तक पहुंचाए। और हडीस के इमामों (रहिमल्लाह) ने उन्हें हडीस की किताबों में जमा कर दिया।

किताब व सुन्नत की बजाए किसी मुरशिद, पीर या इमाम के नाम पर गिरोहबन्दी की इस्लाम में कोई इजाजत नहीं है और किसी पार्लियामेंट को भी यह हक्क नहीं कि वह मुसलमानों की ज़िंदगी और मौत के तमाम मामलों पर आधारित दंड ताज़ीराती, वित्तीय, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और अन्तर्राष्ट्रीय क़ानून बनाए जो अल्लाह के नाज़िल करदा आदेश के अनुसार न हों। नमाज़ की अदाएँ से पहले इन अक़ाइद पर ईमान लाना जरूरी है।¹

अल्लाह का शुक्र है इस किताब के क्रम में काशिश की गई है कि सही हडीस से मदद ली जाए। इस सिलसिले में “अलकौलुल मक्खूल फ़ी तख्खीज सलातुर्रसूल सल्ल०”² से भी लाभ उठाया गया है।

अल्लाह तआला से दुआ है कि वह हम किताब को स्वीकार करे और और जिन दोस्तों ने इस किताब की तैयारी में सहयोग दिया है उन तमाम साथियों की परलोक की निजात का ज़रिया बनाए। विशेषकर मौलाना अब्दुर्रशीद साहब (नाज़िम इदारा उलूम इस्लामिया, समनाबाद, झंग) को अल्लाह तआला भलाई दे जिन्होंने अपने क्रीमती समयों में से समय निकाल कर पूरी किताब का अध्ययन किया और कुछ स्थानों पर इस्लाह की। मैं

1. क्योंकि अल्लाह की बारगाह में किसी अमल की स्वीकार्यता क्रमवार तीन चीज़ों पर निर्भर है 1. अक़ीदे की दुरुस्ती, 2. अमल की दुरुस्ती और 3. नीयत की दुरुस्ती। इनमें से किसी एक में खलल होने से सारा अमल मर्दू हो जाता है। और याद रहे कि किताबुल्लाह, सुन्नते रसूल, सहाबा किराम रज़ि० का व्यवहार और उम्मत का तरीक़ा ही वह कसौटी है जिस पर किसी अक़ीदे या अमल की सेहत को परखा जा सकता है।

2. यह किताब मौलाना अब्दुर्रऊफ़ सिन्धू हफ़िज़ल्लाहु (फ़ाज़िल मदीना यूनिवर्सिटी) की लिखी हुई है और हकीम मुहम्मद सादिक सियालकोटी रह० की किताब “सलातुर्रसूल सल्ल०” में उल्लिखित अहादीस व आसार की तहकीक व तख्खीज पर आधारित है।

पद्मावत आलिमे दीन और शोधकर्ता मौलाना हफिज जबैर अली झई साहब

का भी दिल से आभारी हूँ जिन्होंने बड़ी मेहनत और समय रहते इस किताब को बेहतर बनाने की कोशिश फ़रमाई। अल्लाह तआला उनकी इस कोशिश को स्वीकार करे। आमीन।

ज्ञान समूह के लिए ज्ञानीय मूल्यों पर आधारित है। इसका उद्देश्य विद्या का अनुभव और ज्ञान का विकास है। इसके लिए विभिन्न विषयों के लिए विशेष विद्यार्थी और विद्यार्थी गतिशीलता का उन्नयन किया जाता है।

मानव जीवन के सभी क्षेत्रों में विकास का अवधारणा करने वाला है। यह एक ऐसा विचार है कि जीवन के सभी क्षेत्रों में विकास का अवधारणा करने वाला है।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
الْحٰمِدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالٰمِينَ
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

प्रस्तावना

प्रिय पाठको! स्लॉलो (लेख) कर्ता ओलम रजिंठ हिंदू

नमाज, दीन का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्तंभ है। इसकी फर्जियत कुरआन मजीद और हडीसों से साबित है। तमाम मुसलमानों की नमाज के फर्ज होने पर सहमति है।

रसूलुल्लाह सल्लो ने जब हजरत मुआज़ बिन जबल रजिंठ को यमन भेजा तो फरमाया :

«فَأَعْلَمُنَّهُمْ أَنَّ اللّٰهَ افْرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ»

“फिर उन्हें बताओ कि अल्लाह तआला ने उन पर दिन रात में पांच नमाजें फर्ज की हैं।”¹

रसूलुल्लाह सल्लो ने सहाबा किरम रजिंठ को नमाज़ पढ़ने का तरीका सिखाया और उन्हें हुक्म दिया :


«صَلُّوَا كَمَا رَأَيْتُمْ قَنِيْعَ أَصْلَى»

“तुम इस तरह नमाज़ पढ़ो जिस तरह मुझे नमाज़ अदा करते हुए देखते हो।”²

नमाज़ के इसी महत्व को देखते हुए बहुत से इमामों ने नमाज़ के विषय पर अनेक किताबें लिखी हैं। जैसे अबू नईमुल फ़ज़्ल बिन दकीन रह० (मृत्यु 218 हि०) और इमाम अहमद बिन मुहम्मद बिन हंबल रह० (मृत्यु 241 हि०) की “किताबुस्सलात” आदि। इसके अलावा वर्तमान दौर में भी उदू और क्षेत्रीय ज़बानों में अनेक किताबें प्रकाशित हुई हैं। लेकिन उनमें से अधिकांश

1. सहीह बुखारी किताबुज़ ज़कात, अध्याय 1, वजूबुज़ ज़कात, हडीस 1395।

2. सहीह बुखारी, किताबुल अज़ान, अध्याय 18, हडीस 631।



भ्रमों पर आधारित हैं। मसलन :

1. “अद् दलाइलुस्सुन्ह” फ़ी इसबातुस्सलात् सुन्ह” लेखक : मुहम्मद अमानुल्लाह अबूबक्र मुहम्मद करीमुल्लाह।
2. “रसूले अकरम सल्ल० का तरीक़ए नमाज़” लेखक : मुफ्ती जमील अहमद नज़ीर।
3. “पैगम्बरे खुदा सल्ल० मोनेह (पुश्तू)” लेखक : अबू यूसुफ़ मुहम्मद वली दुर्वेश।
4. “नमाज़ मुदल्लिल” लेखक : फ़ेज़ अहमद ककरवी मुल्तानी।
5. “नमाज़ पैगम्बर” लेखक : मुहम्मद इलियास फ़ैसल।
6. “नमाज़ मसनून कलां” लेखक : सूफ़ी अब्दुल हमीद सवाती।
7. “नबवी नमाज़ मुदल्लिल” पहला हिस्सा (सिंधी) लेखक : अली मुहम्मद हक़क़ानी, गैरीह।

मानो इस प्रस्तावना में लम्बी धृति नहीं की जा सकती। फिर भी नमूना के तौर पर उपर्युक्त उल्लिखित कथियों की कुछ मिसालें प्रस्तुत हैं :

1. अकाजीब :

1. “अद दलाइलुस्सुन्ह” में है :
- «عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنْتُمْ أَعْنَقُمُو تَرْدَادُوا حِلْمًا» (رواہ ابو داود والبیهقی والبزار والطبرانی، البلاط الستہ بلفظه، النسخة العربية ص ۶۴، ۶۵)

फिर हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियो से रिवायत है कि नबी सल्ल० ने फ़रमाया : “अमामा बांधा करो (इससे) हिल्म बढ़ेगा।” (अबू दाऊद, बैहेकी तबरानी, उर्दू نوسخہ : 45) यद्यपि इस रिवायत का सुनन अबी दाऊद में कोई वजूद नहीं है। बल्कि सिहाह सित्ता की किताब में भी, यह रिवायत नहीं है। गैर सिहाह सित्ता में यह सख्त झईफ़ सनदों से मरवी है।

2. इसी तरह साहिबे किताब ने एक और मौजूद रिवायत को तिर्मज़ी और अबू दाऊद से मंसूब करके इसकी तहसीन इमाम तिर्मज़ी से और तस्हीह

इमाम इब्ने हज़म से नक़ल की है। (अद दलाइलुस सुन्नियह अरबी पृ० : 131-132, उर्दू पृ० : 74) यद्यपि यह रिवायत भी तिर्मिज़ी व अबू दाऊद में मौजूद नहीं है और इसे इमाम तिर्मिज़ी ने हसन कहा है न इब्ने हज़म ने सहीह अलबत्ता यह रिवायत इमाम इब्ने जोङी की किताब “अल मौजूआत” (अर्थात् छोटी हदीसों का संग्रह) में ज़रूर पाई जाती है। (भाग 2, पृ० 96)

3. सहीह बुखारी (भाग 1, पृ० 269) किताबुस्सोम, किताबुस्सलात तरवीह, में उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा रज़िया की एक हदीस है कि नबी सल्लूॢ रमज़ान और गैर रमज़ान में (रात को) ग्यारह रक़अतें पढ़ते थे, पहले चार पढ़ते, फिर चार पढ़ते, फिर तीन पढ़ते।

इस हदीस पर टिप्पणी करते हुए मुफ्ती जमील अहमद नज़ीरी साहब फ़रमाते हैं :

“इस हदीस में एक सलाम से चार चार रक़अतें पढ़ने का ज़िक्र है जबकि तरवीह एक सलाम से दो दो रक़अतें पढ़ी जाती हैं।” (रसूले अकरम सल्लूॢ का तरीक़ा नमाज़, पृ० 296)

यद्यपि सहीह बुखारी की इस हदीस में “एक सलाम से” के शब्द कदापि नहीं हैं। बल्कि सहीह मुस्लिम (भाग 1, पृ० 254) में हज़रत आइशा रज़िया की यही रिवायत निम्न शब्दों के साथ मरवी है :

بُسْلَمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَبُوَرْتُرُ بِوَاحِدَةٍ

“आप हर दो रक़अतों पर सलाम फैरते और एक वित्र पढ़ते थे।”

4. शरह मआनी आसार (भाग 1, पृ० 129, एक नुस्खा के मुताबिक़ पृ० 151, एक और नुस्खा के मुताबिक़ पृ० 219) और नस्बुरय भाग 2, पृ० 12 में इब्ने उमर, ज़ैद बिन साबित और जाबिर रज़िया से एक हदीस मरवी है जबकि जनाब फ़ैज़ अहमद ककरवी साहब इसे हज़रत उमर रज़िया से मंसूब करते हैं। (नमाज़ मुदल्लिल, पृ० 91)

2. मौजूआ हदीसों :

1. सुनन तिर्मिज़ी (भाग 1, पृ० 108-109) और इब्ने माजा (किताब इक्कामतुस्सलात, अध्याय माजा फ़ी सलातुल हाजा, हदीस 1384) में फ़ायद बिन अब्दुर्रहमान अबुल वरक़ा अन अब्दुल्लाह बिन उबई ऊफ़ा की सनद से

سلاطُلٌ هاجاتٌ والي هديس مارفي هي۔ جيسے اَبُولٌ کاسیم رفیک دیلَاوری



نے "إمام الدوام" (پر 439-440 بہبوا لای تا مجنہ وکالا: هداس گرہب) م
اور پروفیسر مُحَمَّدِ ڈکھبائی کیلائی نے کیتاب عسلاط (پر 172 بہبوا لای
تیرمیزی و ڈبے ماجا) میں نکل کیا ہے۔ یاد ہے مُجکور کے بارے میں
یمام اَبُو حاتم راجی رہو (مُطیع 277 ہیو) فرماتے ہیں:

وَأَحَادِيثُ عَنْ أَبْنِي أَوْفَى بَوَاطِيلٍ،

"اوہر اسکی ڈبے اَبَدی ڈکھا رجیو سے ریوایت کی گئی ہدیس میں باطل
ہے۔ (آرٹھاً فَهَدَى مُجْكُورَ كَمَنْ ہوئی ہے۔)" (تہذیب التہذیب، باغ 8، پر
229-230)

یمام حاکیم نیشاپوری فرماتے ہیں:

رَوَى عَنْ أَبْنِي أَوْفَى أَحَادِيثَ مَوْضُوعَةٍ،

"عسکر اسکے ڈبے اَبَدی ڈکھا رجیو (کے ہوا لے) سے مُجذُع ریوایت بیان کی
ہے۔"

جناب مُحَمَّدِ ڈکھریا ساہب کے "تبلیغی نیسااب" میں بھی فَهَدَى مُجکور کو "اَپرچلیت" لی�ا گیا ہے۔ (پر 599، فوجا ڈلے جیک، پر 121،
ہدیس 35)

مُہدیس ڈبے جوڑی نے فَهَدَى کی یہ ریوایت اپنی کیتاب "مُجذُعات"
(باغ 2، پر 140) میں جیک کی ہے۔

2. هجرت اَبُولَلَاهِ بینِ مسْعُودِ رجیو سے مسُوَبَ اک مُجذُع ریوایت
کا علَلَہ خ پر 2 پر گوئر چوکا ہے۔ انکے لئے خکوں نے یہ ریوایت ویوچن
کے توار پر علَلَہ خ کی ہے جیسے اَبُو یوسُفِ درویشی نے "دی پِیغمبرِ خودا سللو
مُؤنِّہ" (پُوشتو، پر 293) میں فَہْرَجِ اَبُولَلَاهِ کوئری نے "نمازِ مُدَلِّلَل" (پر
131) میں اور سُوفی اَبُولَلَاهِ حمید سوادی نے "نمازِ مسَنُونَ کلَان" (پر 347)
میں۔

جناب درویش ساہب نے اس ریوایت کے مکرِ جی راوی مُحَمَّدِ بینِ جابر
کا بچاوا کرنے کی کوشش کی ہے اور سویں اپنی اسی کیتاب میں پر 52
پر لیخا ہے:

”پہ ھفتہ حدیث کتبی محب بن جابر راوی دے اور وہ ته دوئی“

تول ضعیف وائے۔

‘‘ایسے ہدیس میں راوی مسیح بن جابر راوی ہے اور اسے یہ سب جزئیکہ کہتے ہیں।’’

3. مسٹر احمد بی. اس. سی. نے اپنی کتاب ‘‘صلوات علی مسیح بن جابر’’ کے باوجود میں کہا ہے : ‘‘ایسے کتاب میں کوئی جزئیکہ ہدیس نہیں لی گی।’’

یद्यपि اسی کتاب پृ۰ 305 سے پृ۰ 307 پر لेखک ابدر حسن (باق 3، پृ۰ 116) سے (مअमर अम्र अन हसन की सनद) سے اسکے اس سار نکल کر کے لیکھا ہے : ‘‘سنان سہیہ’’ ارتھاً اسکی سنان سہیہ ہے۔

ام्र سے موراد، اینے عبید اے لے�ک ابدر حسن، باق 11، پृ۰ 83 ہدیس 19985، اور تہذیب ایڈیشن میں یہ و्याख्यا ہے کہ امام حسن بصری رہو کا شاگرد، ام्र بین عبید ماؤ اتھنیلی ہا۔ اسی و्यक्तی کے باوجود میں امام یوسف رہو آدی نے کہا ‘‘يَكْنِيْبُ’’ ارتھاً جڑو بولتا ہے۔ امام حمید رہو نے کہا ‘‘وَهُوَ حَسَنُ بَصْرَةَ عَلَى جَذْوَتِهِ’’ بولکہ امام یاہیہ بین میرین رہو نے گواہی دی :

«كَانَ عَمْرُو بْنُ عَبَيْدِ رَجُلًا سُوءً مِنَ الْمَهْرِيَّةِ»

‘‘امر بین عبید گندہ آدمی ہا (اور) دھریوں میں سے ہا۔’’

ऐسے دھریے جڑو کی ریویویت کو ‘‘سنان سہیہ’’ کہنا بہت بڑی جرأت اور ہوس لے کی بات ہے ایننا لیللاہی و ایننا ایلہی راجیون۔

4. مسٹر دارک هاکیم، (باق 2، پृ۰ 562-563) میں سہیہ مسیح بن جابر کے اسی کتاب (اسماہیل بین ابدر حمان بین عبید کریما) اس دی رہو کی ایک ریویویت ہے جسے امام حاکیم رہو اور حافظ جوہبی دونوں سہیہ مسیح بن جابر کی شرط پر سہیہ کرار دے رہے ہیں۔

مسٹر دارک کے اسی باق میں (پृ۰ 258، 260 آدی) اس دی کے ساتھ اسماہیل بین ابدر حمان (ارتھاً اس نام) کی و्यا�्यا ہے۔ مسٹر دارک اس سنان کے باوجود میں لیکھتے ہیں :

‘‘سنان میں اس دی کتاب ہے’’ (تاریخ بصریل اسلام وال مسیح بن جابر، باق 1، پृ۰ 95، حاشیا : 8 سے 2) یدیپی اسماہیل بین ابدر حمان اس دی سہیہ

मुस्लिम का रावी और “हसनल हदीस” है (अलकाशिफ़ लिल झहबी भाग ।

पृ० 75) इस पर इमाम अबू हातिम रह० आदि की मामूली बहस मर्दूद है। इसे किसी मुहदिस ने झूठा नहीं कहा जोज़ जानी ने मुहम्मद बिन मरवान असदी को “क़ज़ाब शतमम्” लिखा है। जो गलती से इस्माइल मज्कूर से मंसूब हो गया है। इब्ने अदी रह० (जो विभिन्न रावियों की बाबत जोज़जानी के कथन ही नक़ल करते हैं) ने इस्माइल मज्कूर के अनुवाद में जोज़जानी का यह कथन उल्लेख नहीं किया। यह है मसऊद साहब का महान ज्ञान कि वह मौजूद को सहीह और सहीह को मौजूद बताते हैं।

3. ज़ईफ़ रिवायतें :

इस किताब में असंख्य ऐसी रिवायतें मौजूद हैं जिनके ज़ईफ़ व मर्दूद होने पर सहमति है जैसे यज़ीद बिन उबई ज़ियाद की रफ़अ यदैन छोड़ने वाली रिवायत। देखिए “नमाज़े नमाज़” (सिन्धी) पृ० 355 “दि पैशम्बर खुदा सल्ल० मोनेह” पृ० 294 “नमाज़ मुदल्लिल पृ० 130-131 वगैरह।

इनके अलावा निम्न किताबों में भी ज़ईफ़ रिवायात मौजूद हैं। “सिफ़त सलातुन्नबी सल्ल०” पृ० 135, (देखिए अल क़ौलुल मक्कबूल फ़ी तख़रीज सलातुर्रसुल) पृ० 440 हदीस 382) “सलातुन्नबी सल्ल०” अज़ ख़ालिद गरजाखी पृ० 342-343, “सलातुर्रसुल सल्ल०” पृ० 214 (देखिए अल क़ौलुल मक्कबूल” हदीस 310) वगैरह।

4. तनाक़ज़ात :

जनाब अली मुहम्मद हक़क़ानी साहब अपनी एक पसन्दीदा रिवायत के बारे में लिखते हैं : **يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ كُوفِيًّا تَوَرِي جَوْبُعْضِ مَعْتَدِلِينَ كَلامٌ كَيْوَآهِي مَغَرِّاً مَوْلَقَهَ آهِي.**

“अर्थात् यज़ीद बिन उबई ज़ियाद कूफ़ी पर कुछ मुहदिसीन ने बहस की है मगर वह सिक्का (पुख्ता) हैं।” (नमाज़े नमाज़ मुदल्लिल सनतदी पागोफिरयों, पृ० 355)

और जब यही यज्ञीद बिन उबई ज़ियाद “मुखालिफीन” की हदीस (मसह अलल जोरवीन) में आ जाता है तो “हक़क़ानी” साहब फ़रमाते हैं :

**”زَيْلِيٰ فَرْمَائِينَدْ وَآهِي تَهْ مِنْ جِي سِنْدَهْ يِيزِيدْ بْنِ إِبْرَاهِيمْ زَيْلِيٰ
آهِي“ اهُوضِعِينَ آهِي“**

तब “अर्थात् ज़ेल आप फ़रमाते हैं कि इसकी सनद में यज्ञीद बिन उबई ज़ियाद है और वह ज़ईफ़ है। (नबवी नमाज पृ० 165) क्या इंसाफ़ इसी का नाम है।

मुहद्दिस शाम ख़ैख़ नासिरुद्दीन अलबानी से एक अजीब भूल हुई है, उन्होंने “सिफ़त सलातुन्नबी سल्ल०” (पृ० 80) में एक ज़ईफ़ और गैर सरीह रिवायत की बुनियाद पर जहरी नमाजों में किरअत (फ़ातिहा) को निरस्त करार दिया है यद्यपि उनकी सतर्क रिवायत के रावी जनाब अबू हुरैरह रज़ि० से जहरी व सिरी दोनों नमाजों में मुक़तदी का सुहूफ़ फ़ातिहा पढ़ना साबित है। देखिए सहीह उबई अवाना और सहीह मुस्लिम वगैरह।

मतलब यह है कि नमाज के विषय पर उर्दू और अन्य ज़बानों की अधिकांश किताबों पर अंधा धुंध भरोसा सही नहीं है बल्कि ऐसी अनेक किताबों ने लोगों को भ्रम में डाल दिया है।

जनाब ख़्वाजा मुहम्मद क़ासिम रह० की किताब “क़द क़ामतिस्सलाह” विवादित मसाइल पर भरोसा करने की अच्छी कोशिश है। इस किताब में ख़्वाजा साहब ने आपत्ति करने वालों के सन्तोषजनक जवाबात दिए हैं, मगर इस किताब में भी ज़ईफ़ व मदूद रिवायत आ गई हैं। जैसे पृ० 421 पर “या अनस अजअल बसरक हय्या तसजुद” वाली रिवायत बहवाला बेहैक़ी भाग 2, पृ० 284, यद्यपि इसका एक रावी अलीला बिन बद्र है जोकि अप्रचलित है। (तक़रीबुतहज़ीब पृ० 319 अनुवाद ख़बीअ बिन बद्र) यद्यपि अप्रचलित की रिवायत शवाहिद और मुताबआत में भी बयान करना सहीह नहीं है। (इश्कितसार उल्मूल हदीस इने कसीर पृ० 38 तारीफ़ात अख़री लिल हसन, नोअ 2) जनाब अब्दुर्रज़फ़ साहब की किताब “अल कौलुल मक़बूल फ़ी तखीज सलातुर्सुल” इस सिलसिले की बेहतरीन किताब है। ज़जाउल्लाहु खैरा, फिर भी बशरी कमज़ोरियों की वजह से इस तखीज में भी अंधविश्वास घटित हो गए हैं। जैसे अबू दाऊद (203) आदि की एक ज़ईफ़ रिवायत को अब्दुर्रज़फ़ साहब ने “हसन दर्जा की हदीस” लिखा है। यद्यपि यह सनद

मुक्ततम् है और इसका कोई गवाह भी सही नहीं है।

जनाब डाक्टर शफ़ीकुर्रहमान साहब ने आम व ख़ास के लिए सरल उर्दू में “नमाज़े नबवी” के नाम से किताब मुरत्तब की है। जिसमें उन्होंने कोशिश की है कि कोई झईफ़ हदीस शामिल न होने पाए। मैंने भी जांच के दौरान इस बात की भरपूर कोशिश की है कि इसमें केवल मक्हबूल हदीसों को लाया जाए अब मेरी मालूमात के मुताबिक इसमें कोई झईफ़ रिवायत नहीं है। लेकिन चूंकि इंसान ग़लती और ख़ता का पुतला है अतः अहले इत्म से विनती है कि अगर किसी हदीस की बहस पर बाख़बर हों तो मुझे सूचित करें ताकि अगले एडीशन में उसकी तलाफ़ी की जा सके।

किताब व सुन्नत के अनुसरण का हुक्म

इरशाद बारी तआता है :

﴿الْيَوْمَ أَكْلَمْتُ لَكُمْ وَيَنْكِنْمُ وَأَنْتُمْ عَلَيْكُمْ يُعْنَمُتِي وَرَضِيَتْ لَكُمُ الْإِسْلَامُ وَبِئْنَا﴾

(العاشرة: ٣)

“(ऐ मुसलमानो!) आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को पूर्ण कर दिया है, और तुम पर अपनी नेमत को पूरा कर दिया है, और तुम्हारे लिए इस्लाम को (बतौर) दीन पसन्द कर लिया है।” (सूरह माइदा:3)

यह आयत 9 ज़िल हिज्जा 10 हिजरी में मैदाने अरफ़ात में नाज़िल हुई। इसके नाज़िल होने के तीन माह बाद रसूलुल्लाह सल्लू० यह कामिल और सम्पूर्ण दीन उम्मत को सौंप कर रफ़ीकों आला से जा मिले और उम्मत को वसीयत फ़रमा गए :

﴿أَرَأَيْتُمْ أَمْرَنِينِ لَنْ نَغْلِبُّوا مَا تَمَسَّكْنُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنْنَةَ نَبِيِّهِ﴾

‘मैं तुम्हारे अंदर ऐसी दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूं कि जब तक तुम इन्हें मज़बूती से पकड़े रहोगे कदापि गुमराह नहीं होगे अर्थात् अल्लाह की किताब और उसके नबी सल्लू० की सुन्नत।’¹


मालूम हुआ कि इस्लाम, किताब व सुन्नत में सीमित है। और यह भी साबित हुआ कि मसला व फ़तवा केवल वही सहीह और अमल योग्य है जो कुरआन व हदीस के साथ सतर्क हो।

रसूलुल्लाह सल्लू० फ़रमाते हैं :

“मेरी तमाम उम्मत जन्नत में दाखिल होगी सिवाएँ उसके जिसने इंकार किया। किसी ने पूछा (ऐ अल्लाह के रसूल!) इंकार करने वाला कौन है? आपने फ़रमाया, जिसने मेरी आज्ञा का पालन किया वह जन्नत में दाखिल

1. बैहेकी, मोत्ता इमाम मालिक : 2/899, हाकिम : 1/93 और इब्ने हज़म ने इसे सहीह कहा है।

हुआ और जिसने मेरी अवज्ञा की तो उसने इंकार किया ।”¹



हज़रत इरबाज़ बिन सारया राज़ि० खेलायत करते हैं। इसलिए हमको खास वसीयत कीजिए। आपने फ़रमाया, मैं तुम्हें वसीयत करता हूं कि अल्लाह से डरते रहना और अपने (अमीर की जाइज़ बात) सुनना और मानना यध्यपि (तुम्हारा अमीर) हथी गुलाम ही हो। मेरे बाद जो तुममें से ज़िंदा रहगा वह सख़्त मतभेद देखेगा। उस समय तुम मेरी सुन्नत और चारों खलीफों का तरीक़ा पकड़ना उसे दांतों से मज़बूत पकड़े रहता और (दीन के अंदर) नए नए कामों (और तौर तरीकों) से बचना।²

इस हदीस से साबित हुआ कि हर विद्यात गुमराही है। कोई विद्यात अच्छी नहीं।

अब्दुल्लाह बिन उमर राज़ि० फ़रमाते हैं : “हर विद्यात गुमराही है चाहे लोग उसे नेकी समझें।”³

इमाम मालिक रह० ने क्या खूब फ़रमाया : “जिस व्यक्ति ने इस्लाम में नेकी समझ कर कोई नई चीज़ ईजाद की तो उसने सोचा कि मुहम्मद सल्ल० ने तब्लीग रिसालत में बैडमानी से काम लिया (नज़्रुल्लाह) रसूलुल्लाह सल्ल० के ज़माने में जो चीज़ दीन न थी वह आज भी दीन नहीं बन सकता।”
(अल एतसाम लिखशतिबी 1/49।)

हदीस के मामले में छानबीन और सावधानी :

अल्लाह तआला फ़रमाते हैं :

﴿وَأَرْزَقْنَا إِلَيْكَ أَذْكُرْ لِتَبَيَّنَ لِلنَّاسِ مَا نَزَّلَ عَلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾

(النحل ٤٤/١٦)

1. सहीह बुखारी, हदीस 280।

2. सुनन अबी दाऊद, हदीस 4607 व सुनन तिर्मिजी, हदीस 2681।

3. “अल सुन्नत” मुहम्मद बिन नसर मरोज़ी पृ० 82, शरह उसूल-लिल अलकानी

“और हमने आपकी तरफ़ ज़िक्र (कुरआन मजीद) नाज़िल किया है ताकि आप लोगों पर उन शिक्षाओं को स्पष्ट करें जो उनकी तरफ़ नाज़िल की गई हैं ताकि वे सोच विचार करें।” (सूरह नहल 16 : 44)

रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : “याद रखो मुझे कुरआन मजीद और उसके साथ उस जैसी एक और चीज़ (हडीस) दी गई है।”¹

और जिस तरह अल्लाह तआला ने अपने आज्ञा पालन को फ़र्ज़ किया है उसी तरह अपने रसूल सल्ल० के आज्ञा पालन को भी अनिवार्य क़रार दिया है। फ़रमाया :

﴿إِنَّ الَّذِينَ مَاتُوا أَطْبَعُوا اللَّهَ وَأَطْبَعُوا الرَّسُولَ وَلَا يُبْطَلُوا أَعْمَالُكُمْ﴾

‘ऐ अहले ईमान! अल्लाह का आज्ञा पालन करो और (उसके) रसूल सल्ल० का आज्ञा पालन करो। और (उस आज्ञा पालन से हटकर) अपने कर्मों को बातिल न करो।’ (सूरह मुहम्मद 47 : 33)

मालूम हुआ कि कुरआन मजीद की तरह हडीस नबवी भी शरई दलील और हुण्जत है मगर हडीस से दलील लेने से पहले इस बात का पता होना ज़रूरी है कि क्या वह हडीस, रसूलुल्लाह सल्ल० से सावित भी है या नहीं?

नबी सल्ल० ने फ़रमाया : ‘आखिरी ज़माने में दज्जाल और क़ज़्जाब होंगे वे तुम्हें ऐसी ऐसी हडीसों सुनाएंगे जिन्हें तुमने और तुम्हारे पूर्वजों ने नहीं सुना होगा अतः उनसे अपने आपको बचाना। कहीं ऐसा न हो कि वे तुम्हें गुमराह कर दें और फ़ितने में डाल दें।’²

और फ़रमाया : ‘जो व्यक्ति मुझ पर जान कर झूठ बोले उसे चाहिए कि वह अपना ठिकाना आग में बना ले।’³

इमाम दार कुतुरी रह० फ़रमाते हैं : “रसूलुल्लाह सल्ल० ने अपनी तरफ़ से (बात) पहुंचा देने का हुक्म देने के बाद अपनी ज़ात पाक पर झूठ बोलने वाले को आग की खबर सुनाई अतः इसमें इस बात की दलील है कि आपने अपनी तरफ़ से ज़ईफ़ की बजाए सहीह और बातिल की बजाए हक़ के पहुंचा

1. अबू दाऊद, हडीस 4604, इब्ने हिबान, हडीस 97 ने इसे सहीह कहा है।

2. सहीह मुस्लिम, हडीस 7।

3. सहीह बुखारी, हडीस 107-108।

देने का हक्म दिया है न कि हर उस चीज़ के पहचाने का जिसकी निस्वत्ता

आपकी तरफ़ कर दी गई।” इसलिए कि नबी सल्लू० ने फ़रमाया : “आदमी के झूठ होने के लिए यही काफ़ी है कि वह हर सुनी सुनाई बात बयान कर दे।”

इमाम मुहम्मद बिन इदरीस शाफ़ी रह० फ़रमाते हैं : “इब्ने सीरीन, इब्राहीम नख़ीर, ताऊस और अन्य तावर्इन रह० का यह मज़हब है कि हदीस केवल सिक्का से ही ली जाएगी और मुहदिसीन में से मैंने किसी को इस मज़हब का विरोधी नहीं पाया।” (अल तमहीद इब्ने अब्दुल बर)

अनेक सहाबा किराम रज़ि० से यह सावित है कि वह हदीस के बयान करने में अत्यन्त सावधानी बरता करते थे।

इब्ने अदी रह० फ़रमाते हैं : “सहाबा रज़ि० की एक जमाअत ने रसूलुल्लाह सल्ल० से हदीस बयान करने से केवल इसलिए बचना चाहा कि कहीं ऐसा न हो कि हदीस में ज्यादती या कमी हो जाए और वह आपके इस फ़रमान (जो व्यक्ति मुझ पर जानकर झूठ बोलता है उसका ठिकाना आग है) के चरितार्थ क्रारार पाए।”

इमाम मुस्लिम रह० फ़रमाते हैं : “जो व्यक्ति ज़ईफ़ हदीस की कमज़ोरी को जानने के बावजूद उसकी कमी को बयान नहीं करता तो वह अपने इस कार्य की वजह से गुनाहगार और लोगों को धोखा देता है क्योंकि मुमकिन है कि इसकी बयान की हुई अहादीस को सुनने वाला उन सब पर या उनमें से कुछ पर अमल करे और मुमकिन है कि वे सब अहादीस या कुछ अहादीस झूठ हों और उनकी कोई असल न हो जबकि सहीह अहादीस इस कद्र हैं कि उनके होते हुए ज़ईफ़ अहादीस की ज़रूरत ही नहीं है। फिर बहुत से लोग जानकर ज़ईफ़ और अज्ञात सनद वाली अहादीस बयान करते हैं केवल इसलिए कि लोगों में उनकी शोहरत हो और यह कहा जाए कि ‘उनके पास बहुत अहादीस हैं और उसने बहुत किताबें लिख कर दी हैं’ जो व्यक्ति इल्म के मामले में इस रविश को इक्खियार करता है उसके लिए इल्म में कुछ हिस्सा नहीं और इसे ऑलिम कहने की बजाए जाहिल कहना ज़्यादा मुनासिब है।”

(मुकदमा सहीह मुस्लिम, 1/177-179)

इमाम इन्हे तैमिया रहो फ़रमाते हैं : “इमामों में से किसी ने नहीं कहा की ज़ईफ़ हदीस से वाजिब या मुस्तहब अमल साबित हो सकता है। जो व्यक्ति यह कहता है उसने सारे इमामों का विरोध किया (अल तवस्सुल वल वसीला) याह्या बिन मुईन, इन्हें हज़म और अबूबक्र इन्हें अरबी रहो के निकट फ़ज़ाइले आमाल में भी केवल मक्कबूल अहादीस ही विवेचन योग्य हैं (क़वाइदुल तहदीस) शैख़ अहमद शाकिर, शैख़ अलबानी और शैख़ मुहम्मद मुहीउद्दीन अब्दुल हमीद और अन्य मुहकिम्मीन का तरीका भी यही है।”

1. याद रहें कि ज़ईफ़ हदीस (जिसे मस्लकी तास्सुब की बुनियाद पर नहीं बल्कि उसूल हदीस की रौशनी में खालिस फ़न्नी बुनियादों पर दलील के साथ ज़ईफ़ करार दिया जाए) से विवेचन के बारे में मुहदिसीन किराम के विभिन्न कथन हैं। जैसे :

1. अगर अमल मज़बूत तर्कों से साबित है और ज़ईफ़ हदीस में केवल उसकी श्रेष्ठता बयान की गई है तो लोगों को उस अमल की प्रेरणा देने के लिए उस ज़ईफ़ हदीस को बयान करना जाइज़ है।

2. किसी मसले के बारे में कुरआन मज़ीद और अहादीस पूरे तौर पर खामोश हों तो केवल कुछ ज़ईफ़ रिवायात से कुछ रहनुमाई मिलती हो तो इस मसले में किसी इमाम के कथन पर अमल करने की बजाए बेहतर यह है कि इस ज़ईफ़ हदीस पर अमल कर लिया जाए।


मगर दोनों पिरोह इस बात पर सहमत हैं कि केवल वही ज़ईफ़ हदीस बयान की जाएगी जिसकी कमज़ोरी मामूली हो, और उसके ज़ईफ़ होने की व्याख्या की जाएगी।

3. तीसरी राय यह है कि आर ज़ईफ़ हदीस की पुष्टि में अन्य क़वी तर्क मौजूद हों तो फिर इसे बयान करने से कोई हरज़ नहीं है।

4. चौथा कथन यह है कि ज़र्दफ़ हदीस के बयान का दरवाज़ा न खोला जाए क्योंकि :

अ. किसी अमल की जिस श्रेष्ठता को बयान किया जाएगा सुनने वाला उस श्रेष्ठता की सच्चाई पर ईमान लाएगा। (तभी उस अमल को पूरा करेगा) और यही अकीदा है और अक़ाइद में ज़ईफ़ हदीस से सर्वसम्मति नाजाइज़ है।

ब. पहले वालों ने जब फ़ज़ाइले आमाल में ज़ईफ़ हदीस का बयान जाइज़ करार दिया था तो उस समय हदीस की केवल दो किस्में प्रख्यात थीं, सहीह और ज़ईफ़। मगर जब ज्ञानात्मक शोध में विस्तार पैदा हुआ तो हसन लज़ातह और हसन लज़ीरह के नाम से मक्कबूल हदीस की दो मज़ीद किस्में की गई तो पहले वालों ने फ़ज़ाइले आमाल में जिस



का कहना है कि जब हदीस ज़ईफ़ हो तो उसके बारे में यूं नहीं कहना चाहिए कि “रसूलुल्लाह सल्लूल्लाहू ने फ़रमाया” या “आपने किया है” या “आपने करने का हुक्म दिया है” या “मना किया है” और यह इसलिए कि हज़म के कलिमे रिवायत की सेहत का तक़ाज़ा करते हैं अतः उनका चरितार्थ उसी रिवायत पर किया जाना चाहिए जो साबित हो वरना वह इंसान नबी सल्लूल्लाहू पर झूठ बोलने वाले की तरह होगा मगर (अफ़सोस कि) इस उसूल को सारे फुक्हा और अन्य विद्वान ने ध्यान में नहीं रखा। सिवाए हदीसों के शोधकर्ताओं के, और यह बुरी

ज़ईफ़ हदीस का वयान जाइज़ क्रार दिया था बाद वालों ने उसी को हसन ल़गीरा क्रार दिया है जो एक किस्म की मक़बूल हदीस है तो जो हदीस “हसन ल़गीरा” से भी कमतर दर्जे की हो उससे विवेचन करना उनके नज़दीक भी सहीह नहीं था।

स. लगभग हर बातिल सम्प्रदाय किताब व सुन्नत के समझने में सहावा व ताबीन की सूझबूझ व अमल से काफ़ी दूर है क्योंकि इसके बिना वह अपने मनगढ़त प्रमुख मसाइल का बचाव नहीं कर सकता अब आपर ज़ईफ़ अहादीस के वयान का दरवाज़ा खोल दिया गया तो वह यह यह झूठा दावा करेगा कि फ़लां हदीस यद्यपि ज़ईफ़ है मगर उसकी पुष्टि फ़लां आयत करीमा या मक़बूल हदीस से हो रही है अतः यह हदीस ज़ईफ़ के बावजूद विवेचन योग्य है” यद्यपि बुज़ुर्गों की समझ के मुताबिक़ इस फ़लां आयत या मक़बूल हदीस से उस ज़ईफ़ हदीस की पुष्टि कदापि नहीं होती।

द. और व्यवहार में जो कुछ हो रहा है वह उससे कहीं ज्यादा ख़तरनाक है स्वार्थी उलमा केवल फ़ज़ाइल ही नहीं बल्कि अक़ाइद व कर्मों को भी मर्दूद बल्कि मौजूद रिवायात से साबित करने की कोशिश करते हैं और लोगों को यह ज़ाहिर करते हैं कि “एक तो ये अहादीस बिल्कुल सहीह हैं अगर कोई हदीस ज़ईफ़ हुई तो भी कोई हरज नहीं क्योंकि फ़ज़ाइले आमाल में ज़ईफ़ हदीस सौभाग्य से ही क्राविले कुबूल होती है।”

ह. इसमें शक नहीं कि दीने मुहम्मदी का असल मुहाफ़िज़ अल्लाह है अतः यह नहीं हो सकता कि दीने इलाही की कोई बात मरवी न हो या मरवी तो हो मगर उसकी तमाम रिवायात ज़ईफ़ (हसन ल़गीरह से कमतर) हों, और यह भी हो सकता है कि एक चीज़ दीने इलाही न हो मगर मक़बूल हदीस के ज़र्खीरे में मौजूद हों दूसरे शब्दों में जो असल दीन है वह मक़बूल रिवायात में मौजूद है और जो दीन नहीं है उस रिवायात पर प्रभावी बहस मौजूद है इन तथ्यों के सामने बेहतर यही है कि ज़ईफ़ हदीस से विवेचन का दरवाज़ा बन्द ही रहने दिया जाए बल्लाहु आलम। और देखें “रियाज़ुस्सालिहीन” (उर्दू) प्रकाशित “दारुस्सलाम” फ़वाइद हदीस नम्बर 1381।

किस्म की लापरवाही है क्योंकि वह (उलमा) बहुत सी सही रिवायत के बारे में कह देते हैं कि “यह रिवायत नबी सल्ल० से रिवायत की गई” और बहुत सी ज़ईफ़ रिवायत के बारे में कहते हैं कि “आप ने फ़रमाया” “उसे फ़लां ने रिवायत किया है” और यह सही तरीके से हट जाना है।

1. क्योंकि मुहम्मदीसीन के उसूल के मुताबिक मक्कवृत्त अहादीस के बयान में रावी के नाम का स्पष्टीकरण करना चाहिए था (कि फ़तावा ने फ़तावा से रिवायत की) जब मर्दू रिवायत के बयान में नाम को छुपाकर रखना था (जैसे रिवायत है कि..., मरवी है कि...आदि) मगर यहां उलमा ने इसके विपरीत किया बल्लाहु आलम।

रहमतुल्लिल आलमीन सल्ल० का खुतबा

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَسَنَعْتَيْنُهُ، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلٌّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلُ فَلَا هَادِي لَهُ، وَأَشَهُدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشَهُدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَنْدَهُ وَرَسُولُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ حَيْثَنَا الْحَدِيثُ كِتَابٌ اللَّهُ وَحَيْثَنَا الْهَدَى هَذِهِ مُحَمَّدٌ بِلِلَّهِ، وَشَرَّ الْأُمُورُ مُخْدِثَاتُهُ، وَكُلُّ بَذْعَةٍ ضَلَالٌ ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آتَيْنَا اللَّهَ حَقَّ قُنْطَافِيهِ، وَلَا تَوْمَنُ إِلَّا وَأَنْشَمَ مُسْلِمُونَ﴾ - ﴿يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا يُنَاهَا رِبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تَنِّيْنٍ وَجِدْوَنَ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهَا بِحَالًا كَثِيرًا وَنَسَاءً وَآتَيْنَا اللَّهَ الَّذِي نَسَأَ لَهُنِّ بِهِ، وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ - ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آتَيْنَا اللَّهَ وَقْرُلُوا قُوَّلَا سَرِيدِلَا تَمَّ يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيُغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ بُطِّعَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَرْزَانَ عَظِيمًا﴾

‘निःसन्देह सब प्रशंसाएं अल्लाह के लिए हैं। हम उसकी प्रशंसा करते हैं, उससे मदद मांगते हैं, जिसे अल्लाह राह दिखाए उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता और जिसे अपने दर्शने धुत्कार दे उसके लिए कोई रहबर नहीं हो सकता। और मैं गवाही देता हूँ कि वास्तविक उपासक केवल अल्लाह तआला है वह अकेला है उसका कोई शरीक नहीं और मैं गवाही देता हूँ कि मुहम्मद सल्लू८ उसके बन्दे और उसके रसूल हैं।’

“हम्द व सलात के बाद निश्चय ही तमाम बातों से बेहतर बात अल्लाह तआला की किताब है और तमाम तरीकों से बेहतर तरीका मुहम्मद सल्लू० का है और तमाम कार्मों से बदतरीन काम वे हैं जो (अल्लाह के दीन में) अपनी तरफ से निकाले जाएँ और हर विद्युत गुमराही है।”

“ऐ ईमान वालो! अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक्क है और तुम्हें मौत न आए मगर इस हाल में कि तूम मुसलमान हो।”

‘ऐ लोगो! अपने रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया। और (फिर) उस जान से उसकी बीवी को बनाया और (फिर) उन दोनों से बहुत से मर्द और औरतें पैदा कीं और उन्हें (ज़मीन पर) फैला दिया। अल्लाह से डरते रहो जिसके ज़रिए (जिसके नाम पर) तुम एक दूसरे से सवाल करते हो और

रिश्तों (को काटने) से डरो। (बचो) निःसन्देह अल्लाह तुम्हारी निगरानी कर रहा है।”

‘ऐ ईमान वालो! अल्लाह से डरो और ऐसी बात कहो जो सीधी सच्ची हो। अल्लाह तुम्हारे आमाल को सुधारेगा और तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फ़रमाएगा और जिस व्यक्ति ने अल्लाह और उसके रसूल का आज्ञा पालन किया तो उसने बड़ी कामयाबी हासिल की।’

चेतावनी :


सहीह मुस्लिम, सुनन नसाई, और मुस्नद अहमद में इब्ने अब्बास और इब्ने मसऊद रजिऊ की हदीस में खुतबा का प्रारंभ ‘इन्नल हम्दा लिल्लाह’ से है अतः “अलहम्दु लिल्लाह” की बजाए “इन्नल हम्दा लिल्लाह” कहना चाहिए।

यहां “नुअूमिनु बिही व-न तवक्कलू अलैहि” के शब्द सहीह अहादीस में मौजूद नहीं हैं।

अहादीस सहीहा में “नशहदु” (जमा का कलिमा) नहीं बल्कि “अशहदु” (वाहिद का कलिमा) है।

यह खुतबा निकाह, जुमा और आम उपदेश व इरशादात या दर्स व तदरीस के अवसर पर पढ़ा जाता है। इसे खुतबा हाजत कहते हैं इसे पढ़कर आदमी अपनी हाजत व ज़रूरत बयान करे।

1. दारमी, अन्निकाह, अध्याय फ़ी खुतबतुन्निकाह, हदीस 2198।



नमाजः फ़ाज़ियत, श्रष्टा आर महत्व

प्राप्ति देव दिवे दिवे दिवे दिवे

सन्तान का नमाज़ सखान का हुक्म :

रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : जोड़ गिरावट की जिसकी

«مُرِّزاً أَوْلَادَكُمْ بِالصُّلُوةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِينِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِينِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ»

“अपने बच्चों को नमाज पढ़ने का हुक्म दो जब वे सात साल के हो जाएं और जब वे दस वर्ष के हों तो उन्हें नमाज छोड़ने पर मारे और उनके विस्तर अलग कर दो।”

इस हीस में रसूलुल्लाह सल्लो बच्चों के मां बाप को इरशाद फ़रमा रहे हैं कि वे अपनी सन्तान को सात वर्ष की उम्र में ही नमाज़ की तालीम देकर नमाज़ का आदी बनाने की कोशिश करें और अगर दस वर्ष के होकर नमाज़ न पढ़ें तो मां बाप मारें और उन्हें सजा देकर नमाज़ का पाबन्द बनाएं और दस वर्ष की उम्र का ज़माना चंकि व्यस्क के क़रीब है इसलिए उन्हें इकट्ठा न सोने दें।

नमाज छोड़ना, कफ्र का एलान है :

हजरत जाविर रज्जू रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लू ने फरमाया : “ईमान और कफ के बीच फर्क, नमाज का छोड़ देना है।”²

इसका मतलब यह है कि इस्लाम और कुफ के बीच नमाज़ दीवार की तरह मौजूद है। दूसरे शब्दों में नमाज़ का छोड़ना मुसलमान को कुफ़ तक पहुंचाने वाला अमल है।

हज़रत बुरीदा रज़ि० रियायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : “हमारे और मनाफ़िकों के बीच सन्धि नमाज़ है जिसने नमाज़ छोड़

1. अबू दाऊद, सलात, हडीस 494-495, तिर्मिजी, सलात, हडीस 407 इसे इमाम हाकिम और ज़हबी ने सहीह कहा है।
 2. मस्लिम, इमान, अध्याय बयानतलाक, हडीस 82।

दी तो उसने कुफ़ किया।”¹

इस हदीस का मतलब यह है कि कपटियों को जो अम्न है, वह क़ल्ल नहीं किए जाते और उनके साथ मुसलमानों जैसा सुलूक रखा जाता है तो उसकी वजह यह है कि वे नमाज़ पढ़ते हैं और उनका नमाज़ पढ़ना मानो मुसलमानों के बीच एक सन्धि है जिसके कारण कपटियों की जान और उनका माल मुसलमानों की तलवार और हमले से महफूज़ है और जिसने नमाज़ छोड़ी तो उसने अपने कुफ़ को स्पष्ट कर दिया। मुसलमान भाइयो! सोच विचार करो कितना खौफ़ का मङ्काम है कि नमाज़ छोड़ना कुफ़ का एलान है।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन शङ्की़क रह० रिवायत करते हैं : “सहाबा किराम रज़ि० कर्मों में से किसी चीज़ के छोड़ने को कुफ़ नहीं समझते थे सिवाए नमाज़ के।”²

हज़रत अबू दरदा रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० फ़रमाते हैं : “जो व्यक्ति नमाज़ छोड़ दे तो निश्चय ही उस (की बाबत अल्लाह का माफ़ करने) का ज़िम्मा ख़त्म हो गया।”³

हज़रत इब्ने उमर रज़ि० रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : “जिस व्यक्ति की नमाज़ अस्त्र छूट जाए तो मानो उसका घर और माल लूट लिया गया।”⁴

हज़रत बुरीदा रज़ि० कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : “जिस व्यक्ति ने नमाज़ अस्त्र छोड़ दी तो उसके कर्म बातिल हो गए।”⁵

1. नसाई 1/231-232, इब्ने माजा, हदीस 1079, तिर्मिज़ी, ईमान, हदीस 2626, इसे तिर्मिज़ी, हाकिम (1/6-7) और ज़हबी ने सहीह कहा है।

2. तिर्मिज़ी, अलईमान, हदीस 2627, इसे इमाम हाकिम (1/7) ने सहीह और ज़हबी ने सालेह कहा है।

3. इब्ने माजा, अलफितन, हदीस 4034, इसकी सनद इमाम ज़ेहबी और इब्ने हज़र की शर्त पर हसन है।

4. बुखारी, हदीस 552, मुस्लिम हदीस 626।

5. बुखारी किताब व अध्याय उल्लिखित हदीस 553, अध्याय तबकीर हदीस

नमाज़ की श्रेष्ठता :

हजरत अबू हुरैरह रजिंह रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लो ने फ़रमाया :

«الصلوات الخمس والجمعة كفارة لما ينتهي ما
لم تغش الكبائر»

“पांच नमाजें, उन गुनाहों को जो उन नमाजों के बीच हुए, मिटा देती हैं और (इसी तरह) एक जुमा दूसरे जुमा तक के गुनाहों को मिटा देता है, जबकि कबीरा गुनाहों से बचा गया हो।”¹

जैसे फ़ज़र की नमाज़ के बाद जब ज़ोहर पढ़ेंगे तो दोनों नमाजों के बीच के समय में जो गुनाह, ग़लतियां और ख़ताएं हो चुकी होंगी अल्लाह तआला उनको बख़श देगा। इसी तरह रात और दिन के तमाम छोटे गुनाह नमाज़ पंजगाना से माफ़ हो जाते हैं मानो पांचों नमाजों पर हमेशगी मुसलमानों के कर्म पत्र को हर समय साफ़ और सफ़ेद रखती है यहां तक कि इंसान नमाज़ की बरकत से आहिस्ता आहिस्ता छोटे गुनाहों से बचते हुए बड़े गुनाहों के भय से ही कांप उठता है।²

हजरत अबू हुरैरह रजिंह रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लो ने सहाबा रजिंह से फ़रमाया : “भला मुझे बताओ अगर तुम्हारे दरवाज़े के बाहर नहर हो और तुम उसमें हर गोज़ पांच बार नहाओ, क्या (फिर भी जिस्म पर) मैल बाकी रहेगा?” सहाबा रजिंह ने कहा : “नहीं।” आपने फ़रमाया : “यही मिसाल पांचों नमाजों की है, अल्लाह तआला उनके सबब गुनाहों को माफ़ कर देता है।”³

1. मुस्लिम, तहारत, अध्याय सलातुल ख़म्स वल जुमा, हदीस 233।

2. अगर अक्खीदा, तरीक़ाए नमाज और नीयत दुरुस्त हो तो नमाज पर हमेशगी बन्दे को गुनाहों से रोक देती है इसके बावजूद अगर कोई व्यक्ति कबीरा गुनाहों को करता हो तो निश्चय ही वह किसी ऐसा गुनाह को निरंतर कर रहा है जिसके होते हुए नमाज़ कुबूल ही नहीं होती। वरना यह नामुमकिन है कि नमाज़ कुबूल भी हो जाए और गुनाहों से न रुके।

3. बुखारी, कफ़्फ़ारा, 528 व मुस्लिम हदीस 667।

हज़रत अनस रज़ि० रिवायत करते हैं कि एक व्यक्ति ने रसूलुल्लाह सल्ल० की सेवा में हाजिर होकर अर्ज किया कि (मैंने गुनाह किया और बतौर सज़ा) में हद को पहुंचा हूं तो मुझ पर हद कायम करें। (आपने उससे हद का हाल मालूम न किया यह न पूछा कि कौनसा गुनाह किया है?) इतने में नमाज का समय आ गया। उस व्यक्ति ने आपके साथ नमाज पढ़ी जब आप नमाज पढ़ चुके तो वह व्यक्ति फिर खड़ा होकर कहने लगा कि ऐ अल्लाह के रसूल! निःसन्देह मैं हद को पहुंचा हूं तो मुझ पर अल्लाह का हुक्म लागू कीजिए। आपने फ़रमाया : “क्या तूने हमारे साथ नमाज नहीं पढ़ी?” उसने कहा : “पढ़ी है” आपने फ़रमाया : “अल्लाह ने तेरा गुनाह बरखा दिया है।”¹

अल्लाह की रहमत और बर्खाश कितनी व्यापक है कि नमाज पढ़ने के सबब अल्लाह ने उसका गुनाह जिसे वह अपनी समझ के मुताबिक ‘हद को पहुंचना’ कह रहा था माफ़ कर दिया मालूम हुआ नमाज गुनाहों को मिटाने वाली है।²

हज़रत अबूजर रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० जाड़े के मौसम में बाहर निकले, पतझड़ का मौसम था। आपने एक पेड़ की दो शाखें पकड़ कर उन्हें हिलाया तो पते झड़ने लगे आपने फ़रमाया : “ऐ अबूजर! मैंने कहा : “ऐ अल्लाह के रसूल हाजिर हूं।” आपने फ़रमाया : “मुसलमान जब नमाज पढ़ता है और उसके साथ अल्लाह की प्रसन्नता चाहता है तो उसके गुनाह इस तरह गिरते हैं जिस तरह इस पेड़ के पते झड़े हैं।”³

हज़रत उबादा बिन सामिर रज़ि० की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : “अल्लाह तआला ने पांच नमाजें फ़र्ज़ की हैं। तो जिसने अच्छा वुजू किया, उनको विनय के साथ पढ़ा और उनका रुकूअ पूरा किया तो उस नमाजी के लिए अल्लाह का वायदा है कि वह उसको बरখा देगा।”⁴


हज़रत अम्मारा बिन रवेबा रज़ि० रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : “जो व्यक्ति सूरज के उदय व अस्त से पहले (अर्थात फ़ज़र और अस्र की) नमाज पढ़ेगा वह व्यक्ति हरगिज़ आग में दाखिल नहीं

1. सहीह मुस्लिम, तौबा, हदीस 2764।

2. मुसनद अहमद 5/179, इमाम मुजिरी 1/248 ने इसे हसनों कहा है।

3. अबू दाऊद, 425, इमाम इब्ने हिबान ने इसे सहीह कहा है।

होगा ।”¹



फ्रमाया : “जो व्यक्ति नमाज़ इशा जमाअत के साथ अदा करे (उसे इतना सवाब है) मानो उसने आधी रात तक क़्रयाम किया और फिर सुबह की नमाज़ जमाअत के साथ पढ़े (तो इतना सवाब पाया) मानो तमाम रात नमाज़ पढ़ी ।”²

हज़रत जुन्दुब क़सरी रज़ि० रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ्रमाया : “जिस व्यक्ति ने सुबह की नमाज़ पढ़ी तो वह अल्लाह के जिम्मे (अहद व अमान) में है ।”³

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ्रमाया : “तुम्हारे पास फ़रिश्ते रात और दिन को आते हैं । (आने और जाने वाले फ़रिश्ते) नमाज़ फ़ज़र और नमाज़ अस्स में जमा होते हैं । जो फ़रिश्ते रात को रहे वे आसमान को चढ़ते हैं तो उनका रब उनसे पूछता है (यद्यपि वह अपने बन्दों का हाल खूब जानता है) तुमने मेरे बन्दों को किस हाल में छोड़ा? वे कहते हैं हमने उनको इस हाल में छोड़ा कि वे नमाज़ पढ़ते थे और हम उनके पास इस हाल में गए कि वे नमाज़ पढ़ते थे ।”⁴

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ्रमाया : “कपटियों पर फ़ज़र और इशा से ज्यादा भारी कोई नमाज़ नहीं । अगर उन्हें उन नमाज़ों का सवाब मालूम हो जाए तो वे उनमें जरूर पहुंचें यद्यपि उन्हें सुरीन पर चलना पढ़े ।”⁵

सुरीन पर चलने का मतलब यह है कि अगर पांव से चलने की ताक़त न हो तो उन नमाज़ों के सवाब और अज़ की कशिश उन्हें सुरीनों के बल चलकर मस्जिद पहुंचने पर मजबूर कर दे अर्थात् हर हाल में पहुंचें ।

नवी करीम सल्ल० को नमाज़े अस्स इतनी प्यारी थी कि जब जंग खन्दक के दिन कुफ़्फ़ार के हमले और तीर अंदाज़ी के सबब यह नमाज़ छूट गई तो

1. मुस्लिम, हदीस 634 ।

2. मुस्लिम, हदीस 656 ।

3. मुस्लिम, हदीस 657 ।

4. बुख़री हदीस 555, व मुस्लिम हदीस 632 ।

5. बुख़री हदीस 657, मुस्लिम हदीस 651 ।

आपको बड़ा रंज पहुंचा इस पर नबी सल्ल० की ज़बान मुबारक से यह शब्द निकले : “हमें काफ़िरों ने बीच की नमाज़, नमाज़े अस्त्र, से रोके रखा, अल्लाह तआला उनके घरों और क़ब्रों को आग से भर दे।”¹

नमाज़ी और शहीद :

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० रिवायत करते हैं कि एक क़बीले के दो व्यक्ति एक साथ मुसलमान हुए, उनमें से एक जिहाद फ़ी सर्वतिल्लाह में शहीद हो गए और दूसरे एक साल के बाद चले गए। हज़रत तलहा रज़ि० ने सपने में देखा कि वह साहब जिनका एक साल बाद इंतकाल हुआ उस शहीद से पहले जन्नत में दाखिल हो गए। मुझे बड़ा अचरज हुआ कि शहीद का रुतबा तो बहुत खुलन्द है इसलिए जन्नत में उसे पहले दाखिल होना चाहिए था। मैंने खुद ही रसूलुल्लाह सल्ल० की खिदमत में अर्ज किया (अर्थात् इस तक़दीम व ताख़ीर की वजह पूछी) तो आपने फ़रमाया : “जिस व्यक्ति का बाद में इंतकाल हुआ क्या तुम उसकी नेकियां नहीं देखते कितनी ज़्यादा हो गई? क्या उसने एक रमज़ान के रोज़े नहीं रखे? और (साल भर की फ़र्ज नमाजों की) छः हज़ार और इतनी इतनी रक़अतें ज़्यादा नहीं पढ़ीं?”²

यही किस्सा हज़रत तलहा बिन अब्दुल्लाह रज़ि० खुद ज़रा विस्तार से बयान करते हैं। पाठक ध्यान दें कि यह किस्सा किस दर्जे ईमान अफ़रोज़ और नमाज की राबत दिलाने वाला है। हज़रत तलहा रज़ि० कहते हैं कि मैंने सुबह लोगों को अपना सपना सुनाया। सबको इस बात पर अचरज हुआ कि शहीद को (जन्नत में जाने की) इज़ाज़त बाद में क्यों मिली? यद्यपि उसे पहले मिलनी चाहिए थी। लोगों ने रसूलुल्लाह सल्ल० से मालूम किया, आपने फ़रमाया : “इसमें हैरत की कोई बात नहीं है, क्या बाद वाले व्यक्ति ने एक साल इबादत (ज़्यादा) नहीं की? उसने एक रमज़ान के रोज़े नहीं रखे? उसने एक साल की नमाजों के इतने इतने सज्दे ज़्यादा नहीं किए? सबने अर्ज किया : जी हां अल्लाह के रसूल!। तो आपने फ़रमाया : ‘‘फिर तो उन दोनों के बीच ज़मीन

1. बुख़ारी, हदीस 2931, 4111, 4533, 6396 व मुस्लिम हदीस 627-628।

2. मुसनद अहमद (2/333) इमाम मुजिरी (1/244) और इमाम हेसमी (10/207) ने इसे हसन कहा है।

व आसमान का फ़र्क हो गया ।”¹

नमाज़ का महत्व :

रसूलुल्लाह सल्ल० ने इशाद फ़रमाया :

إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسِبُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَعْمَالِهِمُ الصَّلَاةُ

“निःसन्देह क्रियामत के दिन लोगों के कर्मों में से सबसे पहले नमाज़ ही का हिसाब होगा ।”²

हज़रत इब्ने मसउद रजि० फ़रमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्ल० से सवाल किया कि अल्लाह तआला को कौन-सा अप्पल ज्यादा महबूब है? आपने फ़रमाया : “समय पर नमाज़ पढ़ना ।” मैंने कहा फिर कौन-सा? आपने फ़रमाया : “मां-बाप के साथ नेक सुलूक करना ।” मैंने कहा फिर कौन-सा? आपने फ़रमाया : “अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना ।”³

रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया :

“नमाज़ के बारे में अल्लाह से डरो। नमाज़ के बारे में अल्लाह से डरो। नमाज़ के बारे में अल्लाह से डरो।”⁴

“आदमी और शिर्क के बीच नमाज़ ही मौजूद है ।”⁵

“नमाज़ दीन का स्तूति है ।”⁶

1. इब्ने माजा, हदीस 2925, इब्ने हिबान (हदीस 2466) इमाम इब्ने हिबान ने इसे सहीह किया है।

2. अबू दाऊद, हदीस 866, हाकिम (1/362-363) इसे इमाम ज़ेहबी ने सहीह कहा है।

3. बुखारी, हदीस, 527, मुस्लिम हदीस 85।

4. इब्ने माजा, हदीस 2697, इब्ने हिबान (हदीस 1220) इसे इमाम बूसीरी ने सहीह कहा है।

5. मुस्लिम, हदीस 82, नमाज़ अकाइद तौहीद का सबसे बड़ा धोतक है अगर नमाज़ी का अकीदा, शब्द नमाज़ के मुताबिक़ हो तो वह कभी शिर्क व कुफ़र में गिरफ़तार नहीं हो सकता इंशाअल्लाह तआला।

6. तिर्मिज़ी (हदीस 2621) इसे इमाम हाकिम (2/76, 412-413) इमाम ज़ेहबी और इमाम तिर्मिज़ी ने सहीह कहा है।

क्रियामत के दिन जब अल्लाह तआला कुछ जहन्नमियों पर रहमत करने का इरादा फ़रमाएगा तो फ़रिश्तों को हुक्म देगा कि वह जहन्नम से ऐसे लोगों को बाहर निकाल लें जो अल्लाह की इबादत किया करते थे। फ़रिश्ते उन्हें सज्दे के निशान से पहचान कर जहन्नम से निकाल देंगे (क्योंकि) सज्दे की जगहों पर अल्लाह तआला ने जहन्नम को हराम कर दिया है वहां आग का कुछ असर न होगा।”¹

“सबसे श्रेष्ठ कार्य प्रथम समय पर नमाज़ पढ़ना है।”²

“जब आदमी नमाज़ के लिए खड़ा होता है तो रहमते इलाही उसकी तरफ़ आकर्षित हो जाती है।”³

“मेरे पास जिब्रील आए और कहने लगे : मुहम्मद (सल्ल०)! चाहे कितना ही आप ज़िंदा रहें आखिर एक दिन मरना है और जिससे चाहें कितनी ही मुहब्बत करें आखिर एक दिन जुदा होना है और आप जैसा भी अमल करें उसका बदला ज़रूर मिलना है और उसमें कोई संकोच नहीं कि मोमिन की शराफ़त तहज्जुद की नमाज़ में है और मोमिन की इज़्जत लोगों (के माल) से बचने (बरतने) में है।”⁴

रसूलुल्लाह सल्ल० फ़रमाते हैं : “मैंने सपने में अपने बाबरकत और बुलन्द दर्जात परवरदिगार को बहुतरीन सूरत में देखा, तो उसने कहा, ऐ मुहम्मद! मैंने कहा : ऐ मेरे ख्वाम मैं हाजिर हूं। अल्लाह ने फ़रमाया, फ़रिश्ते किस बात में बहस कर रहे हैं? मैंने कहा मैं नहीं जानता। अल्लाह ने तीन बार पूछा, मैंने हर बार यही जवाब दिया। फिर मैंने अल्लाह को देखा कि उसने अपना हाथ मेरे कंधों के बीच रखा। यहां तक कि मैंने अल्लाह तआला की

1. बुखारी, हदीस 806 व मुस्लिम हदीस 182।
2. इब्ने खुज़ैमा हदीस 327 व इब्ने हिबान हदीस 280 इसे इमाम हाकिम (1/188-189) और हाफ़िज़ ज़ेहवी ने सहीह कहा है।
3. अबू दाऊद, हदीस 945, नसाई (3/6), तिर्मिज़ी हदीस 379, इसे तिर्मिज़ी ने हसन और इब्ने हजर ने सहीह कहा है।
4. मुस्तदरक हाकिम (4/324-325) इमाम हाकिम और इमाम ज़ेहवी ने इसे सहीह और हाफ़िज़ मुंजिरी ने हसन कहा है। अर्थात् जो कुछ अल्लाह ने दिया है उस पर सब्र, शुक्र और कनाअत करे और लोगों के माल में लालच न रखे।

उंगलियों¹ की ठंडक अपनी छाती के बीच महसूस की। फिर मेरे लिए हर चीज़

जाहिर हो गई। और मैंने सबको पहचान लिया।² फिर फ़रमाया ऐ मुहम्मद! मैंने कहा, मेरे रब! मैं हाज़िर हूं। अल्लाह ने फ़रमाया, निकटतम फ़रिश्ते किस बात में बहस कर रहे हैं? मैंने कहा, कफ़्कारा (गुनाहों का कफ़्कारा बनने वाली नेकियों) के बारे में। अल्लाह ने फ़रमाया वह क्या है? मैंने कहा, नमाज बाजमाअत के लिए पैदल चलकर जाना और नमाज के बाद मस्जिदों में बैठना और परिश्रम (सर्दी या दीमारी) के समय पूरा दूज़ करना। अल्लाह तआला ने फ़रमाया और किस चीज़ में बहस कर रहे हैं? मैंने कहा : दर्जत की बुलन्दी के बारे में। अल्लाह ने पूछा, वह किन चीज़ों में है? मैंने कहा : “लोगों को खाना खिलाने, नर्म बात करने, और रात को नमाज पढ़ने में जब लोग सो रहे हों।” फिर अल्लाह ने फ़रमाया, अपने लिए जो चाहो दुआ करो। रसूलुल्लाह سल्लू ने फ़रमाया कि फिर मैंने यह दुआ की :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْغَنَّمَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ
الْمَسَاكِينِ، وَأَنْ تَفَرِّنِي وَتَرْزَحْمِنِي، وَإِذَا أَرَدْتَ فَتَسْتَهِنْ فِي قَوْمٍ
فَتَسْوِقْنِي غَيْرَ مَفْتُونِ، وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ
يَهْرُبُ إِلَى حُبِّكَ

1. अल्लाह का हाथ और उंगलियाँ : असल में यह अल्लाह तआला के गुण हैं उनकी कैफियत हम नहीं जानते, हम उन्हें प्राणी के हाथ और उंगलियों से उपमा नहीं देते बल्कि अन्य परोक्ष की बातों की तरह अल्लाह के इन गुणों पर भी ईमान रखते हैं। अलहम्दु लिल्लाह

2. अर्थात् सपने के समय ज़र्मीन व आसमान की हर वह चीज़ मैंने देखी और पहचान ली जो अल्लाह ने मुझे दिखाना चाही। सवाल व जवाब से भी यही भावार्थ निकल रहा है और एक रिवायत में केवल पूरब व पश्चिम का जिक्र है। (वक्षिण व उत्तर का नहीं) अतः इस हदीस का कदापि यह अर्थ नहीं है कि पैदाइश आदम से लेकर लोगों के जन्नत और जहन्नम में दाखिल होने तक कायनात के हर ज़माने की हर चीज़ और हर राज मुझे मालूम हो गया, अगर ऐसा होता तो उस सपने के बाद नवी अकरम सल्लू पर वह्य नहीं आनी चाहिए थी क्योंकि जो चीज़ आपको पहले ही मालूम करवा दी गई उसकी वह्य भेजना वेकार है मगर ऐसा नहीं हुआ और वह्य आती रही बल्कि कभी आप वह्य का इन्तिज़ार फ़रमाया करते थे।

“ऐ अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूं नेकियों के करने का और बुराइयों के छोड़ने का और मिस्कीनों के साथ मुहब्बत करने का और यह कि तू मुझे माफ़ कर दे और मुझ पर दया कर और अगर तेरा किसी क़ौम को आज़माइश में डालने का इरादा हो तो मुझे आज़माइश से बचाकर मौत दे देना और मैं तुझसे तेरी और हर उस व्यक्ति की मुहब्बत मांगता हूं जो तुझसे मुहब्बत करता है और मैं तुझसे वह अमल करने का सौभाग्य मांगता हूं जो (मुझे) तेरी मुहब्बत के क़रीब कर दे।” नबी अकरम سल्ल० ने फ़रमाया : ‘‘मेरा यह सपना हक़ है तो उसको याद रखो और दूसरे लोगों की भी यह सपना सुनाओ।’’¹

रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : “जिसने सुबह की नमाज़ पढ़ी, वह अल्लाह की हिफ़ाज़त में है। तो अल्लाह तआला तुमसे अपनी हिफ़ाज़त के बारे में किसी चीज़ का मुतालबा न करे इसलिए कि जिससे वह यह मुतालबा करेगा निश्चय ही उसको अपनी गिरफ़त में लेकर मुह के बल जहन्नम में फेंक देगा।”²

मुतालबे का मतलब या तो नमाज़ में कोताही पर मुतालबा व अल्लाह की पकड़ से डराना है या फ़ज़र की नमाज़ पढ़ने वाले से पूछ ताछ करने की सूरत में मुतालबा व अल्लाह की पकड़ से डराना है।³

हज़रत इब्ने अब्बास रजि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया :

«أَمِينِيْ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرْئَتِيْنِ فَصَلَّى بِيِ الظَّهَرِ
جِنْ زَالَتِ الشَّفَسُ وَكَانَ قَذْرَ الشَّرَابِ وَصَلَّى بِيِ الْعَصْرِ جِنْ كَانَ
ظَلَّهُ مِثْلُهُ وَصَلَّى بِيِ يَغْنِيَ الْمَغْرِبَ جِنْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ وَصَلَّى بِيِ
الْعِشَاءَ جِنْ غَابَ الشَّفَقُ وَصَلَّى بِيِ الْفَجْرَ جِنْ حَرُومَ الطَّعَامُ»

1. तिर्मिज़ी, हदीस 3249, इसे इमाम तिर्मिज़ी ने हसन सहीह कहा है।

2. मुस्लिम, हदीस 657।

3. अर्थात नमाज़ में कोताही न करो क्योंकि यह अल्लाह की हिफ़ाज़त न चाहने के जैसा है और जो व्यक्ति नमाज़ या जमाअत में कोताही नहीं करता उसे अकारण तंग न करो कि यह अल्लाह की हिफ़ाज़त को तोड़ने के जैसा है अल्लाह की पकड़ से डरो वरना जहन्नम का ईधन बन जाओगे।

وَالسَّرَّابُ عَلَى الصَّالِمِ فَلَمَا كَانَ الْعَدْ صَلَّى بَيْهُ الظَّهَرَ حِينَ كَانَ
فِتْلَهُ مِثْلُهُ وَصَلَّى بَيْهُ الْغَصْرَ حِينَ كَانَ فِتْلَهُ مِثْلُهُ وَصَلَّى بَيْهُ
الْمَغْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّالِمُ وَصَلَّى بَيْهُ الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ
وَصَلَّى بَيْهُ الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ

“खाना काबा के पास जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मेरी इमामत की। तो मुझे ज़ोहर की नमाज पढ़ाई...और मुझे अस की नमाज पढ़ाई...और मुझे मगरिब की नमाज पढ़ाई...और मुझे इशा की नमाज पढ़ाई...और मुझे फजर की नमाज पढ़ाई।”¹ (मुख्तसर भावार्थ)

इमामत जिब्रील की इस हदीस से मालूम हुआ कि नमाज का दर्जा इतना बुलन्द, इसका महत्व अल्लाह के निकट इतना उच्च व श्रेष्ठ, और इसे खास शक्ति, मुकर्रर क्रायदाँ, निर्धारित उस्लूलों और अत्यन्त विनय व विनप्रता से अदा करना इतना ज़रूरी है कि अल्लाह तआला ने उम्मत की शिक्षा के लिए जिब्रील को नबी سल्ल० के पास भेजा। जिब्रील ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्ल० को नमाज की कैफियत, रंग रूप, उसके समय और उसके क्रायदे सिखाए और फिर आप जिब्रील के बताए और सिखाए हुए समयों, तरीकों, क्रायदाँ और उस्लूलों के मुताबिक नमाज पढ़ते रहे और उम्मत को भी हुक्म दिया : ‘तुम इस तरह नमाज पढ़ो जिस तरह तुम मुझे नमाज पढ़ते देखते हो।’²

1. अबू दाऊद, हदीस 393, तिर्मिजी हदीस 149। इसे इमाम तिर्मिजी, इब्ने खूजैमा, हाकिम, झेहबी और अबूबक्र इब्ने अरबी ने (आरिजतुल अहवजी में) सहीह कहा है।

2. बुखारी, हदीस 631।

**तर्जुमा : निश्चय ही नमाज़ अहले ईमान पर निर्धारित समयों
पर फ़र्ज़ की गई है**

पानी का बयान

प्राणजाली के नामाज़ इार्फ़

पानी का बयान :

नमाज़ के लिए वुजू शर्त है। वुजू के बिना नमाज़ कुबूल नहीं होती। इसी तरह वुजू के लिए पानी का पाक होना शर्त है।

हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ि० फ़रमाते हैं : रसूलुल्लाह सल्ल० से सवाल किया गया : “क्या हम बिज़ाआ के कुओं से वुजू कर सकते हैं? यह ऐसा कुआं है जिसमें बदबूदार चीज़ें फेंकी जाती हैं (बिज़ाआ का कुवां ढलान पर था और बारिश आदि का पानी उन चीज़ों को बहाकर कुएं में ले जाता था) नबी सल्ल० ने फ़रमाया :

«الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يَتَجَسَّسُ شَيْءٌ»

“पानी पाक है (और उसमें दूसरी चीज़ों को पाक करने की क्षमता है) इसे कोई चीज़ नापाक नहीं करती।”¹

मालूम हुआ कि कुएं का पानी पाक है।

नबी सल्ल० ने फ़रमाया : “दरियाई और समुद्री पानी पाक करने वाला है और उसका मुर्दार (मछली) हलाल है।”²

रसूलुल्लाह सल्ल० ने जुंबी³ (नापाक) को ठहरे हुए पानी में गुस्सल करने

1. अबू दाऊद, हदीस 66, तिर्मिज़ी, हदीस 66, इसे तिर्मिज़ी ने हसन, जबकि इमाम अहमद बिन हंबल, याह्या बिन मुईन, इब्ने हज़म और नववी रह० ने सहीह कहा है।

2. अबू दाऊद, हदीस 83, तिर्मिज़ी हदीस 69, इस हदीस को तिर्मिज़ी, हाकिम (1/140-141), इमाम ज़ेहबी और नववी (अलमज़मूआ 1/82) ने सहीह कहा है।

3. जुंबी : वह इंसान जिस पर गुस्सल फ़र्ज़ हो जाए।

से मना फरमाया।¹

नबी सल्ल० ने खड़े पानी में पेशाब करने और गुस्त करने से मना

फरमाया।²

नबी सल्ल० ने खड़े पानी में पेशाब करने और वुजू करने से मना³
फरमाया।⁴

पेशाब पाखाना के शिष्टाचार

लैट्रीन में जाते समय की दुआ :

हज़रत अनस रजि० रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० जब पेशाब
पाखाना के लिए लैट्रीन में दाखिल होने का इरादा करते तो फरमाते :

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبُثِ وَالْخَبَاثِ»

“ऐ अल्लाह! मैं तेरी पनाह पकड़ता हूं नर व मादा नापाक जिन्नों (के
शर) से।”⁵

रसूलुल्लाह सल्ल० ने फरमाया : “लैट्रीन जिन्नों और शैतानों के हाजिर
होने की जगह है जब तुम उनसे जाओ तो कहो :

«أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْجُبُثِ وَالْعَجَاثِ»

“अल्लाह की पनाह लेता हूं नर और मादा खबीस जिन्नों (के शर)

1. मुस्लिम, हदीस 283।
2. बुखारी, हदीस 239।
3. कुएं का पानी भी ठहरा हुआ होता है उसके बावजूद वह पाक होता है और पाक
करता है इस वजह से कि उसकी मात्रा कुल्लातैन (227 किलोग्राम) से ज्यादा होती है
और किसी गन्दगी के गिरने से उसका गुण (रंग, बूँ, स्वाद) तब्दील नहीं होता लेकिन
अगर उससे कम मात्रा वाले ठहरे हुए पानी में गन्दगी गिर जाए तो उससे गुस्त या वुजू
नहीं करना चाहिए चाहे उसका गुण तब्दील हो या न हो। याद रहे कि एक किलोग्राम,
एक सेर आठ तौला के बराबर होता है।
4. तिर्मिज़ी हदीस 68, इसे तिर्मिज़ी ने हसन सहीह कहा है।
5. बुखारी, हदीस 142, मुस्लिम, हदीस 375।

से ।”^१ कई मक्का रुक्मिणी लेखनीट लिटरी सोसायटी के सभी लिपि विद्यालयों में इस ग्रन्थ का अध्ययन किया जाता है।

लैट्रीन से निकलते समय की दुआ :

हजरत आइशा रजिया रिवायत करती हैं : जब रसूलुल्लाह सल्लो लैट्रीन से निकलते तो फ़रमाते :

“ऐ अल्लाह मैं तुझसे बद्धिशश चाहता हूँ।”^२

पेशाब पाखाना के मसाइल :

नबी सल्लो ने फ़रमाया : “जब तुम फ़रगत को आओ तो किवले की तरफ़ मुह करो न पीठ।”^३

नबी सल्लो ने गोबर और हड्डी के साथ इस्तिंजा करने से मना फ़रमाया।^४

नबी सल्लो ने फ़रमाया : “दो, लानत का सबब बनने वाले कामों से बचो।” सहाबा किराम रजिया ने पूछा, वे क्या हैं? आपने फ़रमाया : “लोगों के रास्ते में और सायदार पेड़ों के नीचे पेशाब पाखाना करना।”^५

नबी सल्लो ने दाएं हाथ से इस्तिंजा करने से मना फ़रमाया।^६

नबी सल्लो ने फ़रमाया : “जो कोई पत्थर से इस्तिंजा करे वह ताक पत्थर ले।”^७

1. अबू दाऊद, हदीस 6, इस्लामिक (1/187) ज़ेहबी और इब्ने खुजैमा (हदीस 69) ने सहीह कहा।

2. अबू दाऊद, हदीस, 30, तिर्मिजी, हदीस 7, इब्ने माजा, हदीस 300, इसको हाकिम (1/158) ज़ेहबी और नववी ने सहीह कहा है।

3. बुखारी, हदीस 394, मुस्लिम हदीस 264-265। अगर लैट्रीन ही किवले रुख बने हुए हों तो फिर किवले की तरफ़ मुह की बजाए पुश्त करना बेहतर है। (बुखारी, हदीस 269)

4. मुस्लिम, हदीस 262।

5. मुस्लिम, हदीस 269।

6. बुखारी, हदीस 153-154, मुस्लिम हदीस 267। इब्ने खुजैमा (हदीस 267)

7. बुखारी, हदीस 161-162।

नबी सल्ल० ने तीन (ढेलों) से इस्तिंजा करने का हुक्म दिया है।^१
रसूलुल्लाह सल्ल० ने तीन ढेलों से कम के साथ इस्तिंजा करने से मना

फरमाया।^२

नबी सल्ल० जब फरागत को जाते तो (इतनी दूर जाकर) बैठते कि कोई आपको न देख सकता।^३

आप सल्ल० पानी के साथ इस्तिंजा फरमाते थे।^४

नबी सल्ल० ने सूराख में पेशाब करने से मना फरमाया।^५

हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसउद रज़ि० फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० पेशाब कर रहे थे कि एक आदमी ने आपको सलाम किया मगर आपने उसका जवाब न दिया।^६

इस हदीस से मालूम हुआ कि पेशाब की हालत में कलाम करना मना है।

नबी सल्ल० ने गुस्ल खाने में पेशाब करने से मना फरमाया।^७

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० कहते हैं कि नबी सल्ल० लैट्रीन गए। एक बर्तन में पानी लाया गया, आपने इस्तिंजा किया फिर एक और बर्तन में पानी लाया गया, आपने वुजू किया।^८

जिस व्यक्ति को पेशाब पारखाना की तलब हो तो पहले वह इससे फरागत पाए फिर नमाज पढ़े।^९

1. अबू दाऊद, हदीस 7 व सुनन नसाई (1/28) इसे इमाम दार कुतनी और नववी ने सहीह कहा है।

2. मुस्लिम, हदीस 262।

3. अबू दाऊद, हदीस 1-2।

4. सहीह बुखारी, हदीस 150 व सहीह मुस्लिम, हदीस 270।

5. अबू दाऊद हदीस 29, इसे हाकिम (1/186) ज़ेहबी और नववी ने सहीह कहा है।

6. सहीह मुस्लिम, हदीस 370।

7. अबू दाऊद, हदीस (27-28) इसे इमाम हाकिम और ज़ेहबी ने सहीह कहा है।

8. अबू दाऊद, हदीस 45, इन्हे हिबान ने इसे सहीह कहा है। मालूम हुआ कि इस्तिंजा और वुजू का बर्तन अलग होना चाहिए। (या यह कि कोई मजबूरी हो)

9. सुनन अबी दाऊद, हदीस 88, सुनन तिर्मज़ी, हदीस 142, सुनन इब्ने माजा, हदीस 616। इसे इमाम तिर्मज़ी, हाकिम (1/168) और ज़ेहबी ने सहीह कहा है।

नबी सल्ल० ने फरमाया जब खाना मौजूद हो या पाखाना व पेशाब की हाजत शदीद हो तो नमाज़ नहीं होती।

पेशाब पाखाना के दबाव की हालत में अगर नमाज़ पढ़ेगा तो नमाज़ में चैन, तल्लीनता और सन्तोष हासिल न होगा इसलिए नबी सल्ल० ने उनसे फ्रागत हासिल करने को मुक़द्दम फरमाया।

पेशाब की छीटों से बचने की सख्त ताकीद :

हज़रत इब्ने अब्बास रजि० रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० दो क़ब्रों के पास से गुज़रे तो फरमाया : “इन दोनों क़ब्रों की अज्ञाब हो रहा है और अज्ञाब का कारण कोई बड़ी चीज़ नहीं इन दोनों में से एक पेशाब से नहीं बचता था और दूसरा चुगलखोर था।”²

इस हदीस से मालूम हुआ कि पेशाब के छीटों से सख्त परहेज़ करना चाहिए। वे लोग जो पेशाब करते समय छीटों से नहीं बचते, अपने कपड़ों को नहीं बचाते, पेशाब करके (पानी न होने पर टिशू, चाक या मिट्टी आदि से) इस्तिंजा किए विना फौरन उठ खड़े होते हैं। उनके पाजामे, पतलून और जिस्म आदि पेशाब से आलूदा हो जाते हैं उन्हें मालूम होना चाहिए कि पेशाब से न बचना अज्ञाब का कारण और बड़ा गुनाह है।

नापाकियों की पाकी का व्यान :

एक आराबी ने मस्जिद में पेशाब कर दिया और लोग उसके पीछे पड़ गए। रसूलुल्लाह सल्ल० ने उन्हें फरमाया :

1. मुस्लिम, हदीस 560।

2. सहीह बुखारी हदीस 218, अध्याय फ़िल कबाइर, हदीस 216, सहीह मुस्लिम, हदीस 292। गैब की यह ख़बर आपको अल्लाह की तरफ़ से वस्त्य द्वारा मिली थी इससे यह लाज़िम नहीं आता कि आपको हर इंसान के सांसारिक और बरज़खी हालात का विस्तृत हाल बताया गया था। यही वजह है कि जब आपसे मुश्किल के मुद्दा बच्चों के अंजाम की बाबत सवाल किया गया तो आपने फरमाया : “अल्लाह ही बेहतर जानता है कि वे (बड़े होते तो) कैसे कर्म करते।” (अच्छे या बुरे) देखिए (बुखारी, हदीस 1384) इससे मालूम हुआ कि गैब की हर ख़बर जानना केवल अल्लाह तआता का गुण है जबकि नबी अकरम सल्ल० केवल वही ख़बर जानते थे जो अल्लाह आपको बता देता था।

دَعْوَةٌ وَهَرِيقُونَا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ

“इसे छोड़ दो और (जगह को पाक करने के लिए) उसके पेशाब पर पानी का डोल बहा दो।”¹

फिर आपने उसको बुलाकर फ्रमाया : ‘‘मस्जिदें पेशाब और गन्दगी के लिए नहीं बल्कि अल्लाह के ज़िक्र, नमाज़ और कुरआन पढ़ने के लिए (होती) हैं।²

मासिक धर्म के खून से भीगा कपड़ा :

हज़रत असमा बिन्ते अबी बक रज़िया रिवायत करती हैं कि एक औरत ने रसूलुल्लाह सल्लो ऐ से पूछा कि जिस कपड़े को हैज़ (माहवारी) का खून लग जाए तो क्या करे? आपने फ्रमाया : ‘‘उसे चुटकियों से मलकर पानी से धो डालना चाहिए और फिर उसमें नमाज़ अदा कर ली जाए।’’³

मनी का धोना :

हज़रत आइशा रज़िया फ्रमाती हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लो के कपड़े से वीर्य को धो डालती थी और आप उस कपड़े में नमाज़ पढ़ने तशरीफ ले जाते थे और धोने का निशान कपड़े पर होता था।⁴

दूध पीते बच्चे का पेशाब :

हज़रत उम्मे क़ैस़ रज़िया अपने छोटे (दूध पीते) बच्चे को जो खाना नहीं खाता था, रसूलुल्लाह सल्लो के पास लाई और आपने उसे अपनी गोद में बिठा लिया। बच्चे ने आपके कपड़े पर पेशाब कर दिया तो आपने पानी मंगवाकर कपड़े पर छीटे मारे और उसे धोया नहीं।⁵

लुबाबा बिन्ते हारिस रज़िया रिवायत करती हैं कि हुसैन बिन अली रज़िया

1. बुखारी, हदीस 220, 1638 व मुस्लिम हदीस 284-285।

2. इब्ने माजा, हदीस 529।

3. बुखारी, हदीस 227, मुस्लिम, हदीस 291।

4. बुखारी, हदीस 229-232, मुस्लिम, हदीस 289।

5. बुखारी, हदीस 223 व मुस्लिम हदीस 287।

ने रसूलुल्लाह सल्लो की गोद में पेशाब कर दिया (जो अभी दूध पीते ही थे) मैंने अर्ज किया : कोई और कपड़ा पहन लें और तहबंद मुझे दे दें ताकि उसे धो दूं। तो आपने फ़रमाया लड़की का पेशाब धोया जाता है और लड़के के पेशाब पर छीटे मारे जाते हैं।¹

गन्दगी लगा जूता :

हज़रत अबू सईद रज़िया रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लो ने फ़रमाया : “जब तुम्हें से कोई मस्जिद आए तो वह देखे ले अगर जूतों में गन्दगी लगी हो तो (ज़मीन पर) साड़ने के बाद उनमें नमाज़ पढ़े।”²

कुत्ते का जूठा :

हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़ल रज़िया से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लो ने फ़रमाया : “अगर कुत्ता किसी के बर्तन में पानी (आदि) पी ले तो बर्तन को सात बार पानी से धो डाले और पहली बार मिट्टी से माझे।”³

मेरे हुए का चमड़ा :

हज़रत हुरैरा रज़िया की बकरी मर गई। नबी सल्लो उसके पास से गुज़रे और पूछा कि तुमने इसका चमड़ा उतार कर रंग क्यों नहीं लिया ताकि उससे फ़ायदा उठाते? लोगों ने कहा वह तो मुर्दार है। आपने फ़रमाया कि “उसका केवल खाना हराम है।”⁴

उम्मुल भोमिनीन सौदा रज़िया ने फ़रमाया कि हमारी बकरी मर गई। हमने उसके चमड़े को रेगकर मश्क बनाली। फिर हम उसमें नबीज़ (खजूर का मशरूब) डालते रहे यहां तक कि वह पुरानी हो गई।⁵

1. अबू दाऊद, हदीस 375, इब्ने माजा, हदीस 522। इसे इब्ने खुजैमा (282) हाकिम (1/166) और ज़ेहबी ने सहीह कहा है।
2. अबू दाऊद, हदीस 650 से हाकिम, ज़ेहबी और इब्ने खुजैमा (2/107, हदीस 1017) ने सहीह कहा है।
3. सहीह मुस्लिम, हदीस 279-280।
4. बुख़ारी, हदीस 2221, मुस्लिम, हदीस 363।
5. बुख़ारी, हदीस 6686।

का हुक्म दिया और फरमाया : “मुदार का चमड़ा दबागत देने (मसाले के साथ रखने) से पाक हो जाता है।”¹ नबी सल्लू० ने दरिन्दों की खाल इस्तेमाल करने से मना फ्रमाया।²

बिल्ली का जूठा :

रसूलुल्लाह सल्लू० ने फ्रमाया : “बिल्ली का जूठा पाक है।”³

सोने चांदी के बर्तन में खाना :

हज़रत उम्मे सलमा रज़ि० रिवायत करती है कि रसूलुल्लाह सल्लू० ने फ्रमाया : “जो व्यक्ति सोने चांदी के बर्तनों में खाता पीता है। वह अपने पेट में जहन्नम की आग जमा करता है।”⁴

नापाकी (संभोग के कारण) के आदेश :

ऐसे गुस्ल की हालत को हालत “जनाबत” कहते हैं। निम्न (चार) हालतों में मुसलमान मर्द और औरत पर गुस्ल करना फर्ज हो जाता है।

1. जोश के साथ वीर्य लिंकलने के बाद (उसमें स्वप्नदोष भी दाखिल है)।
2. संभोग के बाद। 3. मासिक धर्म के बाद। 4. निकास (बच्चे की पैदाइश) के बाद।⁵

संभोग और गुस्ल जनाबत :

सहाबा किराम रज़ि० के बीच गुस्ल जनाबत का एक मसला बहस में आया। एक गिरोह कहता था कि गुस्ल केवल संभोग पर फर्ज हो जाता है वीर्य

1. अबू दाऊद, हदीस 4125, इसे इब्ने अलकन हाकिम ने सहीह कहा है।
2. अबू दाऊद, हदीस 4132, तिर्मिजी, हदीस 1775, इसे हाकिम और ज़ेहबी ने सहीह कहा है।
3. अबू दाऊद, हदीस 75, तिर्मिजी हदीस 92, इसे तिर्मिजी, हाकिम, ज़ेहबी और नववी ने सहीह कहा है।
4. सहीह मुस्लिम, हदीस 2065।
5. वह खून जो बच्चे की पैदाइश पर जारी होता है। (मुअल्लिफ़)

का निकलना शर्त नहीं। दूसरा गिरोह बयान करता था कि गुस्ल के लिए दखूल के साथ वीर्य का निकलना भी शर्त है। यह लम्बी बहस किसी निर्णयक सूत पर समाप्त न हुई। आखिर तै पाया कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा रज़िया से मालूम किया जाए। हज़रत आइशा रज़िया ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लो
ने फ़रमाया :

إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعْبِهَا الْأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانُ فَقَدْ وَجَبَ
الْغُسْلُ،

‘जब मर्द, औरत की चार शाखों के बीच बैठ जाए और उसके लिंग का अगला भाग औरत की शर्मगाह से छू जाए (अर्थात् मर्द का लिंग औरत की शर्मगाह के अंदर दाखिल हो जाए) तो गुस्ल वाजिब हो जाता है।’ (मफ़्हूम)

तो मसला यह साबित हुआ कि केवल दखूल पर ही मर्द और औरत जुंबी हो जाते हैं और उन पर गुस्ल वाजिब हो जाता है। वीर्य का निकलना शर्त नहीं है।

रसूलुल्लाह सल्लो ने फ़रमाया : ‘जब तुम औरत की चार शाखों के बीच बैठकर संभोग करो तो तुम पर गुस्ल वाजिब हो गया। यद्यपि वीर्य न निकले।’¹

औरत को भी स्वप्नदोष होता है :

उम्मुल मोमिनीन हज़रत सलमा रज़िया रिवायत करती हैं कि हज़रत उम्मे सलीम रज़िया ने रसूलुल्लाह सल्लो से कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! निश्चय ही अल्लाह हक्क से नहीं शरमाता (मैं भी आपसे मसला पूछती हूं) क्या औरत पर गुस्ल है जबकि उसको स्वप्नदोष हो? आपने फ़रमाया : “हाँ, लेकिन जब पानी (वीर्य का निशान) देखे।” इस पर हज़रत उम्मे सलमा रज़िया ने (शर्म से) मुंह छुपा लिया और अर्ज़ किया। ऐ अल्लाह के रसूल! क्या औरत को भी स्वप्नदोष होता है? आपने फ़रमाया : “हाँ (होता है) तेरा दाहिना हाथ ख़ाक

1. सहीह मुस्लिम, हदीस 349।

2. बुखारी हदीस 291, मुस्लिम हैज़, 348।



आलूद हा।

मालूम हुआ कि औरत या मर्द नींद से उठकर अगर गीलापन अर्थात् निशान देखें तो (यह स्वप्नदोष की अलामत है अतः) उन पर गुस्त करना फ़र्ज़ हो जाता है और अगर स्वप्नदोष की कैफ़ियत उन्हें याद हो लेकिन निशान न पाएं तो गुस्त फ़र्ज़ नहीं होगा ऐसी सूरत में सन्देह करने की ज़रूरत नहीं है।

जुंबी के बालों का मसला :

हज़रत उम्मे सलमा रज़ि० रिवायत करती है कि मैंने कहा ऐ अल्लाह के रसूल! मैं अपने सर के बाल खूब मज़बूत मूँधती हूं। क्या मैं उन्हें गुस्त जनाबत के समय खोला करूं? आपने फ़रमाया : “उनका खोलना ज़रूरी नहीं। तेरे लिए यही काफ़ी है कि तीन लप पानी अपने सर पर डाले, फिर अपने सारे बदन पर पानी बहाए। अतः तू पाक हो जाएगी।”²

हज़रत आइशा रज़ि० को ख़बर मिली कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० औरतों को गुस्ते जनाबत के लिए बाल खोलने का हुक्म देते हैं आप फ़रमाने लगीं : इन्हे उमर पर छैरत है, उन्होंने औरतों को तकलीफ़ में डाल दिया वह उन्हें सर मुंदाने का हुक्म क्यों नहीं दे देते। मैं और रसूलुल्लाह सल्ल० एक ही बर्तन में गुस्त करते और मैं अपने (बाल खोले बिना) सर पर तीन चुल्लू से ज़्यादा पानी नहीं डालती थी।³

मालूम हुआ कि गुस्त जनाबत के लिए बाल खोलने की ज़रूरत नहीं मगर यह हुक्म केवल गुस्त जनाबत का है। गुस्त हैज़ के लिए बालों को खोलना ज़रूरी है।

हज़रत आइशा रज़ि० से रिवायत है कि उन्हें रसूलुल्लाह सल्ल० ने गुस्ते हैज़ के लिए फ़रमाया : “अपने बाल खोलो और गुस्त करो।”⁴

1. बुखारी, गुस्त, हदीस 282, व सहीह मुस्लिम, हैज़, हदीस 313। आखिरी वाक्य, बदुआ नहीं, मात्र एक मुहावरा है। तात्पर्य सचेत करना होता है।

2. सहीह मुस्लिम, हैज़, हदीस 330।

3. इन्हे खुज़ैमा 1/123 हदीस 247, मुस्लिम हैज़ हदीस 331।

4. इन्हे माजा, तहारत, हदीस 641 बूसीरी ने कहा कि इसके रावी सिक्का है।

नापाक से मेलजोल और मुसाफ़ा जाइज़ है :

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० रिवायत करते हैं कि एक दिन जनाबत की हालत में मैंने रसूलुल्लाह सल्ल० से मुलाक़ात की। आपने मेरा हाथ पकड़ा और मैं आपके साथ हो लिया। आप एक जगह बैठ गए और मैं चुपके से निकल गया और घर जाकर गुस्त किया फिर वापस आया। आप अभी बैठे हुए थे। आपने पूछा : “ऐ अबू हुरैरह! तू कहां गया था?” मैंने सारा हाल कह सुनाया तो आपने फ़रमाया : “सुब्हानल्लाह, निःसन्देह मोमिन नापाक नहीं होता ।”¹

नबी सल्ल० का यह फ़रमान कि मोमिन नापाक नहीं होता, इसका मतलब यह है कि मोमिन वास्तव में गन्दा और पलीद नहीं होता। जनाबत, हुक्मी निजासत है, हस्सी नहीं अर्थात् शरीअत ने ज़रूरत के आधार पर एक हालत में हुक्मन इस पर गुस्त वाजिब किया है। अतः जुंबी के साथ मिलना जुलना, उठना बैठना, मेलजोल और खाना पीना सब जाइज़ है।

रसूलुल्लाह सल्ल० ने एक अंसारी को बुलाया। जब वह आया तो उसके सर के बालों से पानी टपक रहा था। आपने पूछा : “शायद तुम जल्दी में नहाए हो? उसने कहा हाँ अल्लाह के रसूल! आपने फ़रमाया : “(हालते जनाबत में) अगर किसी से तुरन्त मिलना हो और नहाने में देर लगे तो वुजू करना ही काफ़ी है।”²

हज़रत उमर रज़ि० ने आपसे पूछा मैं रात को नापाक होता हूं तो क्या करूँ? आपने फ़रमाया : “लिंग धो डाल, वुजू कर और सो जा।”³

रसूलुल्लाह सल्ल० जब हालते जनाबत में खाना या सोना चाहते तो नमाज़ के वुजू की तरह वुजू करते।⁴


नबी सल्ल० ने फ़रमाया : “जो कोई अपनी पत्नी से संभोग करे और

1. सहीह बुखारी, गुस्त, अध्याय अरक़ जुनुब, हदीस 283, हदीस 285, व सहीह मुस्लिम हदीस 271।

2. बुखारी, हदीस 180, व सहीह मुस्लिम, हदीस 345। फिर भी नमाज़ के लिए गुस्त करना पड़ेगा।

3. बुखारी, हदीस 290, मुस्लिम हदीस 306।

4. बुखारी, 288, मुस्लिम, हैज़ हदीस 305।



फिर दाबारा करना चाह ता उस चाहए कि दाना के बाच वुजू कर।¹

मासिक धर्म वाली औरत से संभोग करने की मनाही :

हैज़ की हालत में औरत से संभोग करना सख्त गुनाह है अल्लाह तआला ने कुरआन मजीद में फ़रमाया :

﴿فَأَعْزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيطِ﴾ (البقرة/٢٢٢)

‘तो (दिनों) हैज़ में औरतों से अलहदगी करो (अर्थात् संभोग न करो)।’

(सूरह बक्रा 2 : 222)

अगर कोई इस गुनाह को कर ले तो उसकी बाबत नबी सल्ल० ने फ़रमाया : “जो व्यक्ति हैज़ की हालत में अपनी औरत से संभोग करे तो उसे चाहिए कि आधा दीनार दान करे।”²

दीनार साढ़े चार माशे सोने का होता है तो आधा दीनार सवा दो माशे सोना हुआ। सवा दो माशे सोने की कीमत सदक़ा करे अर्थात् किसी हक़दार को दे दे और आइंदा के लिए तौबा करे।

मज़ी के निकलने से गुस्त वाजिब नहीं होता :

सय्यदना अली रज़िया बहुत ताक़तवर जवान थे और आपको मज़ी कसरत से आती थी। आपको मसला मालूम हुआ था कि मज़ी के निकलने पर गुस्त वाजिब होता है या नहीं। चूंकि रसूलुल्लाह सल्ल० के दामाद थे इसलिए सीधे आपसे मालूम करते शर्म आई तो अपने दोस्त मिक़दाद रज़िया से कहा कि वह मसला मालूम करें। हज़रत मिक़दाद रज़िया ने नबी सल्ल० से पूछा, आपने फ़रमाया : ‘मज़ी के निकलने पर गुस्त वाजिब नहीं होता केवल वुजू करना चाहिए।’³

नबी सल्ल० ने फ़रमाया : “अगर मज़ी निकलती हो तो लिंग को धो

1. मुस्लिम, हैज़, हदीस 308।

2. अबू दाऊद, हदीस 246, हदीस 2168, नसाई (1/93) व तिर्मिज़ी हदीस 136, इमाम हाकिम (1/171-172) और ज़ेहबी ने इसे सहीह कहा है।

3. बुखारी, हदीस 132, वल वुजू, हदीस 178, व मुस्लिम हदीस 303।

लो और वुजू करो।”¹ और फ़रमाया : “और कपड़े पर (जहां मज्जी लगी हो) एक चुल्लू पानी लेकर छिड़क लेना काफ़ी है।”²

मज्जी, मनी और बदी का फ़र्क़ :

मज्जी : उस चिपकते हुए लेसदार पानी को कहते हैं जो वासना के समय लिंग के सिरे पर निकलता है।

बीर्य : लिंग से मज्जे और जोश के साथ टपक कर निकलने वाला सफेद पदार्थ होता है जिससे इंसान पैदा होता है और उसके निकलने से आदमी पर गुस्त फ़र्ज़ हो जाता है।

बदी : वह गाढ़ा सफेद पानी जो पेशाब से पहले या बाद निकलता है। इसके निकलने पर गुस्त करना ज़रूरी नहीं है।

सफेद पानी आने से गुस्त वाजिब नहीं :

जिन औरतों को सफेद पानी आने की शिकायत होती है उससे भी गुस्त लाज़िम नहीं होता। पहले की तरह नमाज़ें अदा करनी चाहिए।

मासिक धर्म वाली औरत को छूना

और उसके साथ खाना जाइज़ है :

हज़रत अनस रज़िया रिवायत करते हैं कि जब औरत हैज़³ से होती तो यहूदी उसके साथ खाते पीते नहीं थे तो रसूलुल्लाह सल्लो ने फ़रमाया : “हाइज़ा (मासिक धर्म वाली) से हर काम करो सिवाए संभोग के।”⁴

अर्थात् मासिक धर्म वाली के साथ खाना पीना, उठना बैठना, मिलना जुलना, उसे छूना और चुम्बन आदि सब बातें जाइज़ हैं सिवाए संभोग के।

1. बुखारी, हदीस 269, व मुस्लिम हवाला मज्कूर, हदीस 303।
2. अबू दाऊद, तहारत, हदीस 210, तिर्मिज़ी हदीस 115, इमाम तिर्मिज़ी ने इसे हसन सहीह कहा है।
3. मासिक धर्म अर्थात् मासिक धर्म वाली का, हाइज़ा : वह औरत जो हैज़ के दिनों से गुज़र रही हो।
4. मुस्लिम, हैज़, हदीस 302।

हजरत आइशा रजिं० रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० मुझे (हैज़ की हालत में) अजार बांधने का हुक्म देते तो मैं अजार बांधती। आप मर्जे

गले लगाते थे और मैं हैज़ वाली होती थी।¹

हजरत आइशा रजिं० से रिवायत है कि नबी अकरम सल्ल० ने मस्जिद (अपनी एतेकाफ़गाह) से मुझे बोरिया पकड़ाने का हुक्म दिया। मैंने कहा, मैं हाइज़ा हूं। आपने फ़रमाया : ‘तेरा हैज़ तेरे हाथ में नहीं है।’²

हजरत आइशा रजिं० से रिवायत है : ‘नबी सल्ल० मेरी गोद को तकिया बनाकर कुरआन हकीम की तिलावत करते थे यद्यपि मैं हाइज़ा होती थी।’³

मासिक धर्म वाली औरत के

कुरआन पढ़ने की नापसन्दीदगी

हालत जनाबत व हैज़ में कुरआन हकीम की तिलावत के हराम होने के बारे में कोई सहीह हदीस नहीं है, मगर उन हालतों में मकरह ज़रूर है।

मुहाजिर बिन कन्फ़ज़ से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्ल० को पेशाब की हालत में किसी ने सलाम किया तो नबी सल्ल० ने जवाब न दिया। फ़रागत के बाद आपने बुजू किया और फ़रमाया : ‘मैंने मुनासिब न समझा कि पाकी के बिना सलाम का जवाब दू।’⁴

जब हदस अस़गर की हालत में सलाम का जवाब देना मकरह हुआ तो जुंबी का कुरआन की तिलावत करना भी मकरह हुआ अलबत्ता बाकी ज़िक्र की बाबत इमाम नववी फ़रमाते हैं : जुंबी के लिए तस्वीह व तहमीद, तकबीर और अन्य दुआएं और अज्ञाकार आम सहमति से जाइज़ हैं। इसकी दलील हजरत आइशा रजिं० की हदीस है। आप फ़रमाती हैं : मैं हज़ के दिनों में हाइज़ा हो गई तो रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : ‘बैतुल्लाह के तवाफ़ के

1. बुखारी, हदीस 300, 302, हदीस 293।

2. मुस्लिम, हदीस 298।

3. बुखारी, हदीस 297, मुस्लिम, 301।

4. अबू दाऊद, हदीस 17, नसाई, इब्ने माजा, हाकिम (1/167, 3-479), ज़ेहबी और नववी ने सहीह कहा है।

अलावा बाक़ी हर वह काम करो जो हाजी करता है।¹

हज़रत उम्मे अतिया रजिं० फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने हैज वाली औरतों को भी ईद के दिन ईदगाह जाने का हुक्म दिया ताकि वे लोगों की तकबीरों के साथ तकबीरें कहें और उनकी दुआ के साथ दुआ करें लेकिन नमाज न पढ़ें।²

हज़रत आइशा रजिं० फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० हर हाल में अल्लाह का ज़िक्र करते थे।³

इन अहादीस से सावित हुआ कि हाइज़ा और जुंबी ज़िक्र, अज्ञार कर सकते हैं।

इस्तिहाजा का मसला :

इस्तिहाजा वह खून होता है जो हैज के दिनों के बाद खाकी या ज़र्द रंग का जारी होता है। यह एक रोग है। जब औरत अपने हैज के आदत के दिन पूरे करे फिर उसे गुस्सा करके नमाज शुरू कर देनी चाहिए क्योंकि खून इस्तिहाजा का हुक्म खून हैज के हुक्म से विभिन्न है।

हज़रत आइशा रजिं० से रिवायत है कि फ़ातिमा बिन्ते अबी हबीश रजिं० रसूलुल्लाह सल्ल० की खिदमत में आई और अर्ज़ किया : ऐ अल्लाह के रसूल ! मुझे खून इस्तिहाजा आता है और मैं (इस्तिहाजा के खून के कारण) पाक नहीं होती क्या मैं नमाज छोड़ दूँ ? आप सल्ल० ने फरमाया : “नहीं, खून इस्तिहाजा एक (अंदरूनी) रग (से बहता) है और यह खून हैज नहीं है। तो जब तुझे हैज का खून आए तो नमाज छोड़ दे और जिस समय खून हैज बन्द हो जाए (और खून इस्तिहाजा शुरू हो) तो अपने इस्तिहाजा के खून को धो और नमाज पढ़।”⁴

1. सहीह बुखारी, हदीस 294, हदीस 1650, व सहीह मुस्लिम, 1211।

2. बुखारी, हदीस 974, मुस्लिम हदीस 890।

3. मुस्लिम, हदीस 373। याद रहे कि मक्कह से मुराद ऐसा काम है जिसका करना जाइज़, और न करना श्रेष्ठ हो लेकिन अगर हाइज़ा (हाफ़िज़ा) को कुरआन भूलने का अंदेशा हो तो उसे ज़बानी मंज़िल पढ़नी (या सुनानी) चाहिए।

4. सहीह बुखारी, हदीस 306, हदीस 320, 325, 331, व सहीह मुस्लिम, हदीस 333।

हासिल कलाम यह कि इस्तिहाजा वाली औरत पाक औरत की तरह है। हैज के दिनों के बाद गस्त करके नमाज शुरू कर दे। हां यह बहुत ज़रूरी है।

कि हर नमाज के लिए नया वुजू करती रहे।

रसूलुल्लाह सल्लो ने हज़रत फ़ातिमा बिन्ने अबी हबीश रज़ियो से यह भी फ़रमाया : “हर नमाज के लिए वुजू कर लिया करो।”

मासिक धर्म वाली औरत को नमाज और रोज़ा की मनाही :

रसूलुल्लाह सल्लो ने फ़रमाया : “जब औरत हैज से होती है तो नमाज पढ़ती है न रोज़ा रखती है।”²

एक औरत मुआज़ह रज़ियो ने हज़रत आइशा रज़ियो से मालूम किया : क्या वजह है कि हाइज़ा औरत रोज़े की क़ज़ा तो रखती है, नमाज की नहीं?

1. बुखारी, हदीस 228। खून हैज, व्यस्क की अलामत है अगर यह आदत के मुताबिक आए तो यह सेहत की अलामत है, इसके विपरीत इस्तिहाजा बीमारी की अलामत है चौंकि यह खून, हैज से पहले भी आता है और हैज की मुद्दत गुज़र जाने के बावजूद नहीं रुकता इसलिए कुछ औरतें इसे भी हैज समझकर नमाज छोड़े रखती हैं अतः इस मसले को अच्छी तरह समझना ज़रूरी है :

i. खून हैज गाढ़ा, सियाह और किसी क़द्र बदबूदार होता है। जब उसकी मुद्दत खत्म होती है तो खाकी या ज़र्द रंग का पानी निकलता है जबकि खून इस्तिहाजा पतला और ज़र्द रंग का होता है।

ii. अगर औरत हैज और इस्तिहाजा का फ़र्क पहचानती है तो वह उसके मुताबिक्र अमल करेगी अर्थात् हैज आने पर नमाज छोड़ देगी और हैज के बाद इस्तिहाजा के दौरान हर नमाज के लिए अलग वुजू करके नमाज अदा करेगी।

iii. अगर उसे दोनों खूनों की पहचान नहीं है अलबत्ता हैज उसे आदत के मुताबिक्र आता है तो वह आदत के दिनों में नमाज तर्क करेगी और उसके बाद जो खून आएगा उसे इस्तिहाजा समझेगी।

vi. अगर उसे दोनों खूनों की पहचान नहीं है और हैज भी एक आदत के मुताबिक्र नहीं आता तो वह अपनी क़रीबी रिश्तेदार औरत (जो स्वभाव और उम्र में उस जैसी हो अर्थात् बहन आदि) की आदत के मुताबिक्र अमल करेगी यहां तक कि उसे पहचान हो जाए या उसकी अपनी आदत बन जाए।

2. बुखारी, हदीस 304, मुस्लिम हदीस 79।

हज़रत आइशा रज़िया ने फ़रमाया : “रसूलुल्लाह सल्लो ने ज़माने में हमें हैज़ आया करता था तो हमें रोज़े की क़ज़ा का हुक्म तो दिया जाता मगर नमाज़ की क़ज़ा का हुक्म नहीं दिया जाता था ।”¹

निफ़ास का हुक्म :

बच्चे की पैदाइश के बाद जो खून आता है, उसे निफ़ास कहते हैं। हज़रत उम्मे सलमा रज़िया फ़रमाती हैं कि निफ़ास वाली औरतें रसूलुल्लाह सल्लो के ज़माने में चालीस दिन बैठा करती थीं (नमाज़ आदि नहीं पढ़ती थीं)।²

अधिकांश सहाबा रज़िया और ताबईन रहो के निकट निफ़ास के खून की ज्यादा से ज्यादा मुद्दत चालीस दिन है। अगर चालीस रोज़े के बाद भी खून जागी रहे तो अधिकांश विद्वानों के निकट वह खून इस्तहाज़ा है जिसमें औरत हर नमाज़ के लिए बुज़ू करती है। निफ़ास की कम से कम मुद्दत की कोई हद नहीं।

हज़रत अनस रज़िया फ़रमाते हैं “निफ़ास की मुद्दत चालीस दिन है या यह कि खून पहले ही बन्द हो जाए ।” (बैहकी)

इमाम शाफ़ी रहो फ़रमाते हैं : “अगर औरत को बच्चे के पैदा होने के बाद खून आता ही नहीं तो उस पर ज़रूरी है कि वह गुस्त करे और नमाज़ पढ़े ।”

निफ़ास और हैज़ के खून का हुक्म एक जैसा है अर्थात् उन हालात में नमाज, रोज़ा और संभोग मना है। रसूलुल्लाह सल्लो निफ़ास के दिनों की नमाजों की क़ज़ा का हुक्म नहीं देते थे।³

1. सहीह मुस्लिम, हदीस 335।

2. अबू दाऊद, हदीस 311-312, तिर्मिज़ी हदीस 139, इब्ने माजा हदीस 648।

इसे इमाम हाकिम (1/175) और हाफ़िज़ ज़ेहबी रहो ने सहीह, जबकि इमाम नववी रहो ने हसन कहा है।

3. अबू दाऊद, हदीस 312, इसे इमाम हाकिम और ज़ेहबी रहो ने सहीह कहा है।

इसके लिए कृति का उपयोग करना चाहिए : इसलिए नियमों के बारे में विस्तृत विवरण

गुस्ल, बुजू और तयम्मुम

गुस्ले जनाबत का तरीका :

हजरत मैमूना रज्जू बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लू ने गुस्ल का इरादा फ़रमाया तो सबसे पहले दोनों हाथ धोए, फिर शर्मगाह को धोया, फिर बायां हाथ, जिससे शर्मगाह को धोया था, ज़मीन पर राढ़ा फिर उसको धोया फिर कुल्ली की ओर नाक में पानी डाला, फिर चेहरा धोया, फिर कोहनियों तक हाथ धोए फिर सर पर पानी डाला और बालों की जड़ों तक पानी पहुंचाया। तीन बार सर पर पानी डाला, फिर तमाम बदन पर पानी डाला, फिर जहां आपने गुस्ल किया था उस जगह से हटकर पांच धोए।¹

हाफ़िज़ इब्ने हजर रह्मू फ़रमाते हैं : “किसी हदीस में (गुस्ल जनाबत का बुजू करते समय) सर के मसह का ज़िक्र नहीं है।” (फ़तहुल बारी)

हजरत आइशा रज्जू और हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज्जू रसूलुल्लाह सल्लू के गुस्ल जनाबत में बुजू का ज़िक्र करते हुए फ़रमाते हैं कि आपने सर का मसह नहीं किया बल्कि उस पर पानी डाला। इमाम नसाई ने इस हदीस पर यह अध्याय बांधा है : “जनाबत के बुजू में सर के मसह को तर्क करना।”²

इमाम अबू दाऊद फ़रमाते हैं : “मैंने इमाम अहमद से सवाल किया कि जुंबी जब (गुस्ल से पहले) बुजू करे तो क्या सर का मसह भी करे? आपने फ़रमाया कि वह मसह किस लिए करे जबकि वह अपने सर पर पानी डालेगा?”

हजरत आइशा रज्जू ने कहा : “मैं और रसूलुल्लाह सल्लू एक बर्तन से नहाते और दोनों उससे चुल्लू भर भरकर पानी लेते थे।”³

1. बुखारी, हदीस 249, हदीस 257, 259, 260, 265, 274, 276, 281 व मुस्लिम, हदीस 317।

2. नसाई, हदीस 420 (1/205-206)।

3. बुखारी, हदीस 273।

गुस्त पर्दे में करना चाहिए।¹

गुस्त जनाबत का वुजू काफ़ी है :

हज़रत आइशा रज़िया से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लाहून्हा (जनाबत) के बाद वुजू नहीं करते थे।²

अन्य गुस्त :

गुस्त जनाबत के बाद उन हालात का ज़िक्र किया जाता है जिनमें गुस्त करना वाजिब, मसनून या मुस्तहब है :

जुमा के दिन गुस्त :

हज़रत इब्ने उमर रज़िया से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लाहून्हा ने फ़रमाया :

إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَكُشِّلْ

‘जब तुममें से कोई व्यक्ति नमाज़े जुमा के लिए आए तो उसे गुस्त करना चाहिए।’³

हज़रत अबू हुरैरह रज़िया से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लाहून्हा ने फ़रमाया : ‘हर मुसलमान पर हक़ है कि हफ़्ते में एक दिन (जुमा को) गुस्त करे। इसमें अपना सर धोए और अपना बदन धोए।’⁴

हज़रत अबू सईद खुदरी रज़िया कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लाहून्हा ने

1. सहीह बुखारी, हदीस 280-281, व सहीह मुस्लिम, हदीस 336-337।

2. तिमिज़ी, हदीस 107 व अबू दाऊद, हदीस 250, व नसाई 253, व इब्ने माजा, हदीस 1579 से इमाम हाकिम, ज़ेहबी और तिमिज़ी ने सहीह कहा है। अर्थात् गुस्त के शुरू में वुजू करते थे, उसको काफ़ी जानते और (नमाज़ के लिए) दोबारा वुजू नहीं फ़रमाते थे। (सम्पादक) लेकिन उसमें यह सावधानी ज़रूरी है कि दौराने गुस्त, शर्मगाह को (आगे या पीछे) हाथ न लगे। वरना दोबारा वुजू करना ज़रूरी होगा।

3. बुखारी, हदीस 277 व मुस्लिम, हदीस 844।

4. बुखारी, हदीस 897 व मुस्लिम हदीस 849।

गुस्त पर्दे में करना चाहिए।¹

गुस्त जनाबत का बुजू काफ़ी है :

हज़रत आइशा रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० गुस्त (जनाबत) के बाद बुजू नहीं करते थे।²

अन्य गुस्त :

गुस्त जनाबत के बाद उन हालात का ज़िक्र किया जाता है जिनमें गुस्त करना वाजिब, मसनून या मुस्तहब है :

जुमा के दिन गुस्त :

हज़रत इब्ने उमर रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया :

إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلَا يَغْتَسِلُ

“जब तुममें से कोई व्यक्ति नमाज़ जुमा के लिए आए तो उसे गुस्त करना चाहिए।”³

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : “हर मुसलमान पर हक़ है कि हप्ते में एक दिन (जुमा को) गुस्त करे। इसमें अपना सर धोए और अपना बदन धोए।”⁴

हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ि० कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने


1. सहीह बुखारी, हदीस 280-281, व सहीह मुस्लिम, हदीस 336-337।

2. तिमिज़ी, हदीस 107 व अबू दाऊद, हदीस 250, व नसाई 253, व इब्ने माजा, हदीस 1579 से इमाम हाकिम, ज़ेहवी और तिमिज़ी ने सहीह कहा है। अर्थात् गुस्त के शुरू में बुजू करते थे, उसको काफ़ी ज़ानते और (नमाज़ के लिए) दोबारा बुजू नहीं फ़रमाते थे। (सम्पादक) लेकिन उसमें यह सावधानी ज़रूरी है कि दौराने गुस्त, शर्मगाह को (आगे या पीछे) हाथ न तगे। वरना दोबारा बुजू करना ज़रूरी होगा।

3. बुखारी, हदीस 277 व मुस्लिम, हदीस 844।

4. बुखारी, हदीस 897 व मुस्लिम हदीस 849।

फरमाया : “जुमा के दिन हर व्यस्क मुसलमान पर नहाना वाजिब है।”



इन जाज़ा रहो फ़रमात ह : जुमा के दिन गुस्ल वाजिब ह व्यापक उसकी अहादीस ज्यादा सहीह और शक्तिशाली हैं। इन्हें हज़म और अल्लामा शोकाफ़ी रहो ने भी इसी मज़हब को अपनाया है।

मय्यित को गुस्ल देने वाला गुस्ल करे :

हज़रत अबू हुरैरह रज़ियों रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लो ने फ़रमाया : “जो व्यक्ति मुर्दे को गुस्ल दे उसे चाहिए कि वह खुद भी नहाए।”²

हज़रत इन्हें अब्बास रज़ियों से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लो ने फ़रमाया : “तुम पर मय्यित को गुस्ल देने से कोई गुस्ल वाजिब नहीं क्योंकि तुम्हारी मय्यित पाक मरती है नज़स नहीं, अतः तुम्हें हाथ धो लेना ही काफ़ी है।”³

दोनों हड्डीसों को मिलाने से मसला यह साबित हुआ कि जो व्यक्ति मय्यित को गुस्ल दे, उसके लिए नहाना मुस्तहब है, ज़रूरी नहीं। अतएव हज़रत इन्हें उमर रज़ियों फ़रमाते हैं : ‘हम मय्यित को गुस्ल देते (फिर) हममें से कुछ गुस्ल करते और कुछ न करते।’ (बैहकी 1/306) हाफ़िज़ इन्हें हज़रत ने इसे सहीह कहा है।

नव मुस्लिम गुस्ल करे :

कैसे बिन आसिम रज़ियों से रिवायत है कि जब वह मुसलमान हुए तो रसूलुल्लाह सल्लो ने उन्हें हुक्म दिया कि पानी और बेरी के पत्तों के साथ गुस्ल करें।⁴

1. बुखारी, हडीस 879 व मुस्लिम, हडीस 846।

2. अबू दाऊद, हडीस 3161-3162, तिर्मिज़ी हडीस 994, इन्हें माजा हडीस 1463, इसे इन्हें हिबान (451) और इन्हें हज़म (2/23) ने सहीह कहा है।

3. बैहकी (1/306) इसे हाकिम और ज़ेहबी ने सहीह और इन्हें हज़रत ने हसन कहा है।

4. अबू दाऊद, हडीस 355, नसाई (1/109), तिर्मिज़ी हडीस 604, इसे इमाम नववी ने हसन, इमाम इन्हें खुजैमा (1/26 हडीस 154-155) और इमाम हिबान (234) ने सहीह कहा है।

इदैन के दिन गुस्त :

नाफ़ेअ कहते हैं कि हज़रत इब्ने उमर रज़िया ईदुल फ़ित्र के दिन गुस्त किया करते थे।¹

हाफ़िज़ इब्ने अब्दुल बर रही फ़रमाते हैं कि इदैन के दिन गुस्त के बारे में रसूलुल्लाह सल्लो ने कोई हदीस साबित नहीं, सहाबा रज़िया का अमल है। अहले इल्म की एक जमाअत के नज़दीक यह गुस्त, गुस्त जुमा पर क्रयास करते हुए मुस्तहब है।

बैहेकी (3/278) में है, हज़रत अली रज़िया ने फ़रमाया : “जुमा, अरफ़ा, कुरबानी और ईदुल फ़ित्र के दिन गुस्त करना चाहिए।”

यह इदैन के दिन गुस्त पर सबसे अच्छी दलील है। इमाम नववी फ़रमाते हैं : ‘इस मसले में एतेमाद हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़िया के असर पर है, और जुमा के गुस्त पर अनुमान इसकी बृन्धान है।’

अहराम का गुस्त :

हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़िया से रिवायत है कि हज का अहराम बांधते समय रसूलुल्लाह सल्लो ने गुस्त फ़रमाया।²

मक्का में दाखिल होने का गुस्त :

हज़रत इब्ने उमर रज़िया फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लो मक्का में दाखिल होते समय गुस्त करते थे।³

मिस्वाक का बयान :

हज़रत हुज़ैफ़ा रज़िया फ़रमाते हैं : “रसूलुल्लाह सल्लो जब रात को तहज्जुद के लिए उठते तो मिस्वाक फ़रमाते।”⁴

1. मोत्ता इमाम मालिक (1/177) इसकी सनद असहल असानीद है।

2. तिर्मिज़ी, हदीस 830, इमाम तिर्मिज़ी ने इसे हसन कहा है।

3. बुखारी, हदीस 1553, हदीस 1573, व मुस्लिम हदीस 1259।

4. बुखारी, हदीस 245, वल जुमा, अध्याय मिस्वाक, हदीस 889, 1136 व मुस्लिम हदीस 255।

हजरत इब्ने अब्बास रजिं० फरमाते हैं : ‘नबी सल्ल० रात को हर दो

रकअत के बाद मिस्वाक करते।’¹

सत्यदा आइशा रजिं० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फरमाया : ‘मिस्वाक मुंह के लिए पाकी का सबब और अल्लाह की रजामंदी का ज़रिया है।’²

सत्यदा उम्मे सलमा रजिं० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फरमाया : “जब भी मेरे पास जिब्रील आते तो मुझे मिस्वाक करने का हुक्म करते थे। मुझे ख़तरा पैदा हुआ कि अपने मुंह की अगली साइड न छील लूं।”³

हजरत अबू हुरैरह रजिं० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फरमाया : “अगर मैं अपनी उम्मत के लिए मुश्किल न जानता तो अपनी उम्मत को इशा की नमाज में विलम्ब करने और हर नमाज से पहले मिस्वाक करने का हुक्म देता।”⁴

बुजू का बयान

नींद से जाग कर पहले हाथ धोएं :

हजरत अबू हुरैरह रजिं० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फरमाया :

«وَإِذَا أَسْتَيقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ فَإِنْ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي وَضُونِيهِ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَبِنَ بَاتَتْ بَدْءَةً»

“जब तुम नींद से जागो तो अपना हाथ पानी के बर्तन में न डालो जब

1. इब्ने माजा, हदीस 228, इसे हाकिम (1/145), ज़ेहबी और इब्ने हजर ने सहीह कहा है।

2. नसाई, हदीस 5 इसे इमाम नववी और इब्ने हिबान ने सहीह कहा है।

3. बैहेकी (7/49) इमाम बुखारी ने इस हदीस को हसन कहा है।

4. बुखारी, हदीस 887, व मुस्लिम, हदीस 252। गालिबन इसी श्रेष्ठता को हासिल करने के लिए आप क़यामुल्लैल की हर दो रकअत के बाद मिस्वाक फरमाते थे। (इब्ने माजा/228) जबकि उम्मत के लिए पसन्द तो इस बात को किया कि वह हर फ़र्ज़ नमाज से पहले मिस्वाक करे लेकिन परिश्रम के डर से हुक्म नहीं दिया।

तक कि उसको (तीन बार) न धो लो क्योंकि तुम नहीं जानते कि इस हाथ ने रात कहां गुजारी।”¹

मतलब यह है कि नींद से जाग कर हाथ पहुंचों तक तीन बार धोकर फिर उन्हें पानी के बर्तन में डालना चाहिए। हो सकता है रात को हाथ बदन के किसी हिस्से को लग कर पलीद हो गए हों।

तीन बार नाक झाड़ें :

सव्यदा अबू हुरैरह रजि़० रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : “जब तुम नींद से बेदार हो (फिर बुजू का इराबा करो) तो (पानी चढ़ाकर) तीन बार नाक झाड़ो क्योंकि शैतान नाक के बांसे में रात गुजारता है।”²

सोने वाले की नाक के बांसे में शैतान के रात गुजारने की असलियत और हक्कीकत अल्लाह ही बेहतर जानता है। हमारा फ़र्ज़ ईमान लाना है कि वास्तव में शैतान रात गुजारता है।

मसनून बुजू की पूर्ण तर्कीब :

(1) बुजू के शुरू में “बिस्मिल्लाह” ज़रूर पढ़नी चाहिए क्योंकि रसूलुल्लाहसल्ल० ने सहाबा किराम रजि़० से फ़रमाया : “बिस्मिल्लाह” कहते हुए बुजू करो।”³

स्पष्ट रहे कि बुजू की शुरुआत के समय केवल “बिस्मिल्लाह” कहना चाहिए। “अर्रहमानिर्रहीम” के शब्दों की वृद्धि सुन्नत से साबित नहीं।⁴

1. बुखारी, हदीस 162, व मुस्लिम हदीस 278। तीन बार धोने का ज़िक्र मुस्लिम की रिवायत में है।

2. बुखारी, हदीस 3295, व मुस्लिम हदीस 238।

3. नसाई, हदीस 78, इब्ने खुजैमा हदीस 144। नबवी ने कहा है कि इसकी सनद पक्की है। इससे साबित हुआ कि बुजू के शुरू में “बिस्मिल्लाह” पढ़नी चाहिए।

4. इसका यह मतलब नहीं है कि किताब लिखने वाले को पूरी (बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम) से कोई बैर या बुग्ज है बल्कि यह इसकी सुन्नत से गहरी मुहब्बत की निशानी है कि जितना मुश्दि आज्ञम ने बताया उतना ही पढ़ा जाए वल्लाहु आलम।

नबी सल्ल० ने फ़रमाया : ‘जो व्यक्ति बुजू के शुरू में अल्लाह का नाम

नहीं लेता उसका बुजू नहीं।’¹

(2) रसूलुल्लाह सल्ल० सल्ल० जूती पहनने, कंधी करने, पाकी करने और सारे कामों में दाईं तरफ से शुरू करना पसन्द फ़रमाते।²

(3) फिर दोनों हाथ पुंहचों तक तीन बार धोएं।³

(4) हाथों को धोते समय हाथों की उंगलियों के बीच खिलाल करें।⁴

(5) फिर एक चुल्लू लेकर आधे से कुल्ली करें और आधा नाक में डालें और नाक को बाएं हाथ से झाड़ें। यह अमल तीन बार करें।⁵

(6) फिर तीन बार मुङ्ह धोएं।⁶

(7) फिर एक चुल्लू लेकर उसे ठोड़ी के नीचे दाखिल करके दाढ़ी का खिलाल करें।⁷

(8) फिर दायां हाथ कोहनी तक तीम बार धोएं फिर बायां हाथ कोहनी तक तीन बार धोएं।⁸

(9) फिर सर का मसह करें। दोनों हाथ सर के अगले हिस्से से शुरू करके गुदी तक ले जाएं। फिर पीछे से आगे उसी जगह ले आएं जहां से मसह शुरू किया था।⁹

(10) आपने सर का एक बार मसह किया।¹⁰

1. अबू दाऊद, हदीस 101, इसे हाफ़िज़ मुजिरी आदि ने गवाहों की बिना पर हसन कहा है। अगर बिस्मिल्लाह भूल गई और बुजू के दौरान याद आई तो फ़ौरन पढ़ ले वरना बुजू दोबारा करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि भूल माफ़ है।

2. बुखारी, हदीस 168, मुस्लिम हदीस 268।

3. बुखारी, हदीस 159, व सहीह मुस्लिम हदीस 268।

4. अबू दाऊद, हदीस 142, तिर्मिज़ी हदीस 38, इसे तिर्मिज़ी, हाकिम (1/147-148) और नववी ने सहीह कहा है।

5. बुखारी, हदीस 191, हदीस 199, व मुस्लिम हदीस 235।

6. बुखारी, हदीस 185-186, 192, व सहीह मुस्लिम हदीस 235।

7. तिर्मिज़ी हदीस 31, इसे इब्ने हिबान और इब्ने खुज़ैमा ने सहीह कहा है।

8. बुखारी, हदीस 1934, व मुस्लिम हदीस 236।

9. सहीह बुखारी, हदीस 185, व सहीह मुस्लिम हदीस 235।

10. बुखारी, हदीस 186, व सहीह मुस्लिम हदीस 235।

(11) फिर कानों का मसह इस तरह करें कि शहादत की उंगलियां दोनों कानों के सुराखों से गुजार कर कानों की पुश्त पर अंगूठों के साथ मसह करें।¹

(12) फिर दायां पांव टखनों तक तीन बार धोएं और बायां पांव भी टखनों तक तीन बार धोएं।²

(13) जब वुजू करें तो हाथों और पांव की उंगलियों का खिलाल करें।³

(14) मस्तूरद बिन शदाद रजिंह रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लूल्लाहू को वुजू करते हुए देखा कि आप अपने पांव की उंगलियों का खिलाल हाथ की छंगली (छोटी उंगली) से कर रहे थे।⁴

(15) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रजिंह ने फ़रमाया कि अगर घाव पर पट्टी बंधी हुई हो तो वुजू करते समय पट्टी पर मसह कर ले और इर्द गिर्द को धो ले।⁵

चेतावनी :

कुल्ली और नाक में पानी डालने के लिए अलग अलग पानी लेने का ज़िक्र जिस हदीस में है उसे इमाम अबू दाऊद, (हदीस 139) इमाम नववी और हाफ़िज़ इब्ने हजर रह० ने ज़र्इफ़ कहा है। इमाम नववी और इमाम इब्ने क़थियम रह० फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लूल्लाहू के वुजू का तरीक़ा चुल्लू से आधा पानी मुँह में और आधा नाक में डालना है।

रसूलुल्लाह सल्लूल्लाहू ने फ़रमाया : “कानों का संबंध सर से है।” (दार कुतनी 1/98) से इब्ने जोज़ी रह० आदि ने सहीह कहा है। इसका मतलब यह है कि कानों के लिए नए पानी की ज़रूरत नहीं। कानों के मसह के लिए नए पानी लेने वाली रिवायत को हाफ़िज़ इब्ने हजर रह० ने शाज़ कहा है।⁶

1. इब्ने माजा, हदीस 439, तिर्मिज़ी हदीस 36, इसे इब्ने खुजैमा (1/77 हदीस 148) ने सहीह कहा है।

2. बुखारी, हदीस 1934, व मुस्लिम हदीस 226।

3. तिर्मिज़ी, हदीस 39, इब्ने माजा, हदीस 447। इसे तिर्मिज़ी ने हसन कहा है।

4. अबू दाऊद, हदीस 148, तिर्मिज़ी हदीस 40, इसे इमाम मालिक ने हसन कहा है।

5. बैहेकी (1/228) इमाम बैहेकी ने इसे सहीह कहा है।

6. और यह अर्थ भी हो सकता है कि कानों का हुक्म चेहरे वाला नहीं कि उन्हें धोया जाए बल्कि उनका हुक्म सर वाला है अर्थात् उनका मसह किया जाए।

हाफिज़ इब्ने क़स्यिम रहो फरमाते हैं कि (गुदी के नीचे) गर्दन के

(अलग) मसह के बारे में कदापि कोई सहीह हदीस नहीं है। गर्दन के मसह की रिवायत के मुताल्लिक़ इमाम नववी फरमाते हैं : “यह हदीस सर्व सम्मति से झ़ईफ़ है।”

बुजू के बाद की दुआएः

रसूलुल्लाह सल्लो ने फरमाया जो व्यक्ति पूरा बुजू करे और फिर कहे :

اَشْهُدُ اَنْ لَا إِلَهَ اِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهُدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

“मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा उपास्य नहीं। वह अकेला है। उसका कोई शरीक नहीं और मैं गवाही देता हूं कि मुहम्मद सल्लो अल्लाह के बन्दे और रसूल हैं।” तो उसके लिए जन्त के आठों दरवाज़े खोल दिए जाते हैं कि जिससे चाहे दाखिल हो।

अबू दाऊद (तहारत, हदीस 170) की एक रिवायत में इस दुआ को आसमान की तरफ़ नज़र उठाकर पढ़ने का ज़िक्र है मगर यह रिवायत सही नहीं, इसमें अबू अक्रील का च्याज़ाद भाई अज्ञात है।

बुजू के बाद यह दुआ भी पढ़ें :

اَسْبِحْكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، اَشْهُدُ اَنْ لَا إِلَهَ اِلَّا أَنْتَ، اسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ،

“ऐ अल्लाह! तू अपनी समस्त प्रशंसाओं के साथ (हर बुराई से) पाक है मैं गवाही देता हूं कि तेरे सिवा कोई सच्चा उपास्य नहीं है मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूं और तेरे सामने तौबा करता हूं।”²

1. सहीह मुस्लिम, हदीस 234।

2. नसाई, इसे इमाम हाकिम, हाफिज़ ज़ेहवी और इब्ने हजर ने सहीह कहा है। तिमिज़ी की रिवायत में दुआ “अल्लाहुम्ज़अलनी मिनतव्याबीन” भी मज़कूर है मगर स्वयं उन्होंने इसे मुज़तरिब (झईफ़ की एक किस्म) कहार दिया है।

वुजू की गढ़ी हुई दुआएः

रसूलुल्लाह सल्ल० की सुन्नत से वुजू के शुरू में “बिस्मिल्लाह” और बाद में शहादतेन का पढ़ना साधित है। लेकिन कुछ लोग वुजू में हर अंग धोते समय एक एक दुआ पढ़ते हैं और वह दुआएः नमाज की प्रचलित किताबों में पाई जाती हैं। स्पष्ट हो कि ये दुआएः सुन्नत पाक और सहाबा किराम रज़ि० के अमल से साधित नहीं हैं। अल्लाह तआता ने जब अपने रसूल सल्ल० पर दीन मुकम्मल कर दिया तो फिर दीनी और शरई मामलों में कमी बेशी करना किसी उम्मती के लिए कदापि जाइज नहीं है।

इमाम नववी रह० फ़रमाते हैं : “हर अंग के लिए खास अऱ्कार के बारे में रसूलुल्लाह सल्ल० से कोई चीज़ साधित नहीं है।”

वुजू के अन्य मसाइल :


वुजू के अंगों का दो दो बार और एक एक बार धोना भी आया है। नवी सल्ल० और सहाबा किराम रज़ि० का अधिकांश अमल तीन तीन बार धोने पर रहा है। इन्हें हज़म रह० फ़रमाते हैं कि सब उलमा का मत है कि अंग एक एक बार धोना भी काफ़ी है।

एक आराबी ने रसूलुल्लाह सल्ल० की खिदमत में हाजिर होकर वुजू की कैफियत मालूम की तो आपने उसे अंगों का तीन तीन बार धोना सिखाया और फ़रमाया : “इस तरह कामिल वुजू है। फिर जो व्यक्ति इस (तीन तीन बार धोने) पर ज्यादा करे तो उसने (तर्के सुन्नत की बिना पर) बुरा किया और (मसनून हद से आगे बढ़कर) ज्यादती की और (रसूलुल्लाह सल्ल० का विरोध करके अपनी जान पर) जुल्म किया।”¹

मसनून वुजू से गुनाहों की माफ़ी :

रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : “जिस समय मोमिन बन्दा वुजू शुरू करता है फिर कुल्ली करता है तो उसके मुंह के गुनाह निकल (झड़) जाते हैं। फिर जिस समय नाक झाड़ता है उसकी नाक के गुनाह निकल जाते हैं। फिर

1. अबू दाऊद, हदीस 135, नसाई (1/88) इसे इमाम इब्ने खुजैमा और इमाम नववी ने सही, जबकि हाफ़िज़ इब्ने हज़र ने पक्का कहा है।



कि उसकी आंखों की पुतलियों के नीचे से भी गुनाह निकल जाते हैं। चेहरा धोते समय गुनाह दाढ़ी के किनारों से भी गिरते हैं और जिस समय वह हाथ धोता है तो उसके दोनों हाथों से गुनाह निकल जाते हैं यहां तक कि दोनों हाथों के नाखूनों के नीचे से भी निकल जाते हैं। फिर जिस समय मसह करता है तो उसके सर से गुनाह निकल जाते हैं, यहां तक कि दोनों कानों से भी गुनाह निकल जाते हैं। फिर जिस समय पांव धोता है तो उसके दोनों पांव से गुनाह निकल जाते हैं, यहां तक कि दोनों पांव के नाखूनों के नीचे से भी निकल जाते हैं। फिर जब उसने नमाज पढ़ी, अल्लाह की प्रशंसा, स्तुति और बुजुर्गी बयान की और अपना दिल अल्लाह की याद के लिए फ़ारिग़ किया तो वह गुनाहों से इस तरह (पाक होकर) लौटता है जैसे वह उस दिन (पाक) था जब उसे उसकी माँ ने जना था ॥¹

एक व्यक्ति ने रसूलुल्लाह सल्ल० से पूछा कि आप अपनी उम्मत को (मैदाने हश्र में) दूसरी उम्मतों के (असंख्य लोगों के) बीच किस तरह पहचानेंगे? आपने फ़रमाया मेरे उम्मती वुजू के असर से सफ़ेद (नूरानी) चेहरे और सफ़ेद (नूरानी) हाथ पांव वाले होंगे। इस तरह उनके सिवा और कोई नहीं होगा ॥²

खुशक एड़ियों को अज्ञाब :

हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजि० से रिवायत है कि हम रसूलुल्लाह सल्ल० के साथ मक्के से मदीने की तरफ़ लौटे। रास्ते में हमें पानी मिला। हममें से एक जमाइत ने नमाजे अस्त्र के लिए जल्दबाज़ी में वुजू किया। पीछे से हम भी पहुंच गए, (देखा कि) उनकी एड़ियां खुशक थीं उनको पानी नहीं पहुंचा था। रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : “(खुशक) एड़ियों के लिए आग से ख़राबी है। तो वुजू पूरा किया करो ॥”³

इस हीस से मालूम हुआ कि वुजू बड़ी सावधानी से, संवारकर और पूरा

1. मुस्लिम, हदीस 832।

2. मुस्लिम, हदीस 247-248।

3. सहीह मुस्लिम, हदीस 241।

करना चाहिए। अंगों को खूब अच्छी तरह और तीन तीन बार धोना चाहिए ताकि कण बराबर जगह भी खुशक न रहे। एक व्यक्ति ने बुजू किया और अपने क़दम पर नाखुन के बराबर जगह खुशक छोड़ दी। नबी सल्ल० ने उसे देखकर फ़रमाया : “वापस जा और अच्छी तरह बुजू कर।”¹

बुजू से दर्जों की बुलन्दी :

रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया बुजू आधा ईमान है।²

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० से रिवायत है कि मैंने अपने हबीब मुहम्मद सल्ल० को यह फ़रमाते हुए सुना : “(जन्नत में) मोमिन का ज़ेवर (नूर) वहाँ तक पहुंचेगा जहाँ तक बुजू का पानी पहुंचेगा।”³

रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : “क्या मैं तुम्हें वह चीज़ न बताऊं कि जिसके कारण अल्लाह तआला गुनाहों को दूर और दर्जात को बुलन्द करता है?” सहाबा रज़ि० ने अर्ज़ किया : ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल०! इरशाद फ़रमाए) आपने फ़रमाया : “परिश्रम (बीमारी या सर्दी) के समय पूरी और संवार कर बुजू करना, अधिकता से मस्जिदों की तरफ़ जाना और नमाज़ के बाद नमाज़ का इन्तज़ार करना। (गुनाहों को दूर करता और दर्जात को बुलन्द करता है।)”⁴

तहीयतुल बुजू से जन्नत अनिवार्य :

रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : “जो व्यक्ति बुजू करे और खूब संवार कर अच्छा बुजू करे। फिर खड़ा होकर दिल और मुँह से (ज़ाहिरी व बातिनी तौर पर) मुतवज्जह होकर दो रकअत (नफ़्ल) नमाज़ अदा करे तो उसके लिए जन्नत अनिवार्य हो जाती है।”⁵

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने नमाज़े फ़ज़र के समय बिलाल रज़ि० से फ़रमाया : “ऐ बिलाल! मेरे सामने अपना वह

1. सहीह मुस्लिम, हदीस 243।

2. सहीह मुस्लिम, हदीस 223।

3. मुस्लिम, हदीस 250।

4. मुस्लिम, हदीस 251।

5. मुस्लिम, हदीस 234।

अमल बयान कर जो तुने इस्लाम में किया और जिस पर तुझे सवाब की बहुत

ज्यादा उम्मीद है क्योंकि मैंने अपने आगे जन्नत में तेरी जूतियों को आवाज सुनी है।” बिलाल रजिं० ने अर्ज किया : “मेरे नज़दीक जिस अमल पर मुझे (सवाब की) बहुत ज्यादा उम्मीद है वह यह है कि मैंने रात या दिन में जब भी वुजू किया तो उस वुजू के साथ जिस क़द्र नफ़्त नमाज़ मेरे मुकद्दर में थी ज़रूर पढ़ी (अर्थात हर वुजू के बाद नवाफ़िल पढ़े)।”

एक वुजू से कई नमाजें :

हज़रत बुरीदा रजिं० से रिवायत है कि फ़तह मक्का के दिन रसूलुल्लाह सल्ल० ने कई नमाजें एक वुजू से पढ़ीं और मौज़ों में मसह भी किया। हज़रत उमर रजिं० ने अर्ज किया : ऐ अल्लाह के रसूल सल्ल०! आज के दिन आपने वह काम किया जो आप पहले नहीं किया करते थे। आपने फ़रमाया : “ऐ उमर मैंने ऐसा जान बूझकर किया। (ताकि लोगों को एक वुजू से कई नमाजें पढ़ने का सबाब मालूम हो जाए)।”¹

दूध पीने से कुल्ली करना :

वेशक रसूलुल्लाह सल्ल० ने दूध पिया फिर कुल्ली की और फ़रमाया इसमें चिकनाई है।²

आपने बकरी का शाना खाया उसके बाद नमाज पढ़ी और दोबारा वुजू न किया।³

आपने सतू खाए फिर कुल्ली करके नमाज पढ़ी और वुजू नहीं किया।⁴

मौज़ों पर मसह करने का बयान :

हज़रत मुगीरा रजिं० कहते हैं :

1. बुखारी, हदीस 1149, व मुस्लिम हदीस 2458।

2. मुस्लिम, हदीस 277। मालूम हुआ कि हर नमाज के लिए वुजू फ़र्ज़ नहीं बल्कि श्रेष्ठ है। (सम्पादक)

3. बुखारी, हदीस 211, व मुस्लिम हदीस 358।

4. बुखारी, हदीस 207, व सहीह मुस्लिम हदीस 354।

5. बुखारी, हदीस 209।

كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ فِينِ سَفَرٍ فَأَهْمَيْتُ لَا تَرْغَبُ خُفْيَنِيْ فَقَالَ 'دَعْهُمَا فَإِنِّي أَذْخَلْتُهُمَا ظَاهِرَتِيْنِ' فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا

“एक सफर में, मैं नबी सल्ल० के साथ था। मैंने बुजू के समय चाहा कि आपके दोनों मौजे उतार दूँ। आपने फ़रमाया : “इन्हें रहने दो मैंने उन्हें पाकी की हालत में पहना था फिर आपने उन पर मसह किया ।”¹

शुरीह बिन हानी फ़रमाते हैं : “मैंने हज़रत अली रज़ि० से मौजों पर मसह करने की मुदत के बारे में पूछा तो हज़रत अली रज़ि० ने फ़रमाया : “रसूलुल्लाह सल्ल० ने मुसाफिर के लिए (मसह की मुदत) तीन दिन रात और मुकीम के लिए एक दिन रात मुकर्रर फ़रमाई है।”²

सफ़वान बिन असाल रज़ि० रिवायत करते हैं कि जब हम सफ़र में होते तो रसूलुल्लाह सल्ल० हमें हुक्म देते कि हम अपने मौजे तीन दिन और तीन रातों तक पाख़ाना, पेशाब या सोने की वजह से न उतारें (बल्कि उन पर मसह करें) हां जनाबत की सूरत में (मौजे उतारने का हुक्म देते)।³

इस हदीस से मालूम हुआ कि जुंबी होना मसह की मुदत को ख़त्म कर देता है। इसलिए गुस्त जनाबत में मौजे उतारने चाहिएं अलबत्ता पेशाब पाख़ाना और नींद के बाद मौजे नहीं उतारने चाहिएं बल्कि निर्धारित अवधि तक उन पर मसह कर सकते हैं।

जुराबों पर मसह करने का व्यापार :

हज़रत सोबान रज़ि० रिवायत करते हैं : **أَمْرَهُمْ أَنْ يُمْسِحُوا عَلَى الْعَصَابَ وَالشَّاخِنِ**

1. बुख़ारी, हदीस 206, मौजों से मुराद नर्म चमड़े की जुराबें हैं।
2. मुस्लिम, हदीस 276, इमाम नववी, औज़ाई और इमाम अहमद कहते हैं कि मसह की मुदत मौजे पहनने के बाद बुजू के टूट जाने से नहीं बल्कि पहला मसह करने से शुरू होती है अर्थात् अगर एक व्यक्ति नमाज़ फ़ज़र के लिए बुजू करता है और मौजे या जुराबें पहन लेता है तो अगले दिन की नमाज़ फ़ज़र तक वह मसह कर सकता है। (सम्पादक)
3. तिर्मिज़ी, हदीस 96, नसाई (1/83-84, 98) इसे इमाम तिर्मिज़ी, इब्ने खुज़ैमा, इब्ने हिवान और नववी ने सहीह कहा है।

“रसूलुल्लाह सल्ल० ने वुजू करते समय सहाबा को पगड़ियों और जुराबों



सहाबा रजिं० का जुराबों पर मसह करना :

हजरत उक्बा बिन अम्र अबू मसऊद अंसारी रजिं० ने अपनी जुराबों पर अपनी चप्पल के तस्मों समेत मसह किया। (बैहेकी 1/258) अम्र बिन जरीस रजिं० फ़रमाते हैं हजरत अली रजिं० ने पेशाब किया फिर वुजू करते हुए आपने अपनी जुराबों पर जो, जूतों (चप्पलों) में थीं मसह किया। (इन्हे अबी शैबा व इब्नुल मुजिरी) इन्हे हज़ाम रह० ने 12 सहाबा किराम रजिं० से जुराबों पर मसह करना ज़िक्र किया है। जिनमें अब्दुल्लाह बिन मसऊद, साअद बिन अबी वक्कास और अम्र बिन हरीस रजिं० भी शामिल हैं। इसी तरह सहल बिन साअद रजिं० जुराबों पर मसह किया करते थे। (इन्हे अबी शैबा 1/173) अबू उमामा रजिं० भी जुराबों पर मसह किया करते थे। (इन्हे अबी शैबा 1/173) और अनस बिन मालिक रजिं० ने वुजू करते हुए अपनी टोपी और सियाह रंग की जुराबों पर मसह किया और नमाज़ पढ़ी। (बैहेकी 1/285) इन्हे क़दामा कहते हैं कि सहाबा किराम रजिं० का जुराबों पर मसह के जवाज़ पर सहमति है। (मुगनी, इन्हे क़दामा 1/332 मसला 426)

अरब शब्दकोष से “जोरब” का अर्थ :

लुगत अरब की विश्वसनीय किताब क़ामूस (1/46) में है हर वह चीज़ जो पांव पर पहनी जाए जोरब है। “ताजुल उरस” में है जो चीज़ लिफ़ाफे की तरह पांव पर पहन लें वह जोरब है। अल्लामा ऐनी लिखते हैं जोरब बटे हुए ऊन से बनाई जाती है और पांव में टख़ने से ऊपर तक पहनी जाती है। आरिज़ा अलहौज़ी में हदीस के व्याख्याकार इमाम अबूबक्र इन्हे अरबी रह० लिखते हैं। जोरब वह चीज़ है जो पांव को ढांपने के लिए ऊन की बनाई जाती है। उमदतुर्रिआया में है जुराबें रुई अर्थात् सूत की होती हैं और बालों की भी बनती हैं। ग़ायतुल मक़सूद में है जुराबें चमड़े की, सूफ़ की और सूत की भी

1. अबू दाऊद, हदीस 146। इसे इमाम हाकिम और हाफ़िज़ ज़ेहवी ने सहीह कहा है। हर उस जुराब पर मसह करना सही है जो : 1. मोटी हो अर्थात् पांव नज़र न आएं, 2. सातिर हो अर्थात् फटी हुई न हो।

होती हैं।

अतः साबित हुआ कि जोरब लिफाफे या लिबास को कहते हैं वह लिबास चाहे चर्मी हो, सूती हो या ऊनी हम उस पर मसह कर सकते हैं।

पगड़ी पर मसह :

हज़रत अम्र बिन उमैया रज़ि० रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने पगड़ी पर मसह फ़रमाया।¹

इसी तरह बिलाल रज़ि० बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने पगड़ी पर मसह किया।²

बुजू तोड़ने वाली चीज़ें :

हज़रत इब्ने उमर रज़ि० रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया :

لَا تُقْبِلْ صَلْوَةٌ بِغَيْرِ طَهْوٍ

“बुजू के बिना नमाज़ कुबूल नहीं की जाती।”³

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : “जिस व्यक्ति का बुजू टूट जाए जब तक वह बुजू न करे अल्लाह तआला उसकी नमाज़ कुबूल नहीं करता।”⁴

मङ्गी निकलने से बुजू :

हज़रत मिकदाद रज़ि० ने रसूलुल्लाह सल्ल० से मालूम किया कि मङ्गी निकलने से गुस्त वाजिब होता है या नहीं? तो आपने फ़रमाया : “मङ्गी निकलने से गुस्त वाजिब नहीं होता अपना लिंग धो डाल और बुजू कर।”

1. बुखारी, हदीस 205।

2. मुस्लिम, हदीस 275।

3. मुस्लिम, हदीस 224।

4. बुखारी, हदीस 135, व मुस्लिम, हदीस 225।

5. बुखारी, हदीस 132, वल बुजू 178, 269, व मुस्लिम, हदीस 303।

शर्मगाह को हाथ लगाने से बुजू़ :

नबी سल्ल० ने फ़रमाया : “जो व्यक्ति शर्मगाह को हाथ लगाए तो वह बुजू़ करे ।”¹

नींद से बुजू़ :

हज़रत अली रज़ि० रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : “दोनों आंखें, सुरीन की सरबन्द (तस्मा) हैं। अतः जो व्यक्ति सो जाए उसे चाहिए कि दोधारा बुजू़ करे ।”²

हज़रत अबू हुररह रज़ि० फ़रमाते हैं कि जो व्यक्ति सो जाए उस पर बुजू़ वाजिब है ।³

हज़रत अनस रज़ि० फ़रमाते हैं : “असहाबे रसूल सल्ल० नमाज़े इशा के इन्तज़ार में बैठे बैठे ऊंचते थे और बुजू़ किए बिना नमाज़ अदा कर लेते थे ।”⁴

हवा निकलने से बुजू़ :

रसूलुल्लाह सल्ल० के सामने एक ऐसे व्यक्ति की हालत बयान की गई जिसे ख्याल आया कि नमाज़ में उसकी हवा निकली है तो नबी सल्ल० ने फ़रमाया : “नमाज़ उस समय तक न तोड़े जब तक (हवा निकलने की) आवाज़ न सुन ले या उसे बदबू महसूस हो ।”⁵

1. मोत्ता इमाम मालिक, 1/42, अबू दाऊद हदीस 181, इसे इमाम तिर्मिज़ी, हदीस 82, ने हसन सहीह कहा है। यह हुक्म तब है जब कपड़े के बिना सीधी तरह हाथ लगे।

2. अबू दाऊद, हदीस 203, इने माजा हदीस 277। इसे इब्ने सलाह और इमाम नववी ने हसन कहा है।

3. मुसनद अली बिन जाअद, इसकी सनद हसन है।

4. सहीह मुस्लिम, हदीस 376। अर्थात टेक लगाकर सोने से बुजू़ टूटेगा, बैठे बैठे ऊंचने से नहीं।

5. बुखारी, हदीस 137। इस हदीस से मालूम हुआ कि जब तक हवा निकलने का पक्का यक़ीन न हो जाए बुजू़ नहीं टूटता अतः जिसे पेशाब की बूंदों या वहम की बीमारी हो उसे भी जान लेना चाहिए कि बुजू़ एक हक़ीक़त है, एक यक़ीन है यह यक़ीन से ही टूटता है। सन्देह या वहम से नहीं।

क्लैं, नकसीर और बुजूँ :

क्लैं या नकसीर आने से बुजूँ टूट जाने वाली रिवायत को, जो बलूगुल मुराम और इब्ने माजा (रक्खम 1221) में है। इमाम अहमद और अन्य मुहदिसीन ने जईफ़ कहा है बल्कि इस सिलसिले की तमाम रिवायात सख्त जईफ़ हैं। अतः “बराअत अस्लिया” पर अमल करते हुए (यह कहा जा सकता है कि) खून निकलने से बुजूँ फ़ासिद नहीं होता। इसकी पुष्टि उस घटना से भी होती है जो ग़ज़वा रिकाऊ में पेश आई जब एक अंसारी सहाबी रात को नमाज़ पढ़ रहे थे किसी दुश्मन ने उन पर तीन तीर चलाए जिनकी बजह से वह सख्त घायल हो गए और उनके शरीर से खून बहने लगा मगर इसके बावजूद वह अपनी नमाज़ में व्यस्त रहे।¹

यह हो ही नहीं सकता कि रसूलुल्लाह सल्लूल्लाहू ने इस घटना का पता न हुआ हो या आप को पता हुआ और आपने उन्हें नमाज़ लौटाने या खून बहने से बुजूँ टूट जाने का मसला न बताया मगर हम तक यह खबर न पहुंची हो।

इसी तरह जब हजरत उमर रजिऊ घायल किए गए तो आप इसी हालत में नमाज़ पढ़ते रहे यद्यपि आपके शरीर से खून जारी था।²

इससे मालूम हुआ कि खून के बहने से बुजूँ टूटता नहीं है।

रसूलुल्लाह सल्लूल्लाहू ने फ़रमाया : “अगर नमाज़ में बुजूँ टूट जाए तो नाक पर हाथ रख कर लौटो, बुजूँ करो और फिर नमाज़ पढ़ो।”³

तयम्मुम का बयान

पानी न मिलने की सूरत में पाकी की नीयत से पाक मिट्टी का इरादा करके उसे हाथों और मुँह पर मलना तयम्मुम कहलाता है।

पानी न मिलने की कई सूरतें हैं जैसे मुसाफ़िर को सफ़र में पानी न मिले। या पानी के स्थान तक पहुंचने पर नमाज़ के चले जाने का खतरा हो

1. अबू दाऊद, हदीस 198। इसे इमाम हाकिम (1/156) और ज़ेहबी ने सहीह कहा है।

2. मोत्ता इमाम मालिक, (1/39) व बैहेकी (1/357)

3. अबू दाऊद, हदीस 1114। इसे हाकिम और ज़ेहबी ने सहीह कहा है।

या वज करने से मरीज को मर्ज की ज्यादती का खौफ हो या पानी हासिल

करने में जान का डर हो। जैसे घर में पानी नहीं है बाहर करफ्यू लगा है या पानी लाने में किसी दुश्मन या दरिन्द्र से जान का खतरा हो तो ऐसी सूरत में हम तयम्मुम कर सकते हैं चाहे यह मजबूरी कायम रहें तयम्मुम भी बदस्तूर जाइज रहेगा।

रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया :

«الصَّعِيدُ الطَّيْبُ وَمُضُونُ الْمُسْلِمِ وَلَوْ إِلَى عَفْرِ سِينِينَ»

“पाक मिट्टी मुसलमानों का बुजू है यद्यपि दस वर्ष पानी न पाए।”¹

जनाबत की हालत में तयम्मुम :

हजरत इमरान रज़ि० रिवायत करते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्ल० के साथ सफ़र में थे। आपने लोगों को नमाज पढ़ाई। जब नमाज से फिरे तो अचानक आपकी नज़र एक आदमी पर पड़ी जो लोगों से अलग बैठा हुआ था और उसने लोगों के साथ नमाज नहीं पढ़ी थी। रसूलुल्लाह सल्ल० ने उससे पूछा : “ऐ फ़लां! लोगों के साथ नमाज पढ़ने से तुझे किस चीज़ ने रोका?” उसने कहा मुझे जनाबत पहुंची और पानी न मिल सका। आपने फ़रमाया : “तुझ पर मिट्टी (से तयम्मुम करना) लाज़िम है। अतः वह तेरे लिए काफ़ी है।”²

हजरत इब्ने अब्बास रज़ि० फ़रमाते हैं कि सर्दी का मौसम था एक आदमी को गुस्त जनाबत की ज़रूरत पेश आई, उसने इस बारे में मालूम किया तो उसे गुस्त करने को कहा गया। उसने गुस्त किया जिससे उसकी मौत हो गई। जब इस घटना का ज़िक्र रसूलुल्लाह सल्ल० से किया गया तो आपने फ़रमाया : “उन लोगों ने उसे मार डाला। अल्लाह उनको मरे। बेशक अल्लाह ने मिट्टी को पाक करने वाला बनाया है। (वह तयम्मुम कर लेता)।”³

1. अबू दाऊद, हदीस 332-333, नसाई (1/171), व तिर्मिज़ी, हदीस 124। इसे इमाम तिर्मिज़ी, इमाम हाकिम (1/176-177) और इमाम इब्ने हिबान ने सहीह कहा। दस वर्ष से लम्बी अवधि मुराद है। (सम्पादक)

2. बुखारी, हदीस 344, व मुस्लिम हदीस 682।

3. इब्ने खुजैमा 1/138 हदीस 273, इब्ने हिबान, हदीस 2001। इसे हाकिम (1/165) और हाफ़िज़ ज़ेहबी ने सहीह कहा है।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० ने फ़रमाया : “अगर घाव पर पट्टी बंधी हुई हो तो वुजू करते समय पट्टी पर मसह कर ले और इर्द गिर्द धो ले।”¹

मालूम हुआ कि अगर किसी कमज़ोर या बीमार आदमी को स्वप्नदोष हो जाए और गुस्त करना उसके लिए हलाकत या बीमारी का कारण हो तो उसे तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ लेनी चाहिए। और यह भी साबित हुआ कि घावों और फोड़ों आदि की पट्टी पर मसह कर लेना सही है और स्वप्नदोष वाला या हाइज़ा और निफ़ास से फ़ारिंग होने वाली औरतें भी ज़रूरत पड़ने पर तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ सकती हैं। इसलिए कि तयम्मुम शर्ओती मजबूरी की हालत में वुजू और गुस्त दोनों का बदल है।

तयम्मुम का तरीक़ा :

हज़रत अम्मार रज़ि० बयान करते हैं कि वह सफ़र की हालत में जुंबी हो गए और (पानी न मिलने की वजह से) खाक पर लोटे और नमाज़ पढ़ ली। फिर (सफ़र से आकर) यह हाल रसूलुल्लाह सल्ल० के सामने बयान किया तो आपने फ़रमाया : “तुम्हारे लिए केवल यही काफ़ी था।”

وَضَرَبَ بِيَدِيهِ إِلَى الْأَرْضِ فَنَفَضَ بِدَيْهِ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهُ

“(और) फिर नबी अकरम सल्ल० ने दोनों हाथ ज़मीन पर मारे और उन पर फूंक मारी फिर उनके साथ अपने मुंह और दोनों हाथों पर मसह किया।”² अर्थात् उलटे हाथ से सीधे हाथ पर और सीधे हाथ से उलटे हाथ पर मसह किया फिर दोनों हाथ से बैहरे का मसह किया।

कुरआन मजीद के हुक्म (सूरह निसा 4 : 43) के अनुसार तयम्मुम पाक मिट्टी से करना चाहिए।

तयम्मुम जैसे मिट्टी से जाइज़ है उसी तरह खार वाली ज़मीन और रेत से भी जाइज़ है।

एक तयम्मुम से (वुजू की तरह) कई नमाज़ें पढ़ सकते हैं क्योंकि तयम्मुम वुजू का बदल है।³

1. बैहेकी 1/228। बैहेकी ने इसे सहीह कहा है।

2. बुखारी हदीस 338, व मुस्लिम हदीस 368, अबू दाऊद, हदीस 321।

3. जिन चीज़ों से वुजू टूटता है उन्हीं चीज़ों से तयम्मुम शेष अगले पृष्ठ पर

नमाज़ा का लिबास

لَا يَعْلَمُنَا فِي التَّوْبَةِ الْوَاحِدَ لَبَسَ عَلَىٰ حَاتِقَيْهِ شَيْءٌ

“कोई व्यक्ति कपड़े में इस तरह नमाज़ न पढ़े कि उसके कंधे नगे हों।”¹
हज़रत उमर बिन अबी सलमा रज़िया बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह
सल्लो एवं रज़िया को हज़रत उम्मे सलमा रज़िया के घर में एक ही कपड़े में लिपटे हुए
नमाज़ पढ़ते देखा कि (आपने) उसकी दोनों साइडें अपने कंधों पर रखी हुई
थीं।²

सहाबा किराम रजि०, नबी करीम सल्ल० के साथ नमाज पढ़ते थे और वह अपने तहवन्दों को छोटे होने के सबब अपनी गर्दनों पर बांधे हुए होते थे और औरतों से कह दिया गया था कि जब तक मर्द सीधे होकर बैठ न जाएँ उस समय तक तम अपने सर सज्जे से न उठाना।³

हज़रत मुहम्मद बिन मुक़दिर रज़िया बयान करते हैं कि मैं हज़रत जाविर बिन अब्दुल्लाह रज़िया के पास आया तो वह एक कपड़े में लेटे हुए नमाज़ पढ़

भी टूट जाता है। अगर नमाज पढ़ लेने के बाद पानी की मौजूदगी का पता हो जाए तो उसे वुजू करके नमाज धोहराने या न दोहराने का इस्तियार है। (अबू अनस गोहर) अगर दोहरा ले तो बेहतर है बल्कि उसमें (दोहरा) नमाजों का अज्ज है। (नसाई 1/212) गुस्त हदीस 431। इमाम हाकिम और हाफिज़ ज़ेहबी ने बुखारी और मुस्लिम की शर्त पर सहीह कहा है।

1. बुखारी, हदीस 359, मुस्लिम हदीस 516। इससे मालूम हुआ कि मर्द के लिए नमाज़ के दौरान सर ढांपना वाजिब नहीं वरना आप कंधों के साथ सर का झिक्र भी करते, सर ढांपना ज्यादा से ज्यादा मुस्तहब है लोगों को इसकी तर्जीब तो दी जा सकती है लेकिन उसके बाद उन्हें अपने पर मलामत नहीं करनी चाहिए।

2. बखारी, हर्दीस 354-355, 356 व मस्तिष्म हर्दीस 517।

3. बुद्धारी, हडीस 362। यह हुक्म इसलिए दिया गया ताकि अगली पंक्ति वालों के सतर पर पिछली पंक्ति वालों की नज़र न पड़े, याद रहे कि नबुव्वत काल में औरतें पिछली पंक्तियों में नमाज़ अदा किया करती थीं।

रहे थे और उनकी चादर (एक तरफ) रखी हुई थी। जब वह नमाज से फ़ारिग हुए तो हमने उनसे कहा : ऐ अबू अब्दुल्लाह! आपकी चादर पढ़ी रहती है और आप नमाज पढ़ लेते हैं? तो उन्होंने फ़रमाया : हाँ, मैंने नबी करीम सल्ल० को इसी तरह नमाज पढ़ते देखा है और मैंने यह चाहा कि (ऐसा ही करूं ताकि) तुम्हरे जैसे जाहिल मुझे (इस तरह नमाज पढ़ते हुए) देख लें।¹

रसूलुल्लाह सल्ल० ने नमाज में मुंह ढांपने और सदल करने से मना फ़रमाया।²

सदल यह है कि (सर या) कंधों पर इस तरह कपड़ा डाला जाए कि वह दोनों तरफ लटका रहे।³

रसूलुल्लाह सल्ल० के साथ औरतें नमाज फ़र्ज अदा करतीं तो वह अपनी चादरों में लिपटी हुआ करती थीं।⁴

रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : “बालिमा औरत की नमाज औढ़नी के बिना नहीं होती।”⁵

हज़रत उम्मे सलमा रज़ि० फ़रमाती हैं : “औरत औढ़नी और ऐसे लम्बे कुरते में नमाज पढ़े जिसमें उसके क़दम भी छुप जाएं।”⁶

नबी सल्ल० ने फ़रमाया : “अपनी रान खोलो न किसी ज़िंदा या मुर्दा

1. बुखारी, हदीस 370। अरबी में अदाज़ा तहबन्द को जब कि रदा उस चादर को कहते हैं जो कमीर की जगह इस्तेमाल की जाए एक ही चादर में नमाज पढ़ने का मतलब यह है कि सर नंगा था, क्योंकि अगर वह सर ढापते तो सतर बे हिजाब हो सकता था।

2. अबू दाऊद, हदीस 643। इसे इमाम हाकिम और हाफिज झेहबी ने सहीह कहा है। मेरे इल्म में इस हदीस की दो ही सनदें हैं। एक सनद हसन बिन ज़कवान की तदलीस की वजह से ज़रूरी है दूसरी में उस्त बिन सुफ़ियान ज़रूरी रावी है।

3. अगर सर या गर्दन पर कपड़े को बल दे दिया (लपेट लिया) फिर उसके दोनों किनारे लटकें तो यह सदल नहीं है।

4. बुखारी, हदीस 372, व सहीह मुस्लिम, हदीस 645।

5. अबू दाऊद, हदीस 641। इसे इब्ने खुज़ैमा और इब्ने हिबान ने सहीह कहा है।

6. वैहेकी (2/232) हाफिज इब्ने हज़र रह० ने मुहादिसीन की एक जमाअत से नक़ल किया है कि इसका मौकूफ होना सही है, बलागुल मराम हदीस 207। लेकिन यह मौकूफ रिवायत मरकूउ के हुक्म में है क्योंकि इसमें जो मसला है वह इत्तिहादी नहीं है।

की रान देखो ।”¹

रसूलुल्लाह सल्ल० कभी नमाज में नंगे पाव खड़े होते और कभी आपने जूता पहन रखा होता था ।²

नबी सल्ल० ने फ़रमाया : “जब तुम नमाज अदा करो तो अपना जूता पहन लो या उसे उतार कर अपने क़दमों के बीच रखो ।” एक रिवायत में है कि आपने फ़रमाया : “यहूदियों का उल्टा करो वे जूते और मोजे पहन कर नमाज अदा नहीं करते ।”³

नबी सल्ल० ने फ़रमाया : “जब तुम मस्जिद में आओ तो जूतों को अच्छी तरह (ध्यान से) देख लो, अगर उनमें गन्दगी नज़र आए तो उनको ज़मीन पर अच्छी तरह रगड़ो फिर उनमें नमाज अदा करो ।”⁴

नबी सल्ल० फ़रमाते हैं : “जब तुम नमाज अदा करो तो जूतों को दाएं या बाएं न रखो बल्कि क़दमों के दर्मियान रखो । क्योंकि तुम्हारा बायां दूसरे नमाज़ी का दायां होगा । हां अगर बायीं और कोई नमाज़ी न हो तो बायीं और रख सकते हो ।”⁵

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि० ने अब्दुल्लाह बिन हारिस को देखा कि वह पीछे से बालों का जूँड़ा बांध कर नमाज पढ़ रहे थे । अब्दुल्लाह बिन अब्बास उठे और उनके जूँड़े को खोल दिया । जब इन्हे हारिस नमाज पढ़ चुके, इन्हे अब्बास रज़ि० की तरफ़ मुतवज्जह हुए और कहने लगे : मेरे सर से तुम्हें

1. अबू दाऊद, हदीस 4015, इन्हे माजा, हदीस 1460 । इसे इन्हे खुजैमा और इन्हे हिबान ने सहीह कहा ।

2. अबू दाऊद हदीस 653, व इन्हे माजा, हदीस 1038, तहावी ने इसे मुतवातिर कहा है । तब मस्जिदों के फ़र्श कच्चे होते थे और जूतों के तलवे भी हमवार होते थे जो ज़मीन पर रगड़ने से पाक हो जाते थे आज मस्जिदों में सफ़े, दरियां या क़ालीन बिठ गए हैं और जूतों के तलवों में भी गन्दगी फंस जाती है जो ज़मीन पर रगड़ने से नहीं निकलती अतः आज अगर कोई व्यक्ति जूते पहन कर नमाज अदा करना चाहे तो उसे पाकी का पूरा प्रबन्ध करना चाहिए वरना जूते उतार कर नमाज पढ़े ।

3. अबू दाऊद, हदीस 652 । इसे हाकिम और ज़ेहबी ने सहीह कहा है ।

4. अबू दाऊद, हदीस 650 । इसे हाकिम, ज़ेहबी और नववी ने सहीह कहा है ।

5. अबू दाऊद, हदीस 654-655 । इसे हाकिम, ज़ेहबी और नववी ने सहीह कहा है ।

किया सरोकार था? इन्हे अब्बास रज़ि० ने कहा : मैंने रसूलुल्लाह सल्ल० को यह फ़रमाते हुए सुना है : “निःसन्देह उस तरह के आदमी की मिसाल उस व्यक्ति की सी है कि जो मशक्के बांधी हुई हालत में नमाज अदा करे।”¹

हजरत आइशा रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने एक धारीदार चादर में नमाज पढ़ी। फिर फ़रमाया : “मेरी इस चादर को अबू जहीम के पास ले जाओ और उसकी चादर मेरे पास ले आओ। उस (चादर की धारियों) ने मुझे नमाज में विनप्रता से ग़ाफ़िल कर दिया है।”²

हजरत आइशा रज़ि० ने घर में एक पर्दा लटका रखा था रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : “यह पर्दा हटा दो। इसकी तस्वीरें नमाज में मेरे सामने आती हैं।”³

मालूम हुआ कि नदरश व निगार वाले मुसल्ले पर नमाज पढ़ना सही नहीं है।

सहाबा किराम रज़ि० रसूलुल्लाह सल्ल० के पीछे नमाज पढ़ते हुए गर्भी की सखी से सज्दा की जगह कपड़े का किनारा बिछा लेते थे।⁴

1. मुस्लिम, हदीस 492।

2. बुखारी, हदीस 373, मुस्लिम हदीस 556।

3. सहीह बुखारी, हदीस 374, 5959।

4. सहीह बुखारी, हदीस 385, 542।

مسجدों کے آدेश

مسجد کی شرکت :

ہجرت عاصم رضیٰ ریوایت کرتے ہیں کہ رسولؐ نے فرمایا :

«مَنْ بَنَ مَسْجِدًا، يَتَعَبَّدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ، بَنَى اللَّهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ»

“جو کوئی مسجد بنائے (اور) اسکے لیے جری� اللّاہ کی رضا چاہے، اللّاہ اسکے لیے جنّت میں گھر بناتا ہے ।”¹

ہجرت ابوبکر رضیٰ ریوایت کرتے ہیں کہ رسولؐ نے فرمایا : “اللّاہ کو مسجدوں کو بہت زیادا پری� ہے । اور بازار اतیخت ناپسند ہے ।”²

مطالب یہ ہے کہ مسجد دنیا کی تمام جگہوں سے اللّاہ کو زیادا پری� اور پ्यاری ہے کیونکہ عالم میں اllerah کی ایجادت ہوتی ہے اور بازار تمام جگہوں سے اllerah کے نجاتیک اتیخت ناپسندیدا ہے کیونکہ وہاں ہر سر، لالچ، جڑ، سکر اور لئن�ن میں ڈوکھا آدی کا پ्रचالن ہوتا ہے یاد رہے کہ کیسی دنیا کی دنیا کی جرورت کے لیے بنا بازار میں کبھی نہ جائے اور مسجدوں سے بہت محظوظ کرئے ।

ہجرت ابوبکر رضیٰ ریوایت کرتے ہیں کہ رسولؐ نے فرمایا : “جو کوئی دن کے ابھل ہیسے میں یا دن کے آخری ہیسے میں مسجد کی تارف جائے، اllerah اسکے لیے جنّت میں مہماں تیار کرتا ہے ।”³

نبی سلّم نے فرمایا : “جب تum بوجو کر کے مسجد جاؤ تو اک ہا� کی ٹانگلیاں دوسرے ہا� کی ٹانگلیاں میں نہ ڈالو۔ بے شک یہ سامنے تum

1. بخاری، حدیث 450، و مسلم حدیث 533 ।

2. مسلم، حدیث 671 ।

3. بخاری، حدیث 662، و مسلم، حدیث 669 ।

नमाज़ ही में होते हो ।”^१

नबी सल्ल० ने फ़रमाया : “मस्जिद में एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ की उंगलियों में न डालो ।”^२

कुछ मस्जिदों में नमाज़ों का सवाब :

मस्जिदे अक्रसा में एक नमाज़ एक हज़ार नमाज़ों के बराबर है ।^३

खाना काबा (मस्जिदुल हराम) में एक नमाज़ दूसरी मस्जिदों की एक लाख नमाज़ों से श्रेष्ठ है ।^४

मस्जिदे नबवी में एक नमाज़ हज़ार नमाज़ों से बेहतर है ।^५

अब्दुल्लाह बिन साअद रज़ि० से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्ल० से मालूम किया कि नफ़्ल नमाज़ घर में पढ़ना श्रेष्ठ है या मस्जिद में? आपने फ़रमाया कि : ‘क्या तुम नहीं देखते कि मेरा घर मस्जिद के कितना क़रीब है इसके बावजूद फ़राइज़ के अलावा मुझे घर में नमाज़ पढ़ना ज़्यादा पसन्द मैं हूँ ।’^६

नबी अकरम सल्ल० ने फ़रमाया : ‘जब तुम मस्जिद में नमाज़ पढ़ो तो नमाज़ का कुछ हिस्सा (नवाफ़िल, सुन्नतें) अपने घरों में पढ़ो, अल्लाह उस नमाज़ के सबव घर में भलाई देगा ।’^७

तहीयतुल मस्जिद (मस्जिद का तोहफ़ा) :

हज़रत अबू क़तादा रज़ि० रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने

1. अबू दाऊद, हदीस 562। इसे इमाम हाकिम और इमाम ज़ेहबी ने सहीह कहा है। इसकी सनद हसन है। अर्थात् तुम्हें बराबर नमाज़ का सवाब मिल रहा होता है।

2. मुसनद अहमद (4/42-43, 241) इसकी सनद पक्की है।

3. इब्ने माजा, 1407 हाफ़िज़ इराक़ी ने इसकी सनद को पक्की कहा है। और बूसीरी ने इसे सहीह कहा है।

4. इब्ने माजा, हदीस 1406।

5. बुख़री, हदीस 1190, व मुस्लिम हदीस 1394।

6. इब्ने माजा, हदीस 1378, इमाम बूसीरी और इब्ने खुज़ैमा ने इसे सहीह कहा है।

7. मुस्लिम, हदीस 778।

फरमाया : “जब तुम मस्जिद में दाखिल हो तो बैठने से पहले दो रकअत

(नफ्ल तहीयतुल मस्जिद के तौर पर) पढ़ा करो।”¹

प्याज़ और लहसुन खाकर मस्जिद में न आओ :

रसूलुल्लाह सल्ल० ने प्याज़ और लहसुन से मना किया और फरमाया : “जो कोई इन दोनों को खाए तो मस्जिद के क्रीब नआए और फरमाया अगर तुमने उन्हें खाना ही है तो उनको पकाकर उनकी बूं मार लो।”² क्योंकि उससे फ्रिश्टों को भी तकलीफ़ पहुंचती है।³

शैख़ अलबानी फरमाते हैं : “क्या किसी की कल्पना में यह बात आ सकती है कि सिगरेट पीने वाला प्याज़ व लहसुन के हुक्म में दाखिल नहीं? सबको मालूम है कि सिगरेट की बदबू प्याज़ व लहसुन की बूं से कहीं ज्यादा कष्टदायक होती है। इन दोनों के खाने में कोई हानि भी नहीं जबकि सिगरेट पीने की बहुत सी हानियां हैं और कोई फ़ायदा नहीं।”

अगर किसी को मर्ज़ की बिना पर लहसुन या प्याज़ इस्तेमाल करना पड़ता हो तो वह उनके इस्तेमाल के बाद मस्जिद आ सकता है क्योंकि रसूलुल्लाह सल्ल० ने मुगीरा बिन शैबा रज़ि० को सीने के एक मर्ज़ की बिना पर लहसुन खाने की इजाजत दी थी।⁴

मस्जिद में थूकना

रसूलुल्लाह सल्ल० ने फरमाया : मुझ पर मेरी उम्मत के अच्छे और बुरे कर्म पेश किए गए मैंने देखा कि सद कर्मों में रास्ते से कष्ट देने वाली चीज़ को दूर करना भी है और बुरे कर्मों में मस्जिद में थूकना भी है जिस पर मिट्टी न डाली गई हो।⁵

1. बुखारी, हदीस 444, 1163, व सहीह मुस्लिम, हदीस 714।

2. अबू दाऊद, हदीस 3827।

3. मुस्लिम, हदीस 564।

4. अबू दाऊद, हदीस 3826। इसे इब्ने खुज़ैमा (1672) और इब्ने हिबान ने सहीह कहा है।

5. मुस्लिम, हदीस 553। आजकल मस्जिदों से थूक को पानी या कपड़े आदि से साफ़ किया जाएगा।

नबी सल्ल० ने फ़रमाया : “मस्जिद में थूकना गुनाह है और उसका कफ़्फ़ारा उस पर मिट्टी डाल कर दफ़न करना है।”¹

मस्जिद में सोना :

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० से रिवायत है कि वह नबी सल्ल० की मस्जिद में सो जाते थे यद्यपि वह कुंवरे नवजान थे।²

मस्जिद में क्रिय-विक्रिय :

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : “जब तुम किसी व्यक्ति को मस्जिद में कुछ बेघता या ख़रीदता देखो तो कहो “अल्लाह तेरी सौदागरी में लाभ न दे।” और जिस समय तुम किसी व्यक्ति को मस्जिद में किसी गुमशुदा चीज़ का एलान करते हुए देखो तो कहो “अल्लाह तुझे वह चीज़ न लौटाए।” अतः निःसन्देह मस्जिदें इस उद्देश्य के लिए तो नहीं बनाई गईं।³

मस्जिद जाने की श्रेष्ठता :

हज़रत अबू उमामा रज़ि० रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : “जो व्यक्ति अपने घर से बा बुजू होकर फ़र्ज़ नमाज़ अदा करने के लिए मस्जिद के लिए निकलता है तो उसको हज का अहराम बांधने वाले की तरह सवाब मिलता है।”⁴

याद रहे कि जिन पर बैतुल्लाह का हज़ फ़र्ज़ हो चुका हो, जब तक वह वहाँ जाकर हज़ न करें उनसे फ़र्ज़ियत साकित न होगी चाहे सारी उम्र बा बुजू होकर पांचों नमाज़ें मस्जिद में जाकर पढ़ते रहें, इसलिए अल्लाह की बख़िराश और अज़र व सवाब की अधिकता से किसी क़िस्म की ग़लतफ़हमी का शिकार नहीं होना चाहिए।

1. बुखारी, हदीस 415, मुस्लिम, हदीस 552।

2. बुखारी, हदीस 440, 1121, 1156।

3. तिर्मिज़ी, हदीस 1324। इसे इमाम हाकिम (4/56) और इमाम ज़ेहबी ने सहीह कहा है।

4. अबू दाऊद, हदीस 558। इसकी सनद हसन है।

जमाअत के साथ नमाज़ पढ़ने का सवाब अपने घर या बाज़ार में अकेले



नमाज़ पढ़ने से (कम से कम) पच्चीस दर्जा ज़्यादा है। तो जब वह अच्छी तरह बुजू करके मस्जिद जाए तो उसके हर कदम से उसका दर्जा बुलन्द होता है और गुनाह माफ़ होते हैं। जब वह नमाज़ पढ़ता है तो फ़रिश्ते उसके लिए उस समय तक दुआ करते रहते हैं जब तक वह नमाज़ की जगह पर बैठा रहता है। फ़रिश्ते कहते हैं ऐ अल्लाह! इस पर रहमत कर। ऐ अल्लाह! इस पर दया कर। जब तक नमाज़ी नमाज़ का इंतिज़ार करता है वह नमाज़ ही में होता है।¹

हज़रत जाबिर रज़ियो से रिवायत है कि मस्जिदे नबवी के पास कुछ मकान खाली हुए। बनू सलमा ने मस्जिद के करीब मुंतकिल होने का इरादा किया। आपने फ़रमाया : “ऐ बनू सलमा! अपने (मौजूदा) घरों में ठहरे रहो (मस्जिद की तरफ़ आते समय) तुम्हारे कदम लिखे जाते हैं।”²

हज़रत अबू हुरैरह रज़ियो रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लो ने फ़रमाया : ‘‘सात व्यक्ति हैं जिन्हें अल्लाह तआला उस दिन (हश्र में) अपने (अर्श के) साए में रखेगा जिस दिन सिवाए उसके साए के कोई साया नहीं होगा। (पहला) न्याय करने हाकिम (दूसरा) वह नवजान जो अल्लाह की इबादत में जवानी गुज़ारे (तीसरा) वह व्यक्ति कि उसका दिल मस्जिद में अटका हुआ हो, जिस समय नमाज़ पढ़कर निकलता है तो उसकी तरफ़ दोबारा आने के लिए व्याकुल रहता है। (चौथे) वे दो व्यक्ति जो (केवल) अल्लाह तआला (की सज्जा) के लिए आपस में मुहब्बत रखते हैं। (जब) मिलते हैं तो उसी की मुहब्बत में और जुदा होते हैं तो उसी की मुहब्बत में। (पांचवां) वह व्यक्ति जो अकेले में अल्लाह को याद करता है और (मुहब्बत या डर की अधिकता से) उसकी आंखों से आंसू बह पड़ते हैं। (छठा) वह व्यक्ति कि जिसे किसी खानदानी, खूबसूरत औरत ने (बुराई के लिए) बुलाया। (अर्थात् दावते गुनाह दी) फिर उस व्यक्ति ने कहा मैं अल्लाह से डरता हूं। (सातवां) वह व्यक्ति कि जिसने अल्लाह के नाम पर कुछ दिया फिर उसको छुपाया यहां तक कि उसके बाएँ हाथ को इल्म न हुआ कि उसके दाएँ हाथ ने क्या ख़र्च किया। (अर्थात् दान को बिल्कुल छुपाकर रखता है।)³

1. बुखारी, हदीस 2119, मुस्लिम, हदीस 649।

2. मुस्लिम, हदीस 665।

3. बुखारी, हदीस 660 व मुस्लिम हदीस 1031।

मस्जिदों में खुशबू :

हज़रत आइशा रज़िया रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लो ने हुक्म दिया : “मौहल्लों में मस्जिद बनाओ। (अर्थात् जहां नया मुहल्ला हो वहां मस्जिद भी बनाओ) और उन्हें पाक साफ़ रखो। और खुशबू लगाओ।”¹

मस्जिदें सादगी का नमूना होनी चाहिएं क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लो ने फ़रमाया : “मुझे यह हुक्म नहीं दिया गया कि मैं मस्जिदों को सजाया करूँ।”²

नबी सल्लो ने फ़रमाया : “क्रयामत की निशानियों में से एक निशानी यह है कि लोग मस्जिदों पर गर्व करेंगे।”³

मस्जिद के नमाजियों के लिए खुशखबरी :

रसूलुल्लाह सल्लो ने फ़रमाया : “अंध्यारियों में (नमाज के लिए) मस्जिद की तरफ़ चलकर आने वालों को क्रयामत के दिन पूरे नूर की खुशखबरी सुना दो।”⁴

मस्जिद में मुश्किल दाखिल हो सकता है क्योंकि एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लो ने बनी हनीफ़ा के एक व्यक्ति समामा बिन असाल रज़िया (अभी वह मुसलमान नहीं हुए थे) को मस्जिद के स्तंभ से बांध दिया था।⁵

मस्जिद की देखभाल करने वाला मीमिन है :

हज़रत अबू सईद खुदरी रज़िया रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लो ने फ़रमाया : “जब तुम किसी व्यक्ति को मस्जिद की देखभाल करते हुए देखो तो उसके इमान की गवाही दो।”⁶

1. अबू दाऊद, हदीस 455, इब्ने माजा, हदीस 758-759। इसे इब्ने खुजैमा (394) और इब्ने हिबान (306) ने सहीह कहा है।

2. अबू दाऊद, हदीस 448। इमाम इब्ने हिबान ने इसे सहीह कहा है।

3. अबू दाऊद हदीस 449। इसे इब्ने खुजैमा 2/281-282, हदीस 1222 ने सहीह कहा है।

4. इब्ने माजा, हदीस 780। इमाम हाकिम (1/212) और इमाम ज़ेहवी ने उसे सहीह कहा है।

5. बुखारी, हदीस 462, 469, 2442, 2423।

6. तिर्मज़ी, हदीस 2622, व इब्ने माजा, हदीस 802। इमाम इब्ने खुजैमा (हदीस 1502) और इमाम इब्ने हिबान (हदीस 310) ने इसे सहीह कहा है।

मुसलमान बहन भाइयो! मस्जिदों की देखभाल किया करो। उन्हें साफ़

सुथरा रखो। रोशनी, पानी का इंतिज़ाम करो। मरम्मत का ख्याल रखो और सबसे बड़ी देखभाल और मस्जिद की आबादी यह है कि वहाँ जाकर पांचों समय जमाअत से नमाज़ पढ़ो। मस्जिदों में कुरआन व हदीस के दर्स का आयोजन करो। मसनून नमाज़ पढ़ने वाले इमामों की नियुक्ति और पांचों समय अज्ञान देने के लिए, वेतन न लेने वाले मअज़िज़न का इंतिज़ाम करो।

क़ब्रिस्तान और हमाम में नमाज़ की मनाही :

“हज़रत अबू सईद रज़ि० रिवायत कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : “सारी धरती मस्जिद है (अर्थात् सब जगह नमाज़ जाइज़ है) सिवाएँ क़ब्रिस्तान और हमाम के।”¹

जब नबी करीम सल्ल० क़ब्रिस्तान में नमाज़ पढ़ना जाइज़ नहीं फ़रमाते तो क़ब्रिस्तान में मस्जिदें बनाना भी जाइज़ न हुआ। मस्जिद के मानी हैं सज्दे की जगह, नमाज़ की जगह। जब क़ब्रिस्तान में सज्दा और नमाज़ मना हुई तो नमाज़ और सज्दे के लिए मस्जिद (सज्दे की जगह) बनाना भी मना हुई।

मस्जिद में दाखिल होते समय की दुआ :

मस्जिद में दाखिल होते समय रसूलुल्लाह सल्ल० पर सलाम कहना चाहिए।²

اللَّهُمَّ افْتَنِ لِنَ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

“या इलाही मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे।”³

بِسْمِ اللَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِنِي ذُنُوبِنِي وَافْتَنِ لِنَ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

1. अबू दाऊद, हदीस 492, तिर्मिजी, हदीस 317। इसे इमाम हाकिम (1/251) इमाम इब्ने खुज़ैमा (791) इब्ने हिबान (338-339) ज़ेहबी और इब्ने हज़म ने सहीह कहा है।

2. नसाई, इब्ने माजा, हदीस 772-773। इमाम इब्ने खुज़ैमा (हदीस 452) और इमाम इब्ने हिबान ने इसे सहीह कहा है। सलाम के शब्द आगे आ रहे हैं।

3. मुस्लिम, हदीस 713।

“अल्लाह के नाम से (दाखिल होता हूं) और (दुआ करता हूं कि) रसूलुल्लाह सल्लो पर सलामती हो। ऐ अल्लाह! मेरे गुनाह माफ़ कर दे और मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे।”¹

अगर नमाज़ी मस्जिद में दाखिल होते समय यह दुआ पढ़ ले तो बाक़ी दिन शैतान से महफूज़ रहेगा :

«أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ بِوَجْهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيرِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ»

“मैं महानता वाले अल्लाह, उसके इज़जत वाले चेहरे और उसकी प्राचीन बादशाहत की पनाह चाहता हूं शैतान मर्दूद से।”²

मस्जिद से निकलते समय की दुआ :

हज़रत अबू उसैद रजिं रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लो ने फ़रमाया : “जब तुम मस्जिद से निकलो तो यह पढ़ो :

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ»

“या इलाही! निःसन्देह मैं तुझसे तेरा फ़ज़्ल मांगता हूं।”³

*** «بِسْمِ اللَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ الْكَرِيمِ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِيْنَ**
أَبْوَابَ فَضْلِكَ»

“अल्लाह के नाम से (मस्जिद से बाहर आता हूं) और (दुआ करता हूं कि) रसूलुल्लाह सल्लो पर सलामती हो, ऐ अल्लाह! मेरे गुनाह माफ़ कर दे और मेरे लिए अपने इनाम (व दया) के दरवाजे खोल दे।”⁴

1. इन्हे माजा, हदीस 771। इसे इमाम तिर्मिज़ी (हदीस 315) ने हसन लगीरा कहा है।

2. अबू दाऊद, हदीस 466। इसकी सनद सहीह है।

3. मुस्लिम, हदीस 713।

4. इन्हे माजा (हदीस 771) इसे इमाम तिर्मिज़ी (हदीस 315) ने हसन लगीरा कहा है।

मस्जिद में आवाज़ बुलन्द करना मना है : प्राप्ति वा उत्तरा

हज़रत उमर रज़ि० ने ताइफ़ के रहने वाले दो आदमियों से कहा (जो मस्जिद नबवी में ऊंची आवाज़ से बातें कर रहे थे) : “अगर तुम मदीना के रहने वाले होते तो मैं तुम्हें सज़ा देता। तुम रसूलुल्लाह सल्ल० की मस्जिद में अपनी आवाज़ें बुलन्द करते हो?”¹

नमाज़ों के समय

पांचों नमाज़ों के समय :

हजरत बुरीदा रज्ञि० से रिवायत है कि एक आदमी ने नबी सल्ल० से नमाज़ के समयों के बारे में पूछा, आपने फ़रमाया : “इन दो दिनों में हमारे साथ नमाज़ पढ़।” जब सूरज का ढलान हुआ तो आपने बिलाल रज्ञि० को ज़ोहर की अज्ञान कहने का हुक्म दिया... अस्स की नमाज़ का हुक्म दिया जब सूरज बुलन्द, सफेद और साफ़ था, मगरिब की नमाज़ का हुक्म दिया जब सूरज अस्त हुआ। इशा की नमाज़ का हुक्म दिया जब सुर्खी गायब हुई और फ़ज़र की नमाज़ का हुक्म दिया जब सुबह हुई। (अर्थात् पांचों नमाज़ों को उनके प्रथम समयों में पढ़ाया) दूसरे दिन बिलाल रज्ञि० को हुक्म दिया कि ज़ोहर की नमाज़ अच्छी तरह ठंडी (देर) करके और अस्स की नमाज़ पढ़ी जबकि सूरज बुलन्द था। और उस (अव्वल) समय से विलम्ब की जो उसके लिए (पहले दिन) था। मगरिब की नमाज़ क्षितिज (सूरज की सुर्खी) गायब होने से पहले पढ़ी और इशा की नमाज़ एक तिहाई रात गुजरने पर पढ़ी। फ़ज़र की नमाज़ (सुबह) रोशन करके पढ़ी (अर्थात् नमाज़ों को उनके आखिरी समयों में पढ़ाया) और फ़रमाया : “तुम्हारी नमाज़ के समय इन दो समयों के बीच हैं जिसको तुमने देखा।”

हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज्ञि० रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया :

وَقَتُ الظَّهَرِ إِذَا زَالَ الشَّمْسُ، وَكَانَ ظَلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَخْضُرِ النَّعْصَرُ، وَوَقَتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَضَفَرِ الشَّمْسُ وَوَقَتُ صَلَوةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِيِ الشَّفَقُ، وَوَقَتُ صَلَوةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الْأَوْسَطِ، وَوَقَتُ صَلَوةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ

“नमाज़ ज़ोहर का समय सूरज ढलने से शुरू होता है और (उस समय

तक रहता है) जब तक आदमी का साथा उसके क़द के बराबर न हो जाए

(अर्थात् अख के समय तक) और नमाज़ अख का समय उस समय तक है जब तक सूरज झर्द न हो जाए। नमाज़ मगरिब का समय उस समय तक है जब तक क्षितिज ग्रायब न हो जाए। नमाज़ इशा का समय ठीक आधी रात तक है। और नमाज़े फ़ज़्र का समय फ़ज़्र उदय से लेकर उस समय तक है जब तक सूरज उदय न हो।”¹¹

नमाज़ फ़ज़र अंधेरे में :

हज़रत आइशा रजिंह से रिवायत है : “सूलुल्लाह सल्ल० जब नमाज़े क़ज़र पढ़ते थे, औरतें (मस्जिद से नवी सल्ल० के साथ नमाज़ पढ़कर) अपनी चादरों में लिपटी हई लौटतीं तो अंधेरे की बजह से पहचानी न जाती थीं”²

मालूम हुआ कि नवी सल्ल० अंधेरे में अव्वल समय नमाज़ पढ़ा करते थे। यद्यपि नमाज़ का समय सुबह सादिक़ से सूरज उदय होने तक है लेकिन प्रथम समय पर पढ़ना श्रेष्ठ है।

हज़रत आइशा रज़ि० रिखायत करती हैं : “रसूलुल्लाह सल्ल० ने कोई नमाज़ उसके आखिरी समय में नहीं पढ़ी यहां तक कि अल्लाह ने आपको वफ़ात दे दी ।”³

इस रिवायत से मालूम हुआ कि नवी सल्ल० हमेशा नमाज़ प्रथम समय पर अदा करते थे। अलबत्ता कुछ मौकों पर (शरई उज्ज की बिना पर) नमाज़ देरी से भी अदा की है।

रसूलुल्लाह सल्लो ने फ़रमाया : “प्रथम समय नमाज़ पढ़ना श्रेष्ठ अमल है।”¹⁴

1. मस्लिम, हदीस 612।

2. सहीह बुखारी, हदीस 867, व सहीह मस्�लिम, हदीस 645।

3. बैहेकी (1/435) मुस्तदरक हाकिम (1/190) इसको हाकिम और ज़ेहबी ने सही कहा है।

4. बैहेकी (1/434) इसे हाकिम, इन्हे खुजैमा, इन्हे हिवान और ज़ेहबी ने सहीह कहा है।

गर्म और ठंडे मौसमों में नमाज़े ज़ोहर का समय :

एक बार गर्मी में हज़रत बिलाल रज़ि० ने ज़ोहर की अज्ञान देनी चाही तो आपने फ़रमाया : ‘‘ठंड हो जाने दो ठहर जाओ। गर्मी की सख्ती जहन्नम के जोश से है, गर्मी की सख्ती में उस समय तक ठहरो कि टीलों के साए नज़र आने लगें।’’¹

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : ‘‘जब गर्मी सख्त हो तो नमाज़ ज़ोहर ठंडे समय में पढ़ो।’’²

ठंडे समय का मतलब यह नहीं कि अस्स के समय पढ़ो बल्कि मुराद यह है कि शिद्दत की गर्मी में सूरज ढलते ही तुरन्त न पढ़ो थोड़ी देर कर लो।

हज़रत अनस रज़ि० से रिवायत है कि जब सर्दी होती तो रसूलुल्लाह सल्ल० नमाज़ ज़ोहर पढ़ने में जल्दी करते (सूरज ढलते ही पढ़ लेते)।³

नमाज़े जुमा का समय :

हज़रत अनस रज़ि० से रिवायत है कि नबी अकरम सल्ल० जुमा की नमाज़ उस समय पढ़ते जब सूरज ढल जाता।⁴

हज़रत सहल बिन साअद रज़ि० से रिवायत है कि हम जुमा पढ़ने के बाद खाना खाते और दोपहर को आराम करते।⁵

हज़रत अनस रज़ि० से रिवायत है कि आप जुमा की नमाज़ सर्दियों में जल्द पढ़ते और सख्त गर्मी में देर करते।⁶

नमाज़ अस्स का समय :

हज़रत बुरीदा रज़ि० रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने नमाज़ अस्स क्रायम की यद्यपि सूरज बुलन्द, सफेद और साफ़ था।⁷

1. बुखारी, हदीस 539, 629।

2. बुखारी, हदीस 533 व मुस्लिम हदीस 615।

3. बुखारी, हदीस 906, व नसाई हदीस 498।

4. बुखारी, हदीस 904।

5. बुखारी, (अल जुमा 62/10) हदीस 939 व मुस्लिम, हदीस 859।

6. बुखारी, हदीस 906।

7. मुस्लिम, हदीस 613।

हज़रत अनस बिन मालिक रज़िया कहते हैं ; “रसुल्लाह सल्लो नमाज़

अस्त्र पढ़ते थे और सूरज बुलन्द (ज़र्दी के बिना रोशन) होता था अगर कोई व्यक्ति नमाज़ अस्त्र के बाद मदीना शहर से “अवाली” (मदीना की आस पास की बस्तियाँ) जाता तो जब उनके पास पहुंचता तो सूरज अभी बुलन्द होता । (कुछ अवाली, मदीना से चार कोस के फ़ासले पर स्थित हैं)!”¹

हज़रत अनस रज़िया रिवायत करते हैं कि रसुलुल्लाह सल्लो ने फ़रमाया : “कपटी की नमाज़ अस्त्र यह है कि वह बैठा सूरज (के ज़र्द होने) का इन्तज़ार करता रहता है । यहाँ तक कि जब वह ज़र्द हो जाता है । और शैतान के दो सींगों के बीच हो जाता है । तो वह नमाज़ के लिए खड़ा हो जाता है और चार ठोंगे मारता है और उसमें अल्लाह को नहीं याद करता मगर थोड़ा !”²

नमाज़ मणिरिब का समय :

हज़रत सलमा रज़िया रिवायत करते हैं कि हम नबी करीम सल्लो के साथ सूरज अस्त होते ही मणिरिब की नमाज़ अदा कर लिया करते थे³ ।

नमाज़ इशा का समय :

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़िया से रिवायत है कि एक रात हम रसुलुल्लाह सल्लो का नमाज़ इशा के लिए इन्तज़ार करते रहे । जब तिहाई रात गुज़र गई तो आप तशरीफ लाए और फ़रमाया : “अगर मेरी उम्मत पर भारी न होता तो मैं इस समय इशा की नमाज़ पढ़ाता ।” फिर मुअज्जिन ने तकबीर कही और आपने नमाज़ पढ़ाई⁴ ।

रसुलुल्लाह सल्लो नमाज़ इशा से पहले सोना और नमाज़ इशा के बाद बातचीत करना नापसन्द करते थे⁵ ।

नबी सल्लो इशा में कभी देरी फ़रमाते और कभी प्रथम समय पढ़ते जब

1. बुखारी, हदीस 550, व मुस्लिम हदीस 621 ।

2. सहीह मुस्लिम, हदीस 622 ।

3. बुखारी, हदीस 561 ।

4. मुस्लिम, हदीस 639 ।

5. बुखारी, हदीस 568 ।

लोग प्रथम समय जमा होते तो जल्द पढ़ते और अगर लोग देर से आते तो देर करते।¹

मस्जिदों के इमामों को नमाज़ प्रथम समय पढ़ानी चाहिए :

हजरत अबूजर रजि० रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : ‘तेरा क्या हाल होगा जिस समय तुझ पर ऐसे इमाम (हाकिम) होंगे जो नमाज़ में देर करेंगे या उसके समय से क़ज़ा करेंगे?’ मैंने कहा कि आप मुझे उस हाल में क्या हुक्म फ़रमाते हैं? आपने फ़रमाया : “नमाज़ को उसके समय पर पढ़ फिर अगर तू उस नमाज़ (की जमाअत) को उनके साथ पाले तो (उनके साथ) दोबारा नमाज़ पढ़ ले यह नमाज़ तेरे लिए नफ़ल होगी।”²

हजरत उबादा बिन सामित रजि० रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : “तुम पर मेरे बाद ऐसे इमाम होंगे जिनको कुछ चीज़ें समय पर नमाज़ पढ़ने से रोकेंगी। यहां तक कि उसका समय जाता रहेगा अतः नमाज़ समय पर पढ़ो (अगरचे अकेले पढ़नी पड़े)” फिर एक व्यक्ति बोला, ऐ अल्लाह के रसूल सल्ल०! मैं उनके साथ भी नमाज़ पढ़ूँ? आपने फ़रमाया : “हाँ।”³

इस समय नमाज़ न पढ़ी जाए :

«أَنَّ الْبَيِّنَاتِ لَهُى عَنِ الْمُصْلِوَةِ بَعْدَ الصَّبْحِ حَتَّى تَشْرُقَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبُ»

नबी सल्ल० ने सुबह (की नमाज़) के बाद (नफ़ल) नमाज़ पढ़ने से मना फ़रमाया यहां तक कि सूरज ख़ूब स्पष्ट हो जाए और (नमाज़) अस्स के बाद (नफ़ल) नमाज़ पढ़ने से मना फ़रमाया यहां तक कि सूरज अच्छी तरह ग़ायब हो जाए (क्योंकि सूरज शैतान के दोनों सींगों के बीच से निकलता है।)⁴


1. मुस्लिम, हदीस 646।

2. मुस्लिम, हदीस 648।

3. अबू दाऊद, हदीस 433। उसकी सनद सहीह है।

4. बुख़ारी, हदीस 581, मुस्लिम हदीस 825, 828। सींगों के बीच सूरज उदय की

और ठीक दोपहर के समय नमाज़ पढ़नी मना है।¹



हजरत अला राज़ू फ़रमात है कि रसूलुल्लाह सल्लू ने फ़रमाया :

“अस्स के बाद नमाज़ न पढ़ो, मगर यह कि सूरज बुलन्द हो।”²

इस हदीस से ज़ाहिर है कि अस्स के बाद की मनाही सर्वथा नहीं है अतएव हजरत कुरेब मौला इब्ने अब्बास रज़ियो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लू ने अस्स के बाद दो रकअतें पढ़ीं, आपसे इसकी वजह मालूम की गई तो फ़रमाया : “बात यह है कि मेरे पास क़बीला अब्दुल क़ैस के लोग (दीन की बातें सीखने के लिए) आए थे उन्होंने (अर्थात् उनके साथ मेरी व्यस्तता ने) मुझे ज़ोहर के बाद की दो सुन्नतों से रोके रखा। अतः यह वह दोनों थीं। (जो मैंने अस्स के बाद पढ़ी थीं।)”³

इमाम इब्ने क़दामा रह० ने अस्स के बाद सुन्नतों की क़ज़ा के जवाज़ पर यह दलील भी दी है कि अस्स के बाद की मनाही ख़फ़ीफ़ (हल्की) है। जबकि इब्ने हज़म ने 23 सहाबा किराम रज़ियो (जिनमें चारों ख़लीफ़ा और ऊंचे सहाबा शामिल हैं) से अस्स के बाद 2 रकअत पढ़ना ज़िक्र किया है।

फ़ज़र के बाद मनाही का आरंभ सूरज उदय से होता है। जब फ़ज़र उदय हो गई तो फ़ज़र की सुन्नतों के अलावा बाक़ी नवाफ़िल मना हैं।

रसूलुल्लाह सल्लू ने फ़रमाया : “जिसने सूरज के उदय (के शुरू) से पहले नमाज़ फ़ज़र की एक रकअत पढ़ ली वह अपनी नमाज़ पूरी करे। और जिसने सूरज के अस्त (के शुरू) से पहले नमाज़ अस्स की एक रकअत पढ़ ली वह अपनी नमाज़ पूरी करे, उसने फ़ज़र और अस्स की नमाज़ पा ली।”⁴

वृद्धि मुस्लिम में है।

1. सहीह मुस्लिम, हदीस 831।

2. अबू दाऊद, हदीस 1274, नसाई हदीस 574। इसे इब्ने खुजैमा, इब्ने हिबान, इब्ने हज़म और हाफ़िज़ इब्ने हज़र ने सहीह कहा है।

3. बुखारी, हदीस 1233, 4370, व मुस्लिम हदीस 834।

4. बुखारी, हदीस 579 व मुस्लिम हदीस 608। यह रिआयत उस व्यक्ति के लिए है जो किसी शरई कारण की वजह से लेट हो गया वरना मात्र सुस्ती की बिना पर नमाज़ को इस कद्र लेट करना सरासर कपट है।

छुटी हुई نماज़ें :

हज़रत अनस रज़ि० रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया :

«مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَ لَا كَفَارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ»

“जो व्यक्ति नमाज भूल जाए (या सो जाए) तो उसका कफ़्फ़ारा यह है कि जिस समय उसे याद आए (या बेदार हो) उस नमाज को पढ़ ले।”¹

इस हदीस से मालूम हुआ कि अगर कोई व्यक्ति नमाज पढ़नी भूल जाए और उसका समय गुज़र जाए तो जिस समय याद आए वह उसी समय पूरी नमाज पढ़ ले और इसी तरह अगर कोई व्यक्ति सो जाए या सुबह आंख ही ऐसे समय खुले कि सूरज उदय हो चुका हो तो जागने वाले को उसी समय पूरी नमाज पढ़ लेनी चाहिए और उस पर किसी क्रिस्म का कफ़्फ़ारा नहीं है।

क़ज़ाए उमरी वाले मसले की शरीअत में कोई असल नहीं अतः यह बिदअत है।

हज़रत अबू क़तादा रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने एक सफ़र में फ़रमाया : “आज रात कौन हमारी हिफ़ाज़त करेगा? ऐसा न हो कि हम फ़क्कर की नमाज को न जाएं।” हज़रत बिलाल रज़ि० ने कहा कि मैं ख्याल रखूँगा फिर उन्होंने पूरब की तरफ मुंह किया और (कुछ देर बाद) बिलाल रज़ि० भी ग़ाफ़िल होकर सो रहा। जब सूरज गर्म हुआ तो जागे और खड़े हुए। रसूलुल्लाह सल्ल० और सहाबा भी जाएं। आपने फ़रमाया : “ऊंट की नकेल पकड़ कर चलो क्योंकि यह शैतान की जगह है।” फिर (नई जगह पहुंच कर) रसूलुल्लाह सल्ल० ने बुजू का हुक्म दिया। हज़रत बिलाल रज़ि० ने अज्ञान दी। नबी सल्ल० ने दो स्कअर्टें पढ़ीं बाक़ी लोगों ने भी दो सुन्तें पढ़ीं फिर रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़क्कर की नमाज पढ़ाई और फ़रमाया : “जो व्यक्ति नमाज भूल जाए उसे जब याद आए तो नमाज पढ़ ले।”²

1. सहीह बुखारी, हदीस 597 व मुस्लिम, हदीस 684।

2. बुखारी, हदीस 595 व मुस्लिम हदीस 680। प्रिय पाठको! असल हकीकत आपने जान ली कि सूरज उदय होकर गर्म हो चुका था तब हज़रत बिलाल रज़ि० ने अज्ञान दी मगर कव्वालों ने एक और ही क़िस्सा गढ़ लिया : शेष अगले पृष्ठ पर

किसी सहीह हदीस से साबित नहीं कि छूट गई नमाज़ को दूसरे दिन

उसके समय पर पढ़ा जाए बल्कि नबी सल्ल० के कर्म से बिल्कुल स्पष्ट है कि नींद से बेदार होने पर फ़ौरन नमाज़ अदा की जाए। अतः क़जा नमाज़ की अदाएँगी के लिए उसके बाद वाली नमाज़ के समय या अगले दिन उसी नमाज़ के समय का इन्तज़ार नहीं करना चाहिए। बल्कि ऐसे व्यक्ति को केवल तौबा व इस्तग़फ़ार और नेकी के कामों में आगे जाने का आयोजन करना चाहिए।¹

सफ़र में अज्ञान देकर नमाज़ पढ़ना :

हज़रत उक्बा बिन आमिर रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : “तुम्हारा परवरदिगार बकरियां चराने वाले से ताज्जुब करता है जो पहाड़ की चोटी पर रहकर अज्ञान देता और नमाज़ पढ़ता है।” अल्लाह तआला फ़रमाता है : “मेरे बन्दे को देखो जो नमाज़ के लिए अज्ञान देता और इक़ामत कहता है और मुझसे डरता है मैं ने उसको बख़ा दिया और जन्त में दाखिल किया।”²

मालूम हुआ कि कोई व्यक्ति सफ़र में हो तो अज्ञान देकर इक़ामत कहकर (इमाम की तरह) नमाज़ पढ़े तो उसके लिए अज़र और सवाब है।

नमाज़े मजबूरी में छूट जाएं तो कैसे पढ़ें?

हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ि० से मरवी है कि हम (गज़वा अहज़ाब में) रसूलुल्लाह सल्ल० के साथ थे हमें काफ़िरों ने ज़ोहर, अस्व, मगरिब और इशा

“हज़रत बिलाल ने जब तक अज्ञान फ़ज़्र न दी, कुदरत खुदा की देखिए पूरी फ़ज़्र न हुई” यक़ीन मानिए। क़व्यालियां मनगढ़त घटनाओं पर गाई जाती हैं ताकि जाहिल वर्ग में शिर्किया अकाइद व कर्मों को रिवाज दिया जाए और जाहिल लोग उन्हें रोज़ाना सुबह दम तिलावत की तरह सुनते और सवाब का काम समझते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजि़ुन।

1. याद रहे कि किसी शरअी कारण की बिना पर जो नमाज़ छूट जाए उसे शरअी कारण ख़त्म होते ही अदा कर लिया जाए तो यही उसका क़फ़्कारा है। बुखारी, हदीस 597 व मुस्लिम/684, अलबन्ता अगर नमाज़ फ़ज़्र छूट जाए तो उसे अगले दिन की नमाज़ फ़ज़्र के साथ दोहराना भी मुस्तहब है। अबू दाऊद, हदीस 1203।

2. अबू दाऊद, हदीस 1203, नसाई 2/20, इसे इब्ने हिबान ने सहीह कहा है।

की नमाजें पढ़ने की मोहलत न दी (और उन नमाजों का समय गुजर गया) जब फुरसत मिली तो रसूलुल्लाह सल्ल० ने बिलाल रजि० को हुक्म दिया उन्होंने इकामत कही तो आपने ज़ोहर की नमाज पढ़ाई। फिर उन्होंने इकामत कही तो आपने अस्स की नमाज पढ़ाई फिर उन्होंने इकामत कही तो नबी सल्ल० ने म़गरिब की नमाज पढ़ाई। उन्होंने फिर इकामत कही तो नबी सल्ल० ने इशा की नमाज पढ़ाई।

इस हीस से मालूम हुआ कि अगर किसी सख्त मजबूरी के बाइस नमाजें छूट जाएं तो उन्हें क्रमवार अदा करना मसनून है। लेकिन नमाजें जानकर कहा नहीं करनी चाहिए।

age. 6

وَالْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ

1. मुस्नद अहमद, (3/25,49,67,68) नसाई (2/17) इसे इब्ने हिबान और इमाम नववी ने सहीह कहा है।

अज्ञान व इक्कामत

अज्ञान की शुरुआत :

रसूलुल्लाह सल्ल० जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो सवाल पैदा हुआ कि नमाज के समयों का एलान कैसे किया जाए? कुछ लोगों ने यह प्रस्ताव रखा कि नमाज के समय बुलन्द जगह पर आग रोशन की जाए या नाकूस बजाया जाए।

हजरत अनस रजि० ने फ़रमाया :

(ذَكَرُوا النَّارَ وَالثَّاقُونَ، فَذَكَرُوا الْبَهُودَ وَالنَّصَارَى، فَأَمِرَ بِلَانْ أَنْ يُفْسَدَ الْأَذَانُ وَأَنْ يُقْرَرَ الْإِقَامَةُ)

“कुछ सहाबा ने कहा कि आग का जलाना या नाकूस बजाना यहूद व नसारा की समानता है। फिर हजरत बिलाल रजि० को हुक्म दिया गया कि अज्ञान के कलिमात जुफ्त (दो दो बार) कहें और तकबीर (इक्कामत) के कलिमात ताक (एक एक बार) कहें सिवाए “क़द क़ामतिस्सलाह” के।”¹

अज्ञान के जुफ्त कलिमात :

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ، اَشْهُدُ اَنَّ لَا إِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ، اَشْهُدُ اَنَّ لَا إِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ، اَشْهُدُ اَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللّٰهِ، اَشْهُدُ اَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللّٰهِ، حَمْدٌ عَلَى الصَّلوةِ، حَمْدٌ عَلَى الْفَلَاحِ، حَمْدٌ عَلَى الْفَلَاحِ، اللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ، لَا إِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

“अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह सबसे बड़ा है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई (सच्चा) उपास्य नहीं। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई (सच्चा) माबूद नहीं। मैं गवाही देता हूं कि मुहम्मद सल्ल० अल्लाह के रसूल हैं। मैं

1. बुखारी, हदीस 603, 606, 607 व मुस्लिम, हदीस 378।

गवाही देता हूं कि मुहम्मद सल्ल० अल्लाह के रसूल हैं। नमाज़ की तरफ़ आओ। नमाज़ की तरफ़ आओ। निजात की तरफ़ आओ। निजात की तरफ़ आओ। अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह के सिवा कोई (सच्चा) उपास्य नहीं।”¹

फ़ज़र की अज्ञान में :

हज़रत अबू महजूरा रज़ि० कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने उनको अज्ञान की शिक्षा दी और फ़रमाया कि :

﴿إِنَّكَانَصَلُوْتُالصَّبِيْحَ تُلَّتْ: الْصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَالنَّوْمِ﴾

“फ़ज़र की अज्ञान में ‘‘हय-य-अ-लल फ़लाह’’ के बाद दो बार यह कलिमात ज्यादा कहें “अस्सलातु खैरुम मिन्नोम, अस्सलातु खैरुम मिन्नोम, “नमाज नींद से बेहतर है। नमाज नींद से बेहतर है।²

हज़रत अनस रज़ि० फ़रमाते हैं कि सुबह की अज्ञान में “हय-य-अ-लल फ़लाह” के बाद “अस्सलातु खैरुम मिन्नोम” दो बार कहना सुन्नत है।³

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० फ़रमाते हैं फ़ज़र की पहली अज्ञान में “अस्सलातु खैरुम मिन्नोम” दो बार कहा जाए।⁴

हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि० से बारिश के दिन अपने मुअज्जिन से कहा कि “हय-य-अ-लस्सलाह” की बजाए “सल्लू फिर्हाल” या “सल्लू फ़ी बुयूतिकुम” (अपने घरों में नमाज अदा करो) कहे और फ़रमाया, रसूलुल्लाह सल्ल० ने ऐसा ही किया, जुसा अगरचे फ़र्ज है मगर मुझे पसन्द नहीं कि तुम

1. अबू दाऊद, हदीस 499, इब्ने माजा हदीस 706। इसे इमाम इब्ने हिवान (हदीस 287) तिर्मिज़ी और नववी ने सहीह कहा है।

2. अबू दाऊद, हदीस 501। नसाई 2/7 इसे इब्ने खुजैमा, इब्ने हिवान और नववी ने सहीह कहा है।

3. इब्ने खुजैमा, हदीस 386, बैहेकी (1/423) इसे इब्ने खुजैमा ने सहीह कहा है।

4. बैहेकी (1/423) इसे इब्ने हज़र ने हसन कहा है। यहां पहली अज्ञान से मुराद वह अज्ञान नहीं है जो फ़ज़र उदय से पहले दी जाती है बल्कि दूसरी अज्ञान मुराद है लेकिन इक़ामत के एतेबार से इसे पहली कह दिया गया है।

कीचड़ और मिट्टी में (मस्जिद) चलो।¹

तकबीर के ताक़ (एक एक) कलिमातः

اللهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَن مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، حَمَدًا عَلَى الصَّلَاةِ، حَمَدًا عَلَى الْفَلَاحِ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

“अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह सबसे बड़ा है। मैं गवाही देता हूं अल्लाह के सिवा कोई इबादत के योग्य नहीं। मैं गवाही देता हूं मुहम्मद सल्ल० अल्लाह के रसूल हैं। नमाज की तरफ आओ। कामयाबी की तरफ आओ। नमाज खड़ी हो गई नमाज खड़ी हो गई। अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के योग्य नहीं।²

नबी रसूलुल्लाह सल्ल० ने बिलाल रजिं० को हुक्म दिया कि अज्ञान के कलिमात दो दो बार और तकबीर के एक एक बार कहें।³

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रजिं० से रिवायत है उन्होंने कहा रसूलुल्लाह सल्ल० के ज़माने में अज्ञान के कलिमात दो दो बार और तकबीर के कलिमात एक एक बार थे सिवाएँ इसके कि मुअज्जिन “कदकामतिस्सलाह” दो बार कहता था।⁴

दोहरी अज्ञानः

अज्ञान में शहादत के चारों कलिमात पहले धीमी आवाज से कहना और फिर दोबारा बुलन्द आवाज से कहना तर्जीआ कहलाता है। हज़रत अबू महज़ूरा

1. बुखारी, हदीस 668 व मुस्लिम, हदीस 699। इससे मालूम हुआ कि अज्ञान के कलिमात में “अस्सलातु खैरुम मिन्नोम” कहना या “अस्सलातु फ़िर्रिहाल” कहना अज्ञान में वृद्धि नहीं है बल्कि नववी काल की सुन्नत है। अतः इसे अज्ञान के अंदर मनपसन्द वृद्धियों की दलील बनाना सही नहीं है।

2. अबू दाऊद, हदीस (510-511) इन्हें हिबान हदीस 290-291 ने सही कहा है।

3. बुखारी, हदीस 603, 605, 607 व मुस्लिम हदीस 378।

4. अबू दाऊद, हदीस 510-511, नसाई (2/20-21) दारमी (1/270) हाकिम (1/197-198) ज़ेहबी और नववी से इसे सहीह कहा है।

रजिं० रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने स्वयं मुझे अज्ञान सिखाई तो नबी सल्ल० ने फ़रमाया (अज्ञान इस तरह) कहो¹ :

«أَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، (پھر دوبارہ کھو) أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، حَقَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَقَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَقَّ عَلَى الْفَلَاحِ، حَقَّ عَلَى الْفَلَاحِ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»

हज़रत अबू महज़ूरा रजिं० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने उन्हें अज्ञान के उन्नीस और इकामत के सतरा कलिमात सिखाए² ।

अज्ञान की विशेषताएं :

हज़रत अबू सईद खुदरी रजिं० रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : ‘‘मुअज्जिन की आवाज़ को जिज्ञात, इंसान और जो जो चीज़ सुनती है वह क़्रामत के दिन उसके लिए गवाही देगी³ ।

नबी करीम सल्ल० ने फ़रमाया : ‘‘मुअज्जिन के लिए सवाब है उस

1. सहीह मुस्लिम, हदीस 379, अबू दाऊद, हदीस 503 ।

2. अबू दाऊद, हदीस 502, ब्र सहीह मुस्लिम हदीस 379, तिर्मिजी, हदीस 192 ।

इसे इमाम अलबानी ने सहीह कहा है। अर्थात् दोहरी अज्ञान और दोहरी इकामत सिखाई मगर अफ़सोस कि कुछ लोग केवल अपने फ़िक्रही मस्तक की पैरवी में इंतिहाई नाइंसाफ़ी से काम लेते हुए एक ही हदीस में बयान की गई दोहरी इकामत पर हमेशा अमल करते हैं मगर दोहरी अज्ञान हमेशा छाड़ देते हैं (कभी नहीं कहते) यद्यपि अज्ञान व इकामत को दोहरा, या इकहरा कहना, दोनों तरह सुन्नत से सावित है। इससे मातृम हुआ कि जब तक एक मुसलमान किसी ख़ास फ़िक्रह के तकलीदी बंधनों से रिहाई नहीं पाता वह नबी सल्ल० के आज्ञा पालन का हक अदा नहीं कर सकता अतः बेहतर यह है कि किसी मसले में विभिन्न इमामों के तर्कों का विश्लेषण करके कोई राय क़ायम की जाए। माना कि एक जाहिल आदमी ऐसा नहीं कर सकता मगर उलमा किराम तो जाहिल नहीं वह मुक़लिलद बनकर तस्वीर का केवल एक रुख लोगों को क्यों दिखाते हैं? ज़रा सोचें।

3. बुखारी, हदीस 609 ।

व्यक्ति के सवाब के बराबर जिसने (अज्ञान सुनकर) नमाज पढ़ी ।”¹

मतलब यह हुआ कि मुअज्जिन की आवाज सुनकर जितने आदमी मस्जिद में आकर नमाज पढ़ेंगे, उन सबको अपनी अपनी नमाज का पूरा सवाब तो मिलेगा ही मगर मुअज्जिन, तमाम नमाजियों के सवाब के बराबर और अधिक अज्र पाएगा। क्योंकि उसने उनको नमाज की तरफ बुलाया था।

हज़रत मुआविया रज़ि० से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्ल० से सुना : “क़्यामत के दिन अज्ञान देने वालों की गर्दनें लम्बी होंगी (अर्थात् अल्लाह का नाम बुलन्द करने की वजह से वह प्रमुख होंगे)।”²

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : “जब नमाज के लिए अज्ञान ही जाती है तो शैतान पीठ फेरकर भाग जाता है। जब अज्ञान ख़त्म हो जाती है तो वह आ जाता है। जब तकबीर कही जाती है तो वह पीठ फेरकर भागता है। जब तकबीर ख़त्म होती है तो फिर आ जाता है और नमाजी के दिल में वस्वसे डालता है। (फ़ला) फ़लां बात याद कर यहां तक कि आदमी को पता नहीं चलता कि उसने किस कद्र नमाज पढ़ी।”³

अज्ञान का जवाब देना:

हज़रत उमर रज़ि० रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : “जब मुअज्जिन कहे “अल्लाहु अकबर” तो तुम भी कहो “अल्लाहु अकबर” फिर जब मुअज्जिन कहे “अशहदु अल्ला इला-ह इल्लल्लाहु” तुम भी कहो “अशहदु अल्ला इला-ह इल्लल्लाहु” फिर जब मुअज्जिन कहे “अशहदु अन-न मुहम्मदरसूलुल्लाह” तो तुम भी कहो “अशहदु अन-न मुहम्मदरसूलुल्लाह” फिर जब मुअज्जिन कहे “हय-य-अ लस्सलाह” तो तुम कहो “ला हव-ल वला कुव्व-त इल्लाबिल्लाह” फिर जब मुअज्जिन कहे “हय-य-अ लल फ़लाह” तो तुम कहो “ला हव-ल वला कुव्व-त इल्ला बिल्लाह” फिर जब मुअज्जिन कहे, “अल्लाहु अकबर” तो तुम कहो “अल्लाहु अकबर” फिर जब मुअज्जिन कहे,

1. नसाई 2/13, इसे मुजिरी ने पक्का कहा है।

2. मुस्लिम, हदीस 387।

3. बुखारी, हदीस 608, मुस्लिम हदीस 389।

“ला इला-ह इल्लल्लाह” तो तुम कहो “ला इला-ह इल्लल्लाह”। जो व्यक्ति अपने सच्चे दिल से मुअज्जिन के कलिमात का जवाब देगा तो (जवाब की बरकत से) जन्नत में दाखिल हो जाएगा।”¹

हाफिज़ इब्ने हजर रह० फ़रमाते हैं “अस्सलातु ख़ैरूम मिनन्नोम” के जवाब में “सदक़-त व बरर-त” के शब्द की कोई असल नहीं। अतः फ़रज़ की अज्ञान में “अस्सलातु ख़ैरूम मिनन्नोम” के जवाब में भी यही कलिमा कहना चाहिए अर्थात् “अस्सलातु ख़ैरूम मिनन्नोम”।

तकबीर के दौरान या बाद में “अक्का-म-हल्लाहु व अदा-म-हा” कहने वाली, अबू दाऊद की रिवायत को इमाम नववी रह० ने ज़र्इफ़ कहा है।²

अज्ञान के बाद की दुआएँ :

हजरत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रजिय॑ रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : “जब तुम मुअज्जिन (की आवाज़ सुनो) तो तुम मुअज्जिन को जवाब दो और जब अज्ञान ख़त्म हो जाए तो फिर मुझ पर दुरूद भेजो तो जो मुझ पर एक बार दुरूद भेजता है अल्लाह उस पर दस बार रहमत भेजता है।”³

तो सब मुसलमान मर्दों और औरतों को चाहिए कि जब मुअज्जिन अज्ञान ख़त्म करे तो एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें :

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى
إِبْرَاهِيمَ وَعَلٰى اٰلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى
مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيمَ وَعَلٰى اٰلِ
إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

1. मुस्लिम, हदीस 385।

2. इसे हाफिज़ इब्ने हजर रह० ने भी ज़र्इफ़ कहा है अतः “कद का-म-तिस्सलाह” के जवाब में “कद का-म-तिस्सलाह” के शब्द ही कहे जाएं बाकी कलिमात का जवाब (हदीस के आदेश पर अमल करते हुए) अज्ञान के जवाब की तरह दिया जाएगा क्योंकि इकामत को भी अज्ञान कहा गया है। (बुखारी, हदीस 627) और देखें (मिश्कातुल मसाबीह तहकीकुल बानी, हदीस 670)

3. मुस्लिम, हदीस 384।

‘या इलाही रहमत भेज मुहम्मद और आले मुहम्मद पर जैसे रहमत

भेजी तूने इब्राहीम और आले इब्राहीम पर बेशक तू तारीफ किया गया, बुजुर्गी वाला है। या इलाही बरकत भेज मुहम्मद पर और आले मुहम्मद पर जैसे बरकत भेजी तूने इब्राहीम पर और आले इब्राहीम पर बेशक तू प्रशंसित, बुजुर्गी वाला है।’¹

हजरत जाविर रज़ि० रिवायत करते हैं कि रसूलल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : ‘जो व्यक्ति अज्ञान का (जवाब दे) और फिर अज्ञान ख़त्म होने पर यह दुआ पढ़े उसके लिए क़्रायामत के दिन मेरी शफ़ाअत वाजिब हो जाती है :

«اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدُّنْيَاةِ الْثَّامِنَةِ وَالصُّلُوْرَةِ الْقَائِمَةِ اتْمُحَمَّدَارَ الْوَسِيلَةَ وَالْقَضِيَّةَ وَابْنَتَهُ مَقَامَ مَحْمُودَةِ الْدِّينِ وَعَذَّبَهُ»

‘इस पूरी पुकार (अज्ञान) के और (क़्रायामत तक) क़्रायम रहने वाली नमाज़ के रब! मुहम्मद सल्ल० को वसीला और बुजुर्गी प्रदान कर और उन्हें मकामे महमूद में पहुंचा जिसका तूने उनसे वायदा किया है।’²

वसीले की तशरीह :

वसीले के बारे में खुद रसूलल्लाह सल्ल० फ़रमाते हैं : ‘वसीला जन्नत में एक दर्जा है जो केवल एक बन्दे के योग्य है और मैं उम्मीद रखता हूँ कि वह बन्दा मैं ही हूँ। अतः जिसने (अज्ञान की दुआ पढ़कर) अल्लाह से मेरे लिए वसीला मांगा उसके लिए (मेरी) शफ़ाअत वाजिब हो गई।’³

नबी सल्ल० के इश्शाद से मातृम हुआ कि वसीला जन्नत के एक बुलन्द व बाला दर्जे का नाम है।

दुआए अज्ञान में वृद्धि :

मसनून दुआए अज्ञान में कुछ लोगों ने कुछ अल्फ़ाज बढ़ा रखे हैं और वे शब्द नमाज़ की प्रचलित किताबों में भी मौजूद हैं। दुआए मसनून के सारे (वल फ़ज़ी-ल-त) के बाद ‘वद द-र-ज तर रफ़ी-अ-त’ की ज़्यादती करते हैं

1. सहीह बुखारी, हदीस 3370।

2. बुखारी, हदीस 614।

3. मुस्लिम, हदीस 384।

और आगे “व अद्तहु” के खालिस दूध में “वरजुकना शफ़ा-अ-तहु यौमल क्रियामति” का पानी मिला रखा है और फिर अन्त में मसनून दुआ के अंदर “या अरहमर्ाहिमीन” की मिलावट है। अफ़सोस! क्या नबी सल्ल० की फ़रमूदा दुआ में यह कमी रह गई थी जो बाद के लोगों ने अपनी वृद्धि से पूरी की है? मुसलमानों को रसूलुल्लाह सल्ल० के फ़रमान पाक में कमी या ज्यादती करने की कल्पना से कांप जाना चाहिए।

नबी सल्ल० ने रात को बा वुजू सोने से पहले पढ़ने के लिए एक दुआ बताई। हजरत बराओँ बिन आजिब रजिं० ने पढ़कर सुनाई तो “बिनबियि-क” की जगह “बि रसूलि-क” अर्थात् नबी की जगह रसूल कहा। तो नबी सल्ल० ने फ़रमाया कि मेरे बताए हुए शब्द नबी को रसूल से मत बदलो बल्कि “बि नबियि-क” ही कहो।


हजरत साअद बिन अबी विक्रास रजिं० रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : “जो व्यक्ति मुअज्जिन (की अज्ञान) सुनकर यह दुआ पढ़े तो उसके गुनाह बरखा दिए जाएंगे। दुआ यह है :

«أَشْهُدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ، رَضِيَتْ بِاللَّهِ رَبِّيَّا وَرِسَالَتِهِ وَرَسُولَهُ وَبِالإِسْلَامِ دِينِنَا»

“मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई (सच्चा) उपास्य नहीं वह एक है उसका कोई शरीक नहीं और मुहम्मद सल्ल० उसके बन्दे और रसूल

1. बुखारी, हदीस 247, 631, व मुस्लिम, हदीस 2710। इससे मालूम हुआ कि मसनून दुआएँ और विर्द तौकीफी (अल्लाह तआला की तरफ़ से) हैं और उनकी हैसियत इबादत की है अतः उनमें कमी ज्यादती जाइज़ नहीं अतः (किसी ठोस या दलील के बिना) वाहिद मुतक़ल्लिम के कलिमे को जमा के कलिमे से बदलना सही नहीं है उसके बजाए बेहतर यह है कि वाहिद मुतक़ल्लिम का कलिमा ही बोला जाए अबलता नीयत में यह रखा जाए कि मैं यही दुआ फ़लां फ़लां के हक्क में भी कर रहा हूं। और मसनून दुआओं और विर्द के होते हुए गढ़ी हुई अरबी दुआओं, विर्दों, वज़ीफ़ों और दुर्लदों का आयोजन करना सही नहीं है और अमर उनके कुछ शब्द शिर्क, कुक्क या बिदअत पर आधारित हों तो इस सूरत में उनका पढ़ना कदापि हराम हो जाता है लेकिन अफ़सोस कि जाहिल लोग रोज़ाना सुबह सवेरे पाबन्दी के साथ उनकी “तिलावत” करते हैं। अल्लाह हम सबको हिदायत दे। आमीन

हैं। मैं अल्लाह के पालनहार होने और मुहम्मद सल्ल० के रसूल होने और



अज्ञान व इक्कामत के मसाइल :

हर नमाज के समय अज्ञान देनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : “जब नमाज का समय आए तो तुम्हें से कोई एक अज्ञान कहे।”²

हज़रत बिलाल रज़ि० से उल्लिखित है कि वह अज्ञान कहते हुए कानों में उंगलियां डालते थे।³

“हय-य-अ-लस्सलाह” कहते समय मुँह दायीं तरफ़ फेरें और “हय-य-अ-लल फ़लाह” कहते समय बायीं तरफ़।⁴

हज़रत उसमान बिन अबी अलआस रज़ि० की रिवायत है कि नबी सल्ल० ने उनको उनकी कौम का इमाम मुकर्रर किया और फ़रमाया :

وَأَئِخْذْ مُؤْذِنًا لَا يَأْخُذْ عَلَى أَذَانِهِ أَخْرَى

“कि मुअज्जिन वह मुकर्रर कर जो अपनी अज्ञान पर मज़दूरी न ले।”⁵

मुअज्जिन वह मुकर्रर करना चाहिए जो बुलन्द आवाज़ वाला हो। हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद रज़ि० कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने उन्हें फ़रमाया : “बिलाल को अज्ञान सिखाओं क्योंकि वह तुमसे बुलन्द आवाज़ है।”⁶

एक सहाबिया रज़ि० फ़रमाती हैं कि मस्जिद के क़रीब तमाम घरों से मेरा मकान ऊंचा था और हज़रत बिलाल उस (मकान) पर (चढ़कर) फ़ज़र की अज्ञान देते थे।⁷

1. मुस्लिम, हदीस 386।

2. बुखारी, हदीस 628, 631, 819 व मुस्लिम हदीस 674।

3. बुखारी, हदीस 197।

4. बुखारी, हदीस 634 व मुस्लिम, हदीस 503।

5. अबू दाऊद, हदीस 531, तिर्मिज़ी, हदीस 209। इसे हाकिम (1/199, 201), ज़ेहबी ने सहीह कहा है।

6. अबू दाऊद, हदीस 499, तिर्मिज़ी हदीस 189। इसे इमाम नववी ने सहीह कहा है।

7. अबू दाऊद, हदीस 519, इब्ने हज़र ने हसन कहा है।

हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजिंह रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लूल्लाहून्ने एक आदमी को फ़रमाया : ‘‘जैसे मुअज्जिन कहता है तू भी उसी तरह जवाब दे फिर जब तू जवाब से फ़ारिग हो जाए तो (दुआ) मांग ! तू दिया जाएगा ।’¹

रसूलुल्लाह सल्लूल्लाहून्ने फ़रमाया : “अज्ञान और तकबीर के बीच अल्लाह तआला दुआ रद्द नहीं फ़रमाता ।”²

बीमारियों और महामारी के मौके पर लोग घर घर अज्ञाने देते हैं, यह सुन्नत से सावित नहीं। क्योंकि इस सिलसिले में पेश की जाने वाली तमाम रिवायात झईफ़ हैं।

“अस्सलातु खैरुम मिनन्नोम” के शब्द सिवाएँ अज्ञान फ़जर के किसी और अज्ञान में नहीं कहने चाहिए।

इकामत, अज्ञान के फ़ौरन बाद नहीं होनी चाहिए क्योंकि नबी सल्लूल्लाहून्ने फ़रमाया कि : “अज्ञान और तकबीर के बीच नफ़्ल नमाज़ का समय होता है ।”³

सुबह सवेरे से कुछ देर पहले वाली अज्ञान जाइज है। नबी सल्लूल्लाहून्ने फ़रमाया : “तुम्हें बिलाल की अज्ञान सहरी खाने से न रोके बल्कि वह रात को अज्ञान देते हैं ताकि तहज्जुद फ़ढ़ने वाला (आराम की तरफ़) लौट आए और सोने वाला (नमाज़ फ़जर के लिए) ख़बरदार हो जाए ।”⁴

नबी सल्लूल्लाहून्ने फ़रमाया : “जब इकामत हो जाए तो फ़जर नमाज़ के अलावा कोई नमाज़ नहीं होती ।”⁵

1. अबू दाऊद, हदीस 524। इसे इमाम इब्ने हिबान (हदीस 295) ने सहीह कहा है।

2. मुस्नद अहमद (3/225), इब्ने खुज़ैमा (हदीस 426-427) इसे इमाम इब्ने हिबान ने सहीह कहा है।


3. बुखारी, हदीस 624 व मुस्लिम हदीस 838।

4. सहीह बुखारी, हदीस 621।

5. मुस्लिम, हदीस 710। अतः अगर आदमी सुन्नतें आदि तोड़कर फ़र्ज में शामिल होगा तो उसे वह सुन्नतें दोबारा पढ़नी होंगी फिर भी पढ़ी हुई रकअतों का सवाब उसे मिल जाएगा और अगर वह जमाअत की परवाह न करते हुए सुन्नतें जारी रखेगा तो फिर “नेकी बर्बाद गुनाह लाज़िम” वाला मुहावरा पूरा हो जाएगा।

शेष अंगते पृष्ठ पर

रसूलुल्लाह सल्ल० ने मैदाने अरफ़ात में दो नमाजें इकट्ठी पढ़ीं। आपने



अज्ञान एक बार दलवाइ आर हर नमाज का इक्कामत अलग अलग कहलवाइ।

रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : “जब इक्कामत कही जाए तो पंक्ति में शामिल होने के लिए न भागो बल्कि आराम के साथ चलते हुए आओ जो नमाज तुम (इमाम के साथ) पा लो वह ठीक है और जो रह जाए उसे बाद में पूरा करो।”²

हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : “निःसन्देह बिलाल रात के समय अज्ञान देते हैं अतः तुम खाओ और पियो।” (बिलाल की अज्ञान सुनकर सहरी खाना न छोड़ो)।³

हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि० की हदीस में इस पहली अज्ञान की हिक्मत यह है कि बिलाल रज़ि० की अज्ञान इसलिए होती ताकि नमाजे तहज्जुद अदा करने वाला (नमाज़े फ़ज़्र की तैयारी के लिए) कुछ आराम कर ले और जो सोया हुआ हो वह (नमाज़ फ़ज़्र के लिए) जाग जाए।⁴

इस अज्ञान और नमाज़ फ़ज़्र की अज्ञान में इतना समय नहीं होता था जितना कि आजकल किया जाता है। हजरत आइशा रज़ि० फ़रमाती हैं दोनों मुअ़िज्जिनों के बीच केवल इस कद्र समय होता था कि एक अज्ञान देकर उतरता और दूसरा अज्ञान के लिए चढ़ जाता।⁵

एक व्यक्ति अज्ञान सुन्नकर मस्जिद से निकला हजरत अबू हुरैरह रज़ि० ने फ़रमाया कि निःसन्देह इस व्यक्ति ने अबुल क्रासिम सल्ल० की अवज्ञा की।⁶

अतः नमाजियों को चाहिए कि अगर वह तशह्दूद के क़रीब न पहुंचे हों तो फ़ौरन सुन्नतें तोड़ कर जमाअत के साथ शामिल हो जाएँ हां अगर कोई व्यक्ति यही नमाज उससे पहले जमाअत के साथ अदा कर चुका है तो फिर वह सुन्नतें जारी रख सकता है।

1. मुस्लिम, हदीस 1218।
2. बुखारी, हदीस 636, 908 व मुस्लिम, हदीस 602।
3. बुखारी, हदीस 622, 623, 1919 व मुस्लिम, हदीस 1092।
4. बुखारी, हदीस 621 व मुस्लिम, हदीस 1093।
5. सहीह मुस्लिम, हदीस 1092।
6. मुस्लिम, हदीस 655। शरई कारण या नमाज की तैयारी के सिलसिले में बाहर जाना पड़े तो फिर जाइज़ है।

नबी सल्ल० ने फ्रमाया : “जो नमाज़ का इरादा करे तो मानो वह नमाज़ ही में है।”¹


हमीद रिवायत करते हैं कि मैंने साबित बनानी से पूछा : क्या नमाज़ की इकामत हो जाने के बाद इमाम बातें कर सकता है? तो उन्होंने मुझे अनस बिन मालिक रज़ि० की हदीस बयान की कि एक बार नमाज़ की इकामत हो चुकी थी। इतने में एक व्यक्ति आया और इकामत हो जाने के बाद नबी सल्ल० से बातें करता रहा।²

एक बार नमाज़ की इकामत हो गई। लोगों ने पंक्तियां बराबर कर लीं, इतने में रसूलुल्लाह सल्ल० को याद आया कि आप जुंबी हैं आपने लोगों से कहा अपनी जगह खड़े रहो। फिर आपने (घर जाकर) मुस्ल फ्रमाया और जब आप वापस तशरीफ लाए तो आपके सर से पानी ट्यूक रहा था, फिर आपने नमाज़ पढ़ाई।³

1. मुस्लिम, हदीस 602। अर्थात् अगर वह अकारण सुस्ती से काम न ले तो जब तक वह नमाज़ नहीं पढ़ लेता, उसे नमाज़ का सवाब निरंतर मिल रहा होता है।

2. बुखारी, हदीस 643।

3. बुखारी, हदीस 640। भूल जाना इंसानी आदत है आप सल्ल० मनुष्य थे इसीलिए भूल गए। यह भी साबित हुआ कि भूलना शाने रिसालत के खिलाफ नहीं है।



किबला के आदेश : एक बड़े स्तर पर निकाय फ़िलीम में लोकप्रिय लघाती वज्र
रसूलुल्लाह सल्ल० सवारी पर (नफ़्ल या वित्र) नमाज अदा कर रहे थे
तो जिधर सवारी का मुंह होता उसी तरफ़ नबी सल्ल० का रुख होता :

«كَانَ النَّبِيُّ يَصْلِي فِي السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهُتْ بِهِ،
بُوْنِمُ إِنْتَاءً، صَلَاةُ الْلَّيْلِ إِلَى الْسَّفَرِ أَيْضًا وَبُوْتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ»

‘नबी सल्ल० दौराने सफ़र फ़र्जी के अलावा, रात की नमाज, अपनी
सवारी पर, इशारे से पढ़ते थे। और सवारी पर ही वित्र पढ़ते थे।’^१

और कभी नबी सल्ल० का यह प्रामूल भी देखने में आता कि जब ऊंटनी
पर नवाफ़िल अदा करने का इसी फ़रमाते तो ऊंटनी का मुंह किबला रुख
करते और तकबीर तहरीम कहकर नमाज शुरू फ़रमा देते उसके बाद
नवाफ़िल अदा फ़रमाते रहते जिस तरफ़ भी सवारी का रुख होता।^२

इस सूत में आप रुकूअ और सज्दा सर के इशारे से करते अलबत्ता
सज्दे की हालत में रुकूअ के मुकाबले सर को ज्यादा झुका लेते।^३

जब फ़र्ज नमाज अदा करना मक्सूद होता तो सवारी से उतरते और
किबला रुख खड़े हो जाते।^४

किबले के बारे में नबी सल्ल० का इरशाद है : “उत्तर और दक्षिण के
बीच (पश्चिम की तरफ़) तमाम सिन्ध किबला है।”^५

1. बुखारी, हदीस 1000, व मुस्लिम हदीस 700।

2. अबू दाऊद, हदीस 1225। इसे इब्ने हिबान और इब्ने मुल्कन आदि ने सहीह
और मुंजिरी ने हसन कहा है।

3. तिर्मिजी हदीस 351। इसे इमाम तिर्मिजी ने सहीह कहा है।

4. बुखारी, हदीस 1099।

5. तिर्मिजी, हदीस 342, 344। इस हदीस को इमाम तिर्मिजी ने हसन कहा है।
चूंकि दूर के लोगों के लिए ठीक खाना काबा की तरफ़ रुख करना मुश्किल था इसलिए
बैतुल्लाह के दाएं बाएं सारी दिशाओं को किबला करार दिया।

क्रिबला की तरफ़ कब्र होने की सूरत में वहां से हट कर नमाज़ अदा करनी चाहिए। आप सल्ल० ने फ़रमाया कि : “कब्रों की तरफ़ मुंह करके नमाज़ अदा न करो और न कब्रों पर बैठो ।”¹

सुतरा का बयान :

यहां सुतरा से मुराद वह चीज़ है जिसे नमाज़ी अपने आगे खड़ा करके नमाज़ पढ़ता है ताकि उसके आगे से गुज़रने वाला (सुतरा के आगे से गुज़र जाए और) गुनाहगार न हो। यह सुतरा, लाठी, बरछी, लकड़ी, दीवार, सुतून और पेड़ आदि से होता है और इमाम का सुतरा सब नमाज़ियों के लिए काफ़ी होता है।

हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया :

«إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّخْلِ فَلْيُصْلِلْ وَلَا يُبَالِ مِنْ مَرْوَأَةٍ ذَلِكَ»

“जब तुम्हारा एक व्यक्ति अपने सामने पालान की पिछली लकड़ी के बराबर (कोई चीज़) रख ले तो नमाज़ जारी रखे और जो कोई उसके सामने से गुज़रे उसकी परवाह न करे ।”²

हज़रत अता फ़रमाते हैं कि पालान के पिछले हिस्से की लकड़ी क़रीब एक हाथ या उससे कुछ ज्यादा (लम्बी) होती है।³

मालूम हुआ कि लगभग एक हाथ लम्बी लकड़ी या कोई और चीज़ सुतरा बन सकती है।

हज़रत अबू हुज़ैफ़ा रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने बतहा में लोगों को नमाज़ पढ़ाई नबी सल्ल० के सामने एक बरछी गड़ी थी। आपने दो रकअत झोहर की नमाज़ पढ़ाई और दो रकअत अस्व की। उस समय बरछी के दूसरी तरफ़ औरतें और गधे चले जा रहे थे।⁴

1. सहीह मुस्लिम, हदीस 972।

2. मुस्लिम, हदीस 499।

3. अबू दाऊद, हदीस 686। इसे इब्ने खुज़ैमा (हदीस 807) ने सहीह कहा है।

4. बुखारी, हदीस 495, व मुस्लिम, हदीस 503।

नमाज़ी के आगे से गुजरने का गुनाह :

रसूलुल्लाह सल्लू० ने फ़रमाया : “अगर नमाज़ी के सामने से गुजरने वालों को गुजरने की सज्जा मालूम हो जाए तो उसे एक क़दम आगे बढ़ने की बजाए चालीस (दिन, माह या चालीस साल) तक वहीं खड़े रहना पसन्द हो।”¹

रसूलुल्लाह सल्लू० ने फ़रमाया : “तुम नमाज़ अदा करते समय आगे सुतरा खड़ा करो और अगर कोई व्यक्ति सुतरा के अंदर (अर्थात् नमाज़ी और सुतरा के बीच) से गुजरना चाहे तो उसकी रोक थाम करो और उसको आगे से न गुजरने दो। अगर वह न माने तो उससे लड़ाई करो। निःसन्देह वह शैतान है।”²

एक रिवायत में है कि दो बार तो उसको हाथ से रोको अगर वह न रुके तो उससे हाथापाई से भी परहेज़ न किया जाए (क्योंकि) वह शैतान है।³

5. नबी सल्लू० सुतरा और अपने बीच में से किसी चीज़ को गुजरने न देते थे। एक बार आप नमाज़ अदा फ़रमा रहे थे कि एक बकरी दौड़ती हुई आई वह आपके आगे से गुजरना चाहती थीं आपने अपना पेट मुबारक दीवार के साथ लगा दिया।⁴

रसूलुल्लाह सल्लू० की नमाज़ की जगह और दीवार के बीच एक बकरी के गुजरने का फ़ासला होता था।⁵

रसूलुल्लाह सल्लू० ने फ़रमाया : “अगर नमाज़ी के आगे ऊंट के पालान की पिछली लकड़ी का लम्बा सुतरा न हो और बालिग औरत, गधा या सियाह कुत्ता आगे से गुजर जाए तो नमाज़ टूट जाती है और सियाह कुत्ता शैतान है।”⁶

1. बुखारी, हदीस 510, मुस्लिम, हदीस 507।
2. बुखारी, हदीस 509, व मुस्लिम हदीस 505
3. इन्हे खुजैमा, हदीस 818, और उन्होंने इसे सही कहा।
4. इन्हे खुजैमा, हदीस 827। इसे इमाम हाकिम और ज़ेहबी ने सहीह कहा है।
5. बुखारी, हदीस 496।
6. मुस्लिम, हदीस 510। इमाम अहमद रह० फ़रमाते हैं कि औरत और गधा के मसले में मेरा दिल सन्तुष्ट नहीं है। इमाम मालिक, शाफ़ी, अबू हनीफ़ा और पहले के शेष अगले पुष्ट पर

हज़रत आइशा रज़ि० से रिवायत है कि मैं रसूलुल्लाह सल्ल० के आगे सोती थी। मेरे पांव आपके सामने होते थे। जब आप सज्जा करते तो मैं अपने पांव समेट लेती और जिस समय आप खड़े होते तो पांव फैला देती। उन दिनों घरों में चिराग नहीं होते थे।”¹

मालूम हुआ कि गुजरना मना है। अगर आगे कोई लेटा हो तो कोई हरज नहीं।

उलमा व बाद वाले फ़रमाते हैं कि नमाज़ी के सामने से किसी चीज़ के गुज़रने से उसकी नमाज़ बातिल नहीं होती बल्कि “यक्त-तउस्सलात” का मतलब यह है कि नमाज़ में दिल की विनम्रता व भय क़ायम नहीं रहता जिसकी वजह से नमाज़ में ख़राबी और कमी पैदा हो जाती है। (अल मिंहाज़ फ़ी शरह सहीह मुस्लिम)

1. बुखारी, हदीस 513, मुस्तिम, हदीस 512। हज़रत आइशा रज़ि० का मतलब यह था कि अंथेरे की वजह से आपका ध्यान मेरी तरफ़ होने की सम्भावना न थी।

जमाअत के साथ नमाज़

महत्व :

हजरत इब्न मसउद रजिं ने फ्रमाया कि :

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِمَنَا سُنَّ الْهُدَىِ
الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يُؤْذَنُ فِيهِ - وَفِي رِوَايَةِ - وَلَوْ أَكْنُمْ
صَلَائِمُكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصْلِبُ هَذَا الْمُتَحَلَّفُ فِي بَيْتِهِ لَرَكِنْتُمْ
سُنَّتَنِيْكُمْ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّتَنِيْكُمْ لَضَلَّلْتُمْ، وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَنْظَهِرُ
فَيُخْسِنُ الطَّهُورَ ثُمَّ يَغْيِدُ إِلَى مَسْجِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ، إِلَّا كَتَبَ
اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ حَسَنَةٌ، وَيَرْفَعُ بِهَا مَرَجَةً وَيَخْطُ عَنْهُ بِهَا سَيِّنةً
وَمَا يَتَحَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَغْلُومٌ لِغَنَاقٍ وَلَقَدْ كَانَ لِرَجُلٍ يُؤْنِي بِهِ
بِهَاذِي بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ يَقْامُ فِي الصَّفَّ

“निःसन्देह रसूलुल्लाह सल्लो ने हमें हिदायत के तरीके सिखाए, उन हिदायत के तरीकों में यह बात भी शामिल है कि : “उस मस्जिद में नमाज अदा की जाए जिसमें अज्ञान दी जाती है। (और एक रिवायत में है कि उन्होंने फ्रमाया :) “अगर तुम नमाज अपने अपने घरों में पढ़ोगे जैसे (जमाअत से) पीछे रहने वाला यह व्यक्ति अपने घर में पढ़ लेता है तो तुम अपने नबी की सुन्नत छोड़ दोगे और अगर नबी सल्लो की सुन्नत छोड़ दोगे तो गुमराह हो जाओगे और (यह बात भी शामिल है कि) जब कोई व्यक्ति अच्छा बुजू करके मस्जिद जाए तो अल्लाह तआला हर क़दम के बदले एक नेकी लिखता है, एक दर्जा बुलन्द करता है और एक बुराई मिटा देता है। सिवाए खुले कपटी के कोई पीछे नहीं रहता। बीमार भी दो आदमियों के सहारे नमाज को आता था।”

1. रसूलुल्लाह सल्लो ने फ्रमाया : “अकेले व्यक्ति की नमाज से,

1. मुस्लिम, हदीस 654।

जमाअत के साथ नमाज पढ़ना सत्ताइस दर्जे ज्यादा (सवाब) रखता है।”¹

2. रसूलुल्लाह सल्लो ने फ़रमाया : “उस ज़ात की क़सम जिसके हाथ में मेरी जान है अलबत्ता मैंने इरादा किया कि मैं लकड़ियां जमा करने का हुक्म दूँ। फिर अज्ञान कहलवाऊं और किसी व्यक्ति को इमामत के लिए कहूँ फिर उन लोगों के घर जला दूँ जो नमाज (जमाअत) में हाज़िर नहीं होते।”²

हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उम्मे मक्तूम रज़िया नाबीना थे, उन्होंने अपने अंधे होने की बात पेश करके अपने घर पर नमाज पढ़ने की इजाज़त चाही तो नबी सल्लो ने फ़रमाया : “अज्ञान सुनते हो? अब्दुल्लाह ने कहा, जी हाँ! आपने फ़रमाया : “तो फिर नमाज में हाज़िर हो।”³

भाइयो सोचो! नाबीना को घर में नमाज पढ़ने की इजाज़त न मिल सकी और आंखों वाले जो अज्ञान सुनकर मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाते क़ियामत के दिन उनका क्या हाल होगा?

औरतों को मस्जिद में आने की इजाज़त

रसूलुल्लाह सल्लो ने फ़रमाया : “जब तुम्हारी औरत मस्जिद की तरफ जाने की इजाज़त मांगे तो उसे कदापि मना न करो।”⁴

हज़रत इब्ने उमर रज़िया से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लो ने फ़रमाया : “तुम अपनी औरतों को (नमाज पढ़ने के लिए) मस्जिद में आने से मना न करो, यद्यपि उनके घर उनके लिए बेहतर हैं।”⁵

रसूलुल्लाह सल्लो ने फ़रमाया : “औरत का कमरे में नमाज पढ़ना सेहन में नमाज पढ़ने से बेहतर है। और उसका कोठरी में नमाज पढ़ना खुले मैदान में नमाज पढ़ने से बेहतर है।”⁶

1. बुखारी, हदीस 645, 649 व मुस्लिम, हदीस 650।


2. बुखारी, हदीस 644, 657 व मुस्लिम, हदीस 651।

3. मुस्लिम, हदीस 653।

4. बुखारी, हदीस 873 व मुस्लिम, हदीस 442। इससे मालूम हुआ कि हर मस्जिद में औरतों के लिए नमाज पढ़ने का हर संभव व्यवस्था होनी चाहिए।

5. अबू दाऊद, हदीस 567। इमाम हाकिम (1/209) इमाम खुज़ैमा (हदीस 1684) और इमाम ज़ेहबी ने इसे सहीह कहा है।

6. अबू दाऊद, हदीस 570। इसे इमाम हाकिम 209, इब्ने खुज़ैमा (1688, 1690) और इमाम ज़ेहबी ने सहीह कहा।



नमाज़ बाजमाअत के विभिन्न मसाइल :

1. रसूलुल्लाह सल्लो ने फरमाया :

إِذَا أُنِمْتَ الصَّلَاةُ وَوَجَدَ أَحَدُكُمُ الْخَلَاءَ فَلْيَنْدِأْ بِالْخَلَاءِ،

“अगर जमाअत खड़ी हो जाए और किसी व्यक्ति को पेशाब आदि की हाजत हो तो पहले उससे फ्रागत हासिल करे (फिर नमाज़ पढ़े)।²

2. जो व्यक्ति अज्ञान सुनकर मस्जिद में जमाअत के लिए बिना किसी शर्ती कारण के न पहुंचे (और घर में नमाज़ पढ़ ले) तो रसूलुल्लाह सल्लो ने फरमाया : “उसकी नमाज़ कुबूल नहीं की जाती।”³

3. जिस जगह तीन आदमी हों और वे जमाअत से नमाज़ न पढ़ें तो उन पर शैतान विजयी होता है।⁴

4. रसूलुल्लाह सल्लो ने फरमाया : “अगर शाम का खाना तैयार हो और नमाज़ का समय हो जाए तो पहले खाना खाओ और खाना खाने में जल्दी न करो।” हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियो का खाना तैयार होता और जमाअत भी खड़ी हो जाती तो वह उस समय तक नमाज़ के लिए न आते जब तक खाना न खा लेते, यद्यपि वह इमाम की क्रिअत भी सुन रहे होते थे।⁵

5. सर्दी और बारिश की रात में रसूलुल्लाह सल्लो ने घरों में नमाज़ पढ़ने

1. मुस्लिम हदीस 443। मक्कसद यह है कि मस्जिद जाने वाली औरत हर उस काम से बचे जिससे वह लोगों की निगाहों का केन्द्र बने।

2. तिर्मिज़ी, हदीस 142, अबू दाऊद, हदीस 88। और इसमें “सुम्म यूसल्लू” के शब्द नहीं हैं। इसे इमाम तिर्मिज़ी, हाकिम और ज़ेहबी ने सहीह कहा है।

3. इब्ने माजा, हदीस 793। इसे इब्ने हिबान, हाकिम और ज़ेहबी ने सहीह कहा है। और अधिक देखिए, अरवाउल गलील, लिल अलबानी, 2/337।

4. अबू दाऊद, हदीस 547। नसाई 2/107-107। इसे इमाम हाकिम (1/246) इनो खुजैमा, इब्ने हिबान, ज़ेहबी और इमाम नववी ने सहीह कहा है।

5. बुखारी, हदीस 673, 5464, मुस्लिम हदीस 559।

की इजाजत दी है।

पंक्तियों में मिलकर खड़ा होने का हुक्म :

रसूलुल्लाह सल्लो ने फरमाया :

«سْتَوُا صُفُوقَكُمْ فَإِنَّ تَسْرِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ»

“अपनी पंक्तियों को बराबर करो। निःसन्देह सफ़ों का बराबर करना नमाज़ के कायम करने में से है।”²

क़ुरआन हकीम में है :

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ (البقرة/٢٥)

“और नमाज़ कायम करो।” (सूरह बक्रा 2 : 43)

अर्थात् अरकान और सुनन के अनुसार से नमाज़ पढ़ो। रसूलुल्लाह सल्लो फ़रमाते हैं कि “ :सफ़ों का सीधा करना भी नमाज़ के कायम करने में दाखिल है।” इससे मालूम हुआ कि पंक्तियों का टेढ़ा होना नुक्सान का कारण है।

रसूलुल्लाह सल्लो ने फ़रमाया “पंक्तियों को सीधा करो क्योंकि पंक्ति को सीधा करना नमाज़ के हुस्न में से है।”³

हज़रत नोमान बिन बशीर रजि० रियायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लो हमारी पंक्तियों को (ऐसा) बराबर करते मानो उनके साथ तीरों को बराबर करते हों। यहां तक कि हमने नबी सल्लो से पंक्तियों का सीधा करना समझ लिया। एक दिन आप (जमाअत के लिए) खड़े हुए और तकबीर कहने को थे

1. बुखारी हदीस 666, व मुस्लिम, हदीस 697।

2. बुखारी, हदीस 723 व मुस्लिम, हदीस 433।

3. बुखारी, 722, मुस्लिम हदीस 435।

4. मुहावरे के मुताविक्त तो यूं कहना चाहिए कि पंक्ति तीर की तरह सीधी हो जाती थी लेकिन जब उसके विपरीत यूं कहा गया कि तीर अगर पंक्ति की तरह सीधा कर दिया जाए तो निश्चय ही निशाने को जा लगे तो उसमें ज्यादा अतिश्योक्ति पाई जाती है। मक्सद भी यही है कि पंक्तियां अत्यन्त सीधी होती थीं यहां तक कि उनकी मदद से निशाने की तरफ तीरों का रुख़ भली प्रकार सीधा किया जा सकता था।

कि एक व्यक्ति को देखा उसका सीना पंक्ति से बाहर निकला हआ था। तो

फ्रमाया : “अपनी पंक्तियों को बराबर और सीधा करो वरना अल्लाह तआला तुममें मतभेद डाल देगा।”¹

उल्लिखित हदीस की रू से पंक्तियों का सीधा करना अत्यन्त ज़रूरी है। इक़ामत हो चुकने के बाद जब सफ़े सीधी सही और बराबर हो जाएं तो फिर इमाम को तकबीरे ऊला कहनी चाहिए।

खबरदार! पंक्तियां टेढ़ी न हों कि पंक्तियों का टेढ़ापन आपसी फूट, दिलों के मतभेद और आन्तरिक कदूरत का कारण है।

हज़रत अनस रज़िया से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लाहू ने फ्रमाया : “अपनी पंक्तियां मिली हुई रखो (अर्थात् कंधे से कंधा और क्रदम से क्रदम मिलाकर खड़े हो) और पंक्तियों के बीच नज़दीकी करो, (अर्थात् दो पंक्तियों के बीच इतना फ़ासला न छोड़ो कि वहां एक और पंक्ति खड़ी हो सके) और गर्दनें बराबर रखो। (अर्थात् सब बराबर जगह पर खड़े हो कि गर्दनें बराबर हों)। क्रसम है उस ज्ञात की जिसके हाथ में मेरी जान है मैं शैतान देखता हूं जो पंक्ति की दराङों में दाखिल होता है मानो कि वह बकरी का स्थाह बच्चा है।”²

हज़रत नोमान बिन बशीर रज़िया से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लाहू ने लोगों की तरफ़ मुँह करके फ्रमाया :

“लोगो! अपनी पंक्तियां सीधी करो। लोगो! अपनी पंक्तियां सही करो। लोगो! अपनी पंक्तियां बराबर करो। सुनो! अगर तुमने पंक्तियां सीधी न कीं तो अल्लाह तआला तुम्हारे दिलों में मतभेद और फूट डाल देगा। फिर तो यह कहालत हो गयी कि हर व्यक्ति अपने साथी के टख़ने से टख़ना, घुटने से घुटना और कंधे से कंधा चिपका देता था।”³

हज़रत अनस रज़िया से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लाहू ने फ्रमाया : “पंक्तियों को सीधा किया करो क्योंकि मैं तुम्हें पीछे से भी देखता हूं।” (यह

1. मुस्लिम, हदीस 436।

2. अबू दाऊद, हदीस 667। इसे इमाम इब्ने हिबान (387) और इब्ने खुजैमा (1545) ने सहीह कहा है।

3. अबू दाऊद, हदीस 662, इब्ने हिबान (396) ने इसे सहीह कहा है।

आपका चमत्कार था), अनस रजिं० कहते हैं कि हममें से हर व्यक्ति (पंक्तियों में) अपना कंधा दूसरे के कंधे से और अपना क्रदम दूसरे के क्रदम से मिला देता था।¹

1. बुखारी, हदीस 718, 725। इस हदीस में आप सल्ल० के एक चमत्कार का उल्लेख है। चमत्कार या करामत की हकीकत समझने के लिए निम्न बातें विचारणीय हैं :

1. इंसान का बुजूद, उसकी अकल, ताक़त, समस्त आदतें, स्वभाव और गुण सब अल्लाह तआला की प्रदान की हुई हैं।

2. इंसानी आदत और रुटीन है कि जिस काम में भी किसी आदमी की अकल और ताक़त ख़र्च होती है वह काम कितना ही अनोखा क्यों न हो दूसरे आदमी भी मेहनत और अभ्यास करके वह काम कर ही लेते हैं।

3. लेकिन जब किसी आदमी से ऐसा काम हो जो आम कानूने कुदरत से हटा हुआ हो, उसमें किसी ज्ञान या कला का हाथ न हो और संसाधनों को भी इस्तेमाल में न लाया गया हो और हर आम व खास उसके मुकाबले से या तो सिरे से ही विवश हो या साधनों के बिना विवश हो तो इसका मतलब यह है कि जिस आदमी से यह कारनामे होते हैं उसमें मात्र उसकी अकल और ताक़त काम नहीं कर रही बल्कि उसे किसी परोक्ष ताक़त की “अनदेखी मदद” हासिल है।

4. अगर ऐसा काम किसी नबी और रसूल से हो तो उसे मोजिज्ञा (चमत्कार) कहते हैं, और अगर किसी सही अक़ीदा, आलिमे दीन और मुत्तबअ० सुन्नत (वली अल्लाह) से हो तो उसे करामत कहते हैं।

5. लोगों से अविद्या व रुसूल की सच्चाई मनवाने के लिए अल्लाह तआला उन्हें आम तौर पर दो चीजों से नवाज़ते हैं : 1. दलील व बुरहान की ताक़त, 2. विभिन्न मोजिज्ञात (चमत्कार) का होता।

6. यह तो हो सकता है कि किसी नबी को मोजिज्ञा न मिले मगर ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसे दलील व निशानी की ताक़त से वंचित रखा गया हो।

7. जिस नबी को भी मोजिज्ञा मिला, उसने कभी यह दावा नहीं किया कि संसाधनों को इस्तेमाल में लाए बिना हर क्रिस्म का कारनामा कर दिखाना मेरी ताक़त में है या मेरे पद में यह दाखिल है और न ही उसके सहाबा ने यह अक़ीदा रखा कि वह उन मोजिज्ञों की बुनियाद पर साधनों के बिना दूसरे इंसानों का हाज़त पूरी करने वाला और मुश्किल हल करने वाला है।

8. किसी भी नबी की दावत (अक़ीदा व अमल) की सच्चाई : 1. कुरआन पाक,

2. मक्खबूल अहादीस, 3. सहाबा किराम रज्जिं ० सूझ बूझ वं अमल और 4. उम्मत के उलमा से परखी जाएगी। अगर उसकी दावत और कार्य विधि उस स्तर पर पूरी उंतरती है तो उससे ज्ञाहिर होने वाला खिलाफ़े आदत काम “करामत” होगा वरना नहीं।

9. अगर बदअक्रीदा और बदअमल होने के बावजूद उससे उमूर अजीबा ज्ञाहिर होते हैं तो उसकी दो ही वजहें हो सकती हैं : 1. अल्लाह ने उसकी रस्सी लम्बी कर दी है ताकि वह और उसके अनुयायी ज्यादा से ज्यादा अज्ञावे आखिरत के हकदार बनें। (2) उसने विभिन्न शिकिया “अमल” करके जिन्नों और शैतानों की समीपता हासिल की है जो उसके साथ, नज़र न आने वाला सहयोग करते और उसे पेशगी खबरें पहुंचाते हैं।

10. मतलब यह कि मोजिज़ा और सच्ची करामत अल्लाह की गैबी मदद, ताक़त और हुक्म से सामने आती है जबकि झूठी करामतों में शैतान की अनदेखी मदद काम कर रही होती है। बन्दा अपनी ताक़त से ऐसे अजीब कामों का प्रदर्शन नहीं कर सकता।

11. हालत नमाज़ में किबला रुख़ होने के बावजूद पीछे खड़े नमाजियों पर नज़र रखना, वास्तव में नबी अकरम सल्ल० का मोजिज़ा था मगर यह कैफियत हर समय नहीं होती थी बल्कि जब अल्लाह चाहता था ऐसे होता था और जब नहीं चाहता था, नहीं होता था। अतएव सहीह हदीस में है कि आप सल्ल० नमाज पढ़ा रहे थे जब “समीअल्लाहु लिमन हमिदा” कहा तो पीछे से एक आदमी ने यह दुआ पढ़ी “रब्बना व लकल हम्दन” तो सलाम फेरने के बाद आपने फ़रमाया “मिनल मुतक़ल्लिम?” (दुआ किसने पढ़ी थी?) (अल हदीस बुखारी, अध्याय 126, हदीस 799)

12. एक रात नबी अकरम सल्ल० अपने विस्तर से उठकर बाहर चले गए, हज़रत आइशा रज्जिं भी उनके पीछे बाहर निकल गई। आप सल्ल० ने बङ्गीउल गरङ्गद (मदीना मुनव्वरा का क़ब्रिस्तान) पहुंचकर दुआए म़ाफ़िरत की और वापस आ गए। हज़रत आइशा रज्जिं उनसे पहले अपने विस्तर पर पहुंचने में कामयाब हो गई लेकिन सांस चढ़ी (फूली) हुई थी। नबी अकरम सल्ल० ने वजह मालूम की, हज़रत आइशा रज्जिं ने टालना चाहा, आपने फ़रमाया “आइशा! बता दो वरना मेरा अल्लाह मुझे बता देगा।” इस पर हज़रत आइशा रज्जिं ने सारी बात सुना दी। (मुस्लिम, हदीस 974) इससे मालूम हुआ कि घर से निकलते समय हज़रत आइशा रज्जिं को मालूम न था कि नबी अकरम सल्ल० किथर और क्यों जा रहे हैं और नबी सल्ल० को भी मालूम न हुआ कि आइशा भी मेरे पीछे गई थी?

इस घटना से यह गलतफ़हमी भी दूर हो जानी चाहिए कि “आप सल्ल० चूंकि प्राणी होने की वजह से नूरम मिन नूरिल्लाह थे अतः रात को आपकी मौजूदगी में गुमशुदा सूई भी नज़र आ जाया करती थी, चिराग जलाने की ज़रूरत पेश नहीं आती थी।”

हजरत बराअ बिन आजिब रजि० रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० पंक्ति के अंदर आते, हमारे सीनों और कंधों को बराबर करते और फ़रमाते थे : “आगे पीछे मत हो। (वरना) तुम्हारे दिल भी अलग अलग हो जाएंगे ।” और फ़रमाते थे : “अल्लाह तआला पहली पंक्ति वालों पर अपनी रहमत भेजता है और फ़रिश्ते उनके लिए (रहमत की) दुआ करते हैं ।”¹

हजरत नोमान बिन बशीर रजि० से रिवायत है कि जब हम नमाज़ के लिए खड़े होते तो रसूलुल्लाह सल्ल० हमारी पंक्तियों को बराबर करते थे जब पंक्तियां बराबर हो जातीं तो (फिर) आप अल्लाहु अकबर कहकर नमाज़ शुरू करते ।²

हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजि० से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : “पंक्तियों को क़ायम करो, कंधे बराबर करो, (पंक्तियों के अंदर) उन जगहों को पूर करो जो ख़ाली रह जाएं, अपने भाइयों के हाथों में नर्म हो जाओ, पंक्तियों के अंदर शैतान के लिए जगह न छोड़ो । और जो व्यक्ति पंक्तियां मिलाएगा अल्लाह भी उसे (अपनी रहमत से) मिलाएगा ।”³

अपने भाइयों के हाथों में नर्म हो जाने का मतलब है कि अगर पंक्ति सही करने के लिए कोई तुमको आगे या पीछे करे तो बड़ी नर्मी और मुहब्बत से आगे या पीछे हो जाओ । अगर पंक्ति से कोई निकल कर चला जाए तो उसकी जगह लेकर पंक्ति को मिलाओ, अल्लाह तुम पर रहमत करेगा । पंक्ति के अंदर (जान बूझकर) एक दूसरे से दूर दूर खड़े होना पंक्ति को काटना है । ऐसे लोगों को अल्लाह अपनी रहमत से दूर करेगा ।

पंक्तियों का क्रम :


हजरत अनस रजि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : “पहले पहली पंक्ति का पूरा करो । फिर उसको जो पहली के निकट है ।

1. अबू दाऊद, हदीस 664, व मुस्तदरक हाकिम 1/571-572, 573, 575, इमाम इब्ने हिबान (386) इमाम इब्ने खुजैमा और इमाम नववी ने इसे सहीह कहा है ।

2. अबू दाऊद, हदीस 665, इसकी सनद सहीह है ।

3. अबू दाऊद, हदीस 666 । इसे हाकिम (1/213) इमाम इब्ने खुजैमा (हदीस 1549) इमाम ज़ेहबी और नववी ने सहीह कहा है ।

4. अबू दाऊद, हदीस 671 । इमाम इब्ने खुजैमा (हदीस 1546-1547) और इमाम इब्ने हिबान (हदीस 390) ने इसे सहीह कहा है ।



फ्रमाया : “मर्दों की पंक्तियों में (सवाब के हिसाब से) सबसे बेहतर पहली पंक्ति है। और सबसे बुरी आखिरी पंक्ति है और औरतों की पंक्तियों में सबसे बुरी पहली पंक्ति है और सबसे बेहतर आखिरी पंक्ति है।”¹

हजरत अबू सईद खुदरी रजिंह से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लो ने फ्रमाया : “हमेशा लोग (पहली पंक्ति से) पीछे हटते रहेंगे यहां तक कि अल्लाह भी उनको (अपनी रहमत में) पीछे डाल देगा।”²

हजरत अनस रजिंह फ्रमाते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लो के दौर में (स्तंभों के बीच पंक्तियां बनाने से) बचते थे।³

पंक्ति के पीछे अकेले नमाज़ पढ़ना :

पंक्ति के पीछे अकेले खड़े होकर नमाज़ नहीं पढ़नी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लो ने एक व्यक्ति को पंक्ति के पीछे अकेले नमाज़ पढ़ते हुए देखा तो आपने उसको नमाज़ लौटाने का हुक्म दिया।⁴

अगर पंक्ति में जगह है तो पीछे अकेले आदमी की नमाज़ नहीं होती और अगर पंक्ति में जगह नहीं है तो यह मजबूरी की कैफियत होगी ऐसी सूरत में अकेले ही खड़े हो जाना चाहिए नमाज़ हो जाएगी क्योंकि अगली पंक्ति में से किसी नमाज़ी को पीछे खींचना किसी सहीह हदीस से सावित नहीं। इमाम मालिक, अहमद, औज़ाई, इस्हाक़, और अबू दाऊद रहो का यही मत है कि पंक्ति से आदमी न खींचा जाए, अलबत्ता एक इमाम और एक

1. मुस्लिम, हदीस 440। इमाम नववी फ्रमाते हैं : “यह तब है जब औरतें भी मर्दों के साथ नमाज़ में हाजिर हों, क्योंकि अगर मर्द आखिरी पंक्ति में खड़े हों और उनके तुरन्त बाद औरतें खड़ी हों तो उनका ख्याल एक दूसरे की तरफ़ रहेगा, लेकिन अगर मर्द पहली पंक्तियों में हों और औरतें आखिरी पंक्तियों में हों जबकि बीच में बच्चे हों तो फिर ऐसी संभावना नहीं रहेगी।”

2. सहीह मुस्लिम, हदीस 438।

3. अबू दाऊद, हदीस 673। इसे इमाम तिर्मिज़ी ने हसन जबकि इमाम हाकिम और हाफिज़ ज़ेहबी ने सहीह कहा है।

4. अबू दाऊद, हदीस 682। इमाम इब्ने हिबान (5/575-576) इमाम अहमद, इस्हाक़ और इब्ने हज़म ने इसे सहीह कहा है।

नमाज़ी वाले मसले पर अनुमान करके उसका जवाज़ मिलता है।¹

पंक्तिबद्ध के दर्जे :

हज़रत अबू मसऊद रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० नमाज़ में अपने हाथ हमारे कंधों पर रखते और फ़रमाते बराबर हो जाओ और मतभेद न करो वरना तुम्हारे दिल अलग अलग हो जाएंगे। (और) वे लोग जो व्यस्क और (दीनी हिसाब से) अफ़लमंद हैं पंक्ति में मेरे क़रीब रहें, फिर जो उनसे क़रीब हैं, फिर जो उनसे क़रीब हैं।”²

हज़रत अबू मालिक अशअरी रज़ि० कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० नमाज़ के लिए खड़े हुए पहले मर्दों ने पंक्तियां बांधीं फिर लड़कों ने, उसके बाद आपने नमाज़ पढ़ाई। फिर फ़रमाया : “मेरी उम्मत की नमाज़ इसी तरह है।”³

हज़रत अनस रज़ि० की लम्बी हदीस में है कि मैंने और एक बच्चे ने इकट्ठे रसूलुल्लाह सल्ल० के पीछे पंक्ति बनाई और एक बुढ़िया हमारे पीछे अकेली ही पंक्ति में खड़ी हो गई।⁴

अल्लामा सुबकी फ़रमाते हैं : “इस हदीस से मालूम हुआ कि जब बच्चा अकेला हो तो मर्दों के साथ खड़ा हो जाए। अगर बच्चे दो या दो से ज्यादा हों तो वे अपनी अलग पंक्ति बनाएं। इसी तरह अगर मर्द अकेला हो और बच्चे एक या एक से ज्यादा हों तो इस सूरत में भी उनको मर्द के साथ पंक्ति बनाना होगी।”

इमामत का व्यान

रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया :

1. अर्थात जब एक और नमाज़ी आएंगा तो वह पहले को खींचकर पीछे कर लेगा और दोनों पंक्ति बनाएंगे।
2. मुस्लिम, हदीस 432।
3. अबू दाऊद, हदीस 677। इसकी सनद हाफ़िज़ ज़ेहबी और हाफ़िज़ इब्ने हज़र की शर्त पर हसन है।
4. बुखारी, हदीस 727 व 380, मुस्लिम, हदीस 658। इससे मालूम हुआ कि एक और भी पीछे नमाज़ में खड़े हो जाए तो उसे पंक्ति शुमार किया जाएगा।

«نَّمَّ الْقَوْمَ أَفَرُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ كَانُوا فِي النَّقْدِ سَوَاءٌ،

فَاعْلَمُهُمْ بِالسُّنْنَةِ فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنْنَةِ سَوَاءٌ فَأَفَدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءٌ، فَأَفَدَمُهُمْ سُلْطَانًا، وَلَا يُؤْمِنَ الرَّجُلُ الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِيمِهِ إِلَّا يُإِذْنِهِ»

“लोगों का इमाम वह होना चाहिए जो उनमें सबसे ज्यादा कुरआन अच्छी तरह (सहीह पढ़ना) जानता हो और अगर किरअत में सब बराबर हों तो फिर वह इमामत कराए जो सुन्नत को सबसे ज्यादा जानता हो। (अर्थात् सबसे ज्यादा आदेश और मसाइल की हड्डीसें जानता हो) फिर अगर सुन्नत के ज्ञान में भी सब बराबर हों तो फिर इमामत बह कराए जिसने सबसे पहले (मर्दीना की तरफ़) हिजरत की। अगर हिजरत में भी सब बराबर हों तो फिर वह इमामत कराए जो सबसे पहले मुसलमान हुआ। और (बिना इजाजत) कोई व्यक्ति, किसी की जगह इमामत न कराए और न किसी के घर में साहिब खाना की मस्नद पर उसकी इजाजत के बिना बैठे।”¹

अगर किताबुल्लाह किसी नाबालिग बच्चे को ज्यादा याद हो तो उसे इमाम बनाया जा सकता है। हजरत अम्र बिन सलमा रजिं० फ़रमाते हैं कि अपने क़बीले में सबसे ज्यादा कुरआन मुझे याद था तो मुझे इमाम बनाया गया यद्यपि मेरी उम्र सात साल थी।²

अंधे को इमाम बनाना जाइज़ है क्योंकि नबी अकरम सल्ल० ने अबुल्लाह बिन उम्म मक्तूम रजिं० को इमाम मुकर्रर किया था। यद्यपि वह नाबीना थे।³

रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : “उस इमाम की नमाज़ कुबूल नहीं होती कि जिस पर लोग (विदआत, जिहालत व गुनाह आदि के कारण) नाराज़ हों।”⁴

हजरत अनस रजिं० रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० की सी

1. सहीह मुस्लिम, हदीस 673।
2. बुख़ारी, हदीस 4302।
3. अबू दाऊद, हदीस 595। इमाम इब्ने हिबान (हदीस 370) ने इसे सहीह कहा है।
4. अबू दाऊद, हदीस 593। इमाम तिर्मिज़ी (हदीस 360) ने इसे हसन कहा है।

बहुत हल्की और बहुत कामिल नमाज़ मैंने किसी इमाम के पीछे नहीं पढ़ी। जब आप (औरतों की पंक्ति में) बच्चे के रोने की आवाज़ सुनते तो इस डर से नमाज़ हल्की कर देते कि उसकी माँ को तकलीफ़ होगी।¹

हज़रत अबू क़तादा रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : “मैं, नमाज़ लम्बी करने के इरादे से, नमाज़ में दाखिल होता हूं। फिर (औरतों की पंक्ति में) बच्चे के रोने की आवाज़ सुनता हूं तो अपनी नमाज़ में क्रमी कर देता हूं (हल्की पढ़ता हूं) कि बच्चे के रोने से उसकी माँ का तकलीफ़ होगी।”²

लम्बी नमाज़ पर नवी करीम सल्ल० का क्रोध :


हज़रत अबू मसऊद अंसारी रज़ि० रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्ल० को किसी उपदेश में इतने क्रोध में नहीं देखा जितना (लम्बी नमाज़ पढ़ाने वालों पर) उस दिन देखा। आपने फ़रमाया : ‘‘तुम (लम्बी नमाज़ें पढ़ाकर) लोगों को नफ़रत दिलाने वाले हो (सुनो) जब तुम लोगों को नमाज़ पढ़ाओ तो हल्की पढ़ाओ इसलिए कि उन (नमाजियों) में उम्रदार, बूढ़े और हाजतमंद भी होते हैं।’’³

हज़रत उसमान बिन अबी अलुआस रज़ि० रिवायत करते हैं कि मुझे रसूलुल्लाह सल्ल० की आखिरी वसीयत यह थी : ‘‘जब तुम लोगों की इमामत करो तो उनको नमाज़ हल्की पढ़ाओ क्योंकि तुम्हारे पीछे बूढ़े, मरीज़, कमज़ोर और कामकाज वाले लोग होते हैं। और जब अकेले नमाज़ पढ़ो तो जितनी चाहे लम्बी पढ़ो।’’⁴

हल्की नमाज़ का यह मतलब नहीं है कि रुकूअ, सुजूद, कौमे और जल्से को तितर वितर करके रख दिया जाए। स्पष्ट हो कि अरकाने नमाज़ क्रम व विनय के बिना नमाज़ वातिल होती है⁵ बल्कि हल्की नमाज़ का मतलब यह

1. बुखारी, हदीस 708।
2. बुखारी, हदीस 707, 868।
3. बुखारी, हदीस 702, 704, 90 व मुस्लिम हदीस 460।
4. मुस्लिम, हदीस 468।
5. और यह मतलब भी नहीं है कि नमाज़ के शब्दों को अनुचित हद तक तेज़ पढ़ा जाए इस तरह दरबारे इलाही का सम्मान जाता रहता है।

है कि किंतु कम की जाए, मगर क्रायम ज्यादा मुख्तसर भी न हो नवी



नमाज में सन्तोष :

हजरत अबू क़तादा रजि० ने कहा कि :

«بَيْنَمَا نَحْنُ نُصِّلِنَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ فَسَمِعَ جَلَّهُ فَقَالَ . . مَا شَأْنُكُمْ؟ . . قَالُوا: أَسْتَعْجِلُنَا إِلَى الصَّلَاةِ، قَالَ: فَلَا تَفْعَلُوْا إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ فَمَا أَذْرَكْتُمْ فَصَلُوْا وَمَا سَبَقْكُمْ فَأَتْحُوْا»

‘उस दौरान कि हम रसूलुल्लाह सल्ल० के साथ नमाज पढ़ रहे थे, आपने लोगों की खटपट सुनी। नमाज के बाद आपने पूछा : “तुम क्या कर रहे थे?” उन्होंने अर्ज किया हम नमाज की तरफ जल्दी आ रहे थे। आपने फ़रमाया : “ऐसा न करो। जब तुम नमाज को आओ तो आराम से आओ, जो नमाज तुम्हें मिल जाए (अर्थात् जो तुम पा लो) पढ़ लो और जो छूट जाए उसे बाद में पूरा करो।”²

हजरत अबू हुरैरह रजि० की रिवायत में है आप सल्ल० ने फ़रमाया : “जब तुम नमाज का इरादा करते हो तो नमाज ही में होते हो (अतः आराम और सन्तोष के साथ आयो करो)।”³

इमामों पर मुसीबत :

हजरत अबू हुरैरह रजि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : “अगर इमामों ने नमाज अच्छी तरह (अरकान और सुन्तों की पूर्णता के साथ) पढ़ाई तो तुम्हारे लिए भी सवाब है और उनके लिए भी सवाब है और अगर नमाज पढ़ाने में कमी की (अर्थात् रुकूअ व सज्दों की गड़बड़ी, और कौमे जल्से में कमी से नमाज पढ़ाई) तो तुम्हारे (मुक्तदियों के) लिए (तो) सवाब है और उनके लिए मुसीबत है।”⁴

1. मुस्लिम, हदीस 756।

2. मुस्लिम, हदीस 603।

3. मुस्लिम, हदीस 602।

4. बुखारी, हदीस 694।

इमाम बगवी रहो फ़रमाते हैं : “इस हदीस में इस बात की दलील है कि अगर कोई इमाम वे वुजू या जनाबत की हालत में नमाज़ पढ़ा देता है तो मुक्तदियों की नमाज़ सहीह और इमाम पर नमाज़ का दोहराना है चाहे उसने यह काम इरादतन किया हो या अनजाने की बिना पर।”

नमाज़ पढ़ाकर इमाम मुक्तदियों की तरफ़ मुंह फेरे :

हज़रत समरा बिन जुंदब रज़ि० से रिवायत है, वह कहते हैं : “जब रसूलुल्लाह सल्ल० नमाज़ पढ़ चुकते तो हमारी तरफ़ मुतवज्जह होते।”¹

हज़रत अनस रज़ि० रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० अपने दायीं तरफ़ से मुड़ते थे।²

हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि० कहते हैं तुम अपनी नमाज़ में से केवल दायीं तरफ़ से फिरकर शैतान का हिस्सा मुकर्रर न करो। मैंने रसूलुल्लाह सल्ल० को देखा कि वह अपने बायीं तरफ़ से भी फिरते थे।³

मालूम हुआ कि इमाम को फिरने के लिए केवल एक जगह मुकर्रर नहीं कर लेनी चाहिए। बल्कि कभी दायीं तरफ़ से फिरा करे कभी बायीं तरफ़ से। मगर अधिकांश दायीं तरफ़ से मुड़ना चाहिए।

हज़रत बराआ रज़ि० से रिवायत है कि हम रसूलुल्लाह सल्ल० के पीछे नमाज़ पढ़ते तो हम आपके दायीं तरफ़ खड़े होने को पसन्द करते थे ताकि आपका चेहरा हमारी तरफ़ हो।⁴

इमाम की इमामत के आदेश :

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : “इमाम से पहल न करो! जब वह तकबीर कहे, उसके बाद तुम तकबीर कहो। और जब इमाम “वलज्ज़ाल्ली न” कहे तो तुम उसके बाद आमीन कहो। और जब इमाम रुकूअ करे तुम उसके बाद रुकूअ करो और जब इमाम “समिअल्लाहु लिमन हमिदा” कहे तो तुम “अल्लाहुम-म रब्बना

1. बुखारी, हदीस 845, 1143, 1386।

2. सहीह मुस्लिम, हदीस 708।

3. बुखारी, हदीस 852, मुस्लिम हदीस 708।

4. मुस्लिम, हदीस 709।

लकल हम्दु” कहो ।”¹

हज़रत बराब विन आज़ब रज़ि० रिवायत करते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्ल० के पीछे नमाज़ पढ़ते थे तो जब आप “समिअल्लाहु लिमन हमिदा” कहते (तो हम आपके पीछे क्रौमे में खड़े हो जाते थे और फिर) हममें से कोई अपनी, पीठ (सज्दे में जाने के लिए) न झुकाता था यहां तक कि रसूलुल्लाह सल्ल० अपनी पेशानी ज़मीन पर रख देते ।”²

हज़रत! सोच विचार किया आपने! कि जब तक रसूलुल्लाह सल्ल० क्रौमे से सज्दे में पहुंचकर अपनी पेशानी मुबारक ज़मीन पर न रख देते थे उस समय तक तमाम सहाबा रज़ि० खड़े रहते थे। कोई पीठ तक न झुकाता था और हमारा यह हाल है कि इमाम क्रौमे से सज्दे में आने के लिए अभी “अल्लाहु अकबर” ही कहता है तो मुक्तदी इमाम के सज्दे में पहुंचने से पहले ही सज्दे में पहुंच गए होते हैं।

नबी रहमत सल्ल० फ़रमाते हैं : “इमाम से पहले रुकूअ करो न सज्दा और इमाम से पहले खड़े हो न पहले सलाम फेरो ।”³

हज़रत अबू हुररह रज़ि० रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : “क्या तुम डग्ने नहीं कि अल्लाह तआला (इमाम से पहले उठने वाले) के सर को गधे के सर की तरह कर दे?”⁴

रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : “जब नमाज़ में कोई बात कहनी हो तो मुक्तदी सुझानल्लाह कहें और ताली बजाना औरतों के लिए है।”⁵

हज़रत मस्कुर विन यज़ीद रज़ि० से रिवायत है कि एक बार नबी सल्ल० ने किरअत में कुरआन का कुछ हिस्सा छोड़ दिया। एक आदमी ने कहा : आपने फ़लां फ़लां आयत छोड़ दी तो आपने फ़रमाया : “तूने मुझे याद क्यों न दिलाया?”⁶

1. मुस्लिम, हदीस 415।

2. बुखारी, हदीस 690, 747, 811, व मुस्लिम, हदीस 474।

3. मुस्लिम, हदीस 426।

4. बुखारी, हदीस 691 व मुस्लिम, हदीस 427।

5. बुखारी, हदीस 1203, 1204, 684, मुस्लिम, हदीस 422। वी वी सुझानल्लाह कहने की वजाए एक हाथ को दूसरे हाथ की पुश्त पर मारेगी।

6. अबू दाऊद, हदीस 907। इमाम इब्ने खुज़ैमा और इमाम इब्ने हिबान ने इसे सहीह कहा।

औरत की इमामत :

पहली पंक्ति के बीच में (दूसरी औरतों के साथ, बराबर) खड़ी होकर औरत औरतों की इमामत करा सकती है।

हज़रत उम्मे वरक़ा रज़िया फ़रमाती है :

«أَمْرَهَا أَنْ تَوْمَّ أَهْلَ دَارَهَا»

“रसूलुल्लाह सल्लो ने उन्हें हुक्म दिया कि वह अपने घर वालों की इमामत कराएं।”

हज़रत उम्मे सलमा रज़िया औरतों की इमामत करती और पंक्ति के बीच खड़ी होती थीं।¹

इमामत के कुछ मसाइल :

1. हज़रत आइशा रज़िया से रिवायत है

«صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُجَّةِ الْعَدْوَى يَأْتِمُونَ بِهِ مِنْ وَرَاءِ الْحُجَّةِ»

“रसूलुल्लाह सल्लो ने अपने हुजरे में नमाज़ पढ़ी और लोगों ने हुजरे से बाहर आपकी इमामत में नमाज़ अदा की।”²

मालूम हुआ कि इमाम और मुक्तदियों के बीच अगर दीवार आ जाए तो नमाज़ हो जाएगी।

2. हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़िया कहते हैं कि मैं रात की नमाज़ में नबी सल्लो के बायीं तरफ़ खड़ा हुआ, आपने मेरा हाथ अपनी पीठ के पीछे से पकड़ा और मुझे अपनी दायीं तरफ़ कर दिया।³


1. अबू दाऊद, हदीस 592। इसे इब्ने खुजैमा (हदीस 1676) ने सहीह कहा है।

2. इन्वे अवी शैबा, 2/89। इमाम इन्वे हज़म ने इसे सहीह कहा है।

3. अबू दाऊद, हदीस 1126।

4. बुखारी, हदीस 726, 698, 117, मुस्लिम, हदीस 763। इससे मालूम हुआ कि नवाफ़िल की जमाअत में तक्बीर (इकामत) नहीं है और अगर अकेले आदमी ने नमाज़ शुरू की फिर दूसरा आकर उसके साथ आ मिला तो पहला नमाज़ी इमामत की नीयत करके नमाज़ जारी रखेगा।

3. हजरत जाबिर रजिंह कहते हैं कि मैं नमाज में नबी सल्लूह के पीछे



खड़ा हा गया ता आपन मरा कान पकड़कर मुझे अपने दायीं जानिब कर लिया। (यह एक सफ़र की घटना है, उसमें रसूलुल्लाह सल्लूह ने एक ही चादर में नमाज पढ़ी।¹

अगर मुक्रतदी एक हो तो वह इमाम के दायीं तरफ़ और उसके बराबर खड़ा होगा।²

4. हजरत बिलाल रजिंह रसूलुल्लाह सल्लूह को देखकर तकबीर कहते और आपके मुसल्ले पर खड़े होने से पहले तकबीर कही जाती और लोग सफ़बन्दी कर लेते थे।³

5. हजरत अनस रजिंह कहते हैं कि मैं जमाअत में आप सल्लूह के दायीं तरफ़ खड़ा हुआ और एक औरत हमारे पीछे खड़ी हुई।⁴

मालूम हुआ कि अगर मुक्रतदियों में से एक मर्द और एक औरत हो तो मर्द इमाम के दायीं तरफ़ और औरत पीछे खड़ी होगी।

6. रसूलुल्लाह सल्लूह की बीमारी के दिनों में हजरत अबूबक्र सिद्दीक़ रजिंह ने इमामत कराई। एक दिन आपने तकलीफ़ में कमी पाई तो आप दो सहाबा रजिंह के कंधों पर हथ टेकते हुए मस्जिद में दाखिल हुए। जब हजरत अबूबक्र रजिंह ने आपकी आमद महसूस की तो पीछे हटना चाहा, आपने इशारा किया कि पीछे न हटो। आप सल्लूह अबूबक्र रजिंह की बायीं तरफ़ बैठ गए और बैठकर नमाज अदा की और अबूबक्र रजिंह खड़े थे। अबूबक्र रजिंह रसूलुल्लाह सल्लूह की इक्तदा करते और लोग अबूबक्र रजिंह की इक्तदा करते। यह ज़ोहर की नमाज थी।⁵

7. हजरत मुआज़ रजिंह रसूलुल्लाह सल्लूह के साथ नमाज पढ़ते फिर

1. मुस्लिम, हदीस 766। इसमें उन लोगों का खंडन है जो बड़ी त्रैर जिम्मेदारी से यह कह देते हैं कि नबी अकरम सल्लूह ने कभी नंगे सर नमाज नहीं पढ़ी।

2. सहीह बुखारी, हदीस 697, 698, 699।

3. मुस्लिम, हदीस 605, 606।

4. सहीह मुस्लिम, हदीस 660।

5. बुखारी, हदीस 713, 198, मुस्लिम, हदीस 418।


अपनी क़ौम के पास आते और उन्हें नमाज़ पढ़ाते।”

मातृम हुआ कि फर्ज नमाज पढ़ चुकने के बाद दूसरों को (वही) नमाज पढ़ा सकते हैं।

हज़रत अबू सईद रज़िया कहते हैं कि एक आदमी मस्जिद में आया, आप नमाज़ पढ़ा चुके थे। नबी सल्लो ने पूछा : इस पर कौन सदक़ा करेगा? एक व्यक्ति खड़ा हुआ और उसने आने वाले के साथ जमाअत से नमाज़ पढ़ी।²

1. बुखारी, हदीस 700-701, मुस्लिम, हदीस 465। यह नमाज़ हजरत मुआज्ज़ रज़ि० के लिए नफिल और मुक़तदियों के लिए फ़र्ज़ बन जाती थी, इससे मालूम हुआ कि नमाज़ में इमाम और मुक़तदी की नीयत का भिन्न भिन्न होना जाइज़ है।

2. अबू दाऊद, हदीस 574। इमाम तिर्मिज़ी इमाम हाकिम और इमाम ज़ेहबी ने इसे सहीह कहा है।



नमाज़ नबवा : पहला तकबार स सलाम तक

ग्यारह सहाबा रजिं० की गवाही :

हज़रत अबू हमीद साअदी रजिं० से रिवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्ल० के दस सहाबा (की जमाअत) में कहा कि मैं तुम (सब) से ज्यादा रसूलुल्लाह सल्ल० की नमाज़ के तरीके को ज्ञानता हूं। सहाबा किराम रजिं० ने कहा फिर (हमारे सामने रसूलुल्लाह सल्ल० की नमाज़) बयान करो। अबू हमीद ने कहा : जब रसूलुल्लाह सल्ल० नमाज़ के लिए खड़े होते (तो) अपने दोनों हाथ कंधों के बराबर उठाते फिर तकबीर (तहरीमा) कहते फिर कुरआन पढ़ते फिर (रुकूअ के लिए) तकबीर कहते और अपने दोनों हाथ कंधों के बराबर उठाते फिर रुकूअ करते और अपनी हथेलियां अपने घुटनों पर रखते फिर (रुकूअ के दौरान) कमर सीधी करते, अतः न अपना सर झुकाते और न बुलन्द करते। (अर्थात् पीठ और सर हमवार रखते।) और फिर अपना सर रुकूअ से उठाते तो कहते “समिअल्लाहु लिमन हमिदा” फिर अपने दोनों हाथ उठाते यहां तक कि उनकी अपने कंधों के बराबर करते और (क्रौमा में इत्मीनान से) सीधे खड़े हो जाते फिर “अल्लाहु अकबर” कहते फिर ज़मीन की तरफ सज्दे के लिए झुकते फिर अपने दोनों हाथ (बाजू) अपने दोनों पहलुओं, (रानों और ज़मीन) से दूर रखते और अपने दोनों पांव की उंगलियां खोलते (इस तरह कि उंगलियों के सिरे क्रिबला रुख़ होते) फिर अपना सर सज्दे से उठाते और अपना बायां पांव मोड़ते (अर्थात् बिछा लेते) फिर उस पर बैठते और सीधे होते यहां तक कि हर हड्डी अपनी जगह पर आ जाती (अर्थात् बड़े इत्मीनान से जल्से में बैठते) फिर (दूसरा) सज्दा करते, फिर “अल्लाहु अकबर” कहते और उठते और अपना बायां पांव मोड़ते। फिर उस पर बैठते और दिल जमी से एतेदाल करते यहां तक कि हर हड्डी अपने ठिकाने पर आ जाती (अर्थात् इत्मीनान से जल्सए इस्तराहत में बैठते) फिर (दूसरी रकअत के लिए) खड़े होते फिर उसी तरह दूसरी रकअत में करते। फिर जब दो रकअत पढ़कर खड़े होते तो “अल्लाहु अकबर” कहते और अपने दोनों हाथ कंधों के बराबर उठाते। जैसे नमाज़ के शुरू में तकबीर ऊता के समय किया था। फिर

इसी तरह अपनी बाकी नमाज में करते यहां तक कि जब वह सज्दा होता जिसके बाद सलाम है (अर्थात् आखिरी रकअत का दूसरा सज्दा जिसके बाद बैठकर तशह्हुद, दुरुद और दुआ पढ़कर सलाम फेरते हैं) अपना बायां पांय (दायीं पिंडली के नीचे से बाहर) निकालते और बायीं जानिब कूल्हे पर बैठते फिर सलाम फेरते। (यह सुनकर) उन सहाबा ने कहा, (ऐ अबू हमीद साइदी) तूने सच कहा रसूलुल्लाह सल्ल० इसी तरह नमाज पढ़ा करते थे।”¹

नमाज की नीयत :

रसूलुल्लाह सल्ल० फ़रमाते हैं :

«إِنَّمَا الْأَغْيَانُ بِالنِّيَّاتِ»

“कर्मों का आधार नीयतों पर है।”²

इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने तमाम (जाइज़ा) कामों में (सबसे) पहले, निष्ठापूर्वक नीयत कर लिया करें क्योंकि जैसी नीयत होगी वैसा ही फल मिलेगा। हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : ‘एक शहीद, अल्लाह के सामने क्रियामत में लाया जाएगा अल्लाह उससे पूछेगा कि, तूने क्या अमल किया? वह कहेगा कि मैं तेरी राह में लड़कर शहीद हुआ। अल्लाह फ़रमाएगा : ‘तू इन्हें है बल्कि तू इसलिए लड़ा था कि तुझे वहादुर कहा जाए’ अतः कहा गया (अर्थात् तेरी नीयत दुनिया में पूरी हो गई। अब मुझसे क्या चाहता है)। फिर मुंह के बल घसीट कर आग में डाल दिया जाएगा। इसी तरह फिर एक आलिम जिसने इल्म, शोहरत की नीयत से पढ़ा और पढ़ाया था। अल्लाह के सामने पेश होकर जहन्नम में झोंक दिया जाएगा। फिर एक शोहरत की ग़र्ज से दान करने वाले मालदार का भी यही हश्च होगा।”³

1. अबू दाऊद, हदीस 730, 963, तिर्मिज़ी, हदीस 304। इसे इब्ने हिब्रौन, तिर्मिज़ी और नववी ने सहीह कहा है। इस हदीस से बहत सी बातें मालूम होती हैं जिनमें से एक यह कि सहाबा किराम रज़ि० के निकट रसूलुल्लाह सल्ल० की वफ़ात तक रफ़अ यदैन निरस्त नहीं हुआ।

2. बुखारी, हदीस 1, 54, 2529, 3898, 5070, 2520, 6689, 953, व मुस्लिम, हदीस 1907।

वज़ करते समय दिल में यह नीयत करें कि अल्लाह के समक्ष (नमाज़

में) हाजिर होने के लिए पाकी (वुज्जू) करने लगा हूं और फिर जब नमाज़ पढ़ने लगें तो दिल में यह इरादा और नीयत करें कि केवल अपने अल्लाह ही की खुशनूदी के लिए उसका हुक्म बजा लाता हूं।

नीयत चूंकि दिल से ताल्लुक़ रखती है इसलिए ज़बान से अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं। और नीयत का ज़बान से अदा करना रसूलुल्लाह सल्लू

की सुन्नत और सहाबा रज़ि० के अमल से साबित नहीं है।

3. मुस्लिम, हदीस 1905। इससे मालूम हुआ कि दिलों के भेद केवल अल्लाह ही जानता है और उसके हाथ में एक नेक व बद का आखिरी अंजाम है।

1. अपने दिल में किसी काम की नीयत करना और ज़रूरत के समय किसी को अपनी नीयत से सचेत करना एक जाइज़ बात है। मगर नमाज़ से पहले नीयत पढ़ना अक्रत, कथन और शब्दकोष तीनों के खिलाफ़ है :

1. अक्रत के खिलाफ़ इसलिए है कि असंख्य ऐसे काम हैं जिनको शुरू करते समय हम ज़बान से नीयत नहीं पढ़ते क्योंकि हमारे दिल में उन्हें करने की नीयत और इरादा मौजूद होता है जैसे ज़कात देने लगते हैं तो कभी नहीं पढ़ते : “ज़कात देने लगा हूं” आदि। तो क्या नमाज़ ही एक ऐसा काम है जिसके आरंभ में उसकी नीयत पढ़ना ज़रूरी हो गया है? नमाज़ की नीयत तो उसी समय हो जाती है जब आदमी अज्ञान सुनकर मस्जिद की तरफ़ चल पड़ता है और इसी नीयत की वजह से उसे हर क़दम पर नेकियां मिलती हैं। अतः नमाज़ शुरू करते समय जो कुछ पढ़ा जाता है वह नीयत नहीं बिदअत है।

2. कथन के खिलाफ़ इसलिए है नवी अकरम सल्लू और सहाबा किराम रज़ि० बाकायदगी के साथ नमाज़ें पढ़ा करते थे और अगर वह अपनी नमाज़ों से पहले “नीयत” पढ़ना चाहते तो ऐसा कर सकते थे उनके लिए कोई रुकावट नहीं थी लेकिन उनमें से कभी किसी ने नमाज़ से पहले प्रचलित नीयत नहीं पढ़ी उसके विपरीत वह हमेशा अपनी नमाज़ों का आरंभ तकबीर तहरीमा (अल्लाहु अकबर) से करते रहे, साबित हुआ कि नमाज़ से पहले नीयत पढ़ना बिदअत है।

3. शब्दकोष के इसलिए खिलाफ़ है कि नीयत अरबी ज़बान का शब्द है अरबी में इसका मायना “इरादा” है और इरादा दिल से किया जाता है ज़बान से नहीं। बिल्कुल इसी तरह जैसे देखा आंख से जाता है पांव से नहीं। दूसरे शब्दों में नीयत दिल से की जाती है। ज़बान से पढ़ी नहीं जाती।

इमाम इन्हे तैमिया रहो फ्रमाते हैं कि शब्दों से नीयत करना उलमा मुस्लिमीन में से किसी के नज़दीक भी सुन्नत नहीं। रसूलुल्लाह सल्ल०, आपके चारों ख़लीफ़े और अन्य सहाबा रज़ि० और न ही इस उम्मत के सल्फ़ और अइम्मा में से किसी ने शब्दों से नीयत की। इबादात में जैसे वुजू, गुस्ल, नमाज़, रोज़ा और ज़कात आदि में जो नीयत वाजिब है, आम सहमति सारे मुस्लिम उलमा के नज़दीक इसकी जगह दिल से। (फ़तावा कुबरा)

इमाम इन्हे हमाम और इन्हे क़थियम भी इसको बिदअत कहते हैं :

क़्रायाम :

हज़रत इमरान बिन हसीन रज़ि० बयान फ्रमाते हैं मुझे बवासीर की तकलीफ़ थी। नबी सल्ल० ने फ्रमाया :

«صَلَّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تُسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تُسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ»

“(मुमकिन हो तो) खड़े होकर नमाज़ अदा करो अगर ताक़त न हो तो बैठकर, बैठकर अदा करने की भी ताक़त न हो तो लेटकर नमाज़ अदा करो।”¹
नबी सल्ल० ने देखा कि कुछ लोग बैठकर नमाज़ें अदा कर रहे हैं।

नोट : कुछ लोग रोज़ा रखने की दुआ, हज के तल्बिया और निकाह में ईजाब व कुबूल से नमाज़ वाली नीयत को साबित करने की कोशिश करते हैं मतलब यह है कि “रोज़ा रखने की दुआ, वाली हदीस झईफ़ है। अतः हुज्जत नहीं है। हज का तल्बिया सहीह हदीसों से साबित है वह नभी अकरम सल्ल० के अनुसरण में कहना ज़रूरी है मगर नमाज़ वाली प्रचलित नीयत किसी हदीस में नहीं आई, रह गया निकाह में ईजाब व कुबूल का मसला, चूंकि निकाह का ताल्लुक हुक्कुल इबाद से भी है और हक्कुल इबाद में मात्र नीयत से नहीं बल्कि इक़रार, तहरीर, और गवाही से मामलात तय पाते हैं जबकि नमाज़ में तो बन्दा रब के हुजूर खड़ा होता है जो तपाम नीयतों को ख़ूब जानने वाला है और फिर वहां नीयत पढ़ने की क्या तुक बनती है? अतः अहले इस्लाम से गुज़ारिश है कि वह इस बिदअत से निजात पाएं और सुन्नत के मुताबिक़ नमाज़ शुरू करके रसूलुल्लाह سल्ल० हो मुहब्बत का सुबूत दें।

1. بُرخاری, هدیس 1117। इससे मालूम हुआ कि ताक़त के बावजूद बैठकर फ़र्ज़ नमाज़ अदा करना जाइज़ नहीं है और यह कुरआन के भी ख़िलाफ़ है जो कहता है। (सूरह बक़रा 2/238) “और अल्लाह के लिए सम्मानपूर्वक खड़े हुआ करो।”

आपने फ़रमाया : ‘‘बैठकर नमाज़ अदा करने वाले को खड़े होकर नमाज़ अदा करने वालों की निस्फ़ निष्फ़ सवाब मिलेगा’’।

जब नबी सल्ल० की उम्र ज्यादा हो गई तो आपने जाए नमाज़ के क्रीब एक सुतून तैयार कराया जिस पर आप (नमाज़ के दौरान) टेक लगाते थे।²

नबी सल्ल० रात का बड़ा हिस्सा खड़े होकर नाफ़िल अदा करते और कभी बैठकर। जब किरअत खड़े होकर फ़रमाते तो (उसी हालत) क़्रायाम से रुकूअ की हालत में मुंतकिल होते और जब बैठकर किरअत फ़रमाते तो उसी हालत में रुकूअ भी फ़रमाते।³

और कभी आप सल्ल० बैठकर किरअत फ़रमाते। जब किरअत से तीस या चालीस आयात बाकी होतीं तो आप सल्ल० खड़े होकर उनकी तिलावत फ़रमाते फिर (हालते क़्रायाम से) रुकूअ में चले जाते, दूसरी रकअत में भी आप सल्ल० का यही मामूल होता।⁴

पहली तकबीर :

(1) (किब्ले की तरफ़ मुंह करके) अल्लाहु अकबर कहते हुए रफ़अ यदैन करें। अर्थात् दोनों हाथों को (कंधों तक) उठाएं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० फ़रमाते हैं :

رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ افْتَحَ السَّكِينَةَ فِي الصَّلَاةِ فَرَفَعَ يَدَيهِ حِينَ يَكْبِرُ حَتَّىٰ يَجْعَلَهُمَا حَذْرَ مُنْكَبِتِهِ

‘‘मैंने नबी सल्ल० को देखा आपने नमाज़ की तकबीर कही और अपने

1. इब्ने माजा, हदीस 1230, हाफ़िज़ बूसीरी ने इसे सहीह कहा है। इससे मालूम हुआ कि किसी उज़र के बिना बैठकर, नवाफ़िल या सुन्नतें अदा करने से निस्फ़ अज़र मिलता है।

2. अबू दाऊद, हदीस 948, हाकिम और ज़ेहबी ने इसको सहीह कहा है। आपने बैठकर नमाज़ पढ़ने की बजाए सुतून के सहरे खड़ा होने को वरीयता दी। इससे मालूम हुआ कि कोई शर'ी कारण हो तो किसी चीज़ का सहारा लेकर क़्रायाम किया जा सकता है। चाहे फ़र्ज़ नमाज़ हो या नफ़िल।

3. मुस्लिम, हदीस 730। इससे मालूम हुआ कि आप सल्ल० ने कभी सारी रात इबादत नहीं फ़रमाई बल्कि आप सोते भी थे और उठकर इबादत भी करते थे।

4. बुखारी, हदीस 1119, व मुस्लिम, हदीस 731।

हाथ कंधों तक उठाए ।”¹

2. हाथ उठाते समय उंगलियां (नार्मल तरीके पर) खुली रखें। उंगलियों के बीच ज्यादा फ़ासला करें न उंगलियां मिलाएं।²

3. रसूलुल्लाह सल्ल० दोनों हाथ कंधों तक उठाते ।³

4. नबी अकरम सल्ल० (कभी कभी) हाथों को कानों तक बुलन्द फ़रमाते ।⁴

शैख़ अलबानी फ़रमाते हैं कि (रफ़अ यदैन करते समय) हाथों से कानों को छूने की कोई दलील नहीं है। इनका छूना विद्युत है या वसवसा। मसनून तरीका हथेलियां कंधों या कानों तक उठाना है। हाथ उठाने के मकाम में मर्द और औरत दोनों बराबर हैं। ऐसी कोई सहीह हदीस मौजूद नहीं जिसमें यह भेद हो कि मर्द कानों तक और औरतें कंधों तक हाथ बुलन्द करें।

5. फिर दायां हाथ बाएं हाथ पर रखकर सीने पर बांध लें।

सीने पर हाथ बांधना :

हज़रत वाइल बिन हज़र रज़ि० कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्ल० के साथ नमाज़ पढ़ी। तो आपने अपने हाथ, दायां हाथ बाएं हाथ पर रखकर, सीने पर बांधे।⁵

1. बुखारी, हदीस 738। इसे पहली तकबीर इसलिए कहते हैं कि यह नमाज़ की सबसे पहली तकबीर है और इससे नमाज़ शुरू होती है और इसे तकबीरे तहरीमा भी कहते हैं क्योंकि उसके साथ ही बहुत सी चीज़ें नमाज़ी पर हराम हो जाती हैं।

2. अबू दाऊद, हदीस 753। इसे इमाम हाकिम और हाफिज़ ज़ेहबी ने सहीह कहा है।

3. बुखारी, हदीस 735, व मुस्लिम, हदीस 390।

4. मुस्लिम, हदीस 391।

5. मक्खूल हदीस की चार बुनियादी किसमें हैं : 1. सहीह लज़ाता, 2. सहीह लज़ीरा, 3. हसन लज़ाता और 4. हसन लज़ीरा। लेकिन जब कोई मुहादिस इस तरह कहे कि “फ़लां मसले में कोई सहीह हदीस नहीं है” तो यह एक मुहावरा होता है इसका यह मतलब नहीं होता कि सहीह हदीस तो नहीं अलबत्ता हसन हदीस मौजूद है बल्कि इसका मतलब यह होता है कि (उसके नज़दीक) इस मसले में किसी क्रिस्म की मक्खूल हदीस वारिद नहीं है।

6. इब्ने खुजैमा 1/243, हदीस 479, इसे इमाम इब्ने खुजैमा ने सहीह कहा है।

हजरत हलब रज्ञि० फ़रमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्ल० को सीने पर

हाथ रखे हुए देखा ।¹

हजरत वाइल बिन हजर रज्ञि० रसूलुल्लाह सल्ल० की नमाज़ का तरीका बयान करते हुए फ़रमाते हैं कि आपने दाएं हाथ को बाएं की हथेली को (की पुश्त), उसके जोड़ और कलाई पर रखा ।²

हमें भी दायां हाथ बाएं हाथ पर इस तरह रखना चाहिए कि दायां हाथ बाएं हाथ की हथेली की पुश्त, जोड़ और कलाई पर आ जाए और दोनों को सीने पर बांधा जाए ताकि तमाम रिवायत पर अमल हो सके ।

हजरत सहल बिन साअद रज्ञि० से रिवायत है कि लोगों को रसूलुल्लाह सल्ल० की तरफ से यह हुक्म दिया जाता था : “नमाज़ में दायां हाथ बायां कलाई (ज़राअ) पर रखें ।”³

रही हजरत अली रज्ञि० की रिवायत कि सुन्नत यह है कि हथेली को हथेली पर ज़ेरे नाफ़ रखा जाए⁴ तो उसे इमाम बैहेकी और हाफ़िज़ इब्ने हजर ने ज़ईफ़ क़रार दिया है और इमाम नबवी फ़रमाते हैं कि उसके ज़ईफ़ होने पर सबकी सहमति है ।

औरतों और मर्दों की नमाज़ में कोई अन्तर नहीं :

रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : “नमाज़ इसी तरह पढ़ो जिस तरह तुम मुझे नमाज़ पढ़ते हुए देखते हो ।”⁵ अर्थात् हूबहू मेरे तरीके के मुताबिक़ सब औरतें और सब मर्द नमाज पढ़ें । फिर अपनी तरफ से यह हुक्म लगाना कि औरतें सीने पर हाथ बांधें और मर्द ज़ेरे नाफ़ और औरतें सज्दा करते समय ज़मीन पर कोई और रूप इक्खियार करें और मर्द कोई और...यह दीन में हस्तक्षेप है । याद रखें कि तकबीरे तहरीमा से शुरू करके “अस्सलामु आलैकुम

1. मुस्नद अहमद (5/226) हाफ़िज़ इब्ने अब्दुल बर और अल्लामा अज़्जीम आबादी ने इसे सहीह कहा है ।
2. नसाई, 490 । इसे इब्ने हिबान (हदीस 485), इब्ने खुज़ैमा (हदीस 480) ने सहीह कहा है ।
3. सहीह बुखारी, हदीस 740 ।
4. अबू दाऊद, हदीस 756 ।
5. सहीह बुखारी, हदीस 231 ।

व रहमतुल्लाहि” कहने तक औरतों और मर्दों के लिए एक हैयत (रूप) और एक ही शक्ल की नमाज़ है। सब का क्रयाम, रुकूअ, क्रौमा, सज्दा, जल्सा इस्तराहत, क़ाउदा और हर हर मक्काम पर पढ़ने की पढ़ाई समान हैं। रसूलुल्लाह सल्ल० ने मर्द और औरत की नमाज़ के तरीके में कोई अन्तर नहीं बताया।

सीने पर हाथ बांधकर यह दुआ पढ़ें :

हज़रत अबू हुरैरह रजि० रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० तकबीर (ऊला) और किरअत के बीच कुछ देर चुप रहते तो मैंने कहा : मेरे मां-बाप आप पर कुरबान, ऐ अल्लाह के रसूल सल्ल०! आप तकबीर और किरअत के बीच खामोश रहकर क्या पढ़ते हैं? आपने फ़रमाया : मैं यह पढ़ता हूँ :

* اللَّهُمَّ بَاعِذْ بَيْنَ خَطَائِيَّ وَبَيْنَ مَشْرِقٍ
وَمَغْرِبٍ، اللَّهُمَّ تَقْرِنِي مِنْ الْخَطَائِيَّا، كَمَا يُتَقْرِنُ التَّوْبَ الْأَبِيسُ مِنَ
الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَائِيَّ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ

“या अल्लाह! मेरे और मेरे गुनाहों के बीच दूरी डाल दे जैसे तूने पूरब और पश्चिम के बीच दूरी रखी है। ऐ अल्लाह! मुझे गुनाहों से इस तरह पाक कर जैसा कि सफ़ेद कपड़ा मैल से पाक किया जाता है। ऐ अल्लाह! मेरे गुनाह (अपनी बर्खिशः से) पानी, बर्फ़ और ओलों से धो डाल।

या यह दुआ पढ़ें :


रसूलुल्लाह सल्ल० के पीछे एक व्यक्ति ने कहा :

* اَللَّهُ اَكْبَرُ كَيْزِرًا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَيْزِرًا، وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

“अल्लाह सबसे बड़ा है। बहुत बड़ा। सारी प्रशंसा उसकी है। वह (हर बुराई से) पाक है। सुबह और शाम हम उसकी पाकी बयान करते हैं।”

यह सुनकर रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया कि : “इस व्यक्ति के लिए

1. सहीह बुखारी, हदीस 744, व सहीह मुस्लिम, हदीस 598।



आसमान के दरवाज़ा खाल दए गए हैं।

हज़रत इब्ने उमर रज़िया نے فرمाया : जबसे मैंने रसूलुल्लाह سल्लाو علَيْهِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ سे यह बात सुनी है, मैंने इन कलिमात को कभी नहीं छोड़ा।¹

या यह दुआ पढ़ें :

* سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ مِثْلُكَ غَيْرُكَ

“ऐ अल्लाह तू पाक है, (हम) तेरी प्रशंसा के साथ (तेरी पाकी बयान करते हैं) तेरा नाम (बड़ा ही) बरकत वाला है, तेरी खुजुर्ग बुलन्द है, तेरे सिवा कोई मावूद नहीं।”²

फिर यह पढ़ें :

أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِينِ الْعَلِيِّ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمِّهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ

“अल्लाह की पनाह मांगता हूं जो (हर आवाज़ को) सुनने वाला (और हर चीज़ को) जानने वाला है, मर्दूद शैतान (के शर) से, उसके ख़तरे से, उसकी फूंकों से और उसके वसवास से।”³

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِنَّا لَكَ نَعْبُدُ
وَإِنَّا لَكَ نَسْتَغْفِرُ أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ
أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرَ الْمَعْصُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّالِحِينَ ﴿٧١﴾ (النَّاطِحة١/٧١)

“अल्लाह के नाम से (शुरू करता हूं) जो बड़ी दया करने वाला अत्यन्त मेहरबान है। सारी प्रशंसा अल्लाह के लिए है जो तमाम प्राणियों का पालनहार

1. مُسْلِم، حَدِيْس 601।

2. تِirmidžī, حَدِيْس 243 व सुनन अबी दाऊद, حَدِيْس 775-776, इब्ने माजा, حَدِيْس 806। इसे हाकिम (1/235) और हाफ़िज़ ज़ेहबी ने सहीह कहा है।

3. अबू दाऊद, حَدِيْس 775। इसे इब्ने खुजैमा (حَدِيْس 467) ने सहीह कहा है।

है। अत्यन्त रहम करने वाला अत्यन्त मेहरबान है। बदले के दिन का मालिक है। (ऐ अल्लाह!) हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं।'

2. रही बात गैरुल्लाह से मदद मांगने की तो इस सिलसिले में निम्न तथ्य विचार्णीय हैं :

(1) अल्लाह तआला ने यह बात स्पष्ट रूप से फ़रमा दी है कि हर क्रिस्म की मदद अल्लाह ही की तरफ़ से आती है। (आले इमरान 3 : 126, 160)

(2) अन्तर केवल यह है कि कभी अल्लाह तआला केवल अपने हुक्म (कलिमए कुन) की ताक़त से सीधे अपने बन्दों की मदद करता है (तमाम मीज़िज़ात व करामात इसकी खुली मिसाल हैं) और कभी लोगों को साधनों और तौफ़ीक से नवाज़ता है तो वह एक दूसरे की मदद करते हैं।

(3) लेकिन जब किसी पाक रूह को हर चीज़ को जानने वाली और हर चीज़ पर कुदरत रखने वाली समझ कर पुकारा जाए या उसी अक्फ़ीदे के साथ उस पाक रूह की तरफ़ संबंधित किसी चीज़ (बुत, कब्र या जानवर आदि) का सम्मान किया जाए ताकि उस पाक रूह की गैबी समीपता हासिल हो और वह खुश होकर हमारी हाज़तरवाई और मुश्किलकुशाई करे, तो यह शिर्क अकबर है। क्योंकि हर चीज़ को जानना और हर चीज़ पर कुदरत रखना अल्लाह तआला का ख़ास मूल हैं जो उसने कभी किसी को प्रदान नहीं किया।

(4) केवल उसी गैरुल्लाह से मदद मांगी जाएगी जिससे मदद मांगने का अल्लाह ने हुक्म दिया है जैसे अल्लाह तआला ने दुनिया के ज़िंदा इंसानों को (नेकी के कामों में) एक दूसरे से मदद लेने और एक दूसरे के काम आने का हुक्म दिया है। (अल-माइदा 5 : 2) मगर इंसानों को यह हुक्म नहीं दिया कि वह जिन्नों या पाक रूहों से गैबी मदद का मुतालबा करें।


(5) जिस (अक्फ़ीदे और) तरीक़े से अल्लाह से मदद मांगी जाती है उस (अक्फ़ीदे और) तरीक़े से गैरुल्लाह से मदद नहीं मांगी जाएगी।

(6) और जिस तरीक़े से अल्लाह तआला अपने प्राणियों की मदद करता है उस तरीक़े से प्राणी एक दूसरे की मदद नहीं कर सकते।

(7) केवल अल्लाह ही से हर प्रकार की मदद मांगी जा सकती है गैरुल्लाह से ऐसी मदद मांगने के लिए ज़रूरी है कि अल्लाह ने उस गैरुल्लाह को फ़रियादें सुनने और पूरा करने का इख्लियार दिया हो और मज़बूर व बेकस लोगों को उससे फ़रियाद करने का हुक्म दिया हो।

(8) अल्लाह तआला ने आत्म लोक में तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम से यह
शेष अगले पृष्ठ पर

हमें सीधे रास्ते पर चला, उन लोगों के रास्ते पर जिन पर तूने इनाम किया।¹



हज़रत अनस रज़ि० फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल०, हज़रत अबूबक्र और उमर रज़ि० किरअत “अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन” से शुरू करते।²

हज़रत अनस रज़ि० कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्ल०, अबूबक्र, उमर

वायदा लिया था कि “अगर तुम्हारी ज़िंदगी में मेरा आखिरी रसूल सल्ल० आ गया तो तुम्हें उस पर ईमान लाना होगा और उसकी मदद करना होगी, जो ऐसा नहीं करेगा वह अवज्ञाकारी हो जाएगा।” (आले इमरान 3 : 81-82)

(9) अब सवाल पैदा होता है कि क्या किसी साहिबे क़ब्र, बुजुर्ग की रुह को अल्लाह तआला ने अहले दुनिया का निगरां बनाया है? उसे लोगों की दुआएं सुनने का इस्खियार दिया है? और क्या अहले दुनिया को उससे मदद मांगने का हुक्म दिया है?

क्या नबी अकरम सल्ल० ने अपनी पर्सी पाक ज़िन्दगी में उल्लिखित वायदे के हवाले से या अपने तौर पर ज़ंगों या मुसीबतों में कभी किसी नबी की रुह से परोक्ष रूप से मदद मांगी? यह नारा लगाया “या इब्राहीम अलैहि० अल मदद” “या ज़करिया अलैहि० अलमदद”? अलहम्दुलिल्लाह! किसी भी पैग़म्बर ने किसी पैग़म्बर की रुह से परोक्ष रूप से फ़रियाद नहीं की।

सहाबा किराम रज़ि० ने आपको देखे बिना या आपसे मुलाक़ात किए बिना (उल्लिखित अकीदे के साथ) कभी “या रसूलुल्लाह” कहा? उनकी तदफ़ीन के बाद उन्हें अपना निगरां, आलिमुल गैब, हाज़िर व नाज़िर और मुख्तार कुल समझकर उनके हुजूर अपनी फ़रियादें पेश कीं।

पुराने ज़माने में कोई मज़ार था जहां नबी अकरम सल्ल०, सहाबा किराम रज़ि० ताबईन और तबअ ताबईन (रहिमल्लाह) सालाना उर्स व ज़ियारत के लिए क़ाफ़िला दर क़ाफ़िला पहुंचते हों?

असल में वसीले की इस बनावटी धारणा ने बन्दे की बेबसी व विनम्रता और बन्दगी को अल्लाह और बन्दों के बीच बांट दिया है जो कि अल्लाह के यहां एक नाक़ाबिले माफ़ी जुर्म है। अल्लाह हम सबको हिदायत प्रदान करे। आमीन!

1. इनाम उसी को मिलता है जो सहीह अकीदा वाला हो जिसका अमल सुन्नते नबवी के ठीक मुताबिक हो जो केवल अल्लाह की रज़ा चाहे अकीदा व अमल में अगर कुफ़्र, शिर्क और बिदअत आ जाएं तो फिर इनाम नहीं मिला करता।

2. बुखारी, हदीस 743, व मुस्लिम, हदीस 399।

और उसमान रज्जिं० के पीछे नमाज पढ़ी वह बुलन्द आवाज से “बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम” नहीं पढ़ते थे।¹

आप “बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम” धीमे (आहिस्ता) पढ़ते थे।²

इमाम इब्ने तैमिया रह० फ़रमाते हैं कि हदीस की पहचान रखने वाले इस बात पर सहमत हैं कि (इमाम के लिए) बिस्मिल्लाह झोर से पढ़ने की कोई सरीह रिवायत नहीं।³

अगर नमाज में जमाई आ जाए तो उसे जहां तक हो सके रोकें, न रुके तो मुंह पर हाथ रखें और आवाज बुलन्द न करें।⁴

नमाज और सूरह फ़ातिहा :

रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया :⁵

«لَا صَلَاةَ لِمَنْ يَهْرُأُ بِقَاتِحَةِ الْكِتَابِ»

“जिस व्यक्ति ने (नमाज में) सूरह फ़ातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज नहीं।”⁶


हज़रत उबादा बिन सामित रज्जिं० रिवायत करते हैं कि हम नमाज फ़ज़र में रसूलुल्लाह सल्ल० के पीछे थे आपने सूरआन पढ़ा तो आप पर पढ़ना भारी हो गया। जब नमाज से फ़ारिग हुए तो फ़रमाया : “शायद तुम अपने इमाम के पीछे पढ़ा करते हो?” हमने कहा हां, ऐ अल्लाह के रसूल! आपने फ़रमाया : “सिवाए फ़ातिहा के और कुछ न पढ़ा करो क्योंकि उस व्यक्ति की

1. मुस्लिम, हदीस 399।

2. इब्ने खुजैमा, हदीस 495।

3. तिर्मिज़ी, हदीस 370। इमाम तिर्मिज़ी ने इसे सहीह कहा है।

4. बुखारी, हदीस 756, मुस्लिम, हदीस 394। इस हदीस से मालूम हुआ कि जो व्यक्ति भी नमाज में हो, अकेला हो या जमाअत के साथ, इमाम हो या मुक्तदी, मुक्रीम हो या मुसाफिर, फ़ज़र पढ़ रहा हो या नवाफिल, इमाम सूरह फ़ातिहा पढ़ रहा हो या कोई और सूरह, बुलन्द आवाज से पढ़ रहा हो या आहिस्ता अगर उसे सूरह फ़ातिहा आती हो फिर भी न पढ़े तो उसकी नमाज नहीं होगी। इस मसले की तफ़सील रुकूअ के ब्यान में आएगी, इंशाअल्लाह।



एक रिवायत में (यह भी) है। नबी सल्ल० ने फ़रमाया कि : ‘‘मैं (अपने दिल में कहता था) कि कुरआन का पढ़ना मुझ पर मुश्किल क्यों (हो रहा) है? फिर मैंने जान लिया कि तुम्हारे पढ़ने की वजह से मुश्किल हुआ। तो जब मैं पुकार कर पढ़ूँ (जहरी नमाज़ में) तो कुरआन से सूरह फ़ातिहा के सिवा कुछ भी न पढ़ो।’’²

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : “जिस व्यक्ति ने नमाज़ पढ़ी और उसमें सूरह फ़ातिहा न पढ़ी बस वह (नमाज़) नाकिस है, नाकिस है, पूरी नहीं।” अबू हुरैरह रज़ि० से पूछा गया, हम इमाम के पीछे होते हैं (फिर भी पढ़ें?) तो हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० ने कहा (हाँ) तू उसको दिल में पढ़।³

हज़रत अनस रज़ि० फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने अपने सहाबा रज़ि० को नमाज़ पढ़ाई। फ़ारिस होकर उनकी तरफ़ मुतवज्जह होकर पूछा क्या तुम अपनी नमाज़ में इमाम की किरअत के दौरान में पढ़ते हो? सब ख़ामोश रहे। तीन बार आपने उनसे पूछा, तो उन्होंने जवाब दिया हाँ! हम ऐसा करते हैं। आप सल्ल० ने फ़रमाया : “ऐसा न करो तुम केवल सूरह फ़ातिहा दिल में पढ़ लिया करो।”⁴

इन अहादीस से साबित हुआ कि मुक्तदियों को इमाम के पीछे (चाहे वह बुलन्द आवाज़ से किरअत करे या न करे) अलहम्दु शरीफ़ ज़रूर पढ़नी चाहिए।⁵

1. अबू दाऊद, हदीस 823, तिर्मिज़ी, हदीस 311। इसे इब्ने ख़ुज़ैमा 1581, इब्ने हिबान 460-461, बैहेकी ने सहीह जबकि इमाम तिर्मिज़ी और दारे कुतनी ने हसन कहा है।

2. अबू दाऊद, हदीस 824। दारे कुतनी ने इसे हसन और बैहेकी ने सहीह कहा है।

3. मुस्लिम, हदीस 395।

4. इब्ने हिबान, 5/152, 162, बैहेकी 2/166 इसकी सेहत के बारे में मज्मउज्ज़वाइद में इमाम हैसमी फ़रमाते हैं : इसके सब रावी सिक्का हैं। इब्ने हज़र ने इसे हसन कहा है।

5. और अधिक जानकारी के लिए देखिए मेरी किताब “अल कवाकिबुदुरिया फ़ी वज़बुल फ़ातिहा” ख़ल्फ़ इमाम फ़ी जरीयह”

आमीन का मसला :

जब आप अकेले नमाज़ पढ़ रहे हों तो आमीन आहिस्ता कहें। जब ज़ोहर और अस्त्र इमाम के पीछे पढ़ें तो फिर भी आहिस्ता ही कहें। लेकिन जब आप जहरी नमाज़ में इमाम के पीछे हों तो जिस समय इमाम ‘वलज्ज़ाल्लीन’ कहे तो आपको ऊंची आवाज़ से आमीन कहनी चाहिए। बल्कि इमाम भी सुन्नत की पैरवी में आमीन पुकार कर कहे। और मुक्तदियों को इमाम के आमीन शुरू करने के बाद आमीन कहनी चाहिए।¹

हज़रत वाइल बिन हजर रज़ि० रिवायत करते हैं कि मैंने सुना रसूलुल्लाह सल्ल० ने पढ़ा। ‘गैरिल म़ग़ज़ूबि अलैहिम वलज्ज़ॉल्लीन’ फिर आपने बुलन्द आवाज़ से आमीन कही।²

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० कहते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्ल० ‘‘गैरिल म़ग़ज़ूबि अलैहिम वलज्ज़ॉल्लीन’’ पढ़ते तो आप कहते आमीन। (इतनो ऊंची आवाज़ से) कि पहली पंक्ति में आपके आस पास के लोग सुन लेते।³

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : “जब इमाम आमीन कहे तो तुम भी आमीन कहो। जिस व्यक्ति की आमीन फ़रिश्तों की आमीन के समान हो गई तो उसके पहले सब गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं।”⁴

1. अर्थात् आमीन का आःग़ाज़ पहले इमाम करेगा उसकी आवाज़ सुनते ही तमाम मुक्तदी हज़रात भी आमीन कहेंगे इमाम से पहले या बाद में ऊंची आमीन कहना सही नहीं है (मुहम्मद अब्दुल जब्बार) लेकिन अगर इमाम बुलन्द आवाज़ से आमीन न कहे तो मुक्तदी हज़रात को आमीन कह देनी चाहिए क्योंकि नवी अकरम सल्ल० का आज्ञा पालन, इमाम के अनुसरण पर मुक़द्दम है।

2. तिर्मिज़ी, हदीस 248, अबू दाऊद, हदीस 932, तिर्मिज़ी ने हसन जबकि इन्हें हजर और इमाम दारे कुतनी ने सहीह कहा है।

3. वैहेकी (2/58), इन्हें खुजैमा, हदीस 571, इन्हें हिबान, हदीस 462। इसे इमाम हाकिम और ज़ेहबी ने सहीह कहा है।

4. बुख़ारी, हदीस 780, मुस्लिम हदीस 410। इस हदीस से मालूम हुआ कि जिस मुक्तदी ने अभी सूरह फ़ातिहा शुरू या ख़त्म नहीं की वह भी आमीन कहने में दूसरों के साथ शरीक होगा ताकि उसे भी पिछले गुनाहों की माफ़ी मिल जाए बाद में वह अपनी फ़ातिहा मुकम्मल करके दोबारा आहिस्ता आगीन कहेगा।

इमाम इब्ने खुजैमा इस हदीस की तशरीह में फ़रमाते हैं : इस हदीस से

साबत हुआ एक इमाम ऊचा आवाज से आमान कह क्योंकि नबा सल्लू
मुक्तदी को इमाम की आमीन के साथ आमीन कहने का हुक्म इसी सूरत में
दे सकते हैं जब मुक्तदी को मालूम हो कि इमाम अमीन कह रहा है। कोई
विद्वान कल्पना नहीं कर सकता कि रसूलुल्लाह सल्लू
मुक्तदी को इमाम की आमीन के साथ आमीन कहने का हुक्म दें जबकि वह अपने इमाम की आमीन
को सुन न सके।¹

नईम मुजमिर रजिं० फ़रमाते हैं कि हज़रत अबू हुरैरह रजिं० ने हमें
रसूलुल्लाह सल्लू
के तरीके के मुताबिक़ नमाज पढ़ाई फिर नईम उस तरीके
को बयान करते हुए कहते हैं कि उन्होंने आमीन कही और जो लोग आपके
अनुसरण में नमाज अदा कर रहे थे उन्होंने भी आमीन कही।²

हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजिं० और उनके मुक्तदी इतनी बुलन्द
आवाज से आमीन कहा करते थे कि मस्जिद गूंज उठती थी।³

इकरिमा रह० फ़रमाते हैं : “मैंने देखा कि इमाम जब “वलज्जॉल्लीन”
कहता तो लोगों के आमीन की वजह से मस्जिद गूंज जाती।⁴

अता बिन अबी रिबाह रह० फ़रमाते हैं : “मैंने दो सौ (200) सहाबा
किराम को देखा कि बैतुल्लाह में जब इमाम “वलज्जॉल्लीन” कहता तो सब
बुलन्द आवाज से आमीन कहते।”⁵

रसूलुल्लाह सल्लू
ने फ़रमाया : “जितने यहूदी, सलाम और आमीन से
चिढ़ते हैं उतना किसी और चीज़ से नहीं चिढ़ते। तो तुम अधिकता से आमीन
कहना।”⁶

1. सहीह इब्ने खुजैमा, 1/286।

2. नसाई, 2/134, इब्ने खुजैमा 1/251, हदीस 499। इसे हाकिम, ज़ेहबी और
बैहेकी ने सहीह कहा है।

3. बुखारी, 2/262, (लेखक अब्दुर्रज्जाक 2/96) इमाम बुखारी रह० ने इसे हज़म
के कलिमे के साथ ज़िक्र किया है। जो इसके सहीह होने की दलील है।

4. लेखक इब्ने अबी शैबा, 2/187।

5. बैहेकी 2/59। किताबुस्सिक्रात, इब्ने हिबान, इसकी सनद इमाम इब्ने हिबान
की शर्त पर सहीह है।

6. इब्ने माजा, हदीस 856। इसे इमाम इब्ने खुजैमा 1/288, हदीस 574, 3/38
हदीस 1585 और बूसीरी ने सहीह कहा है।

हाफिज्ज इब्ने अब्दुल बर रह० ने ज़िक्र किया कि इमाम अहमद बिन हंबल रह० उस व्यक्ति पर सख्त नाराज़ होते जो बुलन्द आवाज़ से आमीन कहने को मन्कूह समझता। क्योंकि यहूदी आमीन से चिढ़ते हैं।

दुआ, तअव्वुज (अबूजुबिल्लाह), तस्मिया (बिस्मिल्लाह) और सूरह फ़ातिहा पढ़कर आमीन कह चुकने के बाद कुरआन मजीद में से जो कुछ याद हो उसमें से कुछ पढ़ें।¹

तिलावत के शिष्टाचार :

हजरत उम्मे सलमा रजिं० से रिवायत है :

﴿يَقْطَعُ قِرَاءَةَ الْآيَةِ أَبْدَى﴾

“रसूलुल्लाह सल्ल० कुरआन मजीद की हर आयत पर ठहरते (बाद वाली आयत को पहली आयत के साथ नहीं मिलाते थे)।”²

यह हदीस कसरत तऱक के साथ मरवी है। इस मसले में उसको बुनियादी हैसियत हासिल है। अइम्मा सल्फ़ सालेहीन की एक जमाअत हर आयत पर ठहर जाती थी अगर बाद की आयत अर्थ के हिसाब से पहले आयत के साथ संबंधित होती थी फिर भी अलग करके पढ़ते थे। तिलावत कुरआन का मसनून तरीका यही है लेकिन आज सारे क़ारी इस तरह तिलावत करने से बचते हैं।

रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : “नमाज़ी अपने खब के साथ सरगोशी करता है। उसे ध्यान करना चाहिए कि वह किस क्रिस्म की सरगोशी कर रहा है और तुम कुरआन मजीद ऊँची आवाज़ के साथ तिलावत करके अपने साथियों को परेशानी में न डालो।”³

रसूलुल्लाह सल्ल०, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक़ आहिस्सा आहिस्ता कुरआन पाक की तिलावत फ़रमाते बल्कि एक एक अक्षर अलग पढ़ते।

1. बुखारी, हदीस 793।

2. अबू दाऊद, हदीस 4001, (हदीस 1466) इसे इमाम हाकिम और ज़ेहबी ने सहीह कहा है।

3. मोत्ता इमाम मालिक, 1/80, अबू दाऊद, हदीस 1332। इसे इब्ने खुजैमा ने सहीह कहा है।

यूं मालूम होता कि छोटी सूरत, लम्बी सूरत से भी ज्यादा लम्बी हो गई। अतएव आपका इरशाद है कि : “हाफिज करआन को कहा जाएगा : ‘तम

कुरआन पढ़ते जाओ और जन्नत की सीढ़ियां चढ़ते जाओ। जिस तरह तुम दुनिया में आहिस्सा आहिस्सा पढ़ा करते थे इस तरह पढ़ते चलो। तुम्हारी मंजिल वहां है जहां तुम्हारा कुरआन (पढ़ना) ख़त्म होगा।”¹

रसूल अकरम सल्ल० कुरआन को अच्छी आवाज से पढ़ने का हुक्म फ्रमाते इसलिए कि मधुर आवाज के साथ कुरआन पाक पढ़ने में मज़ीद हुस्त ऐदा होता है।²

हज़रत उकबा बिन आमिर रजिं० फ्रमाते हैं : “अल्लाह की किताब का ज्ञान हासिल करो। उसको ज़ेहन में महफूज़ करो और उसे मधुर आवाज से पढ़ो। मुझे उस ज़ात की क़सम जिसके हाथ में मेरी जान है ऊंट के घुटनों की रस्सी अगर खोल दी जाए तो वह इतनी तेज़ी से नहीं भागता जितना तेज़ी से कुरआन पाक हाफिज़ से निकल जाता है।”³

नबी सल्ल० ने फ्रमाया : “अल्लाह तआला किसी आवाज के लिए इतना कान नहीं लगाता जितना वह अच्छी आवाज के साथ कुरआन पाक पढ़ने पर लगाता है।”⁴

नमाज की मसनून क्रियातः :

अकेला नमाजी जहां से और जितना चाहे कुरआन मजीद पढ़ सकता है। अलबत्ता इमाम को नमाज पढ़ते समय मुक्तदियों की हालत को देखते हुए ज़रूर सार से काम लेना चाहिए।

नमाज में यद्यपि हम जहां से वाहें कुरआन पढ़ सकते हैं, लेकिन यहां हम नबी सल्ल० की क्रियात का ज़िक्र करते हैं कि आप कौन कौन सी सूरत किस किस नमाज में पढ़ते थे।

1. अबू दाऊद, हदीस 1464, इब्ने हिबान और तिर्मिज़ी, हदीस 2919 ने इसे सहीह कहा है।

2. अबू दाऊद, हदीस 1468, इसे इमाम इब्ने हिबान और इब्ने खुज़ैमा ने सहीह कहा है।

3. दारमी, हदीस 3352, व मुसनद अहमद 4/146 व 150।

4. बुखारी, हदीस 5023-5024 व मुस्लिम, हदीस 792।

सूरह इख्लास का महत्व :

एक अंसारी, मस्जिदे कुबा में इमामत कराते थे। उनका तरीका था कि सूरह फ़ातिहा के बाद कोई दूसरी सूरह पढ़ने से पहले “कुल हुवल्लाहु अहद” (अर्थात् सूरह इख्लास) तिलावत फ़रमाते, हर रकअत में इसी तरह करते। मुक़तदियों ने इमाम से कहा कि आप पहले “कुल हुवल्लाहु अहद” की तिलावत करते हैं फिर बाद में दूसरी सूरह मिलाते हैं, क्या एक सूरह तिलावत के लिए काफ़ी नहीं है? अगर “कुल हुवल्लाहु अहद” की तिलावत काफ़ी नहीं तो उसको छोड़ दें और दूसरी सूरह की तिलावत किया करें। इमाम ने जवाब दिया, मैं “कुल हुवल्लाहु अहद” की तिलावत नहीं छोड़ सकता। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लू० की खिदमत में मसला पेश किया तो नबी सल्लू० ने इमाम से कहा कि “तुम मुक़तदियों की बात क्यों तस्लीम नहीं करते उस सूरह को हर रकअत में क्यों लाज़मी पढ़ते हो? उन्होंने कहा मुझे इस सूरह के साथ मुहब्बत है। नबी सल्लू० ने फ़रमाया : “इस सूरह के साथ तेरी मुहब्बत तुझे जन्नत में दाखिल करेगी।”¹

एक सहाबी ने नबी सल्लू० से कहा कि मेरा एक पड़ौसी रात के क्र्याम (नमाज़) में केवल “कुल हुवल्लाहु अहद” तिलावत करता है दूसरी कोई आयत तिलावत नहीं करता। आपने फ़रमाया : “उस ज़ात की क़सम जिसके क़ब्जे में मेरी जान है यह सूरत तिहाई कुरआन के बराबर है।”²

नमाज़े जुमा और ईदैन में तिलावत :

हज़रत नोमान बिन बशीर रजि० रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लू० दोनों ईदों और जुमा (की नमाज़ों) में “सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला” और

1. बुखारी, इमाम तिर्मिजी ने इसे हसन सहीह गरीब कहा है देखिए : सुनन तिर्मिजी, हदीस 2906। याद रहे कि गरीब हदीस वह होती है जिसका रावी किसी वर्ग (या ज़माने) में केवल एक हो और किसी हदीस का गरीब होना उसके मक्कबूल या मर्दूद होने की दलील नहीं बल्कि अगर इसमें मक्कबूल हदीस की शराइत मौजूद हैं तो वह मक्कबूल हदीस है वरना मर्दूद है। इस हदीस से मालूम होता है कि नमाज़ में सूरतों को तर्तीब से तिलावत करना ज़रूरी नहीं।

2. सहीह बुखारी, हदीस 5015, सहीह मुस्लिम, हदीस 811-812।

“हल अता-क हदीसुल गाशियह” पढ़ते थे। नोमान बिन बशीर रज़ि० ने कहा

जब ईद और जुमा एक दिन में जमा होते तो फिर भी नबी सल्ल० ये दोनों सूरतें दोनों नमाज़ों में पढ़ते।¹

अब्दुल्लाह बिन अबी राफ़ेअ से रिवायत है कि मरवान ने हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० को मदीने का गवर्नर मुकर्रर किया और स्वयं मक्का चले गए। वहां हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० ने जुमा की नमाज़ पढ़ाई और उसमें सूरह जुमा और मुनाफ़िकून पढ़ीं और कहा कि इन सूरतों को जुमा में पढ़ते हुए मैंने रसूलुल्लाह सल्ल० को सुना था।²

रसूलुल्लाह सल्ल० ईद कुरबान और ईदुल फ़ित्र में “क़ाफ़ वल कुरआनिल मजीद” और “इक़-त-र-ब तिस्साअतु” पढ़ते थे।³

जुमा के दिन नमाज़े फ़ज़र में :

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० जुमा के दिन फ़ज़र की नमाज़ में “अस्सिफ़०लाम०मीम० तंजील” पहली रक़अत में और “हल अता-क अलल इसान” दूसरी रक़अत में पढ़ते थे।⁴

नमाज़े फ़ज़र में :

हज़रत जाविर बिन समरा रज़ि० रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० नमाज़े फ़ज़र में सूरह “क़ाफ़ वल कुरआनिल मजीद” और उसकी तरह (कोई और सूरह) पढ़ते थे।⁵

रसूलुल्लाह सल्ल० ने हमें मक्का फ़तह होने के बाद फ़ज़र की नमाज़ पढ़ाई अतः सूरह मोमिनून “क़द अफ़लहल मोमिनून” शुरू की यहां तक कि मूसा और हारून अलैहिस्सलाम का ज़िक्र आया (तो) नबी सल्ल० को खांसी आ गई और आप रुकूअ में चले गए।⁶

1. मुस्लिम, हदीस 878। [एड्युकेशनल ट्रॉफी एवं एस्ट्रेट एंटरप्रार्सिस्ट्स]
2. मुस्लिम, हदीस 877। [एड्युकेशनल एवं एस्ट्रेट एंटरप्रार्सिस्ट्स]
3. मुस्लिम, हदीस 891। [एड्युकेशनल एवं एस्ट्रेट एंटरप्रार्सिस्ट्स]
4. बुख़ारी, हदीस 891 व मुस्लिम हदीस 879। [एड्युकेशनल एवं एस्ट्रेट एंटरप्रार्सिस्ट्स]
5. मुस्लिम, हदीस 458। [एड्युकेशनल एवं एस्ट्रेट एंटरप्रार्सिस्ट्स]
6. मुस्लिम, हदीस 455।

हज़रत अम्र बिन हारीस रज़ि० रिवायत करते हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्ल० को नमाज़े फ़ज़्र में “वल्लैलि इज़ा अस्सास” (अर्थात् सूरह तकवीर) पढ़ते हुए सुना।¹

हज़रत उक्बा बिन आमिर रज़ि० रिवायत करते हैं कि मैं सफ़र में रसूलुल्लाह सल्ल० की ऊंटनी की महार पकड़े हुए चल रहा था। आप (सफ़र में) नमाज़ सुबह के लिए उतरे तो आपने सुबह की नमाज़ में “कुल अऊजु बिरब्बिल फ़लक” और “कुल अऊजु बिरब्बिन्नास” पढ़ी।²

हज़रत मुआज़ बिन अब्दुल्लाह रज़ि० कहते हैं कि नबी सल्ल० ने नमाज़े फ़ज़्र में दोनों रकअतों में “इज़ा जुलजिलत” तिलावत फ़रमाई।³

रसूलुल्लाह सल्ल० फ़ज़्र की सुन्नत की दोनों रकअतों में निहायत हल्की किरअत फ़रमाते।⁴ यहां तक कि हज़रत आइशा रज़ि० फ़रमाती हैं : मुझे सन्देह गुज़रता कि शायद नबी सल्ल० ने सूरह फ़तिहा भी नहीं पढ़ी।⁵

आप सल्ल० सुन्नतों की पहली रकअत में “कुल या अय्युहल काफ़िरून” और दूसरी रकअत में “कुल हुवल्लाहु अहद” पढ़ते।⁶

ज़ोहर व अस्स की नमाज़ में :

हज़रत अबू कतादा रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ज़ोहर व अस्स की पहली दो रकअतों में सूरह फ़तिहा और कोई एक सूरह पढ़ते और पिछली दो रकअतों में केवल फ़तिहा पढ़ते थे और कभी कभार हमें एक आध आयत (बुलन्द आवाज से पढ़कर) सुना देते थे।⁷

1. मुस्लिम, हदीस 456।

2. नंसाई 2/158 व 3/252, अबू दाऊद, हदीस 1462। इसे हाकिम 1/240, इब्ने खुजैमा और इब्ने हिबान ने सहीह कहा है।

3. अबू दाऊद, हदीस 816। इसे इमाम नववी ने सहीह कहा है।

4. मुस्नद इमाम अहमद, (6/183) इसकी सनद सहीह है।

5. बुखारी, हदीस 1171, व मुस्लिम, हदीस 724।

6. मुस्लिम, हदीस 726।

7. सहीह बुखारी, हदीस 776, सहीह मुस्लिम, हदीस 451। याद रहे कि सहीह बुखारी के पुराने नुस्खों में किताबुल अज्ञान एक मोटी किताब है जिसमें अज्ञान के अलावा

शेष अगले पृष्ठ पर

हजरत जाबिर बिन समरा रज्जू रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लू

ज़ोहर में ‘‘वल्लैलि इज्जा यगशा’’ पढ़ते थे। एक और रिवायत में है कि ‘‘सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला’’ और अस्त्र में भी इसकी मानिन्द (कोई सूरह) पढ़ते थे और फ़ज्ज में लम्बी सूरतें पढ़ते थे।¹

हजरत जाबिर बिन समरा रज्जू की एक रिवायत है जिसमें नबी सल्लू का ज़ोहर और अस्त्र में ‘‘वस्समा-इ ज़ातिल बुख़र्ज’’ और ‘‘वस्समा-इ वत तारिक’’ पढ़ना आया है।²

रसूलुल्लाह सल्लू ज़ोहर की आखिरी दोनों रकअतों में पंद्रह आयात के बराबर क्रिरअत फ़रमाते।³

मालूम हुआ कि आखिरी दोनों रकअतों में सूरह फ़तिहा के बाद क्रिरअत मसनून है। और कभी आप आखिरी दो रकअतों में केवल फ़तिहा की क्रिरअत फ़रमाते।⁴

जबकि नमाज़े अस्त्र की पहली दोनों रकअतों में हर रकअत के अंदर 15 आयात तिलावत फ़रमाते।⁵ और आखिरी दो दकअतों में केवल फ़तिहा पढ़ते।⁶

हजरत अबू मअमर रह० ने ख़ब्बाब रज्जू से कहा : क्या रसूलुल्लाह सल्लू ज़ोहर व अस्त्र में क्रिरअत करते थे? ख़ब्बाब रज्जू ने कहा : हाँ, पूछा गया कि आपको कैसे मालूम हुआ? ख़ब्बाब फ़रमाने लगे कि आपकी दाढ़ी की जुंबिश से।⁷

अन्य विषयों की अहादीस भी शामिल हैं कुछ आधुनिक नुस्खों में हर विषय की अहादीस को नया शीर्षक देकर अलग किताब बना दिया गया है (अध्याय वही हैं) अतएवं जदीद नुस्खों में बुख़ारी की यह हदीस किताब सुफ़तुस्सलात में मिलेगी जबकि पुराने नुस्खों में किताबुल अज्ञान में मिलेगी हमने दोनों हवाले दे दिए हैं।

1. मुस्लिम, हदीस 459-460।
2. अबू दाऊद, हदीस 805, इब्ने हिबान (हदीस 465) ने इसे सहीह कहा है।
3. मुस्लिम, हदीस 452।
4. बुख़ारी, हदीस 776, मुस्लिम, हदीस 451।
5. मुस्लिम, हदीस 452।
6. सहीह बुख़ारी, हदीस 776, व सहीह मुस्लिम, हदीस 451।
7. बुख़ारी, हदीस 777।

मालूम हुआ कि ज़ोहर व अस्स की नमाज़ों में आप सिर्फ़ (अर्थात् दिल में) क़िरअत करते थे।

कभी आपकी क़िरअत लम्बी होती। एक बार ज़ोहर की जमाअत की इक़ामत हुई तो एक व्यक्ति अपने घर से बक़्रीअ क़ब्रिस्तान की तरफ़ पेशाब पाख़ाना के लिए गया वहां से फ़ारिग़ होकर घर पहुंचा बुजू किया फिर मस्जिद आया तो मालूम हुआ कि अभी तक नबी सल्ल० पहली रकअत में हैं।¹

सहाबा किराम रज़ि० फ़रमाते हैं कि आप पहली रकअत को इतना लम्बा इसलिए फ़रमाते थे कि नमाज़ी पहली रकअत में ही शरीक हो सकें।²

नमाज़े म़ग़रिब में :

हज़रत जुबैर बिन मुतहम रज़ि० रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्ल० को नमाज़े म़ग़रिब में सूरह तूर पढ़ते सुना।³

उम्मे फ़ज़्ल की बेटी हारिसा रज़ि० कहती है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्ल० को (नमाज़) म़ग़रिब में सूरह “वल मुरसलति उरफ़ा” पढ़ते हुए सुना।⁴

हज़रत आइशा रज़ि० कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने नमाज़ म़ग़रिब, सूरह आराफ़ के साथ पढ़ी और उस सूरह को दोनों रकअतों में अलग अलग पढ़ा।⁵

नमाज़े इशा में :

हज़रत बराओ बिन आज़िब रज़ि० रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्ल० को नमाज़ इशा में “बत-तीनि वज़-ज़तूनि” पढ़ते हुए सुना और मैंने नबी सल्ल० से ज्यादा खुश आवाज़ किसी को नहीं सुना।⁶

हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ि० ने इशा की नमाज़ में सूरह बक़रा पढ़ी।

1. मुस्लिम, हदीस 454।

2. अबू दाऊद, हदीस 800। इस हदीस की असल बुख़ारी और मुस्लिम में मौजूद है।

3. बुख़ारी, हदीस 765 व मुस्लिम, हदीस 463।

4. बुख़ारी, हदीस 763 व मुस्लिम, हदीस 462।

5. नसाई (2/170) इसे इमाम नववी ने हसन कहा है।

6. बुख़ारी, हदीस 769, व मुस्लिम, हदीस 464।

मुक्तदियों में से, एक खेती बाड़ी का काम करने वाले ने सलाम फेर दिया।

पर उत्तम रसूलुल्लाह सल्लो अंते हाजर हाकर ज़ज़ कर्य ॥

अल्लाह के रसूल! हम लोग ऊंटों वाले हैं, दिन भर मेहनत मुशक्कत करते हैं। मुआज़ ने इशा में सूरह बक्रा शुरू कर दी। (मुझे दिन के थके हुए को लम्बी किरअत से कष्ट हुआ) हादी आलम सल्ल० ने मुआज़ रज़ि० से कहा : “तू लोगों को नफ़रत दिलाता है और फ़ितना खड़ा करता है? आप सल्ल० ने तीन बार यह बात दोहराई (फिर फ़रमाया) जब तुम जमाअत कराओ तो “वश-शम्सि वज़ुहा-” और “वल्लैलि इज़ा याशा” और “सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला” की तिलावत करो इसलिए कि तेरे पीछे बूढ़े, कमज़ोर और ज़रूरतमंद (भी) नमाज़ अदा करते हैं।”¹

इस हदीस से इशा की नमाज़ की किरअत भी मातृम हुई और साथ ही इस हदीस ने नमाज़ के इमामों को भी सचित कर दिया है कि वह नमाज़ पढ़ाते समय मुक्तदियों का खास तौर पर ध्यान रखें और खूब समझें कि नमाज़ में मुक्तदियों के हालात को देखते हुए कमी करना रसूलुल्लाह सल्ल० की सुन्नत है।

विभिन्न आयतों का जवाब :

हमारे यहां यह रिवाज़ है कि इमाम जब कुछ खास आयत की तिलावत करता है तो वह और कुछ मुक्तदी, नमाज़ में ऊंची आवाज़ से उनका जवाब देते हैं। यह सही नहीं है क्योंकि इस बारे में कोई सहीह जवाब दे तो जाइज़ है अतएव हज़रत हुज़फ़ा रज़ि० रसूलुल्लाह सल्ल० की नमाज़े तहज्जुद की कैफियत बयान करते हैं कि जब आप तस्बीह वाली आयत पढ़ते तो तस्बीह करते जब सवाल वाली आयत तिलावत करते तो सवाल करते और जब तअव्वुज़ वाली आयत पढ़ते तो अल्लाह की पनाह पकड़ते।²

रसूलुल्लाह सल्ल० का तरीका था कि जब आप (नमाज़ आदि में) “अलै-स ज़ालि-क बिक्रादिरिन अ़ला अयं युह्यियल मौता” (अल-क्रियामह 75/40) तिलावत फ़रमाते तो “सुह्हा-न-क फ़ बला” कहते और जब “सब्बि

1. बुखारी, हदीस 705, व मुस्लिम, हदीस 465।

2. मुस्लिम, हदीस 772।

हिस-म रब्बिकल आला” (अल-आला 87/1) कहते तो “सुङ्हा-न रब्बियल आला” कहते।¹

हजरत इब्ने अब्बास रजिं० जब “रब्बिहिस-म रब्बिकल आला” पढ़ते तो “सुङ्हा-न रब्बियल आला” कहते।²

सूरह गाशियह के समापन पर “अल्लाहुम-म हासिबी हिसाबयं यसीरा” कहने की कोई दलील नहीं। किसी हदीस में अदना सा इशारा भी नहीं कि नबी सल्ल० ने इन कलिमात को सूरह गाशियह के समापन पर कहा हो।

हजरत उसमान बिन अबी अल आस रजिं० ने रसूलुल्लाह सल्ल० से मालूम किया कि : ऐ अल्लाह के रसूल! शैतान मेरी नमाज और मेरी क्रिरअत के बीच हाइल हो जाता है। और क्रिरअत में गड़बड़ी पैदा करता है। आपने फ़रमाया : “उस शैतान का नाम ‘खिन्ज़ब’ है जब तुझे उसका ध्यान आए तो “अऊझुबिल्लाह” के (पूरे) कलिमात पढ़ो और बार्याँ तरफ़ तीन बार थुतकारो (थू करो)।

हजरत उसमान बिन अबी अल आस रजिं० बयान करते हैं कि मैंने ऐसे ही किया, अतएव अल्लाह ने उसे (शैतान को) मुझसे दूर कर दिया।³

नमाज के बीच कोई सोच आने पर नमाज बातिल नहीं होती। हजरत उक्खबा बिन हारिस रजिं० फ़रमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्ल० के साथ नमाजे अस्स पढ़ी। नमाज के बाद आप फ़ौरन खड़े हो गए और पाक पत्तियों के पास तशरीफ़ ले गए फिर वापस तशरीफ़ लाए, सहाबा रजिं० के चेहरों पर हैरत के चिन्ह देखकर फ़रमाया : “मुझे नमाज के दौरान याद आया कि हमारे घर में सोना रखा हुआ है और मुझे एक दिन या एक रात के लिए भी अपने घर में सोना रखना पसन्द नहीं अतः मैंने उसे बांटने का हुक्म दिया।”⁴

1. अबू दाऊद, हदीस 587, अध्याय दुआ फ़िस्लात, हदीस 884। इसे इमाम हाकिम और हाफिज़ ज़ेहबी ने सहीह कहा है। हदीस 884 जिहालत रावी की वजह से ज़ईफ़ है।

2. अबू दाऊद, हदीस 883। इसे इमाम हाकिम और हाफिज़ ज़ेहबी ने सहीह कहा है।

3. मुस्लिम, हदीस 2203ह।

4. बुखारी, हदीस 851।

نماज مें रोना :

हजरत अब्दुल्लाह बिन शखीर रज़िया के फ्रमाते हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लोॢ को नमाज पढ़ते देखा। नमाज में रोने की वजह से आपके सीने से चक्की के चलने की-सी आवाज आ रही थी।

रफ़अ यदैन :

रफ़अ यदैन अर्थात् दोनों हाथों का उठाना नमाज में चार जगह साबित है :

1. शुरू नमाज में तकबीरे तहरीमा कहते समय, 2. रुकूआ से पहले, 3. रुकूआ के बाद और 4. तीसरी रकअत के शुरू में।

इन स्थानों पर रफ़अ यदैन करने के तर्क निम्न हैं :

1. हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़िया के फ्रमाते हैं :

«صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ الصَّدِيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَكَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَنَحَ الصَّلْوَةَ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُونِ وَقَالَ أَبُوبَكْرٍ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَنَحَ الصَّلْوَةَ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُونِ»

“मैंने अबूबक्र सिहीक रज़िया के पीछे नमाज पढ़ी वह नमाज के शुरू में, और रुकूआ से पहले और जब रुकूआ से सर उठाते तो अपने दोनों हाथ (कंधों तक) उठाते थे और कहते थे कि रसूलुल्लाह सल्लोॢ भी नमाज के शुरू में, रुकूआ से पहले और रुकूआ से सर उठाने के बाद (इसी तरह) रफ़अ यदैन करते थे।”¹

2. हजरत उमर फ़ारुक रज़िया ने एक बार लोगों को नमाज का तरीका बताने का इरादा किया तो किबला रुख होकर खड़े हो गए और दोनों हाथों को कंधों तक उठाया, फिर अल्लाहु अकबर कहा, फिर रुकूआ किया और उसी तरह (हाथों को बुलन्द) किया और रुकूआ से सर उठाकर भी रफ़अ यदैन किया।²

1. अबू दाऊद, हदीस 904, नसाई 18।

2. वैहेकी, 2/73 व सनद सहीह।

3. वैहेकी, 1/415-416।

3. हज़रत अली रज़ि० फ़रमाते हैं : कि रसूलुल्लाह सल्ल० नमाज़ के शुरू में, रुकूअ में जाने से पहले और रुकूअ से सर उठाने के बाद और दो रकअतें पढ़कर खड़े होते समय रफ़अ यदैन करते थे।¹

4. हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० फ़रमाते हैं : रसूलुल्लाह सल्ल० शुरू नमाज़ में, रुकूअ से पहले और रुकूअ के बाद अपने दोनों हाथ कंधों तक उठाया करते थे।²

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० (स्वयं भी) शुरू नमाज़ में, रुकूअ से पहले, रुकूअ के बाद और दो रकअतें पढ़कर खड़े होते समय रफ़अ यदैन करते थे और फ़रमाते थे कि रसूलुल्लाह सल्ल० भी इसी तरह करते थे।³

इमाम बुख़ारी के उस्ताद, अली बिन मदीनी रह० फ़रमाते हैं कि हदीस इन्हे उमर रज़ि० की बिना पर मुसलमानों पर रफ़अ यदैन करना ज़रूरी है।⁴

5. हज़रत मालिक बिन हुवेरिस रज़ि० शुरू नमाज़ में रफ़अ यदैन करते, फिर जब रुकूअ करते तो रफ़अ यदैन करते, और जब रुकूअ से सर उठाते तो रफ़अ यदैन करते और यह फ़रमाते थे कि रसूलुल्लाह सल्ल० भी इसी तरह किया करते थे।⁵

6. हज़रत वाइल बिन हजर रज़ि० फ़रमाते हैं : मैंने नबी अकरम सल्ल० को देखा, जब आप नमाज़ शुरू करते तो अल्लाहु अकबर कहते और अपने दोनों हाथ उठाते। फिर अपने हाथ कपड़े में ढांक लेते फिर दायां हाथ बाएं पर रखते। जब रुकूअ करने लगते तो कपड़ों से हाथ बाहर निकालते, अल्लाहु अकबर कहते और रफ़अ यदैन करते, जब रुकूअ से उठते तो “समिअल्लाहु लिमन हमिदा” कहते और रफ़अ यदैन करते।⁶

हज़रत वाइल बिन हजर 9 हि० और 10 हि० में रसूलुल्लाह सल्ल० के पास आए। अतः सावित हुआ कि रसूलुल्लाह सल्ल० 10 हि० तक रफ़अ यदैन करते थे, 11 हिजरी में नबी सल्ल० ने वफ़ात पाई अतः आखिर उमर

1. अबू दाऊद, हदीस 744। इसे इमाम अलबानी ने हसन सहीह कहा है।

2. सहीह बुख़ारी, हदीस 735-736, 738 व सहीह मुस्लिम, हदीस 390।

3. सहीह बुख़ारी, हदीस 739।

4. अल तलखीसुल कबीर, भाग 1, पृ० 218, तबअ जदीद।

5. बुख़ारी, हदीस 737 व मुस्लिम, हदीस 391।

6. मुस्लिम, हदीस 401।

तक रफ़अ यदैन करना साबित हुआ ।

7. हज़रत अबू हमीद साअदी रज़ि० ने सहाबा किराम रज़ि० की एक सभा में बयान किया कि : रसूलुल्लाह सल्ल० जब नमाज़ शुरू करते और जब रुकूअ़ में जाते, जब रुकूअ़ से सर उठाते और जब दो रकअतें पढ़कर खड़े होते तो रफ़अ यदैन करते थे । तमाम सहाबा ने कहा : “तुम सच बयान करते हो, रसूलुल्लाह सल्ल० इसी तरह नमाज़ पढ़ते थे ।”¹

इमाम इब्ने खुजैमा इस हदीस को रिवायत करने के बाद फ़रमाते हैं कि मैंने मुहम्मद बिन याह्या को यह कहते हुए सुना कि जो व्यक्ति हदीस अबू हमीद सुनने के बावजूद रुकूअ़ में जाते और उससे सर उठाते समय रफ़अ यदैन नहीं करता तो उसकी नमाज़ नाक़िस होगीप²

8. हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ि० ने (एक दिन लोगों से) फ़रमाया : “क्या मैं तुम्हें रसूलुल्लाह सल्ल० की नमाज़ न बताऊँ?” यह कहकर उन्होंने नमाज़ पढ़ी, जब तक वीरे तहरीमा कही तो रफ़अ यदैन किया, फिर जब रुकूअ़ किया तो रफ़अ यदैन किया और तक वीर कही, फिर “समिअल्लाहु लिमन हमिदा” कहकर दोनों हाथ (कंधों तक) उठाए । फिर फ़रमाया : “इसी तरह किया करो ।”³

9. हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० शुरू नमाज़ में, रुकूअ़ से फ़हले और रुकूअ़ के बाद अपने दोनों हाथ (कंधों तक) उठाया करते थे ।⁴

10. हज़रत जाविर रज़ि० जब नमाज़ शुरू करते, जब रुकूअ़ करते और जब रुकूअ़ से सर उठाते तो रफ़अ यदैन करते और फ़रमाते थे कि रसूलुल्लाह

1. अबू दाऊद, हदीस 730, तिर्मिजी हदीस 304, इब्ने हिबान (5/182, 184) इसे इमाम तिर्मिजी ने हसन सहीह कहा है ।

2. सहीह इब्ने खुजैमा, 1/298, हदीस 588 ।

3. दारे कुतनी, 1/292 । हाफ़िज़ इब्ने हज़र ने कहा उसके रावी सिक्का हैं । अल-तलाखीस 1/219 ।

4. अबू दाऊद, हदीस 738, इसे इमाम इब्ने खुजैमा (1/344, हदीस 694) ने सहीह कहा है ।

सल्ल० भी इसी तरह करते थे।

रफ़अ यदैन न करने वालों के तर्कों का विश्लेषण :

जिन अहादीस से रफ़अ यदैन न करने की दलील दी जाती है उनका सार में विश्लेषण देखें :

पहली हदीस :

हज़रत जाबिर बिन समरा रज़ि० बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : “क्या बात है कि मैं तुमको इस तरह हाथ उठाते देखता हूं मानो कि वह सरकश घोड़ों की दुमें हैं। नमाज में सुकून इस्कियार करो।”²

विश्लेषण : इस हदीस में उस मकाम का ज़िक्र नहीं जिस पर सहाबा रज़ि० हाथ उठा रहे थे और आप सल्ल० ने उन्हें मना फ़रमाया। जाबिर बिन समरा ही से सहीह मुस्लिम में इसी हदीस से मिली हुई दो रिवायात और भी हैं जो बात को पूरी तरह स्पष्ट कर रही हैं।

(1) हज़रत जाबिर बिन समरा रज़ि० फ़रमाते हैं : रसूलुल्लाह सल्ल० के साथ जब हम नमाज पढ़ते तो नमाज के खात्मे पर दाएं बाएं “अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि” कहते हुए हाथ से इशारा भी करते यह देखकर आपने फ़रमाया : “तुम अपने हाथ से इस तरह इशारा करते हो जैसे शरीर घोड़ों की दुमें हिलती हैं। तुम्हें यही काफ़ी है कि तुम क़ाअदा में अपनी रानों पर हाथ रखे हुए दाएं और बाएं मुंह मोड़कर “अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि” कहो।”³

(2) हज़रत जाबिर बिन समरा रज़ि० का बयान है : हम रसूलुल्लाह सल्ल० के साथ नमाज के खात्मे पर “अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि”

1. मुसनद सिराज, इब्ने माजा, हदीस 868। इब्ने हज़र ने कहा है कि इसके रावी सिक्का हैं। कभी कभी इमाम जहरी नमाजों में, आयत सज्दा, तिलावत करता है। इस सूरत में इमाम और मुक्तदी रुकूअ से पहले सज्दा तिलावत करते हैं, तो उस समय क़्याम से सज्दे में जाते हुए रफ़अ यदैन नहीं किया जाएगा क्योंकि यह रसूलुल्लाह सल्ल० से साबित नहीं है।

2. मुस्लिम, हदीस 430।

3. मुस्लिम, हदीस 431।

कहते हुए हाथ से इशारा भी करते थे यह देखकर आपने फ़रमाया तुम्हें क्या

की दुमें हैं। तुम नमाज़ के खात्मे पर केवल ज़बान से “अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि” कहो और हाथ से इशारा न करो।”¹

इमाम नववी रहो “अल मज्मूआ” में फ्रमाते हैं : जाबिर बिन समरा रजिं० की इस खियात से रुकूअ में जाते और उठते समय रफ़अ यदैन न करने की दलील लेना अजीब बात और सुन्नत से जिहालत की बुरी क्लिस्म है। क्योंकि यह हदीस रुकूअ को जाते और उठते समय के रफ़अ यदैन के बारे में नहीं बल्कि तशहूद में सलाम के समय दोनों तरफ़ हाथ से इशारा करने की मनाही के बारे में है। मुहद्दिसीन और जिनको मुहद्दिसीन के साथ थोड़ा सा भी संबंध है, उनके बीच इस बारे में कोई मतभेद नहीं। इसके बाद इमाम नववी, इमाम बुखारी रहो का कथन नक्ल करते हैं कि इस हदीस से कुछ जाहिल लोगों का दलील पकड़ना सहीह नहीं क्योंकि यह सलाम के समय हाथ उठाने के बारे में है। और जो विद्वान है वह इस तरह की दलील नहीं पकड़ता क्योंकि यह प्रसिद्ध व मशहूर बात है इसमें किसी का मतभेद नहीं और अगर यह बात सहीह होती तो नमाज और ईद का रफ़अ यदैन भी मना हो जाता मगर इसमें खास रफ़अ यदैन को बयान नहीं किया गया। इमाम बुखारी फ्रमाते हैं अतः इन लोगों को इस बात से डरना चाहिए कि वह नबी सल्ल० पर वह बात कह रहे हैं जो आपने नहीं कही क्योंकि अल्लाह फ्रमाता है :

﴿فَلَا يَحْذِرُ الَّذِينَ يَخَافُونَ عَنْ أَشْرِقٍ أَنْ تُصِيبَهُمْ فَتْنَةٌ أَوْ تُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

(٢٣/٢٣)

“तो उन लोगों को जो नबी सल्ल० का विरोध करते हैं इस बात से डरना चाहिए कि उन्हें (दुनिया में) कोई फ़ितना या (आखिरत में) दर्दनाक अज्ञाब पहुंचे ।” (अन्धर 24 : 63)

दूसरी हदीस :

हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़िया ने क़ुरमाया : क्या मैं तम्हें

1. मुस्लिम, हदीस 431 की उप हदीस।

रसूलुल्लाह सल्लो की नमाज बताऊं? फिर उन्होंने नमाज पढ़ी और हाथ न उठाए मगर पहली बार।¹

विश्लेषण : इमाम अबू दाऊद इस हदीस के बारे में फ्रमाते हैं :

«لَيْسَ هُوَ بِصَحِيحٍ عَلَى هَذَا الْفَقْطِ»

“यह हदीस इन शब्दों के साथ सहीह नहीं है।”²

जबकि इमाम तिर्मिज़ी रहो ने अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहो का कथन नक़ल किया है :

«لَمْ يُبَثِّتْ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ بِهِ»

“अर्थात् अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियो के रफ़अ-यदैन के छोड़ने की हदीस सावित नहीं है।”³

इमाम इन्हे हिबान रहो ने तो यहां तक लिख दिया है कि इसमें बहुत सी उलझनें हैं जो इसे बातिल बना रही हैं। (मसलन इसमें सुफ़ियान सूरी मुदल्लिस हैं और अन से रिवायत करते हैं। मुदल्लिस की अन वाली रिवायत तफ़रुद की सूरत में ज़ईफ़ होती है।)

तीसरी हदीस :

हज़रत बराओ रज़ियो कहते हैं मैंमे रसूलुल्लाह सल्लो को देखा आप जब नमाज शुरू करते तो दोनों हाथ कानों तक उठाते “सुम-म ला यऊद” फिर नहीं उठाते थे।⁴

विश्लेषण : इमाम नववी रहो फ्रमाते हैं कि यह हदीस ज़ईफ़ है इसे सुफ़ियान बिन ईना, इमाम शाफ़ी, इमाम बुख़ारी के उस्ताद इमाम हमीदी और इमाम अहमद बिन हंबल जैसे अइम्मा हदीस रहिमहुल्लाह ने ज़ईफ़ क़रार दिया है। क्योंकि यजीद बिन अबी जियाद पहले “ला यऊद” नहीं कहता था, अहले कूफ़ा के पढ़ने पर उसने ये शब्द बढ़ा दिए। इसके अलावा यजीद बिन

1. अबू दाऊद, हदीस 748, तिर्मिज़ी, हदीस 257।

2. अबू दाऊद, हवाला मज्कूर।

3. तिर्मिज़ी, हवाला मज्कूर, हदीस 255।

4. अबू दाऊद, हदीस 749।

अबी ज़ियाद झईफ़ और शीआ भी था। आखिरी उमर में हाफिजा खराब हो

गया था (तकरीब) और मुदलिस था।

इसके अलावा रफ़अ यदैन की अहादीस ऊला हैं क्योंकि वह सकारात्मक हैं और नकारात्मक पर सकारात्मक को वरीयता हासिल होती है।

कुछ लोग दलील देते हैं कि कपटी आस्तीनों और बगलों में बुत रखकर लाते थे बुतों को गिराने के लिए रफ़अ यदैन किया गया, बाद में छोड़ दिया गया। लेकिन हदीस की किताबों में इसका कहीं कोई सुबूत नहीं है। अलबत्ता यह कथन जाहिलों की ज़बानों पर धूमता रहता है।^१

यह भी दलील दी जाती है कि इब्ने ज़ब्रैर रज़ि० कहते हैं : रसूलुल्लाह सल्ल० ने रफ़अ यदैन किया था और बाद में छोड़ दिया।^२

1. निम्न तथ्य इस कथन की कमज़ोरी स्पष्ट कर देते हैं :

(1) मक्का में बुत थे मगर जमाअत फ़ज़र नहीं थी। मदीना में जमाअत फ़ज़र हुई मगर बुत नहीं थे, फिर कपटी मदीना, किन बुतों को बगलों में दबाए मस्जिदों में चले आते थे?

(2) हैरत है कि जाहिल लोग इस गप को सही मानते हैं और इसके साथ साथ नबी सल्ल० को परोक्ष ज्ञान वाले भी मानते हैं यद्यपि अगर आप परोक्ष ज्ञान वाले होते तो रफ़अ यदैन करवाने के बिना भी जान सकते थे कि फ़लां फ़लां व्यक्ति मस्जिद में बुत ले आया है।

(3) बुत ही गिराने थे तो यह, तकबीरे तहरीमा कहते समय जो रफ़अ यदैन की जाती है और उसी तरह रुकूअ और सज्दे के दौरान भी गिरे सकते थे इसके लिए अलग से रफ़अ यदैन की सुन्नत जारी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी।

(4) कपटी भी कितने मूर्ख थे कि बुत जेबों में भर लाने की बजाए उन्हें बगलों में दबा लाए?

(5) निश्चय ही जाहिल लोग और उनके पेशवा यह बताने में नाकाम हैं कि उनके कथनानुसार अगर रफ़अ यदैन के दौरान कपटियों की बगलों से बुत गिरे थे तो फिर आपने उन्हें क्या सज़ा दी थी?

असल यह कहानी मात्र गढ़ा हुआ अफसाना है। जिसका हक्कीकत के साथ तनिक सा संबंध भी नहीं है।

2. (नस्वर्या 1/404) लेकिन यह रिवायत भी मुरसल और झईफ़ है। तहकीकत तो यह है कि मसला रफ़अ यदैन में निवर्तन हुआ ही नहीं है क्योंकि निवर्तन हमेशा शेष अगले पृष्ठ पर

इसी तरह इस सिलसिले में एक और रिवायत भी पेश की जाती है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि० ने फ़रमाया : “मैंने रसूलुल्लाह सल्ल० व अबूबक्र व उमर रज़ि० के साथ नमाज़ पढ़ी ये लोग शुरू नमाज़ के अलावा हाथ नहीं उठाते थे।”

इमाम बैहेकी (2/79-80) और दारे कुतनी लिखते हैं कि इसका रावी मुहम्मद बिन जाबिर झईफ़ है। बल्कि कुछ उलमा (इन्हे जोझी, इन्हे तैमिया आदि) ने इसे मौजूआ कहा है। (अर्थात् यह रिवायत इन्हे मसऊद रज़ि० की बयान की हुई नहीं है बल्कि किसी ने स्वयं गढ़ कर उनकी तस्फ़ संबंधित कर दी है) अतः ऐसी रिवायत पेश करना जाइज़ नहीं है।

वहां होता है जहां (अ) दो हदीसें आपस में टकराती हों (ब) दोनों मक्कबूल हों (स) उनका कोई संयुक्त अर्थ न निकलता हो (द) दलाइल से साबित हो जाए कि उन दोनों में से फ़लां पहले दौर की है और फ़लां बाद में इरशाद फ़रमाई गई, तब्ब बाद वाली हदीस, पहली हदीस को निरस्त कर देती है।

मगर यहां रफ़अ यदैन करने की हदीसें ज्यादा भी हैं और सहीह भी, जबकि न करने की हदीसें कम भी हैं और कमज़ोर भी (उन पर मुहदिसीन की बहस है) अब न तो मक्कबूल और मर्दूद हदीस का संयुक्त अर्थ निकालना जाइज़ है और न ही मर्दूद हदीसों से मक्कबूल हदीसों को निरस्त किया जा सकता है।

लेकिन अगर मान लें इस मसले में चिर्वतन का दावा तस्लीम कर लिया जाए तो भी हालात गवाही देते हैं कि रफ़अ यदैन करना संबंधित नहीं बल्कि न करना निरस्त है क्योंकि (अ) सहाबा किराम रज़ि० ने प्राप्त जीवन के अन्तिम हिस्से (9 हिँ० और 10 हिँ०) में नबी अकरम सल्ल० से रफ़अ यदैन करना रिवायत किया है। (ब) सहाबा किराम रज़ि० नववी काल के बाद भी रफ़अ यदैन पर अमल करते रहे। (स) कहा जाता है कि चारों इमाम बरहक़ हैं अगर ऐसा ही है तो इन चारों में से तीन रफ़अ यदैन को मानते हैं। (द) जिन मुहदिसीने किराम रह० ने रफ़अ यदैन की हदीसों को अपनी विभिन्न मक्कबूल सनदों के साथ रिवायत किया है उनमें से किसी ने यह टिप्पणी नहीं की कि “रफ़अ यदैन निरस्त है” साबित हुआ कि सहाबा व तावर्इन और फुक़हा व मुहदिसीन रहिमहुल्लाह के नज़दीक रफ़अ यदैन निरस्त नहीं बल्कि सुन्नते नववी है और ज़ाहिर है कि सुन्नत छोड़ने के लिए नहीं, अपनाने के लिए होती है। अब जो व्यक्ति एक गैर मासूम उम्मती के अमल को सुन्नते नववी पर वरीयता देता है और सुन्नत को जानकर हमेशा छोड़े हुए है उसे रसूल की मुहब्बत का दावा करना जचता नहीं है। अल्लाह तआला हम सबको हिदायत दे। आमीन!

سارانش : رکعت یदین کی اधیکانش ہدیسے اور سہیتاریں سندوں سے

مربوی ہیں। رکعت یदین ن کرنے کی ہدیسوں کی سند سائبیت نہیں۔ امام بُخَارِی رہ۰ لی�تے ہیں کہ ویداًوں کے نیکٹ کیسی اک سہابی سے بھی رکعت یदین ن کرنا سایبیت نہیں ہے।

رکوع کا بیان :

رکوع میں جاتے سماں اکابر کہکر دوں ہاتھ کاںدھوں (یا کانوں) تک ٹھاکرے۔ جیسا کہ ایک عمر رجیو کا فرمान ہے :

وَكَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذَوْ مُنْكَبِيْهِ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُونِ

1. “نبی سلسلو جب رکوع کے لیے تکبیر کرتے تب بھی اپنے دوں ہاتھ کاںدھوں تک ٹھاکرے ہیں”^۱

2. رکوع میں پیٹ (پشت) بیلکل سیधی رکھے اور سر کو پیٹ کے برابر ارثاً سر ن تو چاہو اور ن نیچا اور دوں ہاتھوں کی ہथیلیاں دوں ہاتھوں پر رکھے^۲

3. ہاتھوں کی ٹانگیاں کوشادا رکھے^۳

4. دوں ہاتھوں (باڈیوں) کو تان کر رکھنے پڑا نہ ہو ٹانگیاں کے بیچ فاسلا ہو اور ہٹنے کو مجبوبت آئے^۴

5. رکوع کی حالت میں نبی سلسلو کی ہथیلیاں اپنے ہٹنے پر یعنی رکھی جاتی ہیں جیسا کہ آپنے ہٹنے کو پکڑا ہوا ہو^۵

6. رکوع کی حالت میں نبی سلسلو اپنی کوہنیاں کو پہلوں سے دور رکھتے ہیں^۶

1. بُخَارِی، ہدیس 73-736, 738, و مُسْلِیم، ہدیس 390 ।

2. سہیل مُسْلِیم، ہدیس 498 ।

3. ابُو داؤد، ہدیس 731 । اسے امام حاکیم اور جہبی نے سہیل کہا ہے ।

4. ابُو داؤد، ہدیس 731, 734 । اسے تیرمیذی اور نبی نے سہیل کہا ہے ।

5. تیرمیذی، ہدیس 260 ।

6. تیرمیذی، ہوچا سایکلا، اسے امام تیرمیذی نے سہیل کہا ہے ।

रुकूअ की दुआएः :

हजरत हुजैफ़ा फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० रुकूअ में फ़रमाते :

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ

“मेरा रब महान् (हर बुराई से) पाक है।”¹

रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : “जिसने रुकूअ में तीन बार ‘सुह्नान रब्बियल अज़ीमि’ कहा उसका रुकूअ पूरा हो गया मगर यह अदना दर्जा (कम से कम तादाद) है।”²

नबी अकरम सल्ल० रुकूअ में तीन बार पढ़ते थे :

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ

“अल्लाह (हर बुराई से) पाक है हम उसकी प्रशंसा के साथ (उसकी पाकी बयान करते हैं)।”³

नबी अकरम सल्ल० रुकूअ में फ़रमाते :

سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

“ऐ अल्लाह! तेरे ही लिए पाकी और प्रशंसा है, तेरे सिवा कोई (सच्चा) माबूद नहीं है।”⁴

हजरत आइशा रजि़० कहती हैं कि नबी अकरम सल्ल० अपने रुकूअ में अकसर कहते थे :

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْنَا

“ऐ हमारे परवरदिगार अल्लाह! तू पाक है, हम तेरी प्रशंसा बयान करते हैं। या इलाही मुझे बरखा दे।”⁵

1. मुस्लिम, हदीस 772।

2. अबू दाऊद, इन्हे माजा। इसे इमाम इब्ने खुजैफ़ा और इमाम इब्ने हिबान ने सहीह कहा है।

3. अबू दाऊद, हदीस 885। इसे इब्ने हिबान ने सहीह कहा है।

4. मुस्लिम, हदीस 485।

5. बुखारी, हदीस 794, 817, 4293, 4967, 4968 व मुस्लिम, हदीस 484।

ہجرت آیشہ رضی اللہ عنہا ریوایت کرتی ہے کہ نبی اکرم سلسلہ اپنے

رکوع اور سجده میں کہتے ہیں :

«سُبْحَانَ رَبِّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّفَعٍ»

“کفریشتوں اور رُح (جیبیل) کا پارواردیگار اতیونت پاک ہے!”¹

ہجرت اُوف بین مالیک رضی اللہ عنہا ریوایت کرتے ہیں کہ رسویلہ سلسلہ اپنے رکوع میں کہتے ہیں :

«سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكَبْرَيَاءِ وَالْعَظَمَةِ»

“کھر، (گلبا) بادشاہی، بڈائی اور بوجوگی کا مالیک اللہ، (بڈا ہی) پاک ہے!”²

ہجرت الی رضی اللہ عنہا سے ریوایت ہے کہ رسویلہ سلسلہ رکوع میں یہ پढتے :

**«اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ أَمْتَثُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ، خَشِعْ لَكَ سَمْعِي
وَبَصَرِي وَمُمْكِنِي وَعَظِيمِي وَعَصِبِي»**

“اے اللہ! میں تیرے آگے جمع کیا، تujھ پر ایمان لایا، تیرا فکارہ ہوا، میرا کان، میری آنکھ، میرا مسٹیجک، میری ہڈی اور میرے پوٹھے تیرے آگے لاؤچار بن گئے!”³

ساتھی، نماز کا رکن ہے :

ہجرت ابوبکر حیران رضی اللہ عنہا سے ریوایت ہے کہ ایک یقینی مسجد میں داخیل ہوا، رسویلہ سلسلہ مسجد کے کونے میں تشریف فرمایا۔ اس یقینی نے نماز پڑھی (اور رکوع، سوچود، کوئے اور جلسے کی ریا یا نہ کی اور جلدی جلدی نماز پڑھ کر) رسویلہ سلسلہ کی خدمت میں ہاجیر ہوا اور آپکو سلام کیا۔ آپنے فرمایا : “وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ”

1. مسلم، حدیث 487 و سونن ابی داود، حدیث 872।

2. ابوبکر داود، حدیث 873।

3. مسلم، حدیث 771।

वापस जा। इसलिए कि तूने नमाज़ नहीं पढ़ी।” वह गया, फिर नमाज़ पढ़ी (जिस तरह पहले पढ़ी थी) फिर आया और सलाम किया आपने फिर फ्रमाया : “व अलैकुमुस्सलाम” जा फिर नमाज़ पढ़। क्योंकि तूने नमाज़ नहीं पढ़ी।” उस व्यक्ति ने तीसरी या चौथी बार (वैसे ही) नमाज़ पढ़ने के बाद कहा : “आप मुझे (नमाज़ पढ़ने का सही तरीका) सिखा दें।” तो आपने फ्रमाया : “जब तू नमाज़ के इरादे से उठे तो पहले खूब अच्छी तरह वुजू कर, फिर क्रिबला रुख़ खड़ा होकर तकबीरे तहरीमा कह, फिर कुरआन मजीद में से जो तेरे लिए आसान हो पढ़, फिर रुकूअ कर, यहां तक कि इत्मीनान से रुकूअ (पूरा) कर, फिर (रुकूअ से) सर उठा यहां तक कि (कौमा में) सीधा खड़ा हो जा, फिर सज्दा कर यहां तक कि इत्मीनान से सज्दा (मुकम्मल) कर, फिर इत्मीनान से अपना सर उठा और (जल्से में) बैठ जा, फिर सज्दा कर यहां तक कि इत्मीनान से सज्दा (पूरा) कर, फिर (सज्दे से) अपना सर उठा और (दूसरी रक़अत के लिए) सीधा खड़ा हो जा, फिर इस तरह अपनी तमाम नमाज़ पूरी कर।¹


इस हदीस में जिस नमाज़ी का ज़िक्र है वह रुकूअ और सज्दे बहुत जल्दी जल्दी करता था, कौमा और जल्सा इत्मीनान से ठहर ठहर कर नहीं करता था, रसूलुल्लाह सल्ल० ने हर बार उसे फ्रमाया कि फिर नमाज़ पढ़ क्योंकि तूने नमाज़ पढ़ी ही नहीं। आपने इन अस्कान की अदाएँगी में अविश्वास को नमाज़ के बातिल होने का सबब क़रार दिया है।

हज़रत अबू मसउद अंसारी रज़ि० रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ्रमाया : “आदमी की नमाज़ कुबूल नहीं होती यहां तक कि रुकूअ और सज्दे में अपनी पीठ सीधी न करे।²

रसूलुल्लाह सल्ल० ने सहाबा किराम रज़ि० से पूछा कि शराबी, ज्ञानी और चोर के बारे में तुम्हारी क्या राय है (अर्थात् उनका गुनाह कितना है)?

1. बुखारी, हदीस 793 व मुस्तिम, हदीस 397।

2. अबू दाऊद, हदीस 855, नसाई (3/183 व 214), तिर्मिज़ी, हदीस 265। इमाम तिर्मिज़ी और इब्ने हिबान ने इसे सहीह कहा है। यहां (फी), (मिन) के मायना में है वरना सज्दे में पीठ सीधी नहीं हो सकती हदीस का मायना यह है कि उस व्यक्ति की नमाज़ कुबूल नहीं होती जो रुकूअ से सर उठाकर बिल्कुल सीधा खड़ा नहीं होता या सज्दे से उठकर बिल्कुल इत्मीनान के साथ सीधा बैठ नहीं जाता।



कि यह गुनाह कबीरा हैं और उनमें सज्जा बहुत है। और (कान खोल कर) सुनो बहुत बरी चोरी, उस आदमी की है जो अपनी नमाज में चोरी करता है। सहाबा ने कहा वह किस तरह? फ़रमाया : ‘जो नमाज का रुकूअ और सज्दा पूरा न करे वह नमाज में चोरी करता है’¹

अल्लाहु अकबर! कितना भय का मक्काम है आह! हमारी गैर मसनून नमाजों का क्या हश्र होगा? हमें नमाज को तकबीरे ऊला से लेकर सलाम फेरने तक मसनून तरीके से अदा करना चाहिए।

हज़रत अबूबक्र रज़ि० से रिवायत है कि वह नबी अकरम सल्ल० के साथ नमाज में शामिल हुए उस समय आप रुकूअ में थे। हज़रत अबूबक्र रज़ि० ने पंक्ति में पहुंचने से पहले ही रुकूअ कर लिया और उसी हालत में चलकर पंक्ति में पहुंचे। नबी सल्ल० को यह बात बताई गई। आपने फ़रमाया : “अल्लाह तेरा शौक़ ज्यादा करे आइदा ऐसा न करना।”²

1. मोता इमाम मालिक १/१६७, इब्ने हिबान, ८/२०९-२१०। इसे हाकिम ओर ज़ेहबी ने सहीह कहा है।

2. बुखारी, हदीस ७८३। कुछ लोग इस हदीस से यह नुक्ता निकालते हैं कि अगर नमाज़ी हालते रुकूअ में इमाम के साथ शामिल हो तो वह उसे रकअत शुमार करेगा क्योंकि हज़रत अबूबक्र रज़ि० ने रकअत नहीं दोहराई न ही आप सल्ल० ने उन्हें ऐसा करने का हुक्म दिया और इससे यह भी मालूम हुआ कि क़्रायाम ज़रूरी है न फ़ातिहा।

यह विचार रहे क्योंकि (1) नबी अकरम सल्ल० ने उन्हें रकअत लौटाने का हुक्म दिया था या नहीं? या उन्होंने स्वयं रकअत को लौटाया था या नहीं? इसके बारे में हदीस खामोश है इस संबंध में जो कुछ भी कहा जाता है वह केवल गुमान की बुनियाद पर कहा जाता है। (2) इसके विपरीत ऐसे खुले दलाइल मौजूद हैं जो (हर सामर्थ के लिए) क़्रायाम और फ़ातिहा दोनों को लाजिम क़रार देते हैं और (3) क़्रायदा यह है कि जब एहतमाल और सराहत आमने सामने आ जाएं तो एहतमाल को छोड़ दिया जाएगा और सराहत पर अमल किया जाएगा। (4) सीधी सी बात है कि इस हदीस शरीफ़ का मर्कज़ी नुक्ता हज़रत अबूबक्र रज़ि० का यह कार्य है कि पहले वह हालते रुकूअ में इमाम के साथ शामिल हुए फिर उसी हालत में आगे बढ़ते हुए पंक्ति में दाखिल हुए, आप सल्ल० ने उन्हें इस काम से रोका था। जमाअत में शामिल होने का शौक़ बजा मगर इस शौक़ को पूरा करने का यह तरीका बहरहाल मुस्तहकम न था, (5) अतः इस हदीस को इसके असल नुक्ते से हटकर मानना और फ़ातिहा से खाली रकअत के जवाज पर लाना सही मालूम नहीं

होता ।


इस सिलसिले में एक विवेचन यह भी सामने आया है वह यह कि नमाज़ में सूरह फ़ातिहा पढ़ने का मौक़ा व ज़रूरत चूंकि क़्रायाम है अतः केवल वही नमाज़ी सूरह फ़ातिहा पढ़ेगा जिसने इमाम को हालत क़्रायाम में पाया और जिसने इस हालत रुकूआ में पाया उसके हक्क में सूरह फ़ातिहा की क़िरअत साक़ित हो जाएगी क्योंकि उसके लिए उसकी क़िरअत का मौक़ा व महल बाक़ी नहीं रहा । यह विवेचन भी महल नज़र है, नक़ल व अक़ल दोनों इसका इंकार करते हैं जैसे :

(1) अमीरुल मोमिनीन फ़िल हदीस हज़रत इमाम बुख़ारी रह० ने सहीह बुख़ारी (किताबुल अज़ान) में एक अध्याय (95) यूँ क़ायाम किया है : अर्थात् “नमाज में सूरह फ़ातिहा पढ़ना हर नमाजी पर वाजिब है स्वयं इमाम हो या मुक़तदी, मुक़ीम हो या मुसाफ़िर, नमाज सिर्फ़ हो या जहरी ।”

(2) रसूलुल्लाह सल्ल० का इरशाद गिरामी है : अर्थात् ‘जिसने (नमाज में) सूरह फ़ातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज ही नहीं’ इससे मालूम हुआ कि अगर एक रकअत में भी सूरह फ़ातिहा रह जाए तो सारी नमाज नहीं होती क्योंकि सूरह फ़ातिहा पढ़ना नमाज का स्तंभ है और स्तंभ किसी भी मक़ाम से रह जाए, नमाज नाक़िस हो जाती है जैसा कि सहीह मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० से रिवायत है कि नबी अकरम सल्ल० ने तीन बार फ़रमाया : अर्थात् ‘जिसने नमाज में सूरह फ़ातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज नाक़िस व अधूरी है ।’ (मुस्लिम, हदीस 14) (बिल्कुल इसी तरह जैसे एक हामिला ऊंटनी समय से कुछ माह पहले अपना अधूरा बच्चा गिरा दे तो वह किसी काम का नहीं होता उसी को अरबी में (खिदाज़ुन) कहते हैं ।) इससे मालूम हुआ कि जिस व्यक्ति ने एक रकअत में सूरह फ़ातिहा नहीं पढ़ी उसकी कम से कम वह रकअत तो नाक़िस होगी और यह मुमकिन ही नहीं कि किसी व्यक्ति की एक रकअत तो नाक़िस हो और बाक़ी नमाज मुकम्मल हो ।

(3) हदीस (ला सला-त) में (ला) नफ़ी जिन्स का है जो इस बात पर दलालत करता है कि जिस रकअत में सूरह फ़ातिहा नहीं पढ़ी गई वह रकअत नमाज की जिन्स से नहीं है (अतः नमाज नाक़िस हुई ।)

(4) इरशादे नबवी है : ‘ला तुज़ि-उ सलातुल ला युक्र-र-उ फ़ीहा बिफ़ाति-ह-तिल किताबि’ (सही इब्ने हिबान, सुनन दारे कुतनी) इस हदीस में (ला तुज़ि-उ) का मायना है (ला तुक़फ़ी वला तसिहहु) अर्थात् जो व्यक्ति नमाज में सूरह फ़ातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज सहीह होगी न उसे किफ़ायत करेगी । अब जिस रकअत में फ़ातिहा नहीं पढ़ी गई कम से कम वह रकअत तो सहीह न रही । इसलिए इसे सहीह करने के लिए ज़रूरी है कि वह यह रकअत सूरह फ़ातिहा समेत दोबारा पढ़ी जाए ।



(5) हदीस कुदसी है : अल्लाह तआला ने फ़रमाया : “मैंने अपने और अपने बन्दे के बीच नमाज़ (आधी, आधी) बांट दी है...” हदीस के मुताबिक़ यहां नमाज़ से मुराद सूरह फ़ातिहा है जिसका पहला आधा, अल्लाह तआला की प्रशंसा व स्तुति, बुजुर्गी बड़ाई और तौहीद इबादत पर आधारित है जबकि बाद का आधा बन्दे की दुआओं पर आधारित है। जब बन्दा नमाज़ में सूरह फ़ातिहा पढ़ रहा होता है तो अल्लाह तआला उन दुआओं की कुबूलियत का एलान फ़रमाते हैं। लेकिन जो नमाज़ी एक रकअत में सूरह फ़ातिहा नहीं पढ़ता और उसकी वह रकअत अल्लाह के इस महान अज़्र अज़्जीम से वंचित रही है।

(6) स्वस्थ और समर्थ आदमी के लिए नमाज़ में क़्रायाम करना ज़रूरी है जिस तरह रुकूअ या सज्दे के बिना नमाज़ नहीं होती इसी तरह क़्रायाम या फ़ातिहा के बिना भी उसकी नमाज़ नहीं होती अतः यह कहना न्याय नहीं है कि “जिसने इमाम को हालते रुकूअ में पाया उसके हक्क में सूरह फ़ातिहा की किरअत साक़ित हो जाएगी क्योंकि उसके लिए उसके क़्रायाम करने का मौक़ा व महल बाक़ी रहा।” इसके विपरीत यूं कहना चाहिए “चूंकि उस व्यक्ति की नमाज़ से दो महत्वपूर्ण रुक्न (क़्रायाम और फ़ातिहा) रह गए हैं अतः उसे यह रकअत दोबारा पढ़नी चाहिए।”

(7) हज़रत अबूबक्र रज़िया की हदीस में (ला तअदू) के जो शब्द हैं उनमें तीन कारण मुमकिन हैं एक तो वही जो प्रायः मुहादिसीन ने बयान किया है (ला तअदू) अर्थात् “आइंदा ऐसा न करना” दूसरी (ला तअदू) अर्थात् “तू रकअत न दोहरा (तेरी नमाज़ सही है)” तीसरी (ला तअदू) अर्थात् दौड़कर न आया कर।

अब क़्रायाम यह है कि “जिस दलील में कई अर्थ हों उसे किसी खास मसले की दलील बनाना सही नहीं है” अतः ठोस दलीलों की अवहेलना करते हुए अनेक अर्थ रखने वाले शब्द (ला तअदू) से विवेचन करना सहीह नहीं है।

(8) प्रसिद्ध इरशादे नबी है : अर्थात् “जो नमाज़ तू इमाम के साथ पा ले उसे उसके साथ पढ़ और जो तुझसे आगे ले गई उसकी क़ज़ा दे” तो जो व्यक्ति एक रकअत का क़्रायाम नहीं पा सका, ज़ाहिर बात है क़्रायाम उससे आगे ले गया है अतः वह फ़रमाने नबवी : (वक़्ज़ि मा स-ब-क़-क) का शरअन मामूर है और इस हुक्म को मानने का उसके अलावा और कोई तरीका ही नहीं है कि वह उस रकअत को दोबारा पढ़े जिससे उसका क़्रायाम और फ़ातिहा रह गई है।

(9) नबी सल्लाहू उल्लाह का एक फ़रमान यह भी है : “जो व्यक्ति मुझे क़्रायाम, रुकूअ या सज्दे की हालत में पाए वह उसी हालत में मेरे साथ शामिल हो जाए” (फ़त्हुल बारी, अज़ान/2-269, लेखक इब्ने अबी शैबा : 1/253), इससे मालूम हुआ कि किसी मुक्तदी के लिए जाइज़ नहीं है कि वह इमाम का विरोध करे अर्थात् इमाम तो रुकूअ कर रहा

क़ौमे का बयान :

रुकूअ से सर उठाते हुए रफ़अ यदैन करते हुए सीधे खड़े हो जाएं। (बुखारी व मुस्लिम, इसका बयान विस्तार से गुजर चुका है।)

अगर आप इमाम (या अकेले) हैं तो रुकूअ से क़ौमे में जाते समय यह पढ़ें :

«سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ»

“अल्लाह ने उसकी सुन ली जिसने उसकी प्रशंसा की।”¹

और अगर मुक़तदी हैं तो यह कहें :

«رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَنْدًا كَثِيرًا طَيْبًا مُبَارَكًا فِيهِ»

“ऐ हमारे रब! तेरे ही वास्ते प्रशंसा है, बहुत ज्यादा पाकीजा और बरकत वाली प्रशंसा।”²

हजरत रिफ़ाआ बिन राफ़ेअ रजिं रिवायत करते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्ल० के पीछे नमाज पढ़ रहे थे, जब आपने रुकूअ से सर उठाया तो फ़रमाया : “समिअल्लाहु लिमन हमिदा” तो एक मुक़तदी ने कहा “रब्बना व लकल हम्दु हमदन कसीरन तथियबन मुबारकन फ़िहि” फिर जब आप सल्ल० नमाज से फ़ारिग हुए तो फ़रमाया : “बोलने वाला कौन था?” (अर्थात् किसने ये कलिमे पढ़े हैं?) एक व्यक्ति ने कहा या रसूलुल्लाह! मैं था। आप सल्ल० ने फ़रमाया : “मैंने तीस से अधिक फ़रिश्ते देखे जो इन कलिमों का सवाब हो और मुक़तदी क़्रयाम कर रहा हो।

(10) इरशाद बारी त्राताला है : अर्थात् “रसूलुल्लाह सल्ल० जो कुछ तुम्हें दें, ले लो” (अल-हश 59 :7) जबकि आपका यह भी फ़रमान है : अर्थात् “इसी तरह नमाज पढ़े जैसे तुमने मुझे नमाज पढ़ते देखा है।” (बुखारी, 631) और यह बात दिन की तरह स्पष्ट है कि आप सल्ल० ने कभी ऐसी नमाज नहीं पढ़ी और न अपनी उम्मत को सिखाई है जिसकी किसी रक़अत में क़्रयाम और सूरह फ़ातिहा न हों इन उल्लिखित तर्कों से मालूम हुआ कि क़्रयाम और सूरह फ़ातिहा के बिना नमाज नहीं होगी।

1. सहीह बुखारी, हदीस 796, व सहीह मुस्लिम, हदीस 476।

2. सहीह बुखारी, अध्याय 126, हदीस 799।

لیکھنے مें जल्दी कर रहे थे।

हजरत अब्दुल्लाह बिन अबी ऊफ़ी रजि० रिवायत करते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्ल० रुकूअ से उठते तो (कौमा में यह दुआ) पढ़ते :

**سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِنْهُ السَّمَوَاتِ وَمِنْهُ
الْأَرْضِ وَمِنْهُ مَا شَفَتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ**

“अल्लाह ने सुन ली उस (बन्दे) की जिसने उसकी प्रशंसा की, ऐ हमारे अल्लाह! तेरे ही लिए सारी प्रशंसा है आसमानों, जमीन और हर उस चीज़ के भराव के बराबर जो तू चाहे ।”¹

हजरत अबू سईद खुदरी रजि० फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० जब अपना सर रुकूअ से उठाते तो यह दुआ पढ़ते :

**أَرَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِنْهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمِنْهُ مَا شَفَتَ مِنْ شَيْءٍ
بَعْدُ، أَهْلَ الشَّنَاءِ وَالْمَسْجِدِ، أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ، وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ،
اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُغْنِي لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدْلِ
مِنْكَ الْجَدْلُ**

“ऐ हमारे पालनहार! हर किसी की प्रशंसा केवल तेरे लिए है आसमानों और जमीन और हर उस चीज़ के भराव के बराबर जो तू चाहे और बन्दे ने जो तेरी प्रशंसा और बुझी की वह तेरे योग्य है और हम सब तेरे ही बन्दे हैं। ऐ अल्लाह! कोई गैरके वाला नहीं उस चीज़ को जो तूने दी और कोई देने वाला नहीं उस चीज़ को जो तूने रोक दी और धनवान को धन तेरे अज्ञाब से नहीं बचा सकता ।”²

रसूلुल्लाह सल्ल० कौमे में फ़रमाते :

**اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ مِنْهُ السَّمَاءِ وَمِنْهُ الْأَرْضِ وَمِنْهُ مَا شَفَتَ مِنْ
شَيْءٍ بَعْدُ اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي بِالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ، اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي
مِنَ الدُّنْوَبِ وَالْخَطَايَا كَمَا يَنْهَا الشَّوْبُ الْأَيْضُ مِنَ الْوَسْخِ**

1. مُسْلِم, حَدِيث 476।

2. مُسْلِم, حَدِيث 477।

“ऐ अल्लाह! तेरे ही लिए सारी प्रशंसा है आसमानों और ज़मीन और हर उस चीज़ के भराबर जो तू चाहे, ऐ अल्लाह! मुझे बर्फ़, ओले और ठंडे पानी से पाक कर दे, ऐ अल्लाह! मुझे गुनाहों और ख़ताओं से ऐसा पाक कर दे जिस तरह सफ़ेद कपड़ा मैल कुचैल से साफ़ किया जाता है।”

चेतावनी :

बहुत से लोगों को क़ौमे का पता नहीं कि वह क्या होता है। स्पष्ट हो कि रुकूअ के बाद इत्मीनान से सीधा खड़े होने को क़ौमा कहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लू रुकूअ से सर उठाकर सीधे खड़े होकर बड़े इत्मीनान से क़ौमे की दुआ पढ़ते थे।

हज़रत बराअ रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लू का रुकूअ और सज्दा और दो सज्दों के बीच बैठना और रुकूअ से (उठकर क़ौमे में) खड़ा होना बराबर होता था सिवाएँ क़्रायाम के और (तशहूद) बैठने के। (अर्थात् यह चारों चीज़ें : रुकूअ, सज्दा, जल्सा और क़ौमा लम्बाई में क़रीबन बराबर होती थीं।)¹

कभी कभी आप सल्लू का क़ौमा बहुत लम्बा होता था। हज़रत अनस रज़ि० कहते हैं : “नबी अकरम सल्लू इतना लम्बा क़ौमा करते कि कहने वाला कहता कि आप भूल गए हैं।”²

سज्दे के आदेश :

(1) हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लू ने फ़रमाया :

إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْمُعْزِزُ وَلَنْ يَضْعَنْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُمْجَبَتِهِ

1. सहीह मुस्लिम, हदीस 476। गुनाहों का नतीजा चूंकि आग है इसलिए बर्फ़, ओलों और ठंडे पानियों से गुनाह धुलवाने की दुआ की जा रही है।

2. बुख़ारी, हदीस 792 व मुस्लिम, हदीस 471।

3. सहीह मुस्लिम, हदीस 473। मगर अफ़सोस कि आज मुसलमान क़ौमा लम्बा करना तो अलग रहा, पीठ सीधी करना भी गवारा नहीं करते तुरन्त सज्दे में चले जाते हैं। अल्लाह हम सबको हिदायत दे। आमीन!

“जब तुममें से कोई सज्दा करे तो ऊंट की तरह न बैठे बल्कि अपने दोनों हाथ घुटनों से पहले रखे।”



(अबू दाऊद, 838) इमाम दारे कुतनी, बैहेकी, और हाफिज़ इब्ने हजर रह० ने ज़ईफ़ कहा है जबकि हज़रत अबू हुएरह रज़ि० की, हाथ पहले रखने वाली रिवायत सहीह है और हज़रत इब्ने उमर की (निम्न) हदीस इस पर गवाह है : नाफ़ेअ रह० रिवायत करते हैं कि इब्ने उमर रज़ि० अपने हाथ घुटनों से पहले रखते और फ़रमाते कि रसूलुल्लाह सल्ल० ऐसा ही करते थे।^१

घुटनों से पहले हाथ रखने को इमाम औज़ाई, मालिक, अहमद बिन हंबल और शैख़ अहमद शाकिर रह० आदि ने इख्तियार किया है। इब्ने अबी दाऊद ने (भी) कहा : मेरा रुझान हदीस इब्ने उमर रज़ि० की तरफ़ है क्योंकि इस बारे में सहाबा और ताबईन से बहुत सी रिवायात हैं।

- (2) सज्दे में पेशानी और नाक ज़मीन पर टिकाएँ।^२
- (3) सज्दे में दोनों हाथों को कंधों के बराबर रखें।^३
- (4) सज्दे में दोनों हाथों का कानों के बराबर रखना भी दुरुस्त है।^४
- (5) सज्दे में हाथों की उगलियां एक दूसरे से मिलाकर रखें। और उन्हें क्रिबला रुख रखें।^५
- (6) सज्दे में दोनों हथेलियां और दोनों घुटने ख़बू ज़मीन पर टिकाएँ।^६

1. अबू दाऊद, हदीस 840। इमाम नववी और ज़रकानी ने इसकी सनद को पक्का कहा है।

2. इब्ने खुजैमा 1/319 हदीस 627, मुस्तदरक (1/226) इसे हाकिम, ज़ेहबी और इब्ने खुजैमा ने सहीह कहा है।

3. बुखारी, हदीस 812, मुस्लिम, हदीस 490।

4. अबू दाऊद, हदीस 734। इसे इमाम इब्ने खुजैमा (640) और तिर्मिज़ी ने सहीह कहा है।

5. अबू दाऊद, हदीस 726। इसे इब्ने हिबान (हदीस 485) ने सहीह कहा है।

6. हाकिम 1/227, बैहेकी 2/112, हाकिम और ज़ेहबी ने इसे सहीह कहा है।

7. अबू दाऊद, हदीस 859। इसे इमाम इब्ने खुजैमा ने सहीह कहा है।

(7) नबी सल्ल० ने फ़रमाया कि उस व्यक्ति की नमाज नहीं जिसकी नाक पेशानी की तरह ज़मीन पर नहीं लगती।¹

(8) पांव की उंगलियों के सिरे किबले की तरफ मुड़े हुए रखें। और कदम भी दोनों खड़े रखें।²

(9) एड़ियों को मिलाएं।³

(10) सज्दे में सीना, पेट और राने ज़मीन से ऊँची रखें, पेट को रानों से, और रानों को पिंडतियों से अलग रखें और दोनों रानें भी एक दूसरे से अलग अलग रखें।⁴

(11) सज्दे में कोहनियों को न तो ज़मीन पर टिकाएं और न करवटों से मिलाएं, बल्कि ज़मीन से ऊँची, करवटों से अलग, खुली रखें।⁵

(12) सज्दे की हालत में नबी सल्ल० अपनी कलाइयों को ज़मीन पर नहीं लगाते थे बल्कि उन्हें उठाकर रखते और पहलुओं से दूर रखते यहां तक कि पिछली तरफ से दोनों बागलों की सफ़ेदी नज़र आती थी।⁶

(13) रसूलुल्लाह सल्ल० फ़रमाते हैं : ‘मुझ हुक्म दिया गया है कि मैं सात हड्डियों पर सजदा करूँ पेशानी, दोनों हाथों, दोनों घुटनों और दोनों कदमों के पंजों पर और (यह कि हम नमाज में) अपने कपड़ों और बालों को इकट्ठा न करें।’⁷

हर वहन-भाई के लिए ज़रूरी है कि वह सज्दे में इन सात अंगों को ख़ूब अच्छी तरह (पूरी तरह से) ज़मीन पर टिकाकर रखें और इत्मीनान से सज्दा करें।

1. दारे कुतनी 1/348। इस हाकिम और इब्ने ज़ोङ्गी ने सहीह कहा है।

2. बुख़ारी, हदीस 828।

3. बैहेकी 2/116। इस इब्ने खुज़ैमा (हदीस 654) हाकिम (1/228) और ज़ेहवी ने सहीह कहा है।

4. अबू दाऊद, हदीस 730, 734, तिर्मिज़ी हदीस 304। इसे इमाम तिर्मिज़ी और इब्ने खुज़ैमा ने सहीह कहा है।

5. बुख़ारी, हदीस 828।

6. बुख़ारी, हदीस 822, व मुस्लिम, हदीस 493।

7. बुख़ारी, हदीस 812 व मुस्लिम, हदीस 490।

औरतें बाजू न बिछाएँ :

बहुत सी औरतें सज्दे में बाजू बिछा लेती हैं। और पेट को रानों से मिलाकर रखती हैं और दोनों क़दमों को भी ज़मीन पर खड़ा नहीं करतीं। स्पष्ट हो कि यह तरीक़ा रसूलुल्लाह सल्ल० चे फ़रमान और सुन्नते पाक के खिलाफ़ है। सुनिए! रसूलुल्लाह सल्ल० फ़रमाते हैं : “तुममें से कोई (मर्द या औरत) अपने बाजू सज्दे में इस तरह न बिछाए जिस तरह कुत्ता बिछाता है।”¹

नबी सल्ल० के इस फ़रमान से साफ़ स्पष्ट है कि नमाजी (मर्द या औरत) को अपने दोनों हाथ ज़मीन पर रखकर दोनों कोहनियां (अर्थात् बाजू) ज़मीन से उठाकर रखने चाहिएं और पेट भी रानों से जुदा रहे और सीना भी ज़मीन से ऊँचा हो। मेरी आदर्णीय मुसलमान बहनो! अपने प्यारे रसूल सल्ल० के इशाद के मुताविक़ नमाज़ पढ़ो। आप मुसलमान मर्दों और औरतों को समान फ़रमाते हैं : “सज्दे में अपने दोनों हाथ ज़मीन पर रख और अपनी दोनों कोहनियां बुलन्द कर।”²

रसूलुल्लाह सल्ल० जब सज्दा करते तो अगंर बकरी का बच्चा हाथों (बाहों) के नीचे से गुजरना चाहता तो गुजर सकता था।³

अल्लाह की समीपता का दर्जा :

हज़रत अबू हुरएह रज़ि० रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : “असल में बन्दा सज्दे की हालत में अपने पालनहार से बहुत निकट होता है। तो (सज्दे में) बहुत दुआ करो।”⁴

1. बुखारी, हदीस 822 व मुस्लिम, हदीस 493।

2. मुस्लिम, हदीस 494। कुछ लोग यह बेकार का बहाना पेश करते हैं कि इस तरह सज्दे में पत्नी की छाती ज़मीन से बुलन्द हो जाती है जो बेपर्दगी है यद्यपि रसूलुल्लाह सल्ल० ने औरत के लिए ओढ़नी को लाज़िम क़रार दिया है यह ओढ़नी दौराने सज्दा भी पर्दे का तक़ाज़ा पूरा करती है फिर आज की कोई औरत सहायियात रज़ि० की ग़ैरत और शर्म व हया को नहीं पहुंच सकती जब उन्होंने हमेशा सुन्नत के मुताविक़ नमाज़ अदा की तो आज की औरत को भी उन्हीं की राह चलनी चाहिए।

3. मुस्लिम, हदीस 496।

4. मुस्लिम, हदीस 482। इससे मालूम हुआ कि नमाज़ बन्दे को अल्लाह से मिला शेष अगले पृष्ठ पर

अल्लाह तआला तो बन्दे से हर हाल में निकट होता है लेकिन सज्दे की हालत में बन्दा उसके बहुत निकट हो जाता है। यही वजह है कि नबी रहमत सल्लूल्लाह सल्लूल्लाह आम तौर पर ज़मीन पर सज्दा करते थे इसलिए कि मस्जिद नबवी में फ़र्श न था। सहाबा रज़िया सख़्त गर्मी में नमाज़ अदा करते और ज़मीन की गर्मी की वजह से अगर वह ज़मीन पर पेशानी न रख सकते तो सज्दे की जगह पर कपड़ा रख लेते और उस पर सज्दा करते।¹

रमज़ानुल मुबारक की इक्कीसवीं रात थी। बारिश बरसी और मस्जिद की छत टपक पड़ी और आप सल्लूल्लाह ने कीचड़ में सज्दा किया। आपकी पेशानी और नाक पर कीचड़ का निशान था।²

एक बार आप सल्लूल्लाह ने बड़ी चट्टान पर नमाज़ अदा की जो ज़मीन पर ज्यादा अर्से बड़ी रहने से सियाह हो गई थी।³

सज्दे में जन्नत :

रसूलुल्लाह सल्लूल्लाह फ़रमाते हैं : “जब आदम का (मोमिन) बेटा सज्दे की आयत पढ़ता है। फिर (पढ़ने और सुनने वाला) सज्दा करता है तो शैतान रोता हुआ एक तरफ़ होकर कहता है हाय मेरी हलाकत, तबाही और बर्बादी! आदम के बेटे को सज्दे का हुक्म दिया गया। उसने सज्दा किया। तो उसके लिए जन्नत है और मुझे सज्दे का हुक्म दिया गया मैंने अवज्ञा की तो मेरे लिए आग है।”⁴

आम तौर पर रसूलुल्लाह सल्लूल्लाह का सज्दा रुकूूः के बराबर लम्बा होता

देती है, जहां तक सज्दे में दुआ मांगने का संबंध है तो उसका बेहतर तरीका यह है कि फ़र्ज़ नमाज़ में वही दुआएं मार्मी जाएं जो सज्दे के बारे में मक्खूल हदीसों में आई हैं। और अगर सुन्तें या नवाफ़िल अदा किए जा रहे हैं तो अन्य मसनून दुआएं भी मांगी जा सकती हैं और अगर कोई व्यक्ति नमाज़ के बिना केवल सज्दा कर रहा है तो जो चाहे दुआ मांगे चाहे अरबी ज़बान में या अपनी ज़बान में।

1. मुस्लिम, हदीस 620।
2. बुखारी, हदीस 2040 व मुस्लिम, हदीस 1168।
3. बुखारी, हदीस 380 व मस्लिम, हदीस 658।
4. सहीह मुस्लिम, हदीस 81।

था। कभी कभी किसी घटना के कारण ज्यादा लम्बा करते। एक बार आप ज़ोहर या अस्त्र की नमाज़ में हसन या हसैन रज़ि० को उठाए हए तथारीफ़

लाए। आप नमाज़ की इमामत के लिए आगे बढ़े और उन्हें अपने क़दम मुबारक के क़रीब बिठा लिया। फिर आपने नमाज़ शुरू की और लम्बा सज्दा किया। जब आपने नमाज़ ख़त्म की तो लोगों ने अर्ज किया या रसूलल्लाह! आपने इस नमाज़ में एक सज्दा बहुत लम्बा किया यहां तक कि हमें ख़्याल गुज़रा कि कोई घटना घट गई है या फिर वह्य नहीं हो रही है। आपने फ़रमाया : “ऐसी कोई बात नहीं थी बस मेरा बेटा मेरी कमर पर सवार हो गया तो मैंने यह बात पसन्द न की कि सज्दे से ज़दी सर उठाकर उसे परेशानी का शिकार करूँ।”¹

जन्त में रसूलुल्लाह सल्ल० का साथ :

हज़रत रबीआ बिन काओब रज़ि० रिवायत करते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्ल० की ख़िदमत में रात गुज़रता था। आपके लिए बुज़ू का पानी और आपकी (अन्य) ज़रूरत (मिस्याक आदि) लाता था। (एक रात खुश होकर) आपने मुझे फ़रमाया : “(कुछ केन व दुनिया की भलाई) मांग (मुझसे दुआ करो)” मैंने कहा : जन्त मैं आप सल्ल० का साथ चाहता हूँ। आपने फ़रमाया : “इसके अलावा कोई और चीज़?” मैंने कहा बस यही। फिर आपने फ़रमाया : “तो अपनी जात के लिए सज्दों की अधिकता से मेरी मदद कर।”²

जिस तरह हकीम रोगी को कहे कि शिफ़ा पाने के लिए मैं कोशिश करता हूँ और तू मेरी हिदायत के मुताबिक़ दवाई और परहेज़ करने के साथ मेरी मदद कर। इसी तरह आपने रबीआ को फ़रमाया कि मैं तेरे हुसूल मुद्रदआ के लिए दुआ से कोशिश करता हूँ और तू सज्दों की कसरत के साथ मेरी

1. नसाई 2/229-230, (हदीस 114) इसे इमाम हाकिम, 3/626-627, इन्हें खुज़ैमा (हदीस 1037) ज़ेहवी ने सहीह कहा है।

2. सहीह मुस्लिम, हदीस 489। इस हदीस से मालूम हुआ कि ज़िंदा बुज़ुर्गों से मुलाक़ात के दौरान उनसे दुआ करवाना जाइज़ है। (नोट) इस हदीस में यह कहीं नहीं है कि मैं चूंकि सारे लोगों का हाजतरवा और मुश्किलकृशा हूँ अतः मुझ से हर क्रिस्म की गैरी मदद मांगा करो, इसके विपरीत नवी अकरम सल्ल० जनाब रबीआ रज़ि० से मदद मांग रहे हैं।

কোশিশ মেঁ মদদ কর। ইস তরহ তুঃজ্ঞে জন্মত মেঁ মেরা সাথ হাসিল হোগ।

হজরত সোবান রজি০ নে রসূলুল্লাহ সল্লো সে জন্মত মেঁ লে জানে বালা অমল পূঁছা তো আপনে ফরমায়া : “অল্লাহ কে লিএ (পূরী নিষ্ঠা ব হুজুর কে সাথ) সজ্দের কী অধিকতা লাভিম কর, তো তেরে হর সজ্দে কে বদলে অল্লাহ তআলা তেরা দর্জা বুলন্দ করেগা ও উসকে সবৰ সে গুনাহ (ভী) মিটাএগা ।”^১

সজ্দে কী দুআ :

(1) রসূলুল্লাহ সল্লো নে ফরমায়া :

**أَلَا وَإِنِّي نَهِيُكُمْ أَنْ أَفْرَأُ الْقُرْآنَ رَأِكُمْ أَوْ سَاجِدُمْ، فَأَمَّا الرُّؤْكُونُ
فَعَطَمُوكُمْ فِيهِ الرَّبُّ عَزَّوَجَلَّ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوكُمْ فِي الدُّعَاءِ**

“খুবরদার মেঁ রুকূও ও সজ্দে মেঁ কুরআন হকীম পढ়নে সে মনা কিয়া গয়া হুঁ। অতঃ তুম রুকূও মেঁ অপনে খব কী মহানস্তা ব্যান করো ও সজ্দে মেঁ খুব দুআ মাংগো। তুম্হারী দুআ কুবূলিয়ত কে লায়ক হোগী ।”^২

(2) হজরত হুজৌফা রজি০ রি঵ায়ত করতে হৈন কি রসূলুল্লাহ সল্লো সজ্দে মেঁ (যহ দুআ) পঢ়তে :

سُبْحَانَ رَبِّ الْأَعْلَىٰ

“মেরা বুলন্দ পরবরদিগার (হর বুরাঈ সে) পাক হৈ ।”^৩

(3) হজরত ইব্রে মসউদ রজি০ রি঵ায়ত করতে হৈন কি নবী সল্লো নে ফরমায়া : “জিসনে সজ্দে মেঁ তীন বার “সুব্হা-ন রব্বিয়ল আলা” পঢ়া উসনে সজ্দা পূরা কিয়া মগর যহ মামূলী দর্জা (কম সে কম তাদাদ) হৈ ।^৪

(৩) سُبْحَانَ رَبِّ الْأَعْلَىٰ وَبِحَمْدِهِ

1. মুস্লিম, হাদীস 288।

2. মুস্লিম, হাদীস 479।

3. মুস্লিম, হাদীস 772।

4. বজ্ঞার ও তবরানী ফৌ কবীর/মজ্মউজ্জ্বাইদ 2/128 বফী নুসখা 315। যহ রি঵ায়ত হসন হৈ।

(4) “मेरा बुलन्द परवरदिगार पाक है मैं उसकी प्रशंसा करता हूं।”¹

(5) हजरत आइशा रजिल रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्ललूह अपने रुकूअ और सज्दे में अधिकता से यह दुआ पढ़ते थे :

«سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبِّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْنَا»

“ऐ हमारे परवरदिगार अल्लाह! तू (हर बुराई से) पाक है, हम तेरी प्रशंसा और पाकी बयान करते हैं। ऐ अल्लाह मुझे बख्शा दे।”²

(6) हजरत आइशा रजिल कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्ललूह अपने रुकूअ और सज्दे में (यह) कहते थे :

«سُبْلِيْخُ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّؤْبُحُ»

“फ्रिश्टों और रुह (जिब्रील) का परवरदिगार बड़ा ही पाक है।”³

(7) हजरत अबू हुरैरह रजिल रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ललूह अपने सज्दे में (यह) कहते थे :

«اللَّهُمَّ اغْفِرْنِي ذَنْبِنِي كُلَّهُ دُعَهُ وَجِلَهُ وَأُوَاهَهُ وَآخِرَهُ وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ»

“ऐ अल्लाह! मेरे छोटे और बड़े, पहले और पिछले, खुले और छुपे, तमाम गुनाह बख्शा दे।”

«سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ»

(8) ऐ अल्लाह! तेरी ही पाकीजगी और प्रशंसा है। तेरे सिवा कोई (सच्चा) उपास्य नहीं है।”⁴

(9) रसूलुल्लाह सल्ललूह सज्दे में फ्रमाते :

«اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا، وَفِي بَصَرِّي نُورًا، وَفِي سَمْعِي نُورًا، وَعَنْ بَمِينِي نُورًا، وَعَنْ يَسَارِي نُورًا، وَفَوْقِي نُورًا،

1. अबू दाऊद, हदीस 870। इन्हे हिबान ने इसे सहीह कहा है।

2. बुखारी, हदीस 794, 817 व मुस्लिम, हदीस 484।

3. मुस्लिम, हदीस 487।

4. मुस्लिम, हदीस 483।

5. मुस्लिम, हदीस 485।

وَتَخْتِي نُورًا، وَأَمَامِي نُورًا، وَخَلْفِي نُورًا، وَعَظْمٌ لِي نُورًا

“ऐ अल्लाह! मेरे दिल, मेरी आंखों की रोशनी और कानों को (ईमान के नूर से) जगमगा दे। मेरे दाएं बाएं, ऊपर नीचे, सामने और पीछे (हर तरफ़) नूर फैला दे और मेरी (हिदायत की) रोशनी को बढ़ा दे।”¹

(10) रसूलुल्लाह सल्लू० सज्दे में फ़रमाते :

اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِرَضَاكَ مِنْ سَخْطِكَ وَبِمُعَاافِتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لَا أُحِصِّنِي شَاءَ عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَشِنَّتَ عَلَى نَفْسِكَ

“ऐ अल्लाह मैं तेरी रजामंदी के ज़रिए तेरे गुस्से से, तेरी आफ़ियत के ज़रिए तेरी सज्ञा से और तेरी रहमत के ज़रिए तेरे अज़ाब से पनाह चाहता हूं। मैं तेरी प्रशंसा को शुमार नहीं कर सकता। तू वैसा ही है जिस तरह तूने अपनी प्रशंसा स्वयं की है।”²

(11) हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ि० बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लू० जब सज्दे में जाते तो यह दुआ पढ़ते :

اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ، سَاجِدٌ وَجِهٌ لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَرَهُ وَشَقَّ سَمْعَةً وَبَصَرَهُ، تَبَارَكَ اللَّهُ أَخْسَنُ الْخَالِقِينَ

“ऐ अल्लाह तेरे लिए मैंने सज्दा किया। मैं तुझ पर ईमान लाया। मैं तेरा आज्ञापालक हुआ। मेरे चेहरे ने उस जात को सज्दा किया जिसने उसे पैदा किया। उसकी अच्छी सूरत बनाई। उसके कान और आंख को खोला। बेहतरीन रचना करने वाला अल्लाह, बड़ा ही बाबरकत है।”³

(12) रसूलुल्लाह सल्लू० ने नमाज़े इशा में सज्दे की आयत तिलावत की तो सज्दा किया।⁴

(13) आप सल्लू० सज्दे की आयत तिलावत करते और सज्दाएं तिलावत में पढ़ते :

1. मुस्लिम, हदीस 763।

2. मुस्लिम, हदीस 486।

3. मुस्लिम, हदीस 771।

4. बुखारी हदीस 1075।

سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ فَتَبَارَكَ

الله أَخْسَنُ الْخَالِقِينَ

“मेरे चेहरे ने उस हस्ती को सज्दा किया जिसने अपनी कुदरत व ताक़त से उसे बनाया। कान बनाए। आंख बनाई। अल्लाह जो सबसे बेहत तख्लीक़ करने वाला है बहुत बरकत वाला है।”¹

(14) सज्दाएँ तिलावत ज़रूरी नहीं। हज़रत जैद बिन साबित रज़ि० फ़रमाते हैं कि मैंने नबी सल्ल० के सामने सूरह नज्म तिलावत की तो आपने सज्दाएँ तिलावत नहीं किया।²

बीच का जल्सा (दो सज्दों के बीच बैठना) :

हज़रत अबू हमीद साआदी रज़ि० की रियायत है :
“फिर रसूलुल्लाह सल्ल० सज्दे से अपना सर उठाते और अपना बायां पांव मोड़ते (अर्थात् बिछाते) फिर उस पर बैठते, और सीधे होते यहां तक कि हर हड्डी अपने ठिकाने पर आ जाती (अर्थात् पहले सज्दे से सर उठाकर निहायत आराम व इत्मीनान से बैठ जाते और दुआएँ जो आगे आती हैं पढ़कर) फिर (दूसरा) सज्दा करते।³

आप सल्ल० का तरीक़ा था कि बैठते समय अपना दायां पांव खड़ा कर लेते।⁴

और दोनों पांव की उंगलियां किंबले रुख़ करते।⁵

और कभी कभी आप सल्ल० अपने क़दमों और अपनी एड़ियों पर

1. अबू दाऊद, हदीस 1414। इसे इमाम तिर्मिज़ी, हाकिम और ज़ेहबी ने सहीह कहा है। और “فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَكْبَرُ أَهْسَنَ الْخَالِقِينَ” के शब्द मुस्तदरक हाकिम (1/220) में हैं।

2. बुखारी, सुजूदुल कुरआन, हदीस 1072-1073 व मुस्लिम, हदीस 577।

3. अबू दाऊद, हदीस 730, तिर्मिज़ी हदीस 304, इब्ने माजा, हदीस 1060। इसे इमाम नववी और तिर्मिज़ी ने सहीह कहा है।

4. बुखारी, हदीस 828।

5. नसाई, हदीस 1158। इसे इमाम इब्ने खुज़ैमा और इमाम इब्ने हिबान ने सहीह कहा है।

बैठते।¹

नबी सल्ल० स्वयं बड़े इत्मीनान से जल्से में बैठते। इसके अलावा न बैठने वाले की नमाज़ का इन्कार किया। लेकिन अफ़सोस कि आम लोगों को जल्से का पता ही नहीं है कि वह क्या होता है। जल्सा नमाज़ में फर्ज़ है और इसमें इत्मीनान भी फर्ज़ है। नबी सल्ल० का जल्सा सज्दे के बराबर होता था।²

कभी कभी ज्यादा (देर तक) बैठते यहां तक कि कुछ लोग कहते कि आप (दूसरा सज्दा करना) भूल गए।³

जल्से की मसनून दुआएः :

1. हजरत इब्ने अब्बास रजि० रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० दोनों सज्दों के बीच (यह) पढ़ते :
 ﴿اللَّهُمَّ اغْفِرْنِي وَارْحَمْنِي وَاعْفِنِي وَارْزُقْنِي﴾

“ऐ अल्लाह! मुझे बख्शा दे, मुझ पर दमा कर, मुझे हिदायत दे, मुझे आफ़ियत से रख और मुझे रोज़ी प्रदान कर।”⁴

हजरत हुजैफ़ा रजि० रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्ल० दोनों सज्दों के बीच पढ़ा करते थे :
 ﴿رَبِّ اغْفِرْنِي، رَبِّ اغْفِرْنِي﴾

“ऐ मेरे रब मुझे माफ़ फ़रमा, ऐ मेरे रब मुझे माफ़ फ़रमा।”⁵

दूसरा सज्दा :

जब आप पूरे इत्मीनान से जल्से के फ़राइज़ से फ़ारिग़ हों तो फिर दूसरा

1. सहीह मुस्लिम, हदीस 536।

2. बुखारी, हदीस 820 व मुस्लिम, हदीस 471।

3. बुखारी, हदीस 821, मुस्लिम हदीस 472-473।

4. अबू दाऊद, हदीस 850, तिर्मिज़ी हदीस 284। इसे हाकिम, ज़ेहबी और नववी ने सहीह कहा है।

5. अबू दाऊद, हदीस 874, दारमी हदीस 1325, इब्ने माजा, हदीस 897। इसे हाकिम (1/271) और ज़ेहबी ने सहीह कहा है।

सज्दा करें और पहले सज्दे की तरह उसमें भी पढ़े विनम्रता व भय और कामिल इत्मीनान से दुआ या दुआएं पढ़ें और फिर उठें।

जल्सए इस्तराहत :

दूसरा सज्दा कर चुकने के बाद एक रकअत् पूरी हो चुकी है अब दूसरी रकअत के लिए आपको उठना है लेकिन उठने से पहले जल्सए इस्तराहत में ज़रा बैठकर उठें इसकी सूरत यह है।

रसूलुल्लाह सल्ल० “अल्लाहु अकबर” कहते हुए (दूसरे सज्दे से उठते) और अपना बायां पांव मोड़ते हुए (बिछते और) उस पर बैठते फिर (दूसरी रकअत के लिए) खड़े होते।¹

रसूलुल्लाह सल्ल० अपनी नमाज़ की ताक़ (पहली और तीसरी) रकअत के बाद खड़े होने से पहले सीधे बैठते थे।²

जल्सए इस्तराहत से उठने समय दोनों हाथ ज़मीन पर टेक कर उठें।³

दूसरी रकअत :

रसूलुल्लाह सल्ल० जब दूसरी रकअत पढ़कर खड़े होते तो अलहम्दु शरीफ़ की क़िरअत शुरू कर देते और (दुआए इफ्ताह के लिए) विराम नहीं करते थे।⁴

1. अबू दुअद, हदीस 730, दारमी हदीस 1358, तिर्मिज़ी हदीस 304, इब्ने माज़ हदीस 1061। इस इमाम नववी, तिर्मिज़ी और इब्ने क़थियम ने सहीह कहा है।

2. बुखारी, हदीस 823।

3. बुखारी, हदीस 824। एक विवादित रिवायत में जल्सए इस्तराहत से क़याम के लिए उठते समय हाथों को आटा गूँधने वाली कैफ़ियत के साथ ज़मीन पर टेकने का ज़िक्र है जिससे कुछ उलमा ने यह विवेचन किया है कि बन्द मुट्ठियों को ज़मीन पर टेक कर उठना मुस्तहब है यद्यपि (बशर्ते सेहत हदीस) दोनों अप्र मुस्तहब हैं क्योंकि आटा गूँधते समय भी कभी हाथ खोले जाते हैं और कभी मुट्ठियां बनाई जाती हैं अतः नमाज़ी जिसमें आसानी महसूस करे, कर ले। आम तौर पर देखा गया है कि नमाज़ में सज्दाए तिलावत से उठकर इमाम और मुकतदी जल्सए इस्तराहत के लिए नहीं बैठते बल्कि सज्दे से सीधे क़याम के लिए खड़े हो जाते हैं यद्यपि सज्दाए तिलावत करने के बाद भी जल्सए इस्तराहत करना चाहिए क्योंकि जल्से की अहादीस के मायना का यही तक़ाज़ा है।

4. मुस्लिम, हदीस 599।

तशहृहृदः

इसको पहला क़ाअदा भी कहते हैं, दूसरी रक़अत के बाद (दूसरे सज्जे से उठकर) बायां पांव बिछाकर उसपर बैठ जाएं और दायां पांव खड़ा रखें।¹
दाएं हाथ को अपने दाएं और बाएं हाथ को बाएं घुटने पर रखें।²
हजरत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़िया की रिवायत में है :

«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَعَدَ يَدْعُو وَضَعَ يَدَهُ الْيَمِنِيَّةِ عَلَى فَخِذِيهِ الْيَمِنِيَّةِ، وَيَدَهُ الْيَمِنِيَّةِ عَلَى فَخِذِهِ الْيَمِنِيَّةِ»

“रसूलुल्लाह सल्ल० जब नमाज़ में (तशहूद) बोलते (और) दुआ फ़रमाते तो अपना दायां हाथ अपनी दायीं और बायां हाथ अपनी बाईं रान पर रखते।”³

मातृम हुआ कि नमाज़ी को छूट है चाहे दोनों हाथ घुटनों पर रखे। चाहे रानों पर। अब आप पहले क़ाअदा में तशह्वुद पढ़ें। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : “तो जब तुम नमाज़ में (क़ाअदा के लिए) बैठो तो यह पढ़ो :


الشِّعَيْثُ اللَّهُ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا التَّبَّى وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عَبْدِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشَهُدُ أَنَّ لَأَللَّهِ إِلَّا اللهُ، وَأَشَهُدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

“(मेरी सारी) ज़बानी, शारीरिक और आर्थिक इबादत केवल अल्लाह के लिए खालिस है। ऐ नभी आप पर अल्लाह तआला की रहमत, सलामती और बरकतें हों और हम पर और अल्लाह के (दूसरे) नेक बन्दों पर (भी) सलामती हो, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई (सच्चा) उपास्य नहीं है और मैं गवाही देता हूं कि मुहम्मद (सल्लू) अल्लाह के बन्दे और रसूल हैं।” इन कलिमात को अदा करने से हर नेक बन्दे को चाहे वह ज़मीन पर हो या

1. सहीह बुखारी, हदीस 827-828।

2. मुस्लिम, हदीस 579।

3. मौस्तिम, हदीस 579 की ज़ेली हदीस ।



हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रजि० बयान करते हैं कि जब तक रसूलुल्लाह सल्ल० हमारे बीच मौजूद रहे हम “अस्सलामु अलै-क अय्युहन्नबिय्यु” कहते रहे, जब आप रुक्सत हो गए तो हमने खिताब का कलिमा छोड़कर गायब का कलिमा पढ़ना शुरू कर दिया। अर्थात् फिर हम “अस्सलामु अलन्नबिय्यु” पढ़ते थे।²

रसूलुल्लाह सल्ल० बीच के तशह्हुद से फ़ाणि होकर खड़े हो जाते थे।³
अतः! बीच के तशह्हुद में केवल तशह्हुद काफ़ी है।⁴
और अगर कोई व्यक्ति तशह्हुद के बाद हुआ करना चाहे तो भी जाइज्ज है।

नबी सल्ल० ने फ़रमाया : “जब तुम दो रकअत पर बैठो तो अत्तहिय्यात

1. बुखारी, हदीस 831, 835 व मुस्लिम, हदीस 402।

2. बुखारी, हदीस 6265। पहले जुमले का अर्थ है : “ऐ नबी सल्ल० आप पर सलामती हो।” दूसरे जुमले कास अथ है : “नबी अकरम सल्ल० पर सलामती हो।” फिर भी बाद में दोबारा “अस्सलामु अलै-क अय्युहन नबिय्यु” पढ़ा जाने लगा। इससे मालूम हुआ कि सहावा किराम रजि० नबी अकरम सल्ल० को आलिमुल ग़ैब या हाज़िर नाज़िर नहीं समझते थे वरना वह एक दिन के लिए भी “अलै-क अय्युहन्नबिय्यु” की जगह “अलन्नबिय्यु” नहीं पढ़ते।

सहावा किराम रजि० की पैरवी में आज तक के मुसलमान उन्हीं शब्दों में तशह्हुद पढ़ते चले आए हैं, इसलिए नहीं कि नबी अकरम सल्ल० हर नमाज़ी के पास हाज़िर होते हैं बल्कि इसलिए कि यह सुन्नत के अनुसरण का तक़ाज़ा है। और अल्लाह तआला ने अपने बन्दों का दुरुद व सलाम अपने हवीब सल्ल० तक पहुंचाने का आयोजन किया हुआ है। (अबू दाऊद, हदीस 2041-2042) तो जिस तरह हम अपने पत्र-व्यवहार में खिताब के कलिमे के साथ एक दूसरे को सलाम भेजते हैं इसी तरह हमारा सलाम भी अल्लाह तआला उन तक पहुंचा देते हैं मतलब यह कि तशह्हुद के शब्द “अलै-क अय्युहन्नबिय्यु” से शिर्किया अकीदा (आपके आलिमुल ग़ैब या हाज़िर नाज़िर होने) की कदापि पुष्टि नहीं होती।

3. मुसनद इमाम अहमद (1/459) इसकी सनद सहीह है।

4. फिर भी पहले तशह्हुद में दुरुद शरीफ पढ़ना भी जाइज्ज बल्कि मुस्तहब है। विस्तार के लिए देखें, तफ़सील अहसनुल बयान, सूरह अहज़ाब, आयत 56 का हाशिया, लिल अलबानी, पृ० 45।

के बाद जो दुआ ज्यादा पसन्द हो वह करो।”¹

और दुआ से पहले दुरुद पढ़ना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्ल० ने सुना एक आदमी नमाज में दुआ कर रहा था। आपने फ़रमाया : “इसने जल्दी की, नमाज में पहले अल्लाह की प्रशंसा करो फिर नबी सल्ल० पर दुरुद भेजो फिर दुआ करो।”² अतः बीच के तशह्हुद में तशह्हुद के बाद दुरुद और दुआ भी की जा सकती है।

मसला रफ़अ सबाबा :

तशह्हुद में उंगली का उठाना रसूलुल्लाह सल्ल० की बड़ी बरकत वाली और महान सुन्नत है, इसका सुबूत सुन्नत रसूलुल्लाह सल्ल० से देखें।

हज़रत इब्ने उमर रज़ि० रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० जब नमाज (के काअदे) में बैठते तो अपने दोनों हाथ अपने दोनों घुटनों पर रखते और अपनी दायीं उंगली जो अंगूठे के निकट है उड़ा द्दिते। तो उसके साथ दुआ मांगते।³

हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ि० रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० जब (नमाज में) तशह्हुद पढ़ने बैठते तो अपना दायां हाथ दायीं और दायां हाथ दायीं रान पर रखते और शहादत की उंगली के साथ इशारा करते और अपना अंगूठा अपनी बीच की उंगली पर रखते।⁴

नबी सल्ल० दाएं हाथ की तमाम उंगलियों को बन्द कर लेते, अंगूठे के साथ वाली उंगली को किंबला रुख करके उसके साथ इशारा करते।⁵

हज़रत वाइल बिन हज़र रज़ि० रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० (दूसरे सज्दे से उठकर काअदा में) बैठे, दो उंगलियों को बन्द किया, (अंगूठे और बीच की बड़ी उंगली से हल्का बनाया) और अंगुश्त शहादत (कलिमे की

1. नसाई, हदीस 1163।

2. अबू दाऊद, हदीस 148। इसे हाकिम और ज़ेहबी ने सहीह कहा है।

3. सहीह मुस्लिम, हदीस 850, “तो उसके साथ दुआ मांगते” इसका सहीह अर्थ यह है कि अंगुश्त शहादत के साथ इशारा फ़रमाते जिस तरह कि बाद में आने वाली रिवायात में इसका स्पष्टीकरण और व्याख्या मौजूद है।

4. मुस्लिम, हदीस 579।

5. सहीह मुस्लिम, हदीस 580।

“या इलाही! मैं तेरी पनाह में आता हूं अज्ञाबे कब्र से और तेरी पनाह में आता हूं दज्जाल के फ़ितने से और पनाह में आता हूं मौत व जीवन के फ़ितने से, या इलाही, मैं गुनाह से और क़र्ज़ से तेरी पनाह मांगता हूं।”¹

नबी सल्ल० ने फ़रमाया है कि तशहूद में चार चीजों से अल्लाह तआला की पनाह ज़रूर तलब करो :

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمُحْكَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِينِ الدَّجَالِ»

“ऐ अल्लाह! मैं, जहन्म और कब्र के अज्ञाब से, मौत व जीवन के फ़ितने और फ़ितना मसीह दज्जाल के शर से तेरी पनाह मांगता हूं।”²

नबी सल्ल० यह दुआ सहाबा रजि० को सिखाते जैसा कि उन्हें कुरआन की सूरतें सिखाते थे³ अतः उसे पढ़ना ज़रूरी है।

(2) हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ रजि० रिवायत करते हैं कि मैंने कहा, या रसूलुल्लाह! नमाज में मांगने के लिए मुझे (कोई) दुआ सिखाइए (कि उसे अत्तहियात और दुरुद के बाद पढ़ा करो) तो आपने फ़रमाया! पढ़ :

«اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبُ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْنِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ»

“या इलाही! निःसन्देह मैं अपनी जान पर बहुत ज़्यादा ज़ुल्म किया है। और तेरे सिवा गुनाहों को कोई नहीं बख्श सकता। तो अपनी ओर से मुझको बख्शा दे और मुझ पर दया कर, निःसन्देह तू ही बख्शाने वाला मेहरबान है।”⁴

(3) हज़रत अली बिन अबी तालिब रजि० बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० तशहूद के बाद सलाम फेरने से पहले यह दुआ पढ़ते थे :

«اللَّهُمَّ اغْفِرْنِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخْرَزْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا


1. बुखारी, हदीस 832 व मुस्लिम, हदीस 589। सहीह मुस्लिम की रिवायत में “अलमात” से पहले “फ़ितना” का शब्द नहीं है। (मुहम्मद अब्दुल जब्बार)

2. सहीह मुस्लिम, हदीस 590।

3. मुस्लिम, हदीस 590।

4. बुखारी, हदीस 834 व मुस्लिम, हदीस 2705।

أَنْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَغْلَمُ بِهِ مِنْيَ أَنْتَ الْمُقَدْمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا



“ऐ अल्लाह! तू मेरे अगले पिछले, छुपे और खुले, (तमाम) गुनाह माफ़ फ्रमा और जो मैंने, ज्यादती की और वह जो गुनाह, तू मुझसे ज्यादा जानता है (वह भी माफ़ फ्रमा) तू ही (अपनी बारगाह इज़्जत में) आगे करने वाला और (अपनी बारगाह जलाल से) पीछे करने वाला है। केवल तू ही (सच्चा) उपास्य है।”¹

नमाज का समापन :

हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़िया रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह سल्लूॢ अपने दायीं तरफ सलाम फेरते (तो कहते) : “अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि” और बायीं तरफ सलाम फेरते तो कहते : “अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि”²

हज़रत वाइल बिन हजर रज़िया रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह سल्लूॢ के साथ नमाज पढ़ी। आप दायीं तरफ सलाम फेरते तो कहते “अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व ब-र-कातहु” और बायीं तरफ सलाम फेरते तो कहते “अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि” (अर्थात् केवल दायीं तरफ वाले सलाम में व ब-र-कातहु) की वृद्धि करते।³

कुछ और आदेश :

- (1) नबी सल्लूॢ ने फ्रमाया : “नमाज में सांप और बिच्छू मार डालो।”⁴
- (2) नमाज में बच्चे को उठाने से नमाज बातिल नहीं होती :

1. मुस्लिम, हदीस 771।

2. अबू दाऊद, हदीस 996, तिर्मिज़ी हदीस 295। इसे तिर्मिज़ी और इब्ने हिबान ने सहीह कहा है। मानो नमाज़ी पहले, अल्लाह तआला से बात कर रहा था अब उस कैफ़ियत से वापस आया है तो हाज़िरीन (नमाज़ियों या फ़रिश्तों) से सलाम कह रहा है।

3. अबू दाऊद, हदीस 997। इमाम नववी और इमाम इब्ने हजर ने इसे सहीह कहा है।

4. अबू दाऊद, हदीस 921।

हजरत अबु क़तादा रजिं० फ़रमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्ल० को इस हालत में नमाज़ पढ़ते हुए देखा कि अबुल आस की बेटी उमामा (आप सल्ल० की नवासी) आपके कंधों पर थी। आप रुकूअ फ़रमाते तो उमामा को उतार देते और जब सज्दे से फ़ारिग होते तो फिर उसे उठा लते।¹

(3) नबी सल्ल० ने फ़रमाया : “नमाज़ में इधर उधर देखना, बन्दे की नमाज़ में शैतान का हिस्सा है।”²

(4) नबी सल्ल० ने नमाज़ में पहलू पर हाथ रखने से मना फ़रमाया।³

(5) नबी सल्ल० ने फ़रमाया : “जब किसी को नमाज़ में जमाई आए तो उसे कोशिश भर रोके क्योंकि उस समय शैतान मुंह में दाखिल होता है।”⁴

(6) एक रिवायत में है : “(जमाई के समय) हा-हा न कहो क्योंकि इससे शैतान खुश होता है।”⁵

(7) नबी सल्ल० ने फ़रमाया : “लोगों को हालते नमाज़ में निगाहें आसमान की तरफ उठाने से बचे रहना चाहिए वरना उनकी निगाहें उचक ली जाएंगी।”⁶

(8) हजरत साइब रजिं० ने मुआविया रजिं० के साथ मक़सूरा में जुमा पढ़ा। जब इमाम ने सलाम फेरा तो हजरत साइब ने खड़े होकर नमाज़ शुरू कर दी। हजरत मुआविया रजिं० कहने लगे : आइंदा ऐसा न करना, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया है : “एक नमाज़ को दूसरी नमाज़ के साथ न मिला। उनके बीच कलाम करो या जगह तब्दील करो।”⁷

(9) नबी सल्ल० ने फ़रमाया : “नमाज़ में इंसान अपने रब से मुनाजात करता है इसलिए उसे चाहिए कि दायीं जानिब न थूके बल्कि अपने बाएं क़दम के नीचे थूके।”⁸

(10) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : “جو شخص نماز میں ٹھیک ہے اور میں نماز پڑھے تو اسکو مالووم نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ ایسٹگھفار کر رہا ہے یا اپنے آپکو بادھا دے رہا ہے ।”^۱

(11) جیزہ بن ارکم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نماز میں باتیں کیا کرتے ہے، فیر ‘کوئی لیللاہی کانیتیں’ آیات ناجیل ہوئی تو ہمچوں چوپ چاپ رہنے کا حکم ہوا اور بات کرنا مانا ہو گیا۔^۲

(12) اگر کوئی شخص سلام کہے تو نمازوں میں سے کوچھ کہے بینا دا اور ہاث کے اشارے سے سلام کا جواب دے گا۔^۳

سجدا سہ (بھول کے سجده) کا بیان

تین یا چار رکعتوں کے سندھ پر سجدا :

ہجرت ابوبکر سعید خودری رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

إِذَا شَكَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَذْرَكْمْ صَلَلِ، ثَلَاثَةِ أَمْ أَرْبَعاً؟ فَلَيَطْرَحِ الشَّكَ وَلَيُبَيِّنِ عَلَى مَا اسْتَكِنَ فَمَنْ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ، فَإِنْ كَانَ صَلَلِ خَمْسَةً شَفَعَنَ لِهِ صَلَوَةً، وَإِنْ كَانَ صَلَلِ إِثْنَانِ لِأَرْبَعَ كَانَتَا تَرْغِيْنِا لِلشَّبَيْطَانِ،

“اگر تुम میں سے کسی کو رکعتوں کی تاداد کی بات شک پڑ جائے کہ تین پڑھی ہیں یا چار؟ تو شک کو چوڑ دے اور یکین پر اتے ماد کرے۔ فیر سلام فرنے سے پہلے دو سجده کرے۔ اگر ہمارے پانچ رکعت نماز پڑھی ہی تو یہ سجده ہماری نماز (کی رکعتوں) کو جو پست کر دے گے اور اگر ہمارے پوری چار رکعت نماز پڑھی ہی تو یہ سجده شیطان کے لیے جیلیت کا سबب ہو گے ।”^۴

1. بُوْخَارِيٌّ، حَدَيْثٍ 212 وَ مُسْلِمٌ، حَدَيْثٍ 784 ।

2. بُوْخَارِيٌّ، حَدَيْثٍ 1200، مُسْلِمٌ، حَدَيْثٍ 539 ।

3. ابوبکر داعود، حَدَيْثٍ 925، 927 ।

4. سَهْيَهُ مُسْلِمٌ، حَدَيْثٍ 571 ।

जिस व्यक्ति को नमाज में शक पढ़ जाए कि आया उसने एक रकअत पढ़ी है या दो, तो वह उसको एक रकअत यकीन करे। और जिसको यह शक हो कि उसने दो पढ़ी हैं या तीन तो वह उसको दो रकअत यकीन करे, और फिर (आखिरी क्राअदे में) सलाम फेरने से पहले (सहू के) दो सज्दे करे।¹

सज्दा सहू का तरीका यह है कि आखिरी क्राअदे में तशह्हुद (दुर्खद) और दुआ पढ़ने के बाद अल्लाहु अकबर कहकर सज्दे में जाएं। फिर उठकर जल्से में बैठकर दूसरा सज्दा करें और फिर उठकर सलाम फेरकर नमाज से फ़ारिग हों। इस हदीस में सलाम फेरने से पहले सज्जा सहू का हुक्म है। इसलिए सहू के दो सज्दे सलाम फेरने से पहले करने चाहिए।

पहले क्राअदा के छोड़ने पर सज्दा :

हज़रत अब्दुल्लाह बिन बहीना रज़िया से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लूल्लाह ने सहाबा किराम रज़िया को ज़ोहर की नमाज पढ़ाई। तो पहली दो रकअतें पढ़कर खड़े हो गए। (अर्थात् क्राअदे में भूल से न बैठे) तो लोग भी नबी सल्लूल्लाह के साथ खड़े हो गए यहां तक कि जब नमाज पढ़ चुके (और आखिरी क्राअदे में सलाम फेरने का समय आया) और लोग सलाम फेरने के मुंतज़िर हुए (तो) रसूलुल्लाह सल्लूल्लाह ने तकबीर कही जबकि आप बैठे हुए थे। सलाम फेरने से पहले दो सज्दे किए फिर सलाम फेरा।²


रसूलुल्लाह सल्लूल्लाह के इस मुवारक कार्य से सावित हुआ कि सज्दाएं सहू सलाम फेरने से पहले करना चाहिए।

नमाज से फ़ारिग होकर बातें कर चुकने के बाद सज्दा :

हज़रत इमरान बिन हसीन रज़िया से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लूल्लाह ने अस्त्र की नमाज पढ़ाई और तीन रकअत पढ़कर सलाम फेर दिया और घर तशरीफ़ ले गए। एक सहाबी ख़रबाक़ रज़िया उठ के आपके पास गए और आपके सहू का ज़िक्र किया तो आप रज़िया तेज़ी से लोगों के पास पहुंचे। और ख़रबाक़ रज़िया के कथन की तस्दीक चाही लोगों ने कहा ख़रबाक़ संघ कहता

1. तिर्मिज़ी, हदीस 398 व इन्हे माजा, हदीस 1209। इमाम तिर्मिज़ी, इमाम हाकिम और इमाम ज़ेहबी ने इसे सहीह कहा है।

2. बुखारी, हदीस 829-830, 1224-1225, 1230 व मुस्तिम, हदीस 570।



ह। फिर आप सल्लू० न एक रकअत पढ़। फिर सलाम फेरा और फिर दा सज्दे किए। फिर सलाम फेरा।¹

इस हदीस से मालूम हुआ कि जो व्यक्ति चार रकअत की जगह तीन पढ़कर सलाम फेर दे फिर जब उसको मालूम हो जाए कि मैंने तीन रकअत पढ़ी हैं तो चाहे वह घर भी चला जाए और बातें भी कर ले तो फिर भी वह एक रकअत जो रह गई थी पढ़कर सज्दाएं सहू करके सलाम फेरे उसको सारी नमाज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं।

और एक यह बात भी मालूम हुई कि नमाज़ में अगर सज्दाएं सहू पढ़ जाए और किसी वजह से नमाज़ी सज्दाएं सहू न कर सके और सलाम फेर कर बातें आदि कर ले फिर याद आने पर जब सज्दाएं सहू करना चाहे तो सलाम के बाद करे और फिर सलाम फेरकर नमाज़ से फ़रारिंग हो।

चार की जगह पांच रकअतें पढ़ने पर सज्दा :

हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि० रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लू० ने ज़ोहर की नमाज़ (भूल से) पांच रकअत पढ़ाई आपसे पूछा गया : क्या नमाज़ में ज्यादती हो गई है? आपने फ़रमाया क्यों? सहाबा रज़ि० ने अर्ज़ किया : “आपने ज़ोहर की पांच रकअत पढ़ाई हैं।” फिर आप सल्लू० ने सलाम के बाद दो सज्दे किए और फ़रमाया : ‘‘मैं भी तुम्हारी तरह आदमी हूं, मैं भी भूलता हूं जैसे तुम भूलते हो, तो जब भूल जाऊं तो मुझे याद दिलाया करो।’’²

1. मुस्लिम, हदीस 574।

2. बुखारी, हदीस 401, मुस्लिम, हदीस 572। अगर इस अध्याय में हज़रत ज़ुल्दीन रज़ि० की हदीस (बुखारी, हदीस 1229) भी शामिल कर ली जाए तो इन तमाम रिवायतों का सारांश यह निकलता है कि :

(1) जब इमाम सज्दाएं सहू किए बिना सलाम फेर दे और मुक्तदी उसे बाकी रह गई नमाज़ याद दिलाएं तो वह उन्हें बाकी नमाज़ पढ़ाएगा और सलाम फेरने के बाद सज्दा सहू करेगा।

(2) और अगर मुक्तदी उसे यह याद दिलाएं कि हमने एक रकअत अधिक पढ़ ली है तो भी ज़ाहिर है कि सलाम तो फिर चुका है अब उसने केवल सज्दा सहू ही करना है।

सज्दाए सहू सलाम से पहले या बाद करने का ज़िक्र तो अहादीस में आप देख चुके हैं। लेकिन केवल एक ही तरफ़ सलाम फेरकर सज्दा करना और फिर अत्तहिय्यात पढ़कर सलाम फेरना सुन्नत से साबित नहीं है।

10. ចាប់បើកស្នើសុំ និង ចាប់បើក និង ចាប់បើក និង ចាប់បើក និង ចាប់បើក និង ចាប់បើក

◎ 中国书画函授大学书画系教材

१८ अक्टूबर को दीवाने संघीय विभाग द्वारा

THESE ARE THE FIRST FEW FROM THE "Engage" SERIES.

Journal of Health Politics, Policy and Law, Vol. 33, No. 3, June 2008
DOI 10.1215/03616878-33-3 © 2008 by The University of Chicago

(Handwritten notes in red ink)

१२३ अगस्त २०२१

m

ଏହା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା

(3) अगर रकात की तादाद में शक पैदा हो जाए (या क्राअदा ऊला छूट जाए) तो फिर सलाम से पहले सज्दा सहू करेगा।

अलवत्ता यह शक पैदा हो कि मैंने एक रकअत पढ़ी है या दो? दो पढ़ी है या तीन?

तो वह कम तादाद शुमार करके नमाज़ मुक्कम्ल करेगा।

आर अगर यह शक पढ़ा हो कि तान पढ़ा है या चार? वह शक का नज़रअदाज़ करते हां आपत्ति समीन पर आल बते (सहास वह सत्ताम से पहले ही करेगा)।

(4) अगर नमाजी को किसी वजह से ये आदेश याद न रहें या वह ऐसी भल (सह)

का शिकार हो गया है जो उन अहादीस में मौजूद नहीं है तो फिर उसे जान लेना चाहिए

किंवदं अकरम सल्ल० ने सलाम से पहले भा सहू के दो सज्ज बिए हैं और सलाम फरने से उत्तर भी उस त्रिपुष्ट सारे भी आप देखें अच्छा उत्तर उत्तरा उत्तर उत्तर उत्तर उत्तर

के बाद भा वह जिस सूरत पर भा अमल करगा अल्लाह तजाला उस कुबूल कर लगा
इंशा अल्लाह इल अजीज

नमाज के बाद मसनून अङ्कार

(1) हजरत इब्ने अब्बास रजिंह रिवायत करते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लो न की नमाज का पूरा होना तकबीर (अल्लाहु अकबर की आवाज) से पहचान लेता था।¹

अर्थात् नबी सल्लो फ़र्ज़ नमाज का सलाम फ़र कर ऊंची आवाज से अल्लाहु अकबर कहते थे। इससे साबित हुआ कि इमाम और मुक्तदियों को नमाज से फ़ारिग होते ही एक बार बुलन्द आवाज से “अल्लाहु अकबर” कहना चाहिए।

(2) हजरत सोबान रजिंह रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लो जब अपनी नमाज खत्म करते तो (तीन बार) फ़रमाते :

«أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ»

फिर यह पढ़ते :

«اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ بِإِذْنِ الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ»

“या इलाही तू “सलाम” है और तेरी ही तरफ से सलामती है ऐ जुल जलालि वल इकराम तू बड़ा ही बरकत वाला है।”²

चेतावनी : दुआए रसूल सल्लो में वृद्धि :

जिस तरह दुआए अज्ञान में लोगों ने वृद्धि कर रखी है इसी तरह इस दुआ में भी लोगों ने ज्यादती की हुई है। वह ज्यादती देखें : “अल्लाहुम-म अन्तस्सलाम व मिन्कस्सलाम” रसूलुल्लाह सल्लो के शब्द हैं। आगे “व इलै-क यरजिउस्सलाम हय्यिना रब्बना बिस्सलाम व अदखिलना दारुस्सलाम” की वृद्धि कर रखी है। कितने अफ़सोस की बात है कि शुरू और आखिर में रसूलुल्लाह सल्लो के शब्द और बीच में खुट अपनी तरफ से दुआइया जुमले बढ़ाकर हड़ीसे रसूल सल्लो में ज्यादती की हुई है। मआजल्लाह! क्या आप

1. बूखारी, हदीस 841-842 व मस्तिम, हदीस 583।

यह वाक्ये भूल गए थे या दुआ नाकिस छोड़ गए थे जिसकी पूर्ति उम्मतियों ने की है? अगर कोई कहे कि इन बढ़ाए हुए जुमलों में क्या ख़ुराबी है उनका अनुवाद बहुत अच्छा है, आखिर दुआ ही है और अल्लाह ही के आगे है? गुज़ारिश है कि इंसान अपनी मादरी या अरबी ज़बान आदि में जो दुआ चाहे अपने मालिक से करे, जैसे वाक्य चाहे दुआ में इस्तेमाल करे, कोई हरज नहीं। मगर हीसे रसूल सल्ल० में अपनी तरफ से शब्द या वाक्य ज्यादा करने नाजाइज़ हैं। ऐसा करने से दीन की असल सूरत कायम नहीं रहती।

(3) हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ि० कहते हैं कि रसूलुल्लाह سल्ल० ने मेरा हाथ पकड़ कर फ़रमाया : “ऐ मुआज़! अल्लाह की क़सम! मैं तुझसे मुहब्बत करता हूँ।” मैंने कहा, मैं भी आप से मुहब्बत रखता हूँ। फिर आपने फ़रमाया : “(जब तू मुझसे मुहब्बत रखता है तो मैं तुझे वसीयत करता हूँ कि) हर (फ़र्ज़) नमाज़ के बाद यह (दुआ) पढ़ना न छोड़ना :

اَرَبُّ اَعْنَى عَلَىٰ ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

“ऐ मेरे खब! ज़िक्र करने, शुक्र करने और अच्छी इबादत करने में मेरी मदद कर।”

(4) हज़रत मुगीरा बिन शैबा रज़ि० रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह سल्ल० हर फ़र्ज़ नमाज़ के बाद कहते थे :

اَللَّهُ اَكْبَرُ
عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اَللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا اعْطَيْتَ، وَلَا مُفْطِئٌ لِمَا
مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدْدِ مِنْكَ الْجَدُّ

“अल्लाह के सिवा कोई (सच्चा) उपास्य नहीं है, वह अकेला है उसका कोई शरीक नहीं है, उसी के लिए बादशाहत है और उसी के लिए सारी प्रशंसा है और वह हर चीज़ पर क़ादिर है। या अल्लाह! तेरे देने को कोई रोकने वाला

1. नसाई, हीस 1226 व अबू दाऊद, हीस 1522। इसे इमाम हाकिम (1/273 और 3/273-274) इमाम ज़ेहबी, इमाम इब्ने खुज़ैमा, इमाम इब्ने हिबान और इमाम नववी ने सहीह कहा है। अबू दाऊद की रिवायत में “रब्ब” की बजाए “अल्लाहुम-म” के शब्द हैं।

نہ اے تھی تھی جو اے تھی دلچسپی کوئی دلچسپی نہیں دے سکتی اور دلچسپی کوئی دلچسپی نہیں دے سکتی۔

دلچسپی تیرے اجڑا ب سے نہیں بچا سکتی।”¹

(5) ابductulah bin Jubaير رضي الله عنه روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إِنَّمَا يُحَرِّكُ الْأَنْفُسَ الرِّغْمَانُ وَالْمُنْهَاجُونَ

رسول نماز سے سلام فرනے کے باع پढتے ہے :

الْأَللَّهُمَّ إِنَّا لَنَا شَرِيكٌ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا يَحْوِلُّ لَأَقْوَةَ إِلَّا بِاللهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَلَا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَاهُ، لَهُ التَّعْظِيمُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الشَّيْءُ الْخَيْرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُخْلِصِينَ لِهِ الدِّينَ، وَلَوْنَ كَرَهَ الْكَافِرُونَ،

“اللہ تعالیٰ کے سیوا کوئی (سچھا) عپاسنے نہیں، وہ اکلہا ہے، اسکا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے ساری پرشانسا ہے اور وہ ہر چیز پر کھدا ہے۔ گناہوں سے رکنا اور ایجاد پر کوئی رکنا کے ول اللہ تعالیٰ کے سوبھائی سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سیوا کوئی (سچھا) عپاسنے نہیں اور ہم (کے ول) اسی کی ایجاد کرتے ہیں ہر نہمات کا مالیک وہی ہے اور سارا اینام اسی کی سمتی ہے (�र्थاً فضلہ اور نہمات میں کے ول اسی کی ترکی سے ہے)، اسی کے لیے اچھی پرشانسا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سیوا کوئی عپاسنے (واسطیاتی) نہیں، ہم (کے ول) اسی کی ایجاد کرتے ہیں یعنی کافر بُرا ماناً۔”²

(6) رسلوعللہ علیہ السلام سے نماز کے باع ان کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑتے ہے (अर्थात् इन्हें पढ़ते ہे) :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُنُبِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ النَّعْمَرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِشْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقُبْرِ

“ऐ اللہ تعالیٰ! مैं بُجھدیلی اور کنجوسی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور اس بات سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں کہ مुझے رجیل عمر (ज्यादा बुढ़ापे) کی ترکی فر دیا جائے اور اسی ترکی میں सांसारیک فیکنोں اور اجڑا کے برابر

1. بخاری، حدیث 844 و مسلم حدیث 593 ।

2. مسلم، حدیث 594 ।

से भी तेरी पनाह चाहता हूं।”¹

(7) हज़रत अबू हुरैरह रजि० कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : “उस व्यक्ति के तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे चाहे समुद्र के झाग के बराबर हों, जो हर (फ़र्ज़) नमाज़ के बाद यह पढ़े :

«سُبْحَانَ اللَّهِ» ۳۳ بَارٌ «الْحَمْدُ لِلَّهِ» ۳۳ بَارٌ اَوْ اَكْبَرٌ بَارٌ ((لَا إِلَهَ إِلَّا
اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)

“अल्लाह (हर बुराई से) पाक है”। “सारी प्रशंसा अल्लाह की है।” “अल्लाह सबसे बड़ा है” “अल्लाह के सिवा कोई (सच्चा) उपास्य नहीं, वह अकेला है उसका कोई शरीक नहीं। उसी के लिए सारी बादशाहत और उसी के लिए सारी प्रशंसा है और वह हर चीज़ पर ख़ब कुदरत रखने वाला है।” पढ़े, उसके गुनाह बख्तों जाएंगे यद्यपि दरिया के झाग की तरह हों।²

हज़रत काअब बिन उजरह रजि० रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : “जो व्यक्ति फ़र्ज़ नमाज़ के बाद “सुह्नानल्लाह” 33 बार “अलहम्दुलिल्लाह” 33 बार और “अल्लाहु अकबर” 34 बार कहेगा वह नामुराद नहीं होगा।³

(8) हज़रत उक्बा बिन आमिर रजि० रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने मुझे हुक्म किया कि मैं हर (फ़र्ज़) नमाज़ के बाद मुअव्विज़ात पढ़ा करूं।⁴

मुअव्विज़ात (अल्लाह की पनाह में देने वाली सूरतें) यह उन सूरतों को कहते हैं जिनके शुरू में “कुल अऊजु” का शब्द है, इन्हें मुअव्विज़तैन भी कहा जाता है अर्थात् कुरआन पाक की आखिरी दो सूरतें जो निम्न हैं :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّي
الْأَنْفَلِقِ ۝ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝ وَمِنْ شَرِّ
غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۝ وَمِنْ شَرِّ
الْأَنْفَلَقَتِ فِي الْمُقْدَرِ ۝ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۝ (الأنفال: ۱۱۲)

1. बुखारी, हदीस 6374।

2. मुस्लिम, हदीस 597।

3. मुस्लिम, हदीस 596।

4. अबू दाऊद, हदीस 1523। इसे इमाम हाकिम (1/253) ज़ेहबी, इब्ने खुज़ैमा और इब्ने हिबान (हदीस 2347) ने सहीह कहा है।

मुरसद बिन अब्दुल्लाह रह०, हज़रत उक्खबा रज़ि० के पास आए और कहा “क्या यह अजीब बात नहीं कि अबू तमीम रज़ि० म़गरिब की नमाज़ से पहले दो रकअत पढ़ते हैं? उक्खबा रज़ि० ने कहा कि हम भी रसूलुल्लाह सल्ल० के ज़माने में पढ़ते थे। उसने पूछा : अब क्यों नहीं पढ़ते? कहने लगे कि व्यस्तता है।”

जुमा के बाद की सुन्नतें :

नबी सल्ल० ने फ़रमाया : “जब तुम जुमा के बाद नमाज़ पढ़ना चाहो तो चार रकआत अदा करो।”²

मालूम हुआ कि जुमा के बाद चार रकआत सुन्नतें पढ़नी चाहिए और अगर कोई दो रकअतें भी पढ़ ले तो जाइज़ होगा।

हज़रत इब्ने उमर रज़ि० रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० जुमा के बाद कुछ नमाज़ नहीं पढ़ते थे यहाँ तक कि अपने घर आते और दो रकअतें पढ़ते।³

कुछ उलमा ने यह कहा है कि मस्जिद में चार सुन्नतें (दो दो करके) पढ़े और अगर घर में आकर पढ़े तो फिर दो सुन्नतें पढ़े।

फ़ज़र की सुन्नतों की श्रेष्ठता :

हज़रत आइशा रज़ि० कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : “फ़ज़र की दो सुन्नतें दुनिया और जो कुछ दुनिया में है, उससे बेहतर हैं।”⁴

हज़रत आइशा रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० नवाफ़िल (सुनन) में से किसी चीज़ पर इतनी मुहाफ़िज़त और पाबन्दी नहीं करते थे जिस क़द्र फ़ज़र की दो सुन्नतों पर करते थे।⁵

1. बुखारी, हदीस 1184।
2. मुस्लिम, हदीस 881।
3. बुखारी, हदीस 937, 1165, 1172, 1180 व मुस्लिम, हदीस 882।
4. देखें : मिरआतुल मफ़ातीह।
5. मुस्लिम, हदीस 725।
6. बरवारी हदीस 1169 व मस्लिम, हदीस 724।

रसूलुल्लाह सल्ल० जब फ़ज्र की दो सुन्नतें पढ़ते तो दाएं पहलू पर लेटते थे।^१

फ़ज्र की सुन्नतें फ़ज़्रों के बाद पढ़ सकते हैं :

अगर आप ऐसे समय मस्जिद में पहुंचें कि जमाअत खड़ी हो गई हो और आपने सुन्नतें न पढ़ी हों तो उस समय सुन्नतें मत पढ़ें क्योंकि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : ‘जब नमाज़ की इकामत (तकबीर) हो जाए तो फ़ज़्र नमाज़ के अलावा कोई नमाज़ नहीं होती।’^२

ऐसी सूरत में आप जमाअत में शामिल हो जाएं और फ़ज़्र पढ़कर सुन्नतें पढ़ लें। अतएव रसूलुल्लाह सल्ल० ने एक व्यक्ति को सुबह की फ़ज़्र नमाज़ के बाद दो रकअतें पढ़ते हुए देखकर फ़रमाया : ‘सुबह की (फ़ज़्र) नमाज़ दो रकअतें हैं तुमने मज़ीद दो रकअतें कैसी पढ़ी हैं?’ उस व्यक्ति ने जवाब दिया। मैंने दो रकअतें सुन्नत (जो फ़ज़्रों से पहले हैं) नहीं पढ़ी थीं। उनको अब पढ़ा है। (यह सुनकर) रसूलुल्लाह सल्ल० खामोश हो गए।^३

और आप सल्ल० की खामोशी रजामंदी की दलील है (मुहदिसीन की परिभाषा में यह तक़रीरी हदीस कहलाती है।)

एक व्यक्ति मस्जिद में आया, रसूलुल्लाह सल्ल० सुबह के फ़ज़्र पढ़ रहे थे। उसने मस्जिद के एक कोने में दो रकअतें सुन्नत पढ़ी। फिर जमाअत में शामिल हो गया। जब आपसे सलाम फेरा तो फ़रमाया : ‘तूने फ़ज़्र नमाज़ किस को शुमार किया जो अकेले पढ़ी थी उसको या जो हमारे साथ जमाअत से पढ़ी है?’^४

मालूम हुआ कि फ़ज़्र होते समय सुन्नतों का पढना सही नहीं है।


इस छान्दो में इसका अधिक विवरण नहीं मिलता।

1. बुखारी, हदीस 626, 994, 1123, 1160, 1170, 6310 व मुस्लिम, हदीस 736।

2. मुस्लिम, हदीस 710।

3. दारे कुतनी 1/383-384, बैहेकी 2/283, इब्ने खुजैमा 1116, इसे इब्ने हिबान (624) हाकिम (1/274-275) ने सहीह कहा है।

4. मुस्लिम, हदीस 712।



(1) نماजے فرج : دو سੁਨ्तें, دو فرجز । (نماجے فرج چار رکअतें हुई)

(2) نماجے جوہر : چار سੁਨ्तें چار فرجز دو سੁਨ्तें । (نماجے جوہر دس رکअतें हुई)

(3) نماجے اسٹر : چار فرجز ।

(4) نماجے مگاریب : تین فرجز دو سੁਨ्तें । (نماجے مگاریب پांच رکअतें हुई)

(5) نماجے ایشا : چار فرجز اور دو سੁਨ्तیں । (نماجے ایشا छः رکअतें हुई)

نماجے ویتر دارअस्त रात की نमाज है जो तहज्जुद के साथ मिलाकर पढ़ी जाती है। जो लोग रात को उठने के आदी न हों वह वित्र भी नमाजे इशा के साथ ही पढ़ सकते हैं। रसूलुल्लाह سल्ल० ने फरमाया :

مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَعْوَمْ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُؤْتِرْ أَوْلَهُ

‘जिसे खतरा हो कि रात के आखिरी हिस्से में नहीं उठ सकेगा वह अब्बल शब ही वित्र पढ़ ले।’
कोई साहब यह ख्याल न करें कि हमने नमाजों की रकअतों को कम कर दिया है अर्थात् फ्राइज़ और सੁन्तें गिन ली हैं और नफ्ल छोड़ दिए हैं। मुसलमान भाइयों को मालूम होना चाहिए कि नवाफ़िल अपनी खुशी और मर्जी की इबादत है। रसूलुल्लाह سल्ल० ने किसी को पढ़ने के लिए मजबूर नहीं किया, इसलिए हमें कोई हक्क नहीं है कि हम अपने नफ्लों को फर्जों का ज़रूरी और लाज़मी हिस्सा बना डालें। फर्जों के साथ आपकी नफ्ल इबादत अर्थात् सੁन्तें आ गई हैं जिनसे नमाज पूरी और मुकम्मल हो गई है।

तहज्जुद (क़यामुल्लैल) क़यामे रमज़ान और वित्र

श्रेष्ठता :

हज़रत अबू उमामा रज़ि० रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया :

**عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ إِلَيْهِ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، وَهُوَ فُرْجَةٌ لِكُمْ
إِلَى رَبِّكُمْ وَمَكْفَرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ وَمَنْهَا عَنِ الْأَثْمِ**

“तहज्जुद ज़रूर पढ़ा करो, क्योंकि वह तुमसे पहले भले लोगों की रविश है और तुम्हारे लिए अपने खब की समीपता का वसीला, गुनाहों के मिटाने का साधन (और अधिक) गुनाहों से बचने का सबब है।”

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : “उस व्यक्ति पर अल्लाह की रहमत हो जो रात को उठा। फिर नमाज़ (तहज्जुद) पढ़ी और अपनी औरत को जगाया। फिर उसने (भी) नमाज़ पढ़ी। फिर अगर औरत (नींद की अधिकता के कारण) न जागी, तो उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे। उस औरत पर अल्लाह की रहमत हो जो रात को उठी। फिर नमाज़ (तहज्जुद) पढ़ी और अपने पति को जगाया। फिर उसने (भी) नमाज़ पढ़ी। फिर अगर पति (गहरी नींद के कारण न जागा) तो उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे।”²

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्ल० से सुना आप फ़रमाते हैं : “फ़र्ज़ नमाज़ के बाद सब नमाज़ों से श्रेष्ठ, तहज्जुद की नमाज़

1. इब्ने खुज़ैमा, हदीस 1135। इसे हाफ़िज़ इराक़ी ने हसन जवकि इमाम हाकिम और इमाम ज़ेहबी ने सहीह कहा है।

2. अबू दाऊद, हदीस 1308, 1450। इसे इमाम हाकिम (1/409) इमाम इब्ने खुज़ैमा (हदीस 1148), इमाम इब्ने हिबान (मवारदुज़्जमान 6/307, 646) इमाम ज़ेहबी और इमाम नववी ने सहीह कहा है।



रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : “जब इंसान सोता है तो शैतान उसके सर की गुद्दी पर तीन गिरहें लगाता है और कहता है कि रात बड़ी लम्बी है अगर वह बेदार होकर अल्लाह का ज़िक्र करे तो एक गिरह खुल जाती है। और अगर बुजू करे तो दूसरी गिरह खुल जाती है और अगर नमाज़ पढ़े तो तीसरी गिरह खुल जाती है। और वह शादमां और पाक नफ़्स होकर सुबह करता है, वरना उसकी सुबह ख़बीस और सुस्त नफ़्स के साथ होती है।”²

रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : “अल्लाह तआला हर रात आसमाने दुनिया पर नुजूल फ़रमाता है। जब एक तिहाई रात बाकी रह जाती है तो फ़रमाता है : ‘कोई है जो मुझे पुकारे, मैं उसकी दुआ कुबूल करूँ। कोई है जो मुझसे मांगे, मैं उसको दूँ। कोई है जो मुझसे बरिधाश तलब करे, मैं उसको बख्श दूँ।’”³

नबी रहमत सल्ल० का तहज्जुद का शौक़ :

हज़रत मुगीरा रज़ि० फ़रमाते हैं : रसूलुल्लाह सल्ल० ने रात को तहज्जुद में इतना लम्बा क़्रायाम किया कि आपके पांच सूज गए। आपसे सवाल हुआ : आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं जबकि आप माफ़ किए गए हैं? आपने फ़रमाया : “क्या फिर (जब अल्लाह तआला ने मुझे नुबुव्वत के इनाम, म़ाफ़िरत की दौलत और बेशुमार नेमतों से नवाज़ा है) मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार बन्दा न बनूँ?”⁴

नींद से जागते समय पढ़ें :

हज़रत आइशा रज़ि० फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० जब रात को (विस्तर से तहज्जुद के लिए) उठते तो (यह) पढ़ते :

“अल्लाहु अकबर” दस बार, “अलहम्दुलिल्लाह” दस बार, “सुह्नानल्लाहि वबिहमदिही” दस बार, “सुह्नानल मलिकिल कुदूस” दस बार, “अस्तग़फ़िरुल्लाह”

1. मुस्लिम, हदीस 1163।

2. बुखारी, हदीस 1142, 3269, मुस्लिम, हदीस 776।

3. बुखारी, हदीस 1145, मुस्लिम, हदीस 758।

4. बुखारी, हदीस 1130, 4836, 6471 व मुस्लिम, हदीस 2819।

दस बार, “ला इला-ह इल्लल्लाहु” दस बार, और फिर “अल्लाहुम-म अज़्जुबि-क मिन ज़ीक्रिद दुन्या व ज़ीक्र यौमल क्रियामति” दस बार।¹ फिर कहते “अल्लाहुम म़ग़फिरली वहदिनी वरज़ुक़नी व आफ़िनी” फिर (वुजू आदि करके) तहज्जुद शुरू करते।²

(अनुवाद) : “अल्लाह सबसे बड़ा है, सारी प्रशंसा अल्लाह के लिए है, अल्लाह अपनी प्रशंसा समेत (हर बुराई से) पाक है, मैं, बड़े ही पाकीज़ा बादशाह की पाकी बयान करता हूं, मैं अल्लाह से बख़िशाश तलब करता हूं अल्लाह के सिवा कोई (सच्चा) उपास्य नहीं है। ऐ अल्लाह! मैं दुनिया व आखिरत की तंगियों से तेरी पनाह मांगता हूं। ऐ अल्लाह! मुझे माफ़ फ़रमा, मुझे हिदायत प्रदान कर, मुझे आजीविका दे और आफ़ियत से नवाज़।”

रसूलुल्लाह सल्लूॢ ने फ़रमाया : “जो व्यक्ति रात को नींद से जागे और कहे :

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، الْحَمْدُ لِلَّهِ وَمُبْنِحَانَ اللَّهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

“अल्लाह के सिवा कोई (सच्चा) उपास्य नहीं है, वह एक है उसका कोई शरीक नहीं, उसी के लिए सारी बादशाही और उसी के लिए सारी प्रशंसा है और वह हर चीज़ पर ख़ूब कुदरत रखने वाला है। सारी प्रशंसा अल्लाह के लिए है, अल्लाह (हर बुराई से) पाक है, अल्लाह सबसे बड़ा है, बुराई से बचने और नेकी करने की काई ताक़त नहीं है मगर अल्लाह के सौभाग्य से” फिर कहे : “अल्लाहुम म़ग़फिरली” (ऐ अल्लाह! मुझे बख़ा दे”) या कोई और दुआ करे तो कुबूल होगी। और अगर वुजू करके नमाज़ पढ़े तो (वह भी) कुबूल की जाएगी।”³

रसूलुल्लाह सल्लूॢ तहज्जुद के लिए उठते, तो आपने बैठने के बाद

1. अबू दाऊद, हदीस 5085।
2. अबू दाऊद, हदीस 766, इसे इमाम इब्ने हिबान (हदीस 649) ने सहीह कहा है।
3. बुख़ारी, हदीस 1154।

آسماں کی ترک نجرا کرکے سو رہ آلے امراں کی آخری گھارہ آیات
(190-200) پढیں ।

﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَآخِرَتِ الْأَيَّلِ وَالنَّهَارِ لَذِكْرٌ لِأُولَئِكَ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِبْلَهَا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَنَسَاماً حَلَقْتَ هَذَا بِنَطْلَةً سُبْحَنَكَ فَقَنَاعَدَاتِ النَّارِ ۝ رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلُ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتُمْ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ۝ رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًّا يَنْهَا دِيْلَادِيًّا لِلْإِيمَانِ أَنَّمَا امْتَنَّا بِرِبِّكُمْ فَعَامَنَا رَبَّنَا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِرْ عَنَّا سَيِّعَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مَعَ الْأَبْيَارِ ۝ رَبَّنَا وَإِنَّا مَا وَعَدْنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا مُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّكَ لَا تَخْلِفُ الْمِيعَادَ ۝ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُصِيبُ عَمَلَ عَلِيلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكِّرْ أَوْ أَنْتَ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَا جَرَوا وَأَخْرَجُوا مِنْ دِيْرِهِمْ وَأَوْدُوا فِي سَبِيلٍ وَقَتَلُوا وَقَتَلُوا أَكْفَارَهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَا أَذْخَلَهُمْ جَنَّتِ بَخْرِي مِنْ عَنْهَا الْأَنْهَرُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْثَّوَابِ ۝ لَا يَغُرِّنَكَ تَقْلِبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبَلْدَ ۝ مَتَّعْ قَلِيلٌ ثُمَّ مَا وَهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَهَادُ ۝ لَكِنَ الَّذِينَ أَتَقْوَاهُمْ لَمْ جَنَّتْ بَغْرِي مِنْ عَنْهَا الْأَنْهَرُ حَلَالِيَنْ فِيهَا نُزُلًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَفْرَادِ ۝ قَوْلَانَ مِنْ أَمْلِ الْكَتَبِ لَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزَلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزَلَ إِلَيْهِمْ خَلِيلِيَنْ لِلَّهِ لَا يَسْتَعْوِنُ بِعَايَدَتِ اللَّهِ ثُمَّ مَا قَلِيلٌ أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝ يَكَانُهُمْ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَصْدِرُوا وَصَارِبُوا وَرَأَيْطُوا وَأَنْقُوا اللَّهُ كَعْلَكُمْ تُغْلِبُونَ ۝﴾
(آل عمران / 190-200)

‘‘زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں، رات اور دن کے باری باری آنے میں، نیچی ہی اکٹل مند لوگوں کے لیے بहت نیشنیاں ہیں (190) جو ٹھتے، بیٹھتے اور لےٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور زمین اور آسمانوں کی بناءوں میں سوچ ویکھ کرتے ہیں (فیر آپسے آپ پوکار ٹھتے

1. سہیہ بخاری، تفسیر، اधیا 17 و 18، حدیث 4569-4570 و مسلم، حدیث 763 کی اپنی حدیث نمبر 191 میں مسلم کی روایت میں مسیح اور وجوہ کے بعد ان آیات کے پڑنے کا جیکر ہے، اس سے مالوں ہوا کہ دونوں ترکیب جاہنگر ہے مسیح اور

हैं :) “ऐ हमारे परवरदिगार! यह सब कुछ तूने, व्यर्थ और बेमव्रस्त नहीं बनाया है तू (इस बुराई से) पाक है तो ऐ हमारे रब हमें आग के अज्ञाब से बचा (191) तूने जिसे आग में डाला उसे वास्तव में बड़ी ज़िल्लत व रुसवाई में डाल दिया और ऐसे ज़ालिमों का कोई मददगार नहीं होगा (192) ऐ हमारे मालिक! हमने एक पुकारने वाले को सुना जो ईमान की तरफ़ बुलाता था (और कहता था) “अपने रब पर ईमान लाओ” तो हम ईमान ले आए, तो ऐ हमारे ख़ालिक़! हमारे गुनाह माफ़ कर और हमारी बुराइयां हमसे दूर कर दे और हमारा ख़ात्मा नेक लोगों के साथ कर (193) ऐ हमारे राजिक़! जो वायदा तूने अपने रसूलों के ज़रिए हमसे किए हैं उन्हें हमारे साथ पूरा फ़रमा और क़ियामत के दिन हमें रुसवाई में न डाल निःसच्चह तू वादा ख़िलाफ़ी करने वाला नहीं है” (194) फिर उनके रब ने उम्मी दुआ कुबूल कर ली (और फ़रमाया) मैं तुममें से किसी का अमल नष्ट नहीं करूँगा चाहे मर्द हो या औरत, तुम सब एक दूसरे के हम जिन्स हो अतः जिन लोगों ने (मेरी ख़ातिर) हिजरत की, अपने घरों से निकाले गए, मेरी राह में सताए गए और (मेरे लिए) लड़े और मारे गए मैं उनके सब कुसूर माफ़ कर दूँगा और उन्हें ऐसे बाग़ों में दाखिल करूँगा जिनके नीचे नहरें बहती हैं यह अल्लाह के यहां उनका बदला है और बेहतरीन बदला अल्लाह ही के पास है। (195) ऐ नबी सल्ल० (दुनिया के) मुल्कों में काफिर लोगों का (ऐश व इशरत से) चलना फिरना तुम्हें किसी धोखे में न डाले (196) यह थीड़ा सा फ़ायदा है फिर उनका ठिकाना जहन्नम है और वह बुरी जगह है (197) लेकिन जो लोग अपने रब से डरते रहे उनके लिए बाग़ात हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं उनमें वे हमेशा रहेंगे यह अल्लाह की तरफ़ से मेहमानी है और जो कुछ अल्लाह के पास है नेक लोगों के लिए वही सबसे बेहतर है (198) और अहले किताब में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं और उस किताब को भी मानते हैं जो तुम्हारी तरफ़ उतारी गई है और उस किताब को भी जो (इससे पहले खुद) उनकी तरफ़ उतारी गई थी, वे अल्लाह से डरने वाले हैं और अल्लाह की आयात को थोड़ी सी क़ीमत पर बेच नहीं देते, यही हैं वे लोग जिनका अज़र उनके रब के पास (महफूज) है। निश्चय ही अल्लाह तआला जल्द हिसाब लेने वाला है (199) ऐ ईमान वालो! सब्र से काम लो, आपस में सब्र की नसीहत करो और जिहाद के लिए तैयार रहो और अल्लाह से डरो ताकि तुम कामयाब हो जाओ।”



रसूलुल्लाह सल्लो ने हमें भी यहा तालाम दा जताएँ हैं। रजिं से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लो ने फ़रमाया : ‘‘रात की नमाज दो, दो रकअतें हैं, जब सुबह (सादिक्र) होने का ख़तरा हो तो एक रकअत पढ़ लो, यह (एक रकअत, पहली सारी) नमाज को ताक़ बना देगी।’’¹

रसूलुल्लाह सल्लो ने फ़रमाया कि : ‘‘वित्र, आखिर रात में एक रकअत है।’’²

रसूलुल्लाह सल्लो ने फ़रमाया : ‘‘जब तुम रात को नवाफ़िल पढ़ना शुरू करो तो पहले दो हल्की रकअतें अदा करो।’’³

आपने रात का क़्रायाम किया पहले दो हल्की रकअतें पढ़ीं, फिर दो लम्बी पढ़ीं फिर उनसे हल्की, दो लम्बी रकअतें पढ़ीं, फिर उनसे हल्की दो लम्बी रकअतें फिर उनसे हल्की दो लम्बी रकअतें फिर उनसे हल्की दो लम्बी रकअतें फिर एक रकअत वित्र पढ़ा। यह तेरह रकअतें हुईं। (आपकी हर दो रकअतें पहले वाली दो रकअतों से धीमी होती थीं।)⁴

हज़रत आइशा रजिं से रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लो एक रकअत वित्र पढ़ते। (आखिरी) दो रकअतों और एक रकअत के बीच (सलाम फेरकर) बातचीत भी करते।⁵

हज़रत इब्ने उमर रजिं से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लो वित्र की दो और एक रकअत में सलाम से फ़स्ल करते।⁶

हज़रत इब्ने अब्बास रजिं से कहा गया कि अमीरुल मामिनीन हज़रत

1. बुखारी, वित्र, हदीस 990, 993 व मुस्लिम, सलातुल्लैल, हदीस 749। इस हदीस का स्पष्टीकरण आगे आ रहा है।

2. मुस्लिम, सलातुल मुसाफ़िरीन, अध्याय सलातुल्लैल, हदीस 752।

3. मुस्लिम, सलातुल मुसाफ़िरीन, अध्याय दुआ फ़ी सलातुल्लैल व क़ियामह, हदीस 768।

4. मुस्लिम, सलातुल मुसाफ़िरीन, हवाला साविका, हदीस 765।

5. इब्ने अबी शैबा, 2/291, व इब्ने माजा, हदीस 1177, इमाम बूसीरी ने इसे सहीह कहा है।

6. इब्ने हिवान, हदीस 678। हाफ़िज़ इब्ने हज़र ने इसे क़वी कहा है। अर्थात तीन वित्र भी इस तरह पढ़ते कि दो रकात पढ़कर सलाम फेरते और फिर उठकर तीसरी रकअत अलग पढ़ते।

मुआविया रजिं० ने एक ही वित्र पढ़ा है। हज़रत इब्ने अब्बास रजिं० ने फ़रमाया कि (उन्होंने सही काम किया) वह फ़कीह और सहाबी हैं।¹

इमाम मरोज़ी रह० फ़रमाते हैं कि फ़स्त (वित्र की दो रकअतों के बाद सलाम फेरकर एक रकअत अलग पढ़ने) वाली अहादीस ज्यादा सावित हैं।

हज़रत आइशा रजिं० फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० रात को कभी सात, कभी नौ और कभी ग्यारह रकअतें पढ़ते थे।²

इस तपसील से मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने क्र्यामुल्लैल सात रकआत से तेरह रकआत तक फ़रमाया है।

पांच, तीन और एक वित्र :

हज़रत अबू अय्यूब रजिं० रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : “वित्र हर मुसलमान पर हक्क है तो जो व्यक्ति पांच रकआत वित्र पढ़ना चाहे तो (पांच) रकआत पढ़े और जी तीन रकआत वित्र पढ़ना चाहे तो (तीन रकआत) पढ़े और जो कोई एक रकअत वित्र पढ़ना चाहे तो (एक) रकअत (वित्र) पढ़े।”³

रसूलुल्लाह सल्ल० रात को (कुल) तेरह रकआत पढ़ते और उनमें पांच रकआत वित्र पढ़ते थे (और उन पांच वित्रों में) किसी रकअत में (तशहूद के लिए) न बैठते मगर आखिर में।⁴


मालूम हुआ कि वित्रों की पांचों रकअतों के बीच तशहूद के लिए कहीं नहीं बैठना चाहिए। बल्कि पांचों रकअतें पढ़कर क़ाअदा में अत्तहियात दुरुद और दुआ पढ़कर सलाम फेर देना चाहिए।

1. बुखारी, फ़ज़ाइल अस्हाबुन्नबी सल्ल०, अध्याय ज़िक्र मुआविया रजिं०, हदीस 3764-3765।

2. बुखारी, तहज्जुद, अध्याय कैफ़ सलातुन्नबी सल्ल०, हदीस 1139।

3. अबू दाऊद, अबवाबुल वित्र, हदीस 1422, नसाई 3/238-239, इब्ने माजा, इक़ामुस्सलात, हदीस 1190, इमाम हाकिम (1/302-303) ज़ेहबी और इब्ने हिबान (हदीस 670) ने इसे सहीह कहा है।

4. मुस्तिम, सलातुल मुसाफ़िरीन, हदीस 737। अर्थात् इन्हीं तेरह रकआत में पांच रकआत वित्र भी शामिल होते।



तान वित्र का फ़रज़ात :

हज़रत आइशा रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० पहली रकअत वित्र में (सब्बिहिस-म रब्बिकल आला) दूसरी में (कुल या अय्युहल काफ़िरुन) और तीसरी में (कुल हुवल्लाहु अहद) पढ़ते थे।¹

नबी सल्ल० ने फ़रमाया : “एक रात में दो बार वित्र पढ़ना जाइज़ नहीं।”²

रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : “तीन वित्र न पढ़ो पांच या सात वित्र पढ़ो और मगरिब की समानता न करो।”³ मातृम् हुआ कि वित्र में नमाज़ मगरिब की समानता नहीं होनी चाहिए।⁴

नबी सल्ल० ने फ़रमाया : “रात को अपनी आखिरी नमाज़ वित्र को बनाओ।”⁵

और फ़रमाया : “वित्र आखिर रात में एक रकअत है।”⁶

1. बैहेकी (3/37), हाकिम (1/85, 2/520), ज़ेहबी और इब्ने हिबान (हदीस 675) ने इसे सहीह कहा है।

2. अबू दाऊद, अबवाबुल वित्र, हदीस 1439, इब्ने ख़ुज़ैमा (हदीस 1101) और इमाम इब्ने हिबान (हदीस 671) ने सहीह और हाफ़िज़ इब्ने हज़र ने हसन कहा है।

3. दारे कुतनी, 2/25, 27, हाकिम, ज़ेहबी और इब्ने हिबान (हदीस 680) ने इसे सहीह कहा है।

4. मानो तीन वित्र पढ़ने हों तो एक तशहूद और एक सलाम के साथ या फिर दो तशहूद और दो सलाम के साथ पढ़े जाएं। इन दोनों तरीकों में मगरिब की नमाज़ से मुशाविहत नहीं होती।

5. मुस्लिम, अध्याय सलातुल्लैल, हदीस 751। यह हुक्म इस्तहबाब के तौर पर है अर्थात तहज्जुद गुज़ार के लिए बेहतर है कि वह वित्र, तहज्जुद की नमाज़ के बाद आखिर में पढ़े। फिर भी इशा के समय भी पढ़ लेगा तो जाइज़ है और उसके बाद तहज्जुद के समय तहज्जुद की नमाज़ पढ़नी भी सहीह है। लेकिन इसे बतौर आदत इख्लियार करना सहीह नहीं है। कभी कभार ऐसा हो जाए तो जाइज़ है।

6. मुस्लिम, सलातुल मुसाफ़िरीन, अध्याय सलातुल्लैल, हदीस 752। अरबी में “वित्र” के दो मायना हैं “एक” और “ताक़”। इस्लाम ने बहुत से अन्य मामलों की तरह रकअत नमाज़ की तादाद में भी इसे पसन्द किया है। अतएव मगरिब के सिवा

नबी सल्ल० ने फ़रमाया : “जो व्यक्ति आखिर रात में न उठ सके तो वह शुरू रात वित्र पढ़ ले और जो आखिर रात उठ सके वह आखिर रात वित्र पढ़े क्योंकि आखिर रात की नमाज़ श्रेष्ठ है।”¹

हजरत आइशा रजि०से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने शुरू रात, रात के वस्त और पिछली रात अर्थात् रात के हर हिस्से में वित्र पढ़े।²

साअद बिन हिशाम ने हजरत आइशा रजि० की खिदमत में हाजिर होकर कहा, मोमिनों की अम्मा जान! मुझे रसूलुल्लाह सल्ल० के वित्र के बारे में बतलाएं, तो आइशा सिद्दीका रजि० ने फ़रमाया : “मैं आप सल्ल० के लिए मिस्वाक और बुजू का पानी तैयार रखती। फिर जब अल्लाह चाहता आपको रात को उठाता। फिर आप मिस्वाक करते और बुजू करते और नौ रकआत नमाज़ (वित्र) पढ़ते, (सात रकअतों में “अत्तहिय्यात” में न बैठते बल्कि) आठवीं रकअत के बाद (अत्तहिय्यात में) बैठते तो अल्लाह को याद करते, उसकी प्रशंसा करते और दुआ मांगते (अर्थात् “अत्तहिय्यात” पढ़ते क्योंकि “अत्तहिय्यात” जिक्र हम्द और दुआ पर आधारित है)। फिर सलाम फेरे बिना (अत्तहिय्यात पढ़कर) खड़े हो जाते, फिर नवीं रकअत पढ़ते और (उसके बाद आखिरी क़ाअदे में) बैठ जाते। तो अल्लाह को याद करते और उसकी प्रशंसा करते और उससे दुआ मांगते (अर्थात् आखिरी क़ाअदे की मारुफ़ दुआ पढ़ते)

दिन, रात की तमाम फ़र्ज़ नमाज़ों दो या चार रकआत पर आधारित हैं। अर्थात् उन तमाम नमाज़ों की रकआत जुफ़्त हैं लेकिन मगरिब की तीन रकआत मुकर्रर करके इस्लाम ने तमाम फ़र्ज़ नमाज़ों की रकआत को ताक़ बना दिया है। इसी तरह वित्र के सिवा दिन रात की तमाम सुन्नतें और नवाफ़िल दो या चार रकआत पर आधारित हैं अर्थात् जुफ़्त हैं मगर इस्लाम ने वित्र के ज़रिए उस सारी नफ़ली इबादत को भी ताक़ बना दिया है। अब अगर कोई व्यक्ति वित्र पढ़कर सो जाता है फिर सुबह उठकर तहज्जुद भी पढ़ता है तो चूंकि वह वित्र पढ़ चुका है इसलिए वह हस्बे तौफ़ीक़ जितने नवाफ़िल भी दो दो करके अदा करेगा वह वित्र (ताक़) ही होंगे जुफ़्त नहीं बनेंगे। यही वजह है कि खुद नबी अकरम सल्ल० ने भी वित्र के बाद दो रकआत ज्यादा अदा फ़रमाएँ। (मुस्लिम, सलातुल मुसाफ़िरीन, हदीस 738 की ज़ेली हदीस) लेकिन श्रेष्ठ यही है कि जिसे बेदारी का यक़ीन हो वह आखिर शब ही वित्र अदा करे।

1. मुस्लिम, सलातुल मुसाफ़िरीन, हदीस 755।

2. बुखारी, वित्र, हदीस 996 व मुस्लिम, सलातुल मुसाफ़िरीन, हदीस 745।

फिर सलाम फेरते ।” हज़रत उम्मल मोमिनीन रज़ि० फरमाती हैं : “जब

रसूलुल्लाह सल्ल० बड़ी उम्र को पहुंचे (तो) आप सात रकआत वित्र पढ़ते थे । आप इस बात को पसन्द करते थे कि अपनी नमाज़ पर हमेशगी करें । जब नींद या बीमारी का ग़लबा होता और रात को क्र्याम न कर सकते तो दिन में बारह रकआत नफ्ल पढ़ते और मैं नहीं जानती कि आपने एक रात में पूरा कुरआन पढ़ा हो या सारी रात नमाज़ पढ़ी हो या रमज़ान के अलावा किसी और महीने में पूरा महीना रोज़े रखे हों ।”¹

इस हदीस शरीफ से दो बातें मालूम हुईं एक यह कि नबी सल्ल० ने (एक सलाम के साथ) नौ वित्र पढ़े और सात भी दूसरी बात यह साबित हुई कि आप हर दो रकअतों के बाद अत्तहियात में नहीं बैठते थे बल्कि केवल आठवीं रकअत में तशहूद पढ़ते और सलाम फेरे बिना खड़े हो जाते । और फिर आखिरी ताक़ रकअत के आखिर में हस्बे मामूल तशहूद पढ़कर सलाम फेर देते थे ।

वित्रों के सलाम के बाद :

हज़रत अबी बिन काऊब रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० वित्रों से सलाम फेरकर तीन बार यह पढ़ते :

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقَدُّوسِ

“पाक है बादशाह, बहुत पाक ।”²

नबी सल्ल० ने फ़रमाया है : “अगर कोई व्यक्ति वित्र पढ़े बगैर सो जाए या वित्र पढ़ना भूल जाए तो उसे जब याद आए वह वित्र पढ़ ले ।”³

नबी सल्ल० ने फ़रमाया : “जो व्यक्ति रात का वज़ीफ़ा या कोई दूसरा अमल छोड़कर सो गया और फिर उसे नमाज़ फ़ज़र से झोहर के बीच अदा कर

1. मुस्लिम, सलातुल मुसाफ़िरीन, अध्याय जामेअ सलातुल्लैल, हदीस 746 ।
2. अबू दाऊद, अबवाबुल वित्र, हदीस 1430, नसाई 3/244 । इसे इमाम इब्ने हिबान (हदीस 677) ने सहीह कहा है ।

3. अबू दाऊद, अबवाबुल वित्र, हदीस 1431 । इमाम हाकिम और हाफ़ेज़ ज़ेहबी ने इसे सहीह कहा है ।

लिया तो उसे रात ही के समय अदा करने का सवाब मिल गया।”¹ हमें अपना वज़ीफ़ा पूरा करना चाहिए क्योंकि नबी सल्ल० ने फ़रमाया : “अल्लाह तआला के यहां महबूब तरीन अमल वह है जो हमेशा किया जाए चाहे थोड़ा ही हो।”² नबी सल्ल० ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन अलआस रज़ि० को फ़रमाया : “ऐ अब्दुल्लाह! तू फ़लां व्यक्ति की तरह न हो जाना जो रात को क्रयाम करता था फिर उसने रात का क्रयाम छोड़ दिया।”³ दुआए कुनूत :

हज़रत अबी बिन काअब रज़ि० फ़रमाते हैं :

«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ يُعَذِّبُ بَلَادَ رَكَعَاتٍ وَيَقْسِنُ قَبْلَ الرُّكُونِ»

“रसूलुल्लाह सल्ल० तीन वित्र पढ़ते और दुआए कुनूत रुकूअ से पहले पढ़ते थे।”⁴

हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसज्द और सहाबा किराम रज़ि० कुनूत वित्र रुकूअ से पहले पढ़ते थे।⁵

वित्र में रुकूअ के बाद कुनूत की तमाम रिवायात ज़ईफ़ हैं और जो रिवायात सहीह हैं उनमें स्पष्टतः नहीं कि आप सल्ल० का रुकूअ के बाद वाला कुनूत, कुनूत वित्र था या कुनूत नाज़िला। अतः सहीह तरीका यह है कि वित्र में कुनूत, रुकूअ से पहले पढ़ा जाए।

रसूलुल्लाह सल्ल० ने मस्जिद के अंदर दो सुतूनों के बीच लटकी हुई रस्सी देखी तो पूछा यह क्या है? लोगों ने कहा : यह हज़रत ज़ैनब रज़ि० की

1. मुस्लिम, सलातुल मुसाफ़िरीन, हदीस 747।

2. बुखारी, अररिकाक़, हदीस 6464-6465, मुस्लिम, सलातुल मुसाफ़िरीन, हदीस 782।

3. बुखारी, तहज्जुद, हदीस 1152।

4. नसाई, 3/235, इब्ने माजा, इक़ामुस्सलात, हदीस 1182। इसे इब्ने तुर्कमानी और इन्जुस्सिकन ने सहीह कहा है।

5. लेखक इब्ने अबी शैबा, इसे इब्ने तुर्कमानी ने सहीह और हाफ़िज़ इब्ने हज़र ने हसन कहा है।

रस्सी है वह (रात को नफल) नमाज पढ़ती रहती हैं फिर जब सुस्त हो जाती

है या थक जाती हैं तो इस रस्सी को पकड़ लेती हैं।” आप सल्लू८ ने फ़रमाया : “इसको खोल डालो, हर व्यक्ति अपनी खुशी के नफ़िल नमाज पढ़े फिर जब सुस्त हो जाए या थक जाए तो आराम करे।”¹

नबी سल्लू८ ने फ़रमाया : “इतना अमल इख्लायार करो जितनी तुम्हें ताक़त हो, अल्लाह की क़सम! अल्लाह सवाब देने से नहीं थकता लेकिन तुम अमल करने से थक जाओगे।”²

हज़रत हसन बिन अली रज़ि८ रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लू८ ने मुझे कुछ कलिमात सिखाए ताकि मैं उनको कुनूत वित्र में कहूँ :

«اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَا نَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَا عَانَتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَا تَوَلَّتَ، وَبَارِثَ لِنِ فِيمَا أَغْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّمَا قَضَيْتَ، إِنَّكَ تَقْضِيَ وَلَا يَنْفَضِي عَلَيْكَ، وَإِنَّمَا لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَّنَّتَ، [وَلَا يَعْرُّ مَنْ عَادَنَتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ】

“ऐ अल्लाह! मुझे हिदायत देकर उन लोगों के संग शामिल फ़रमा जिन्हें तूने रुशद व हिदायत से नवाज़ा है और मुझे आफ़ियत देकर उन लोगों में शामिल फ़रमा जिन्हें तूने आफ़ियत प्रदान की है, और जिन लोगों को तूने अपना दोस्त बनाया है उनमें मुझे भी शामिल करके अपना दोस्त बना ले। जो कुछ तूने मुझे प्रदान किया है उसमें मेरे लिए बरकत डाल दे और जिस शर व बुराई का तूने फ़ैसला फ़रमाया है उससे मुझे बचा कर रख और बचा ले। निश्चय ही तू फ़ैसला करता है तेरे खिलाफ़ फ़ैसला नहीं किया जा सकता और जिसका तू संरक्षक बना वह कभी ज़लील व ख़्वार और रुसवा नहीं हो सकता और वह व्यक्ति इज़्जत नहीं पा सकता जिसे तू दुश्मन कहे, हमारे पालनहार आक़ा! तू (बड़ा) ही बरकत वाला और सर्वश्रेष्ठ और उच्च है।”³

1. मुस्लिम, तहज्जुद, हदीस 1150, व सलातुल मुसाफ़िरीन, हदीस 784। इससे मालूम हुआ कि जाइज़ लज़्जतों से कनाराकशी और शारीरिक तकलीफ़ पर आधारित सूफ़ियाना साधनाओं और मुजाहिदों की इस्लाम में कोई धारणा नहीं है।

2. मुस्लिम, सलातुल मुसाफ़िरीन, हदीस 785।

3. अबू दाऊद, अबवाबुल वित्र, हदीस 1425-1426, तिर्मिज़ी वित्र, हदीस 464।

चेतावनी :

दुआए कुनूत वित्र में हाथ उठाने के बारे में कोई मरक्कूअ रिवायत नहीं है अलबत्ता लेखक इन्हे अबी शैबा में कुछ चिन्ह मिलते हैं। (इसलिए हाथ उठाकर या हाथ उठाए बिना, दोनों तरीकों से कुनूत वित्र की दुआ पढ़ना सहीह है।)¹

(रब्बना व-त-आलै त) के बाद (नस्तगफि-रु-क व नतूबु इलै-क) के शब्द रसूलुल्लाह सल्ल० की अहादीस में मौजूद नहीं हैं। बल्कि कुछ उलमा की तरफ से वृद्धि हैं।

हजरत इब्ने उमर रजि० के सामने एक आदमी को छींक आई तो उसने (अलहम्दुलिल्लाहि वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि” कहा, यह सुनकर इब्ने उमर रजि० फ़रमाने लगे, मैं भी (अलहम्दुलिल्लाहि वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि) कह सकता हूँ मगर रसूलुल्लाह सल्ल० ने इस मौके पर हमें यह तात्त्वीम नहीं दी बल्कि यह फ़रमाया है कि : “छींक आने पर (अलहम्दुलिल्लाह अला कुल्लि हालिन) पढ़ा जाए।”

हजरत आइशा रजि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया :
«مَنْ أَخْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا مُذَّا مَا لَنِسَعْتُهُ فَهُوَ رَدٌّ»

“जिसने हमारे इस दीन में कोई ऐसी बात शामिल की जो उसमें से नहीं है तो वह मर्दूद है।”²

मालूम हुआ कि हदीसों में मौजूद अज्ञकार और दुआओं में अपनी तरफ से किसी क्रिस्म की ज्यादती नहीं करनी चाहिए।

(सल्लल्लाहु अल-नबिय्य) : सहीह इब्ने खुज़ैमा (1100) में अबी बिन काअब रजि० से साबित है कि वह हजरत उमर रजि० के दौर में रमज़ान में

हदीस 1095) ने सहीह कहा है। स्पष्ट हो कि (वला यझ्जु मन आदै त) के शब्द बैहेकी (2/209) की रिवायत में हैं।

1. तिर्मिज़ी, अलअदब, हदीस 2728, इमाम हाकिम (4/265-266) और इमाम झेहबी ने इसे सहीह कहा है।

2. बुखारी, सिहाह, हदीस 2697 व मुस्लिम, हदीस 1718।

क्यामुल्लैल करते और कुनूत में नबी सल्लो पर दुरुद भेजते थे।¹ इस तरह

हज़रत मुआज्ज अंसारी रजिं० से भी साबित है। अतः (सल्लल्लाहु अलन्बिय्य) पढ़ना जाइज्ज है।

कुनूते नाजिला :

जंग, मुसीबत और दुश्मन के हमले के समय दुआए कुनूत पढ़नी चाहिए। इसे कुनूते नाजिला कहते हैं। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रजिं० फ़जर की नमाज में (रुकूअ के बाद) कुनूत करते और यह दुआ पढ़ते थे :

«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ،
وَأَلْفُ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ، وَانصُرْهُمْ عَلَى عَدُوِّكَ
وَعَدُوِّهِمْ، اللَّهُمَّ اعْنُ كَفَرَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِينَ يَصْنُدُونَ عَنْ سَبِيلِكَ
وَيَكْذِبُونَ رُسُلَكَ وَيُقَاتِلُونَ أُولَيَاءَكَ اللَّهُمَّ خَالِفْ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ وَزِكْرِنَكَ
أَفْدَاهُمْ وَأَنْزِنْ بِهِمْ بَأْسَكَ الَّذِي لَا تَرَوُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ»

“ऐ अल्लाह! हमें और तमाम मोमिन मर्दों, मोमिन औरतों, मुसलमान मर्दों और मुसलमान औरतों को बछा दे और उनके दिलों में उल्फ़त डाल दे। उनकी (आपसी) इस्लाह फ़रमा दे। अपने और उनके दुश्मनों पर उनकी मदद फ़रमा। इलाही! काफ़िरों को अपनी रहमत से दूर कर जो तेरी राह से रोकते, तेरे रसूलों को झुठलाते और तेरे दोस्तों से लड़ते हैं। इलाही! उनके बीच फूट डाल दे उनके क़दम डेगमगा दे और उन पर अपना वह अज़ाब उतार जिसे तू अपराधी क्रौम से नहीं टाला करता।”²

रसूलुल्लाह सल्लो जब किसी पर बद्रुआ या किसी के लिए नेक दुआ का इरादा फ़रमाते तो आखिरी रकअत के रुकूअ के बाद (समिअल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्दु) कहने के बाद ऊंची आवाज़ के साथ यह दुआ

1. सहीह इब्ने खुजैमा की उल्लिखित मौकूफ हदीस (1100) से और यह बात भी साबित होती है कि कुनूत वित्र एक ज़रूरी दुआ है और इसमें केवल (अल्लाहुम्महदिना) वाली मारुफ दुआ ही नहीं बल्कि कुनूत समेत दूसरी दुआएं भी मांगी जा सकती हैं।

2. बैहेकी (2/210-211) और उन्होंने इसे सहीह कहा है। -

फरमाते ।

(इस अवसर पर) आप सल्ल० अपने दोनों हाथ उठाते² रसूलुल्लाह सल्ल० ने एक माह तक पांचों नमाज़ों में रुकूअ के बाद कुनूते नाजिला पढ़ी और सहाबा रज़ि० आपके पीछे आमीन कहते थे ।³

रमज़ान में क्रयाम (नमाज़ में खड़े रहना) :

रसूलुल्लाह सल्ल० हुक्म दिए बिना सहाबा किराम रज़ि० को क्रयामे रमज़ान का शौक़ दिलाते और फरमाते थे :

«مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَأَخْتِسَابًا، غُفرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبٍ»

“जिसने ईमान के साथ और सवाब की नीयत से रमज़ान का क्रयाम किया अल्लाह तआला उसके पीछे तमाम गुनाह माफ़ फरमा देते हैं ।”⁴

रसूलुल्लाह सल्ल० ने तीन रात क्रयामे रमज़ान किया :

हज़रत अबूज़र रज़ि० कहते हैं कि हमने रसूलुल्लाह सल्ल० के साथ (रमज़ानुल मुबारक के) रोज़े रखे, (शुरू में) आपने हमारे साथ महीने में से कुछ भी क्रयाम न किया यहां तक कि 23वीं रात को आपने क्रयाम रमज़ान किया । फिर आपने 24वीं रात छोड़कर 25वीं रात को फिर 26वीं रात को छोड़कर 27वीं शब को अपने घर वालों और अपनी औरतों को और सब लोगों को जमा करके क्रयाम किया । और फरमाया : “जो व्यक्ति इमाम के साथ क्रयाम (रमज़ान) करता है उसके लिए पूरी रात का क्रयाम लिखा जाता है ।”⁵

1. बुखारी, तफ्सीर, हदीस 4559-4560, 4598, 6200, 1393, 6940, 804, 1006, 2932, मुस्लिम, मस्जिदों, हदीस 675 ।

2. अहमद,, 2/255, मुसनद सिराज, यह हदीस बुखारी और मुस्लिम की शर्त पर सहीह है ।

3. अबू दाऊद, अबवाबुल वित्र, हदीस 1443 । इसे हाकिम, हाफ़िज़ ज़ेहबी और इमाम इब्ने खुजैमा ने सहीह कहा है ।

4. बुखारी, सलातुत तरावीह, हदीस 2008 व मुस्लिम, सलातुल मुसाफ़िरीन, हदीस 759 ।

5. अबू दाऊद, अबवाब शहरु रमज़ान, हदीस 1375, तिर्मिज़ी सोम, हदीस 805 ।

आप सल्लू० ने (तीन रात के बाद) फ़रमाया : “मैंने देखा कि तुम्हारा

प्रोग्राम बराबर क्रायम है। तो मुझे ख़तरा पैदा हुआ कि कहीं तुम पर (यह नमाज) फ़र्ज न कर दी जाए (इसलिए मैं घर से नहीं निकला) अतः तम अपने अपने घरों में (रमज़ान की रातों का) क्रायम करो। आदमी की नफ़्ल नमाज घर में श्रेष्ठ होती है।”¹

हज़रत उमर रज़ि० ने जमाअत के साथ क्रायम रमज़ान (दोबारा) शुरू कराया मगर यह भी फ़रमाया कि रात का आखिरी हिस्सा (जिसमें लोग सो जाते हैं) रात के शुरू के हिस्से से (जिसमें लोग क्रायम करते हैं) बेहतर है।²

रसूलुल्लाह सल्लू० ने तीन रात क्रायम रमज़ान कराके लोगों से फ़रमाया कि : “तुम अपने घरों में पढ़ा करो।” घरों आदि में अलग अलग पढ़ने के बारे में इमाम झोहरी फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लू० की वफ़ात के बाद भी यही तरीक़ा जारी रहा। हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ रज़ि० की ख़िलाफ़त और हज़रत उमर फ़ारुक़ रज़ि० के शुरू के दौर में भी इसी पर अमल होता रहा। फिर उमर फ़ारुक़ रज़ि० ने जमाअत से पढ़ने का तरीक़ा मुक़र्रर फ़रमाया।³

नसाई, 3/83, 202-203, इसे इमाम इब्ने हिबान (919) और इमाम इब्ने खुज़ैमा (2206) ने सहीं कहा है।

1. बुख़ारी, जमाअत बल इमामत, हदीस 731, 6113, 729, मुस्लिम, सलातुल मुसाफ़िरीन, हदीस 781।

2. बुख़ारी, सलातुतरावीह, हदीस 2010।

3. बुख़ारी, सलातुतरावीह, हदीस 2009 व मुस्लिम सलातुल मुसाफ़िरीन, हदीस 759। इस तरीके पर सहाबा किराम रज़ि० और उनके बाद सारी उम्मत का अमल रहा और जिस चीज़ को सहाबा किराम रज़ि० की अधिक पुष्टि हासिल हो जाए वह बिदअत नहीं हुआ करती। और उम्मत सहमति की वजह से भी यह बिदअत नहीं है वैसे भी हज़रत उमर फ़ारुक़ रज़ि० खुलफ़ाए राशिदीन रज़ि० में से हैं जिनकी सुन्नत इख़ित्यार करने का हुक्म स्वयं नबी अकरम सल्लू० फ़रमा गए थे। (अबू दाऊद, सुन्नत, हदीस 4607 व तिर्मिज़ी, अलइल्म, हदीस 2681) अतः जब किसी खुलफ़ाए राशिदीन की सुन्नत को अन्य सहाबा किराम रज़ि० कुबूल कर लें तो वह बाक़ी उम्मत के लिए हुज्जत बन जाती है इस हिसाब से भी पूरे रमज़ान में क्रायमुल्लैल का जमाअत के साथ आयोजन बिदअत नहीं है। दरअस्ल हज़रत उमर रज़ि० ने इसे जो बिदअत कहा है तो इससे मुराद बिदअत का शाब्दिक अर्थ है। लेकिन अ़क्सोस कि कुछ लोग अपनी बिदआत को जाइज़ साबित

रसूलुल्लाह सल्ल० ने रमज़ान में तहज्जुद नहीं पढ़ी :

रसूलुल्लाह सल्ल० ने 27वीं रमज़ानुल मुबारक को इतना लम्बा क़्रयाम किया कि सहाबा किराम रज़ि० को ख़तरा महसूस हुआ, कहीं सहरी का समय ख़त्म न हो जाए।¹

अगर क़्रयाम रमज़ान के अलावा रसूलुल्लाह सल्ल० तहज्जुद भी पढ़ा करते थे तो फिर बताइए कि आपने 27वीं रमज़ान को तहज्जुद क्यों न पढ़ी, जबकि तहज्जुद की नमाज़ एक कथन के मुताबिक़ आप पर फ़र्ज़ थी।² मालूम हुआ कि माहे रमज़ान में तहज्जुद और क़्रयाम रमज़ान अलग अलग नहीं, बल्कि एक ही नमाज़ है। (सिरे से मंकूल ही नहीं है कि आप सल्ल० ने रमज़ानुल मुबारक की किसी रात को तहज्जुद और क़्रयाम रमज़ानुल मुबारक का अलग अलग आयोजन किया हो।)

क़्रयामे रमज़ान : ग्यारह रकअतें

अबू सलमा ने हज़रत आइशा रज़ि० से पूछा कि रमज़ानुल मुबारक में रसूलुल्लाह सल्ल० की रात वाली नमाज़ कैसी थी? सिद्दीक़ा कुबरा रज़ि० ने फ़रमाया : “रमज़ान और गैर रमज़ान में रसूलुल्लाह सल्ल० रात की नमाज़ (सामान्यता) ग्यारह रकआत से पूँज्यादा नहीं पढ़ते थे।”³

“हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ि० रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने हमें रमज़ान में आठ रकआत क़्रयाम रमज़ान पढ़ाया फिर वित्र पढ़ाए।”⁴

हम सबको हिदायत दे। आमीन।

1. तिर्मिज़ी, सोम, हदीस 806। वक़ाला तिर्मिज़ी हसन सहीह अबू दाऊद, सलात, हदीस 1275।

2. रसूलुल्लाह सल्ल० पर तहज्जुद की फ़र्ज़ियत महल नज़र है क्योंकि यह बात कुरआन मुकद्दस या किसी भी सहीह हदीस से साबित नहीं है।

3. बुख़ारी, तहज्जुद, हदीस 1147, 2013 व मुस्लिम, सलातुल मुसाफ़िरीन, हदीस 738।

4. इब्ने ख़ुज़ैमा, 1070, इब्ने हिबान 920, अबू याला अलमूसली 1802, इमाम इब्ने हिबान ने इसे सहीह कहा है।

अतः साबित हुआ कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने तीन रात जो नमाज पढ़ाई

थीं वह ग्यारह रकअत ही थीं।

हजरत साइब बिन यज्जीद से रिवायत है कि हजरत उमर फ़ारूक़ रज़ि० ने हजरत अबी बिन काअब और तभीम दारी रज़ि० को हुक्म दिया कि लोगों को ग्यारह रकअत क़्याम रमज़ान पढ़ाएं।¹

साबित हुआ कि हजरत उमर फ़ारूक़ रज़ि० ने मदीने के क़ारियों को ग्यारह रकअत पढ़ाने का हुक्म दिया था।

अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन ख़ुत्ताब, अली बिन अबी तालिब, अबी बिन काअब और अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि० से 20 रकअत क़्यामुल्लैल की तमाम रिवायात सनदन ज़ईफ़ हैं।

सहरी और नमाजे फ़ज़र का बीच का समय :

हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ि० से रिवायत है कि :

«أَنْهُمْ تَسْخَرُوا مَعَ النَّبِيِّ رَبِّ الْعَالَمَاتِ ثُمَّ قَاتَلُوا إِلَي الصَّلَاةِ، فَدُرِّ خَمْسِينَ أَوْ سِتِّينَ يَعْنِي آيَةً»

इसमें “उन्होंने रसूलुल्लाह सल्ल० के साथ सहरी खाई फिर नमाजे फ़ज़र के लिए खड़े हो गए (और नमाज पढ़ी)। सहरी से फ़रागत और नमाज में दाखिल होने का समय इतना था जितनी देर में कोई व्यक्ति क़ुरआन हकीम की पचास या साठ आयतें पढ़ लेता है।”²

1. मोत्ता इमाम मालिक, सलात फ़ी रमज़ान, अध्याय माजा फ़ी क़्याम रमज़ान 1/115। ज़ियाउल मुकद्दसी और शैख़ अलबानी ने इसे सहीह कहा है।

2. बुखारी, मवाकीतुस्सलात, अध्याय वक्त फ़ज़र, हदीस 575-576, 1134।

سَفْرُ الرَّمَضَانِ

सफर में ज़ोहर, अस्त्र और इशा की चार चार फ़र्ज़ रकअतों को दो दो पढ़ना क़स्त (कम करना) कहलाता है। फ़र्ज़ और म़गरिब में क़स्त नहीं है। जो व्यक्ति सफर का इरादा करके अपने घर से चले और गांव या शहर की आबादी से निकल जाए तो वह शरीअत के हिसाब से मुसाफ़िर है। और अपनी फ़र्ज़ नमाज़ में क़स्त कर सकता है। अतएव हज़रत अनस रज़िया से रिवायत है :

«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعًا وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُلْيَفَةَ رَكَعَتَيْنِ»

रसूलुल्लाह सल्ला० ने मदीना में ज़ोहर की नमाज़ चार रकअतें पढ़ीं और ज़ुल हलीफ़ा में अस्त्र की नमाज़ दो रकअतें पढ़ीं।

ज़ुल हलीफ़ा एक मकाम का नाम है जो मदीना मुनव्वरा से छः मील के फ़ासले पर है। नबी सल्ला० मक्का के लिए रवाना हुए तो ज़ुल हलीफ़ा पहुंच कर नमाज़ अस्त्र का समय हो गया। तो आपने वहां अस्त्र में क़स्त कर लिया।

रसूलुल्लाह सल्ला० जब तीन मील या तीन फ़रसांग की दूरी पर निकलते तो नमाज़ दो रकअतें पढ़ते^१

इस हदीस में रावी हदीस ने पूरी ईमानिदारी से काम लेते हुए तीन मील या तीन फ़रसांग कहा है। अर्थात् रावी को शक है कि आप सल्ला० तीन मील की दूरी पर क़स्त करते थे या तीन फ़रसांग (नौ मील) पर। अतः मुसाफ़िर को चाहिए कि सावधान हेतु नौ मील पर क़स्त कर लें (अर्थात् अपने शहर की हुदूद से निकलने के बाद अगर मंज़िल मक्सूद ९ मील या उससे ज्यादा दूरी पर स्थित हो तो मुसाफ़िर क़स्त कर सकता है।)^२

1. बुखारी, तक़सीरुस्सलात, हदीस 1089, 1546, 1547, 1548, 1551, 1712, 1714, 1715 व मुस्लिम, सलातुल मुसाफ़िरीन, हदीस 690 व शब्द मुस्लिम।

2. मुस्लिम, हवाला साबिक, हदीस 691।

3. इसकी वजह यह है कि इस्लाम जब कोई हुक्म देता है तो समाज के ग़रीब और कमज़ोर लोगों का लिहाज़ करता है।

हज़रत इब्ने उमर रजिं० से रिवायत है कि मैं, रसूलुल्लाह सल्ल०,

अबूबक्र सिद्दीक, उमर फ़ारुक और उसमान गना रजिं० के साथ सफ़र में रहा, ये सब (चार की बजाए) दो रकअतें ही पढ़ा करते थे।^१

हज़रत याला बिन उमैया रजिं० से रिवायत है कि मैंने हज़रत उमर रजिं० से पूछा कि अल्लाह तआला तो फ़रमाता है : “अगर तुम्हें कुफ़्फ़ार से ख़ौफ़ हो तो नमाज़ क़स कर लो तुम पर कोई गुनाह नहीं।” (अल कुरआन) आज हम अम्न में हैं नमाज़ क़स क्यों करें? हज़रत उमर रजिं० ने फ़रमाया कि “(अम्न की हालत में क़स की इजाज़त देना) अल्लाह का एहसान है इसे कुबूल करो।”^२

हज़रत हारिसा बिन वहब रजिं० कहते हैं कि नबी करीम सल्ल० ने हमें मिना में क़स नमाज़ पढ़ाई यद्यपि हम तादाद में ज्यादा और हालते अम्न में थे।^३

क़स की हद :

अगर कोई मुसाफ़िर किसी इलाके में असमंजस में ठहरे, कि आज जाऊंगा या कल। तो नमाज़ क़स करता रहे। चाहे कई महीने लग जाएं। हज़रत अनस रजिं०, अब्दुल मुलिक बिन मरवान के हमराह दो माह (बहैसियत संकुचित मुसाफ़िर) शाम में रहे और नमाज़ दो रकअतें पढ़ते रहे।^४

अबू जुमरा नसर बिन इमरान से रिवायत है कि मैंने इब्ने अब्बास रजिं० से सवाल किया कि हम ग़ज़वा की मन्शा से खुरासान में लम्बी दूरी करते हैं। क्या हम पूरी नमाज़ पढ़ें? आपने फ़रमाया : “दो रकअतें ही पढ़ा करो चाहे तुम्हें (किसी जगह संकुचित मुसाफ़िर की हैसियत से) दस साल क़याम करना पड़े।”^५

1. मुस्लिम, सलातुल मुसाफ़िरीन, अध्याय सलातुल मुसाफ़िर, व क़स हा, हदीस 689।

2. मुस्लिम, हवाला साबिक, हदीस 686।

3. बुखारी, तक्सीरुस्सलात, हदीस 1083, 1656, मुस्लिम सलातुल मुसाफ़िरीन, हदीस 696।

4. बैहेकी, 3/152।

5. लेखक इब्ने अबी शैबा।

और अगर उन्नीस दिन तक ठहरने का इरादा हो तो नमाज़ में क़स्र करे। और अगर उन्नीस दिन से ज़ायद ठहरने का इरादा हो तो फिर (पहले ही रोज़ से) नमाज़ पूरी पढ़नी चाहिए।¹

हज़रत इब्ने अब्बास रज़िया किया। फिर आप उन्नीस दिन ठहरे और दो दो रक़अतें नमाज़ पढ़ते रहे। इब्ने अब्बास रज़िया ने फ़रमाया : कि हम अपने और मक्का के बीच किसी मंज़िल में (इक़ामत के दौरान) उन्नीस दिन दो दो रक़अतें पढ़ते हैं। अतः जब उस (उन्नीस दिन) से ज़्यादा ठहरते हैं तो चार रक़आत पढ़ते हैं।²

सफ़र में अज़ान और जमाअत :

मालिक बिन हुवेरिस रज़िया कहते हैं कि मैं और मेरा चचाज़ाद भाई आप सल्ला की खिदमत में हाज़िर हुए तो आपने फ़रमाया कि : “जब तुम सफ़र पर जाओ तो अज़ान और इक़ामत कहो फिर तुम्हें जो बड़ा हो वह इमामत कराए।”³

सफ़र में दो नमाज़ें जमा करना :

इब्ने उमर रज़िया से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ला दौराने सफ़र ज़ोहर और अस्त्र को और मगरिब और इशा को जमा करते थे।⁴

जमा की दो सूरतें हैं :

जमा तब्दीम : अर्थात् ज़ोहर के साथ अस्त्र और मगरिब के साथ इशा

1. इसकी बाबत मतभेद है। एक मत तो यही है जिसका हवाला इस किताब में दिया गया है कि 19 रोज़ क़याम की नीयत हो तो नमाज़ क़स्र की जाए। एक दूसरा मत 15 दिन का और चौथा मत 3 दिन का है। इसी आखिरी मत को उलमा की बड़ी संख्या ने सही क़रार दिया और इख्तियार किया है। विवरण के लिए देखिए “इतहाफुल किराम शरह बुलूगुल मराम” किताबुस्सलात, अध्याय सलातुल मुसाफ़िर वल मरीज़ अहादी नम्बर अरबी एडीशन 421-425, उर्दू एडीशन 344-346।

2. बुखारी, तक्सीरुस्सलात, हदीस 1080, 4298, 4299।

3. बुखारी, अल अज़ान, हदीस 630।

4. बुखारी, तक्सीरुस्सलात, हदीस 1107 व मुस्लिम, सलातुल मुसाफ़िरीन, हदीस

की नमाज पढ़ना।

जमा ताखीर : अर्थात् अस्व के साथ ज़ोहर और इशा के साथ मगरिब की नमाज पढ़ना।

हज़रत मुआज्ज बिन जबल रज़ियो से रिवायत है कि ग़ज़वा तबूक के मौके पर अगर रसूलुल्लाह सल्लो सूरज ढलने के बाद सफ़र शुरू करते तो ज़ोहर और अस्व को इस समय जमा फ़रमा लेते और अगर सूरज ढलने से पहले सफ़र शुरू करते तो ज़ोहर को टाल कर अस्व के साथ अदा फ़रमाते। इसी तरह अगर सूरज अस्त होने के बाद सफ़र शुरू करते तो मग़रिब और इशा उसी समय पढ़ लेते और अगर सूरज अस्त होने से पहले सफ़र शुरू करते तो मग़रिब को टाल करके इशा के साथ पढ़ते।

मुआज्ज बिन जबल रज़ियो वाली हदीस की पुष्टि, इब्ने अब्बास रज़ियो की हदीस से होती है जिसे वैहेकी ने रिवायत किया और उसे सहीह कहा है। और इस बारे में इब्ने उमर रज़ियो और अनुस रज़ियो से भी रिवायत मरवी हैं।¹

सफ़र में सुन्नतें माफ़ हैं :

हज़रत हफ़स बिन आसिम रहो से रिवायत है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियो ने उनसे कहा : “ऐ मेरे भतीजे! मैं रसूलुल्लाह सल्लो के हमराह सफ़र में रहा। मगर आपने दो रकअतों से ज्यादा नमाज न पढ़ी यहां तक कि अल्लाह तआला ने आपकी रुह क़ब्ज़ कर ली। और मैं हज़रत अबू बक्र रज़ियो के हमराह, सफ़र में रहा, हज़रत उमर रज़ियो के हमराह, सफ़र में रहा और हज़रत उसमान रज़ियो के हमराह, सफ़र में रहा। उन सबने सफ़र में दो रकअतों से ज्यादा नमाज नहीं पढ़ी यहां तक कि अल्लाह तआला ने उनकी रुह क़ब्ज़ कर ली। और अल्लाह ने इरशाद फ़रमाया कि रसूलुल्लाह सल्लो का अनुसरण ही तुम्हारे लिए बेहतर है।”²

1. अबू दाऊद, अबवाब सलातुसफ़र, हदीस 1220, तिर्मिज़ी, अलजुमा, हदीस 552। इसे इमाम इब्ने हिबान (4/413-414) ने सहीह कहा है।

2. बुखारी, तक़सीरुस्सलात, हदीस 1091, 1111, 1112 व मुस्लिम, सलातुल मुसाफ़िरीन, हदीस 703-704।

3. बुखारी, तक़सीरुस्सलात, हदीस 1101-1102, मुस्लिम, सलातुल मुसाफ़िरीन, हदीस 689।

मालूम हुआ कि सफर में सुन्तें, नफ्ल सब माफ़ हैं। इन्हे उमर रजिं० दो रकअतें (अर्थात् नमाज़ क्रस्त) पढ़कर अपने बिस्तर पर चले जाते थे। हफ़स कहते हैं कि मैंने कहा चचा जान! अगर उसके बाद आप दो रकअतें (सुन्त) पढ़ लिया करें तो क्या हरज है? फ़रमाया : अगर मुझे यह करना होता तो (फ़र्ज़) नमाज़ ही पूरी पढ़ लेता।¹

रसूलुल्लाह सल्ल० मुजदल्फ़ा तशरीफ़ ले गए तो एक अज्ञान और दो इकामतों से नमाज़ मगरिब और इशा जमा कीं और बीच में सुन्तें नहीं पढ़ीं।²

हज़र (बिना सफर के) में दो नमाज़ों का जमा करना :

हज़रत इब्ने अब्बास रजिं० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने मदीना में ज़ोहर और अस्त को जमा करके पढ़ा। यद्यपि वहां (दुश्मन का) खौफ़ था न सफर की हालत थी। (रावी) अबू जुबैर कहते हैं मैंने सईद बिन जुबैर से पूछा आप सल्ल० ने ऐसा क्यों किया था। सईद ने जवाब दिया। जिस तरह तुमने मुझसे मालूम किया उसी तरह मैंने हज़रत इब्ने अब्बास रजिं० से पूछा था तो उन्होंने यह जवाब दिया था कि आप सल्ल० अपनी उम्मत को दुश्वारी में नहीं रखना चाहते थे।³

हज़रत इब्ने अब्बास रजिं० से रिवायत है कि : रसूलुल्लाह सल्ल० ने दुश्मन के खौफ़ और सफर के बिना ज़ोहर और अस्त को और मगरिब व इशा को मिलाकर पढ़ा।

अब्दुल्लाह बिन शफ़ीक़ से रिवायत है कि एक बार हज़रत इब्ने अब्बास रजिं० ने बसरा में अस्त के बाद हमें खुतबा देना शुरू किया यहां तक कि सूरज अस्त हो गया और सितारे चमकने लगे। किसी ने कहा कि नमाज़ (मगरिब) का समय हो चुका है। आपने फ़रमाया, मुझे सुन्त न सिखाओ, मैंने रसूलुल्लाह सल्ल० को ज़ोहर व अस्त और मगरिब व इशा मिलाकर पढ़ते हुए देखा है। अब्दुल्लाह बिन शफ़ीक़ कहते हैं कि मुझे सन्देह पैदा हुआ मैंने हज़रत अबू हुरैरह रजिं० से मालूम किया तो उन्होंने उनकी पुष्टि की।⁴

1. मुस्लिम, सलातुल मुसाफिरीन, हदीस 694।

2. मुस्लिम, अलहज, अध्याय हुज्जतुन्नबी, हदीस 1218।

3. मुस्लिम, सलातुल मुसाफिरीन, हदीस 705।

4. शेष अगले पृष्ठ पर

नमाज़ जुमा

जुमा, बेहतरीन दिन :-

أَخْيَرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدُمُ، وَفِيهِ أُذْنِبَتِ الْجَنَّةُ، وَفِيهِ أُخْرَجَ مِنْهَا وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ

“बेहतरीन दिन, जिस पर सूरज उद्यु हीकर चमके, जुमा का दिन है। इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, इसी दिन जन्नत में दाखिल किए गए, इसी दिन जन्नत से (ज़मीन पर) उतारे गए और क्रियामत भी जुमा के दिन क्रायम होगी ।”

जुमा की फ़र्जियत :

新開河口二連三連四連五連六連七連八連九連十連十一連

البيع ذاتكم خير لكم إن كنتم تعلمون» (الجامعة ٩/١٢)

“ऐ ईमान वालो! जब जुमा के दिन नमाज़ (जुमा) के लिए अज्ञान दी जाए तो अल्लाह के ज़िक्र (खुतबा और नमाज़) की तरफ दौड़ो और (उस समय) कारोबार छोड़ दो। अगर तुम समझो तो यह तुम्हारे हङ्क में बहुत बेहतर है।”

4. मुस्लिम, सलातुल मुसाफ़िरीन, हदीस 706। अर्थात् कि अत्यन्त ज़रूरी किस्म के हालात में हालत इक़्बामत में भी दो नमाज़ों जमा करके पढ़ी जा सकती हैं। फिर भी सख्त ज़रूरत के बिना ऐसा करना जाइज़ नहीं। जैसे कारोबारी लोगों का आम व्यैया है कि वह सुस्ती या कारोबारी व्यस्तता की वजह से दो नमाज़ों को जमा कर लेते हैं। यह सही ह नहीं, बल्कि गुनाह है। हर नमाज़ को उसके समय पर ही पढ़ना ज़रूरी है, सिवाएँ ज़रूरी हालात के।

हज़रत अबुल जाअद ज़मरी रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : ‘‘जो व्यक्ति सुस्ती की वजह से तीन जुमा छोड़ दे तो अल्लाह तआला उसके दिल पर मुहर लगा देता है।’’¹

आप सल्ल० ने फ़रमाया : ‘‘लोग जुमा छोड़ने से बाज़ आ जाएं वरना अल्लाह तआला उनके दिलों पर मुहर लगा देगा फिर वे ग़ाफ़िल हो जाएंगे।’’²

हज़रत इब्ने मसऊद रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने उन लोगों के घरों को जो (अकारण) जुमा से पीछे रह जाते हैं, जला देने का इरादा किया।³

मालूम हुआ कि जुमा का छोड़ना बहुत बड़ा गुमाह है, इस पर कड़ी चेतावनी है। अतः हर मुसलमान पर जुमा पढ़ना फ़र्ज़ है। इसमें कदापि सुस्ती नहीं करनी चाहिए। जब ख़तीब मिंबर पर चढ़े, और अज्ञान हो जाए तो सारे कारोबार हराम हो जाते हैं।

जुमा के मसाइल :

(1) रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : ‘‘जिसका अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान है उस पर जुमा फ़र्ज़ है रोगी, मुसाफ़िर, औरत, नाबालिग लड़कों और गुलाम जुमा की फ़र्ज़ियत से अपवाद हैं।’’ (अगर चाहें तो पढ़ लें वरना ज़ोहर की नमाज़ अदा करें।)⁴

(2) नबी सल्ल० ने फ़रमाया : ‘‘जो व्यक्ति जुमा के दिन ख़ूब अच्छी तरह नहाए, और पैदल (मस्जिद में) जाए इमाम के नज़दीक होकर दिल लगाकर खुत्बा सुने और कोई बेकार बात न करे तो उसको हर कदम पर एक वर्ष के रोज़े का और उसकी रातों के क़्रायाम का सवाब होगा।’’⁵

1. अबू दाऊद, अबवाबुल जुमा, हदीस 1052, तिर्मिज़ी, हदीस 499। इसे हाकिम (1/280) इब्ने खुजैमा, हदीस 185, 1858, इब्ने हिबान (हदीस 553, 554) और इमाम ज़ेहबी ने सहीह कहा है।

2. मुस्लिम, अल-जुमा, हदीस 865।

3. मुस्लिम, अल-मस्जिदों, हदीस 652।

4. अबू दाऊद, अबवाबुल जुमा, हदीस 1067। इमाम नववी ने इसे सहीह कहा है।

5. तिर्मिज़ी, अल-जुमा, हदीस 495, अबू दाऊद, तहारत, हदीस 345, इब्ने हिबान (559) इमाम हाकिम (1/281-282) और हाफिज़ ज़ेहबी ने इसे सहीह कहा है।

हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ि० से रिवायत है कि, रसूलुल्लाह सल्ल० ने

फ़रमाया : ‘‘जो व्यक्ति जुमा को नहाए और जिस क़द्र पाका हासल हो सके, (मूछें कतराए, नाखुन कटाए, ज़ेरे नाफ़ बाल मूंढे और बगलों के बाल दूर करे, आदि) फिर तेल या अपने घर से खुशबू लगाए और (जुमा के लिए) मस्जिद को जाए। (वहाँ) दो आदमियों के बीच रास्ता न बनाए (बल्कि जहाँ जगह मिले बैठ जाए) फिर अपने मुकद्दर की नमाज़ पढ़े। फिर दौराने खुतबा खामोश रहे तो उसके पिछले जुमा से लेकर इस जुमा तक के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं।’’¹

रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया है : ‘‘जो व्यक्ति गुस्त करके जुमा के लिए आता है और खुतबा शुरू होने तक जितना हो सके नवाफ़िल अदा करता है, फिर खुतबा जुमा, शुरू से आखिर तक खामोशी के साथ सुनता है तो उसके पिछले जुमा से लेकर इस जुमा तक और अधिक ३ दिन के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं।’’²

(3) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि० फ़रमाते हैं : मस्जिदे नबवी के बाद जो सबसे पहला जुमा पढ़ा गया वह वहरीन के गांव जुवासा में अब्दुल क्रैस की मस्जिद में था।³

इससे सावित हुआ कि गांव में भी जुमा पढ़ना ज़रूरी है अगर लोग गांव में जुमा नहीं पढ़ेंगे तो गुनाहगार होंगे।

असद बिन ज़रारा रज़ि० ने ‘‘नकीउल ख़ज़मात’’ के इलाक़े में बनू बयाज़ा की बस्ती ‘‘हज़मून नबीत’’ (जो मदीने से एक मील के फ़ासले पर थी) में जुमा क़ायम किया।⁴

1. बुखारी, अलजुमा, हदीस 883, 910। यह हदीस खुतबा जुमा से पहले मस्जिद का वह अंदरूनी मंज़र पेश कर रही है जो शरीअत को दरकार है अर्थात जब यह तैयार होकर जाए तो मस्जिद में बहुत से लोग पहले से मौजूद हों जो सुन्नतों से फ़ारिग होकर खुतबा के लिए तैयार बैठे हों (इसी लिए फ़रमाया कि वह लोगों की गर्दनें फलांगकर रास्ता न बनाए) फिर भी इतना समय हो कि यह (आने वाला) सुन्नतें पढ़ ले, बाद में खुतबा शुरू हो, अल्लाह तौफ़ीक दे।

2. मुस्लिम, अलजुमा, हदीस 857।

3. बुखारी, अलजुमा, हदीस 892, 437।

4. अबू दाऊद, अलजुमा, हदीस 1069, हाकिम (1/281) इमाम इब्ने ख़ुज़ैमा (हदीस 1724) और हाफ़िज़ ज़ेहबी ने इसे सहीह कहा है।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़िया मक्का और मदीना के बीच बसने वाले लोगों को जुमा पढ़ते देखते तो आपत्ति न करते।^१

(4) हुनैन के दिन बारिश हो रही थी तो रसूलुल्लाह सल्लीला० ने अपने मुनादी को हुक्म दिया : “आज अपनी, अपनी क्रयामगाहों में नमाज़ पढ़ने का एलान कर दो, और वह जुमा का दिन था।”^२

मातृम् हुआ कि बारिश के दिन जुमा की नमाज़ पढ़नी वाजिब नहीं। अर्थात् अगर बारिश के दिन जुमा पढ़ लिया जाए तो जाइज़ है और बारिश के कारण अगर जुमा छोड़ कर ज़ोहर पढ़ ली जाए तो जुमा छोड़ने का गुनाह नहीं होगा।

(5) अबू हुरैरह रज़िया से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लीला० ने फ़रमाया : “आज के दिन दो ईदें (ईद और जुमा) इकट्ठी हो गई हैं। जो व्यक्ति केवल ईद पढ़ना चाहे तो उसे वह काफ़ी है, लेकिन हम (ईद और जुमा) दोनों पढ़ेंगे।”^३

अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़िया के प्रभाने में जुमा के दिन ईद हुई। तो उन्होंने नमाज़ ईद पढ़ाई जुमा न पढ़ाया। इस घटना की खबर इब्ने अब्बास रज़िया को मिली तो उन्होंने फ़रमाया : उनका यह अमल सुन्नत के मुताबिक़ है।^४

(6) रसूलुल्लाह सल्लीला० ने फ़रमाया : “अगर गुंजाइश हो तो जुमा के लिए रोज़ाना इस्तेमाल होने वाले कपड़ों के अलावा कपड़े बनाओ।”^५

(7) नबी सल्लीला० ने दौराने खुत्बा गूट मारकर बैठने से मना फ़रमाया।^६

1. अब्दुर्रज्जाक 3/170, हाफ़िज़ इब्ने हज़र ने इसे सहीह कहा है।

2. अबू दाऊद, अलजुमा, हदीस 1057, 1059, इसे इमाम हाकिम (1/293) इमाम इब्ने खुज़ैमा (1863), इमाम इब्ने हिबान (439-440) और हाफ़िज़ ज़ेहबी ने सहीह कहा है।

3. अबू दाऊद, अलजुमा, हदीस 1070-1071, 1073, इसे इमाम हाकिम व हाफ़िज़ ज़ेहबी ने सहीह कहा है।

4. नसाई, सलातुल ईदेन, हदीस 1593, इमाम इब्ने खुज़ैमा ने इसे सहीह कहा है।

5. इब्ने माज़ा, इक़ामतिस्सलात, हदीस 1095-1096, इमाम इब्ने हिबान और इमाम इब्ने खुज़ैमा (1765) ने इसे सहीह कहा है।

6. तिर्मिज़ी, अलजुमा, हदीस 513, इमाम तिर्मिज़ी ने इसे हसन कहा है।

गूट मारना उस तरह बैठने को कहते हैं कि हाथ या कपड़े के साथ रानों

को पट से मिलाकर बैठें। इस तरह बैठने से आम तौर पर नाद आ जाती है फिर आदमी खुतबा नहीं सुन सकता। इसके अलावा इस हालत में आदमी अक्सर गिर पड़ता है। (और शर्मगाह के बेहिजाब होने की संभादना होती है।)

(8) जाविर बिन समरा रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० खड़े होकर खुतबा देते और दो खुत्बों के बीच बैठते। जो व्यक्ति यह कहे कि आप बैठकर खुतबा देते थे उसने ग़लत बयान किया।¹

(9) हज़रत काअब बिन उजरा रज़ि० से रिवायत है कि वह मस्जिद में दाखिल हुए और अब्दुर्रहमान बिन उम्मुल हकम बैठे हुए खुतबा दे रहे थे। काअब रज़ि० ने कहा : इस खबीस की तरफ़ देखो, बैठे हुए खुतबा देता है। यद्यपि अल्लाह तआला फ़रमाता है :

﴿وَلَا إِذَا رأَوْا بَخْرَةً أُولَئِكَ أَنْقَضُوا إِلَيْهَا وَتَرْكُوكَ قَائِمًا﴾ (الجِمَعَةٌ ١١/١٢)

“और जब ये लोग कोई सौदा बिकता देखते हैं या कोई तमाशा देखते हैं तो उसकी तरफ़ भाग उठते हैं और आपको (खुत्बे में) खड़ा ही छोड़ देते हैं।”²

मालूम हुआ कि बैठकर खुतबा देना खिलाफ़े सुन्नत है।

रसूलुल्लाह सल्ल० ने जुमा का खुतबा दिया। आपके सर पर सियाह रंग की पगड़ी थी। उसके दोनों सिरे आप ने कंधों के बीच छोड़े हुए थे।³

(10) रसूलुल्लाह सल्ल० ने जुमा के दिन मस्जिद में नमाजे जुमा से पहले हल्का बनाने से मना फ़रमाया।⁴

अतः जो उलमा खुतबा जुमा से पहले तक्रीर करते हैं उन्हें इस अमल को तर्क कर देना चाहिए।

(11) हज़रत अनस रज़ि० कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० शिद्दत की सर्दी में जुमा की नमाज़ सवेरे पढ़ते थे। और शिद्दत की गर्मी में दर से पढ़ते

1. मुस्लिम, अलजुमा, हदीस 862।

2. मुस्लिम, अलजुमा, हदीस 864।

3. मुस्लिम, अलहज, हदीस 1359।

4. अबू दाऊद, अलजुमा, हदीस 1079, तिर्मिज़ी सलात, हदीस 322, वकाल : हदीस हसन, इमाम इब्ने खुज़ैमा (1816) ने इसे सहीह कहा है।

थ ।'

(12) हजरत जाबिर रज़ि० कहते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्ल० खुतबा इशाद फ़रमाते तो आपकी आंखें सुर्ख हो जातीं, आवाज़ बुलन्द होती और जोश में आ जाते थे। मानो कि आप हमें किसी ऐसे लश्कर से डरा रहे हैं जो सुबह या शाम हम पर हमला करने वाला है और फ़रमाते कि : “मैं और कियामत साथ साथ इस तरह भेजे गए हैं।” आप अपनी शहादत की और बीच की उंगली को मिलाते ।²

(13) नबी सल्ल० ने फ़रमाया : (इमाम के साथ) जितनी नमाज़ मिले वह पढ़ो और जो रह जाए उसे पूरा करो ।”³

इस हदीस की रू से नमाज़े जुमा की दूसरी रकअत के सज्दा या तशहूद को पाने वाला (सलाम फिरने के बाद उठकर) दो रकअतें ही पढ़ेगा (चार नहीं) क्योंकि उसकी छूटी हुई नमाज़ दो रकअतें हैं चार रकअतें नहीं।

खुतबे के दौरान दो रकअतें पढ़कर बैठो :

रसूलुल्लाह सल्ल० जुमा का खुतबा इशाद फ़रमा रहे थे कि एक व्यक्ति (सलीक गितफ़ानी रज़ि०) मस्जिद में आए। और दो रकअतें पढ़े बिना बैठ गए। नबी सल्ल० ने पूछा : “क्या तुमने दो रकअतें पढ़ी हैं? उसने अर्ज किया : “नहीं या रसूलुल्लाह!” आप सल्ल० ने हुक्म दिया : “खड़े हो जाओ और दो रकअतें पढ़कर बैठो।”⁴

फिर आपने (सारी उम्मत के लिए) हुक्म दे दिया : “जब तुम में से कोई ऐसे समय मस्जिद में आए कि इमाम खुतबा (जुमा) दे रहा हो तो उसे दो मुख्तसर सी रकअतें पढ़ लेनी चाहिए।”⁵

जुमा से पहले नवाफ़िल की तादाद मुकर्रर नहीं बल्कि नबी सल्ल० ने इजाज़त दी है कि जितने आसानी से पढ़ सकते हैं, पढ़ लें।⁶

1. बुखारी, अलजुमा, हदीस 906।
2. मुस्लिम, अलजुमा, हदीस 867।
3. मुस्लिम, अलमस्जिदों, हदीस 602।
4. बुखारी, अलजुमा, हदीस 930-931, मुस्लिम, अलजुमा, हदीस 875।
5. मुस्लिम, अलजुमा, हदीस 875।
6. सहीह मुस्लिम, अलजुमा, हदीस 857।

मगर कम से कम तादाद अर्थात् दो रकअतें ज़रूरी हैं।

गर्दनें न फलांगो :

हज़रत अब्दुल्लाह बिन बसर रज़ि० से रिवायत है कि जुमा के दिन रसूल्लाह सल्ल० खुतबा दे रहे थे कि एक व्यक्ति लोगों की गर्दनें फलांगता हुआ आने लगा तो आपने यह देखकर फ़रमाया, ‘‘बैठ जाओ! तुमने (लोगों को) यातना दी और देर लगाई है।’’¹

मालूम हुआ कि नमाज़े जुमा के लिए आने वालों को चाहिए उन्हें जहां जगह मिले वहाँ बैठ जाएं।

जुमा में पहले आने वालों को सवाबः

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० कहते हैं कि रसूल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : “फ़रिश्ते जुमा के दिन मस्जिद के दरवाज़ पर (सवाब लिखने के लिए) ठहरते हैं और सबसे पहले आने वाले का नाम लिख लेते हैं फिर उसके बाद आने वाले का (इसी तरह क्रमशः लिखते जाते हैं।) जो व्यक्ति नमाज़े जुमा के लिए अब्वल समय मस्जिद में आता है उसको उतना सवाब मिलता है जितना मक्का में कुरबानी के लिए ऊंट भेजने वाले को सवाब मिलता है। फिर जो बाद में आता है उसको उतना सवाब मिलता है जितना मक्का में कुरबानी के लिए गाय भेजने वाले को सवाब मिलता है। उसके बाद आने वाले को दुंबा भेजने वाले के बराबर। उसके बाद आने वाले को मुर्गा और उसके बाद आने वाले को अंडा सदक्का करने वाले की तरह अज़ मिलता है। फिर जब इमाम, खुतबा देने के लिए निकलता है तो फ़रिश्ते दफ़्तर (लिखे हुए पृ०) लपेट लेते हैं और खुतबा सुनने लगते हैं।²

1. अबू दाऊद, अलजुमा, हदीस 1118, इमाम हाकिम (1/288) इमाम इब्ने ख़ुज़ैमा (हदीस 1816, 1811), इब्ने हिबान (572) और हाफ़िज़ ज़ेहबी ने इसे सहीह कहा है।

2. बुख़ारी, अलजुमा, हदीस 929, 3211, मुस्लिम, हदीस 850। इस हदीस में क्रमशः पांच चीज़ों का ज़िक्र है ऊंट, गाय, दुंबा, मुर्गा और अंडा। इसकी सूरत यह होगी कि जुमा के दिन जो लोग पहले पहल मस्जिद में पहुंचेंगे उनको सबसे ज़्यादा सवाब मिलेगा और बाद में आने वालों को क्रमशः उनसे कम सवाब मिलेगा। “अब्वल समय” के शब्दों से स्पष्टीकरण की पुष्टि होती है।

रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : “जुमा के दिन एक घड़ी ऐसी है कि जो मुसलमान उस घड़ी में अल्लाह तआला से भलाई का सवाल करे तो अल्लाह तआला उसको कुबूल करता है।”¹

नबी सल्ल० ने फ़रमाया : “जुमा की स्वीकृति की घड़ी इमाम के (मिंबर पर) बैठने से लेकर नमाज़ के खात्मे तक है।”²

खुतबा जुमा के मसाइल :

(1) रसूलुल्लाह सल्ल० दो खुत्बे इरशाद फ़रमाते, उनके बीच बैठते, खुतबा में कुरआन मजीद पढ़ते और लोगों को नसीहत करते। आप सल्ल० की नमाज़ भी औसत दर्जे की और खुतबा भी औसत दर्जे का होता था।³

आपने फ़रमाया कि : “आदमी की लम्बी नमाज़ और मुख्तसर खुतबा अकल्मन्दी की अलामत है तो नमाज़ (आम तमाज़ों की तरह) लम्बी करो और खुतबा (आम खुत्बों की तरह) संक्षिप्त करो।”⁴

(2) नबी सल्ल० खुतबाए जुमा में सुरह क़ाफ़ की तिलावत फ़रमाते थे।⁵

(3) हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : “जुमा के खुत्बे में जब तू अपने पास बैठने वाले को (नसीहत के तौर पर) कहे “चुप रहो” तो निःसन्देह तूने भी व्यर्थ (काम) किया।”⁶

इससे सावित हुआ कि दौराने खुतबा (लोगों को आपस में) किसी क्रिस्म

1. बुखारी, अलजुमा, हदीस 935, मुस्लिम, हदीस 852।


2. मुस्लिम, हवाला साविक, हदीस 853। एक क़ौल के मुताविक नमाज़ अस से लेकर सूरज अस्त के बीच आती है। कुछ रिवायतों से मालूम होता है कि वह घड़ी बड़ी छोटी सी है उस पर मैने (जामेअ लाहौर इस्लामिया में दर्स तिर्मिज़ी के दौरान) उस्ताद मोहतरम क़ारी नईमुल हक़ नईम हफिज़ुल्लाह से सवाल किया : “इस छोटी सी घड़ी में पूरी दुआ मांगने की नौबत ही नहीं आएगी। केवल (अलहम्दुलिल्लाह) ही कहेंगे और वह खत्म हो जाएगी?” उन्होंने फ़रमाया : “अगर किसी की (अलहम्दुलिल्लाह) ही कुबूल हो जाए तो बड़ी सआदत की बात है।”

3. मुस्लिम, अलजुमा, हदीस 866।

4. मुस्लिम, अलजुमा, हदीस 969।

5. मुस्लिम, अलजुमा, हदीस 872-873।

6. बुखारी, अलजुमा, हदीस 934 व मुस्लिम, अलजुमा, हदीस 851।



(अलबत्ता इमाम और मुक्तदी ज़रूरत के समय एक दूसरे से मुखातिब हो सकते हैं)।

(4) हज़रत इब्ने उमर रज़िया कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लो ने इससे मना फरमाया है कि आदमी अपने भाई को उठाकर उसकी जगह पर बैठे। नाफेझ से पूछा गया कि केवल जुमा में मना है? फरमाने लगे जुमा में और उसके अलावा भी।¹

(5) हज़रत अम्मारा बिन रवेबा रज़िया से रिक्रांयत है कि उन्होंने बशीर बिन मरवान को जुमा के दिन मिंबर पर दोनों हाथ उठाते हुए देखा, तो फरमाया: अल्लाह तआला इन दोनों हाथों को हलाक करे। नबी सल्लो खुतबा में केवल एक हाथ की शहादत बाली उंगली से इशारा करते थे।²

(6) नबी सल्लो ने खड़े होकर खुतबा दिया और आपके हाथ में असाया कमान थी।³

नबी अकरम सल्लो दो खुत्बे देते और उनके बीच बैठते थे।

ज़ोहर की विद्यतः :

कुछ लोग नमाज़े जुमा के अलावा “ज़ोहर एहतियाती” पढ़ते और उसका फ़तवा भी देते हैं, यद्यपि रसूलुल्लाह सल्लो की ज़ात पाक और आपके असंख्य सहाबा किराम रज़िया से जुमा के बाद नमाज़ ज़ोहर का पढ़ना कहीं साबित नहीं। हम हैरान हैं कि नमाज़े जुमा अदा कर लेने के बाद (सावधानी हेतु) ज़ोहर के फ़र्ज़ पढ़ने वाले और पढ़ने का हुक्म देने वाले अल्लाह तआला को क्या जवाब देंगे मआज़ल्लाह, क्या रसूलुल्लाह सल्लो जुमा के बाद ज़ोहर पढ़ना और लोगों को बताना भूल गए थे जो बाद में आने वाले लोगों ने ईजाद करके तक्मीले दीन की है? एहतियाती पढ़ने वालों अल्लाह से डरो। और रसूलुल्लाह सल्लो से आगे न बढ़ो। नबी अकरम सल्लो की आवाज़ से अपनी

1. बुखारी, अलजुमा, हदीस 911, 6269, 6270।

2. मुस्लिम, अलजुमा, हदीस 874, अबू दाऊद, अलजुमा, हदीस 1104।

3. अबू दाऊद, अलजुमा, हदीस 1096। इमाम इब्ने खुज़ैमा ने इसे सहीह कहा है।

आवाज़ ऊंची न करो।

(मात्र) जुमा के दिन रोज़ा रखना :

नबी सल्लू८ ने जुमा का दिन रोज़ा के लिए और जुमा की रात (जमेरात और जुमा की बीच की रात) को इबादत के लिए खास करने से मना करमाया।¹

जुमा का दिन और दुरुद शरीफ की अधिकता :

आप सल्लू८ ने कहा : जुमा के दिन मुझ पर अधिकता से दुरुद भेजो तुम्हारा दुरुद मुझे पहुंचाया जाता है॥²

जुमा की अज्ञान :

हजरत साइब बिन यजीद रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लू८, हजरत अबूबक्र और उमर रज़ि० के ज़माने में जुमा की अज्ञान उस समय होती थी जब इमाम, खुतबा के लिए मिंबर पर बैठता। जब हजरत उसमान रज़ि० खलीफा बने और लोग ज्यादा हो गए तो ज़ोरा (जगह) पर एक और अज्ञान दी जाने लगी। इमाम बुखारी रह० कर्माते हैं : ज़ोरा मदीना के बाज़ार में एक मकाम है।³

मस्जिद के अंदर इमाम के खुत्बे से पहले केवल एक अज्ञान है। अधिकांश मस्जिदों में उससे पहले दी जाने वाली अज्ञान का सुबूत हजरत उसमान रज़ि० के दौर से भी नहीं है। अतः इससे बचना चाहिए।

1. मुस्लिम, अलासयाम, हदीस 144 की ज़ेली हदीस।
2. अबू दाऊद, अलजुमा, हदीस 1047। इमाम हाकिम और हाफिज़ ज़ेहबी ने इसे सहीह कहा है।
3. बुखारी, अलजुमा, हदीस 912, 913, 915, 916। जुमा के दिन पहली अज्ञान की पृ०भूमि यह है कि नववी काल में मदीना मुनव्वरा और उसकी आबादी की भीड़ कुछ कम थी, लोगों को आसानी से अज्ञान का इलम हो जाता था, उसमानी काल में जब आबादी ज्यादा हो गई तो तमाम लोग अज्ञान की आवाज़ सुन नहीं पाते थे जिसका लाज़मी नतीजा यह निकला कि बढ़ती व्यस्तता का शिकार, कई लोग मस्जिद में समय रहते पहुंचने से विवश हो गए उसका इंतिज़ामी हल यह निकाला गया कि पहले मस्जिद से बाहर बाज़ार



नमाज़ इदन

: ग्रन्थ प्राचीन सभी के प्रमुख (इस)

मसाइल व आदेश :

(1) हजरत अली रजिं० फ़रमाते हैं :

«الْفَسْلُ... يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَيَوْمُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ النَّخْرِ وَيَوْمُ الْفِطْرِ»

“जुमा, अरफा, कुरबानी और ईदुल फ़ित्र के दिन गुस्ल करना चाहिए ।”¹

हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजिं० ईद के दिन ईदगाह की तरफ निकलने से पहले गुस्ल किया करते थे।²

इमाम नववी फ़रमाते हैं कि ईद के दिन गुस्ल के मसले में हजरत इब्ने उमर रजिं० के असर से विवेचन और जुमा के गुस्ल पर क्यास किया गया है।³

(2) ईदुल फ़ित्र के लिए घर से निकलने से पहले सदक़ा फ़ित्र अदा करना चाहिए।⁴

इससे मालूम हुआ कि ईदमाह में पहुंचकर सदकतुल फ़ित्र अदा करना सहीह नहीं है, बल्कि उसे नमाज़े ईद के लिए निकलने से पहले अदा करना चाहिए।

(3) ईद अगर जुमा के दिन हो तो नमाज़े ईद पढ़ने के बाद जुमा पढ़ लें

के अंदर, ज़ोरा के मकाम पर अज्ञान दी जाती, उसके कुछ ही देर बाद मस्जिद नबवी में (दूसरी) अज्ञान हो जाती। हजरत उसमान रजिं० का यह कार्य बिदअत नहीं है क्योंकि हजरत उसमान रजिं० खुल्काए राशिदीन में से हैं, उनके दौर में मदीना मुनव्वरा में जब पहली बार इस अज्ञान की ज़रूरत महसूस की गई तो उन्होंने उसे शरई हुक्म के तौर पर नहीं, मात्र प्रबन्धकीय हल के तौर पर जारी किया था जिसे बाकी सहाबा किराम रजिं० की खामोश पुष्टि हासिल थी और ज़ाहिर है कि जिस चीज़ पर सहाबा किराम रजिं० की उम्मी सहमति हो जाए वह बिदअत नहीं हुआ करती।

1. बैहेकी (3/278) इसकी सनद सहीह है।

2. मोक्ता इमाम मालिक, ईदैन, (1/177) इसकी सनद असहुल सानीद है।

3. बुखारी, ज़कात, हदीस 1503 व मुस्लिम, हदीस 986।

या ज़ोहर, इख्तियार है।¹

(4) रसूलुल्लाह सल्ल० ने ईदेन की नमाज, अज्ञान और तकबीर के बिना पढ़ी।²

जाविर बिन अब्दुल्लाह रजि० फ्रमाते हैं : नमाजे ईद के लिए अज्ञान है न तकबीर, पुकारना है न कोई और आवाज।³

(5) आप सल्ल० ने ईदगाह में सिवाए ईद की दो रकअतों के न पहले नफ्ल पढ़े न बाद में।⁴

(6) नबी सल्ल० ईदुल फ़ित्र में कुछ खाकर नमाज को निकलते और ईदुल अज्हा में नमाज पढ़कर खाते।⁵

रसूलुल्लाह सल्ल० ईदुल फ़ित्र के दिन ताक़ खिजूरें खाकर ईदगाह जाया करते थे।⁶

(7) हज़रत अनस बिन मालिक रजि० जब शहर जाकर ईद की नमाज जमाअत से अदा न कर सकते तो अपने मुत्तामों और बच्चों को जमा करते और अपने गुलाम अब्दुल्लाह बिन अबी उत्तमा को शहर वालों की नमाज की तरह नमाज पढ़ाने का हुक्म देते।⁷

(8) रसूलुल्लाह सल्ल० के पास एक सवार आया उसने गवाही दी कि उन्होंने कल चांद देखा था तो अपने हमें रोज़ा इफ्तार करने का हुक्म दिया और दूसरे दिन ईद की नमाज पढ़ी, क्योंकि रोयते हिलाल की ख़बर इतनी देर में पहुंची कि नमाजे ईद का समय निकल चुका था।⁸

1. इब्ने माजा, इक्कामतिस्सलात, हदीस 1310, अबू दाऊद, अलजुमा, हदीस 1070। इसे इब्ने मदनी, इमाम हाकिम, इब्ने खुज़ैमा (1464) और हाफ़िज़ ज़ेहबी ने सहीह कहा है।

2. मुस्लिम, ईदैन, हदीस 885।

3. मुस्लिम, सलातुल ईदैन, हदीस 886।

4. बुख़ारी, ईदैन, हदीस 964, 989 व मुस्लिम, सलातुल ईदैन, हदीस 884।

5. तिर्मिज़ी, ईदैन, हदीस 541, इब्ने माजा, हदीस 1756, इब्ने हिबान (593), इब्ने खुज़ैमा 1426) ईब्नुल क़तान, हाकिम (1/294) और हाफ़िज़ ज़ेहबी ने इसे सहीह कहा।

6. बुख़ारी, ईदैन, हदीस 953।

7. बुख़ारी, ईदैन, वैहेकी, 3/305।

8. अबू दाऊद, अलजुमा, हदीस 1157, इमाम नसाई, इब्ने हज़म और वैहेकी ने इसे सहीह कहा है।

(9) हंडे तें टिंग मस्जिद में सहाबा ने ज़ंगी खेलों का तमाशा किया।^१

(10) अबुल्लाह बिन बसर रजि० ईदुल फ़ित्र के दिन नमाज़ के लिए गए। इमाम ने नमाज़ में देर कर दी तो वह फ़रमाने लगे : “रसूलुल्लाह सल्ल० के ज़माने में हम इस समय नमाज़ से फ़ारिंग हो चुके होते थे, रावी कहता है कि यह चाश्त का समय था।^२

(11) ईदगाह में जिस रास्ते से जाएं, वापसी पर रास्ता तब्दील करें।^३

ईदगाह में औरतें :

(12) हज़रत उम्मे अतिया रजि० कहती हैं कि हमें हुक्म दिया गया कि हम (सब औरतों को यहां तक कि) हैज़ वालियों और पर्दा वालियों को (भी) दोनों ईदों में (घरों से) निकालें ताकि वे (सब) मुसलमानों की जमाअत (नमाज़) और उनकी दुआ में हाज़िर हों। और फ़रमाया हैज़ वालियां नमाज़ की जगह से अलग रहें। (अर्थात् वे नमाज़ न पढ़ें) लेकिन मुसलमानों की दुआओं और तकबीरों में शामिल रहें। ताकि अल्लाह की रहमत और बरिष्याश से हिस्सा पाएं। एक औरत ने अर्ज किया कि अगर हममें से किसी के पास चादर न हो (तो फिर वह कैसे ईदगाह में जाए?) फ़रमाया : “उसको उसकी साथ वाली औरत चादर उढ़ा दे। (अर्थात् किसी दूसरी औरत से चादर मांग कर चले।)^४

रसूलुल्लाह सल्ल० सहाबा और सहावियात को (यहां तक कि हैज़ वाली औरतों को भी) साथ लेकर ईदगाह की तरफ़ जाते। आपकी ईदगाह मस्जिदेनवारी से हज़ार फिट (ज़राअ) के फ़ासले पर थी। (फ़त्हुल बारी) यह ईदगाह बक़ीअ की तरफ़ थी।^५

(13) रसूलुल्लाह सल्ल० और हज़रत अबूबक्र व उमर रजि० इदैन की नमाज़ खुत्बे से पहले पढ़ते थे।^६

1. बुखारी, सलात, हदीस 454-455, मुस्लिम, इदैन, हदीस 892।

2. अबू दाऊद, अलजुमा, हदीस 1135, इसे हाकिम और ज़ेहबी ने सहीह कहा है।

3. बुखारी, इदैन, हदीस 986।

4. बुखारी, हैज़, हदीस 324, 351, 971, 974 व मुस्लिम, सलातुल इदैन, हदीस 890।

5. बुखारी फ़तह, 2/465, हदीस 976, किताबुल इदैन।

ईद की तकबीरें :

हाफिज इब्ने हजर रहो तकबीरों के पढ़ने के बारे में फ्रमाते हैं : “रसूलुल्लाह सल्लो से इस बारे में कोई हदीस सावित नहीं। सहाबा रजिं से जो सहीह तरीन रिवायत मरवी है, वह हजरत अली रजिं का कथन है।”

(1) हजरत अली रजिं अरफ़ा के दिन (9 ज़िल हिज्जा) की फ़जर से लेकर तेरह ज़िल हिज्जा की अस्स तक तकबीरात कहते।¹

(2) हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजिं ईदुल फ़ित्र के दिन घर से ईदगाह तक तकबीरात कहते।²

(3) इमाम ज़ोहरी कहते हैं कि लोग ईद के दिन अपने घरों से ईदगाह तक तकबीरात कहते, फिर इमाम के साथ तकबीरात कहते।³

(4) अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजिं 9 ज़िल हिज्जा नमाजे फ़जर से लेकर 13 ज़िल हिज्जा नमाजे अस्स तक इन शब्दों में तकबीरात कहते :

«اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، اللهُ أَكْبَرُ وَأَجْلٌ، اللهُ أَكْبَرُ وَاللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا»
الحمدُ لِلّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

“अल्लाह सबसे बड़ा है, बहुत बड़ा, अल्लाह सबसे बड़ा है, बहुत बड़ा, अल्लाह सबसे बड़ा है और सबसे ज्यादा साहिब हलाल है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह ही के लिए सारी प्रशंसा है”⁴

(5) हजरत सलमान रजिं यूं तकबीरात कहते :

«اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا»

1. वैहेकी (3/279) इसे हाकिम और हाफिज़ ज़ेहबी ने इसे सहीह कहा।
2. वैहेकी (3/279) इमाम वैहेकी फ्रमाते हैं कि हदीस इब्ने उमर रजिं मौकूफ़न महफूज़ है।
3. लेखक इब्ने अबी शीबा, 1/489।
4. इब्ने अबी शीबा, 1/489-490, इसे इमाम हाकिम (1/299) और हाफिज़ ज़ेहबी ने सहीह कहा है।
5. वैहेकी (3/316) हाफिज़ इब्ने हजर कहते हैं कि इस बारे में सहीह तरीन कथन हजरत सलमान रजिं का है।

रसूलुल्लाह सल्लो ईदुल फित्र और ईदुल अज्हा के दिन ईदगाह जाते, सबसे पहले नमाज़ पढ़ते, फिर खुतबा देते जबकि लोग पंक्तियों में बैठे रहते। खुतबा में लोगों को नसीहत, वसीयत करते और हुक्म देते फिर वापस लौटते।¹

वुजू करके किल्ला की तरफ मुंह करके अल्लाहु अक्बर कहते हुए रफ़अ यदैन करें।²

फिर सीने पर हाथ बांध कर दुआए इफ़त्ताह पढ़ें।

फिर दुआए इफ़त्ताह ख़त्म करके किरअत से पहले (ठहर ठहर कर) सात तकबीरें करें।³

हर तकबीर पर रफ़अ यदैन करें और हर तकबीर के बाद हाथ बांधें। फिर इमाम ऊंची आवाज़ से और मुक्ततदी आहिस्ता अलहम्दु शरीफ़ पढ़ें, फिर इमाम ऊंची आवाज़ से किरअत पढ़े, और मुक्ततदी चुप चाप सुनें।

नबी सल्लो ने ईदुल अज्हा और ईदुल फित्र में सूरह (क़ाफ़ वल कुरआनिल मजीद) और (इन्नत-रव तिस्साअतु वन शक़्रल क़मर) पढ़ी। एक और रिवायत में (सब्विहिस-म रव्विकल आला) और (हल अत्ता-क) पढ़ना भी आया है।⁴

बेहतर है कि सूरह फ़तिहा के बाद मसनून किरअत की जाए, जब पहली रकअत पढ़कर आप दूसरी रकअत के लिए खड़े हों, और क़याम की

1. बुखारी, ईदेन, हदीस 956 व मुस्लिम, सलातुल ईदेन, हदीस 889।

2. बुखारी, सिफ़तुस्सलात, हदीस 738।

3. अबू दाऊद, अलजुमा, हदीस 1149, 1152, इसे इमाम अहमद और अली बिन मदीनी ने सहीह कहा है।

4. मुस्लिम, सलातुल ईदेन, हदीस 891, वलजुमा, हदीस 878।

तकबीर कह चुकें तो क्रिअत शुरू करने से पहले पांच तकबीरें कहें।¹

इन तकबीरों में भी रफ़अ यदैन करें। और हर तकबीर के बाद हाथ बांधें। इमाम बैहेकी रह० ने नमाज़ ईदैन की जायद तकबीरात में रफ़अ यदैन करने पर जिस हदीस से विवेचन किया है उसमें हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० हर उस तकबीर में हाथ उठाते जो रुकूअ में जाने से पहले कहते, यहां तक कि आपकी नमाज़ मुकम्मल हो जाती।²

फिर दो रकअत पढ़कर सलाम फेर दें।

रसूलुल्लाह सल्ल०, हज़रत अबूबक्र व उमर च उसमान रज़ि० पहले नमाज़ पढ़ते फिर खुतबा देते।³

ईदैन का खुतबा मिंबर पर न पढ़ें। खुदरी (ईदैन, हदीस 956) और मुस्लिम (सलातुल ईदैन, हदीस 889) में अबू सईद खुदरी रज़ि० की हदीस से मालूम होता है कि ईदगाह में मिंबर का अयोजन मरवान बिन हकम के कार्य काल में किया गया।

अबू दाऊद और इब्ने माजा में है कि एक व्यक्ति ने मरवान के इस कार्य पर आपत्ति करते हुए कहा “तमने ईद के रोज़ मिंबर लाकर सुन्नत की मुखालिफ़त की क्योंकि इस रोज़ इसे नहीं लाया जाता था। इसकी असल सहीह मुस्लिम (अल ईदैन, हदीस 989) में है।”⁴

हज़रत आइशा रज़ि० के पास बच्चियां दफ़ बजाकर अच्छे अशआर गा रही थीं। अबूबक्र रज़ि० मेर उन्हें मना किया। नबी सल्ल० ने फ़रमाया : “ऐ अबूबक्र! इन्हें कुछ न कह बेशक आज ईद का दिन है। निःसन्देह हर कौम

1. अबू दाऊद, अलजुमा, हदीस 1149, 1152, इमाम अहमद ने इसे सहीह कहा है।

2. अबू दाऊद, इस्तफ़ताहुस्सलात, हदीस 722, इब्नुल जारूद ने इसे सहीह कहा, मुसनद अहमद (2/133-134) और दारे कुतनी (1/289)।

3. मुस्लिम, सलातुल ईदैन, हदीस 884।

4. अबू दाऊद, अलजुमा, हदीस 1140, इब्ने माजा, इक्कामतिस्सलात, हदीस 1275।

की एक ईद होती है और आज हमारी ईद है।”¹

ईदुल अज्हा के दिन नमाज़े ईद पढ़कर कुरबानी करनी चाहिए :

हज़रत बराअ रजि० बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फरमाया “जिस व्यक्ति ने नमाज़ के बाद कुरबानी की उसकी कुरबानी भी हो गई और उसने मुसलमानों के तरीके को भी अपना लिया और जिसने नमाज़ से पहले कुरबानी की उसकी कुरबानी नहीं होगी वह मात्र गोश्त की एक बकरी है जो उसने अपने घर वालों के लिए ज़ख्क की है।”²

आप सल्ल० ने फरमाया : “जिस व्यक्ति ने नमाज़े ईद से पहले कुरबानी की वह नमाज़ के बाद दूसरी कुरबानी करें।”³

1. बुखारी, अलइदन, हदीस 952, 949। इस हदीस से मालूम हुआ कि अगर पढ़ने वाली छोटी बच्चियां हों, संगीत के संयत्रों में से केवल दफ़ (या उससे कमतर कोई संयत्र) हो और अशआर खिलाफ़े शरीअत न हों और ईद का मौक़ा हो तो ऐसे अशआर पढ़ने या सुनने में कोई हरज नहीं है लेकिन स्वार्थी गवैयों ने इस हदीस शरीफ़ से अपना उल्लू सीधा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी अतएव उन्होंने बच्चियों से हर उमर की पेशावर गाने वाली साबित कर दी, दफ़ से संगीत के नये संयत्र जाइज़ क़रार दिए, अच्छे अशआर से गानों का जवाज़ निकाला गया और ईद के दिन से “रूह की गिज़ाइयत” ढूँढ़ निकाली और यह न सोचा कि अल्लाह ख़ालिक व मालिक है उसने अपने बन्दों के लिए जायज़ होने की जो हद चाही मुकर्रर कर दी और उसके उल्लंघन को हराम कर दिया।

- 2. बुखारी, ईदन, हदीस 951, 955, 956, 968 व मुस्लिम, हदीस 1960।
- 3. बुखारी, ईदन, हदीस 984, 985 व मुस्लिम, हदीस 1961।

نماज़े कसूفः

सूरज और चांद ग्रहण की नमाज़

रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया :

«إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكِسُفَانِ لِمَوْتٍ أَحَدٍ مِّنَ النَّاسِ، وَلَكِئْهُمَا أَيْتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَقُوْمُوا فَصَلُّوْا»

“सूरज और चांद किसी के मरने से ग्रहण नहीं होते। यह तो अल्लाह की कुदरत की दो निशानियां हैं जब उन्हें ग्रहण होते देखो तो नमाज़ के लिए उठ खड़े हो।”

नबी सल्ल० ने फ़रमाया : “चांद और सूरज ग्रहण कुदरत की निशानियां हैं। किसी के मरने, जीने (या किसी और वजह) से प्रकट नहीं होते। बल्कि अल्लाह (अपने) बन्दों को सचेत करने के लिए प्रकट करता है। अगर तुम ऐसे चिन्ह देखो तो जल्द से जल्द दुआ, इस्तग़फ़ार, और अल्लाह की याद की तरफ़ पलटो।”²

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० से रिवायत है कि जब सूरज ग्रहण हुआ तो आप सल्ल० ने एक व्यक्ति को यह एलान करने का हुक्म फ़रमाया :

((إِنَّ الصَّلَاةَ جَمِيعَةً))

1. बुखारी, कसूफ़, हदीस 1041, 1057 व मुस्लिम, कसूफ़, हदीस 901, 904, 907। जाहिलों का अक़ीदा था कि सूरज या चांद उसी समय ग्रहण होते हैं जब कोई अहम व्यक्ति पैदा हो या मर जाए या दुनिया में कोई महत्वपूर्ण घटना घटित हो। नबी अकरम सल्ल० ने इसी असत्य अक़ीदे को नकारा।

2. बुखारी, कसूफ़, हदीस 1059 व मुस्लिम, कसूफ़, हदीस 912। अर्थात् सूरज या चांद के ग्रहण होने का संबंध कायनात की घटनाओं से नहीं बल्कि सीधे अल्लाह तआला की मन्शा और कुदरत से है और वह अल्लाह जो तुम्हारे सामने उन्हें प्रकाश रहित कर सकता है वह कियामत के क्रीब भी उन्हें बैनूर करके लपेट देने पर समर्थ है। अतः उससे डरते रहो।

“नमाज़ (तुम्हें) जमा करने वाली है” (तुम्हें बूला रही है।)“

सूरज ग्रहण की नमाज़ का तरीका :

अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजि० से रिवायत है कि नबी सल्ल० के ज़माने में सूरज ग्रहण हुआ। आपने जमाअत के साथ दो रकअतें नमाज़ पढ़ी। आपने सूरह बक़रा तिलावत करने की मात्रा के क्रीब लम्बा क़्रयाम किया फिर लम्बा रुकूअ किया। फिर सर उठाकर लम्बा क़्रयाम किया।¹ फिर पहले रुकूअ से कम लम्बा रुकूअ किया। फिर (क़ौमा करके) दो सज्दे किए। फिर खड़े होकर लम्बा क़्रयाम किया, फिर दो रुकूअ किए फिर दो सज्दे करके और तशह्हूद पढ़कर सलाम फेरा, फिर खुतबा दिया जिसमें अल्लाह की प्रशंसा और सुति की और फ़रमाया : ‘‘सूरज और चांद अल्लाह की निशानियों में से दो निशानियाँ हैं। किसी के मरने या पैदा होने से उनको ग्रहण नहीं लगता। जब तुम ग्रहण देखो तो अल्लाह से दुआ करो, तकबीर कहो, नमाज़ पढ़ो और सदका करो। (दौराने नमाज़) मैंने जन्मत देखी। अगर मैं उसमें से एक अंगूर का खोशा ले लेता तो तुम रहती दुनिया तक उसमें से खाते और मैंने जहन्नम (भी) देखी, उससे बढ़कर हौलनाक मंजर मैंने (कभी) नहीं देखा। (और) मैंने जहन्नम में ज्यादा तादाद औरतों की देखी क्योंकि वे पतियों की कुफ़राने नेमत करती हैं। अगर तू एक मुद्दत तक उनके साथ नेकी करता रहे फिर उनकी मर्जी के खिलाफ़ कोई काम करे तो कहती हैं कि मैंने तुझसे कभी भलाई नहीं देखी।’’³

सूरज व चांद के ग्रहण पर आप सल्ल० घबरा उठते और नमाज़ पढ़ते। हज़रत अस्मा रजि० बयान करती हैं कि आपके ज़माने में (एक बार) सूरज ग्रहण हुआ तो आप घबरा गए और घबराहट में घर वालों में से किसी का

1. वुखारी, कसूफ़, हदीस 1045, 1051 व मुस्लिम, हवाला साबिक, हदीस 910।

2. रुकूअ के बाद क़ौमा करने की बजाए दोबारा क़िरअत शुरू कर देना एक ही रकअत का क्रम है अतः इस मौके पर नए सिरे से फ़तिहा नहीं पढ़ी जाएगी।

3. वुखारी, कसूफ़, हदीस 1052 व मुस्लिम, कसूफ़, हदीस 907। इससे मालूम हुआ कि मोहसिन की एहसान फ़रामोशी गुनाहे कबीरा है। जब किसी बन्दे की एहसान फ़रामोशी कबीरा गुनाह है तो जो अल्लाह की एहसान फ़रामोशी करता है उसका गुनाह कितना ख़तरनाक होगा? अल्लाह हम सबको हिदायत दे। आमीन

कुर्ता ले लिया। बाद में चादर मुबारक आपको पहुंचाई गई। असमा रज़ि० भी मस्जिद में गई और औरतों की पंक्ति में खड़ी हो गई। आपने इतना लम्बा क्रयाम किया कि उनकी नीयत बैठने की हो गई लेकिन उन्होंने इधर उधर से कमज़ोर औरतों को खड़े देखा तो वह भी खड़ी रहें।¹

हज़रत जाबिर रज़ि० कहते हैं कि नबी सल्ल० के ज़माने में एक सख्त गर्मी के दिन सूरज ग्रहण हुआ, आपने सहाबा किराम रज़ि० को साथ लेकर नमाज़ पढ़ी। आपने इतना लम्बा क्रयाम किया कि लोग गिरने लगे।²

हज़रत असमा रज़ि० कहती हैं कि (एक बार सूरज ग्रहण की नमाज़ में) आपने इतना लम्बा क्रयाम किया कि मुझे (औरतों की पंक्ति में खड़े खड़े) कमज़ोरी आ गयी। मैंने बराबर में अपनी मश्क से पानी लेकर सर पर डालना शुरू किया (फिर जल्द ही दोबारा क्रयाम नमाज़ में शामिल हो गई)।³

सोचा आपने! कि नबी सल्ल० कितना शौक व लगन से सूरज ग्रहण की नमाज़ पढ़ते थे, लेकिन हमने कभी इस नमाज़ की तरफ ध्यान नहीं किया। रसूलुल्लाह सल्ल० के पीछे औरतें भी सूरज ग्रहण की नमाज़ पढ़ती थीं। हमें भी चाहिए कि हम मस्जिद में सूरज ग्रहण की नमाज़ बाजमाअत का आयोजन करें और हमारी औरतें भी ज़रूर मस्जिद में जाकर नमाज़ में शामिल हों।

1. मुस्लिम, हवाला साबिक, हदीस 906। आपका घबराना अल्लाह के डर की वजह से था। जब आप अल्लाह के प्यारे नबी होकर घबरा उठते थे तो अफ़सोस है उन उम्मतियों पर जो हज़ारों गुनाहों के बावजूद ऐसे मौके पर अल्लाह की तरफ नहीं पलटते।
2. मुस्लिम, हवाला साबिक, हदीस 904।
3. बुख़री, अलजुमा, हदीस 922, 1093 व मुस्लिम, हदीस 905।

نمازِ ایسٹسکٹا

اگر اکالہ ہو، وہ ن برسے تو اس سमیت مسلمانوں کو چاہیے کہ اک دین تھا کرکے سورج نیکلتا ہی پورا نے کپڈے پہن کر وین پرتو اور روتے ہوئے آبادی سے باہر کیسی خوبی جگہ میں نیکلے اور میبیر بھی رکھا جائے۔ ایک دن ایسا رجیو فرماتے ہیں :

«خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ مُتَبَدِّلاً مُتَوَاضِعًا مُتَضَرِّعًا حَتَّى أَتَى الْمَصَلَى»

“رسولِ اللہ سلسلہ پورا نے کپڈے پہنے، وین پرتو اور آہیسٹگی سے چلتے ہوئے، وینیت اور روتے گیڈیڈا تھے ہوئے نیکلے اور نماز (ایسٹسکٹا) کی جگہ پہنچے۔”

ہجرت آیشہ رجیو سے ریوایت ہے کہ سہابہ کیرام رجیو نے آپ سلسلہ سے اکالہ کی شیکایت کی تھی اپنے ہندگاہ میں میبیر رکھنے کا ہکم دیا۔ جب سورج کا کینارا پرکٹ ہوا تو آپ نیکلے اور میبیر پر بیٹھے، اللہ کی بڈائی اور ہند بیان کی، فیر فرمایا : “تumne اپنے ایلاکوں میں اکالہ اور ستمیت پر باریش ن ہونے کی شیکایت کی ہے، جبکہ اللہ تھالا کی ترک سے تمکو ہکم ہے کہ تم اسکو پوکارو اور اس نے تمہاری دعا کبوتر کرنے کا وامدا کیا ہے۔” فیر فرمایا :

«الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ - لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَفْعُلُ مَا يُرِيدُ - اللَّهُمَّ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ، أَنِّي زُنِّ عَلَيْنَا الْغَيْثَ وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ لَنَا قُوَّةً وَبَلَاغًا إِلَى حِينٍ»

“سب پرشنسا اللہ کے لیے ہے جو تمہارے کا پاروار دیگار ہے، بہت دیا کرنے والा بڈا مہربان ہے۔ بدلے کے دن کا مالیک ہے۔ جو

1. ابو داؤد، سلسلہ ایسٹسکٹا، حدیث 1165، ترمذی، اعلیٰ ہم، حدیث 557। امام ترمذی، امام ایک بن خوزہ (حدیث 1405,, 1408, 1419) امام ایک بن حیوان (حدیث 603) امام حاکیم (1/326) اور امام نبیہ نے اسے صحیح کہا ہے।

चाहता है वह करता है। ऐ अल्लाह तू (सच्चा) उपास्य है, तेरे सिवा कोई उपास्य (वास्तविक) नहीं। तू दाता और बेपरवा है और हम (तेरे) मोहताज और फ़क़ीर (बन्दे) हैं हम पर बारिश बरसा और जो बारिश तू नाज़िल फ़रमाए उसे हमारे लिए एक मुद्दत तक ताकत और (उद्देश्य तक) पहुंचने का साधन बना।”¹

हज़रत अनस रज़िया फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लूल्लाहू नमाजे इस्तिसङ्गा के अलावा किसी दुआ में अपने दोनों हाथ नहीं उठाते थे। आपने दोनों हाथ उठाए, हाथों को लम्बा किया, यहां तक कि बगलें दिखाई दीं।²

हाथों को सर से ऊंचा न ले जाएं।³

आप सल्लूल्लाहू के हाथों की पुश्त आसमान की तरफ़ थी।⁴ और खड़े होकर दुआएं करते रहें।

फिर इमाम लोगों की तरफ़ पीठ करके किल्ला रुख़ हो जाए। (और हाथ उठाए रखें) और निम्न दुआएं बड़ी विनम्रता से रो रोकर पढ़ें। और सब लोग भी बड़े विनय से गिड़गिड़ाकर हाथों को उलटा करके उठाएं और दुआ मांगें। दुआएं ये हैं :

1. अबू दाऊद, सलातुल इस्तिसङ्गा, हदीस 1173, इमाम हाकिम (1/268) इन्हे हिबान (हदीस 604) और हाफ़िज़ ज़ज़हानी ने इसे सहीह कहा है। इससे मालूम हुआ कि सच्चदुल मुरसलीन सल्लूल्लाहू और उनके सहाबा रज़िया भी अपना दानी और दाता केवल अल्लाह ही को समझते थे, वह उसी के दर के मोहताज, उसी से डरने वाले और सीधे उसी से दुआएं मांगते रहे। कुरआन मजीद ने भी इसी अक्रीदे की शिक्षा दी है। (फ़ातिर 35/14-15) अतः हम गुज़ारांगों को भी चाहिए कि किताब व सुन्नत के मुताबिक केवल अल्लाह ही को अपना दानी और दाता मानें और उससे सीधे दुआएं मांगें। यही नवी अकरम सल्लूल्लाहू से सच्ची मुहब्बत और उनके अनुसरण का मतलब है।

2. बुखारी, इस्तिसङ्गा, हदीस 1031 व मुस्लिम, सलातुल इस्तिसङ्गा, हदीस 895-896। इसका मतलब यह है कि जितना बुलन्द हाथ आप सल्लूल्लाहू दुआ इस्तिसङ्गा में उठाते थे उतने किसी और दुआ में नहीं उठाते थे, विवरण के लिए देखिए “मिहाज़ फ़ी शरह सहीह मुस्लिम बिन हिजाज़” अज़्ज़ इमाम नववी रहा।

3. अबू दाऊद, सलातुल इस्तिसङ्गा, हदीस 1168, इमाम इन्हे हिबान (हदीस 601-602) ने इसे सहीह कहा है।

4. मुस्लिम, सलातुल इस्तिसङ्गा, हदीस 895।



“ऐ अल्लाह! हमें पानी पिला, ऐ अल्लाह! हमें पानी पिला, ऐ अल्लाह!
हमें पानी पिला!”

«اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْنَا مُغْيِنَا مَرْيَنَا تَأْفِعَا غَيْرَ ضَارَّ عَاجِلًا غَيْرَ أَجْلٍ»

“ऐ हमारे अल्लाह! हमें पानी पिला, हम पर ऐसी बारिश कर जो हमारी प्यास बुझा दे। हल्की फुवारें बनकर अनाज उगाने वाली, लाभ देने वाली हो न कि हानि पहुंचाने वाली, जल्द आने वाली हो न कि देर लगाने वाली।”²

“ऐ अल्लाह! अपने बन्दों और जानवरों को सैराब कर, अपनी रहमत को फेला और अपने मुद्रा शहरों को ज़िंदा कर दे।”³

«اللَّهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهَائِمَكَ وَالثُّمُرَ رَحْمَتَكَ وَأَخْيَ بِلَدَكَ الْمَيْتَ»

सलातुल इस्तिसङ्का में एक अहम मसला चादर का पलटना है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० इस्तिसङ्का के लिए निकले, आपने अपनी पीठ जोगों की तरफ़ की ओर क़िब्ला रुख़ होकर दुआ करने लगे फिर अपनी चादर को पलटा।⁴

आप सल्ल० पर सियाह चादर थी आपने इसका निचला हिस्सा ऊपर लाना चाहा मगर मुश्किल पेश आई तो आपने उसे अपने कंधों पर ही उलट दिया।⁵

चादर पलटते समय चादर का अंदर का हिस्सा बाहर किया जाए और दायां किनारा बाएं कंधे पर और बायां किनारा दाएं कंधे पर डाल लिया जाए।

संग्रह 1. वृखारी, इस्तिसङ्का, अध्याय 5 व 8, हदीस 1013

2. अबू दाऊद, सलातुल इस्तिसङ्का, हदीस 1169, इमाम इब्ने खुजैमा (1416) इमाम हाकिम (1/327) और जेहबी ने सहीह कहा है।

3. अबू दाऊद, हवाला साबिक़ (हदीस 1176) इसकी सनद हसन है।

4. बुखारी, इस्तिसङ्का, हदीस 1025 व मुस्लिम, सलातुल इस्तिसङ्का, हदीस 894।

5. अबू दाऊद, सलातुल इस्तिसक्का, हदीस 1164, इमाम इब्ने खुज़ैमा (1416) और इमाम इब्ने हिवान ने इसे सहीह कहा है।

इमाम के साथ लोग भी अपनी चादरें उलटें।¹

रसूलुल्लाह सल्ल० लोगों को लेकर बारिश तलब करने के लिए ईदगाह की तरफ निकले और उनको दो रकअत नमाज़ पढ़ाई और उसमें बुलन्द आवाज़ से क्रियत की।²

नबी अकरम सल्ल० ने नमाज़े ईद की तरह लोगों को दो रकअतें नमाज़ इस्तिसङ्गा पढ़ाई।³

नमाज़ पढ़ाकर इमाम खुतबा दे। (अर्थात् नमाज़े ईद की तरह)⁴

उलमा का अमल इसी पर है मगर खुतबा नमाज़ से पहले भी जाइज़ है।⁵
हजरत अब्दुल्लाह बिन यजीद अंसारी रजि० ने नमाज़ इस्तिसङ्गा बिना अज्ञान और इक्कामत के पढ़ाई।⁶

इब्ने बताल ने कहा कि उलमा की इस बात पर सहमति है कि नमाज़ इस्तिसङ्गा में अज्ञान और इक्कामत नहीं है।

1. मुस्नद अहमद (4/21) इब्ने दक्कीकुल अदीद ने इसे सहीह कहा है। उलटे हाथों से दुआ करना और चादर पलटना असल में फ़ेअली दुआ है कि ऐ मौता करीम! इस चादर और हाथों की तरह हमारे हालात पलट दे और अकाल को सम्पन्नता से बदल दे निश्चय ही इस सारी कायनात के सारे हालात केवल तेरे ही इख्तियार में है।


2. बुखारी, इस्तिसङ्गा, हदीस 1024, 1025, 1005।

3. तिर्मिज़ी, अलजुमा, हदीस 557 व अबू दाऊद, सलातुल इस्तिसङ्गा, हदीस 1165। इसे इमाम तिर्मिज़ी, इमाम इब्ने खुज़ैमा (1405) और इमाम नववी ने सहीह कहा है।

4. मुसनद इमाम अहमद 4/41।

5. इब्ने खुज़ैमा, हदीस 1407।

6. बुखारी, इस्तिसङ्गा, हदीस 1022।



नमाज़ इशराक़

जुहा के मायना हैं दिन का चढ़ना और इशराक़ के मायना हैं सूरज का उदय। अतः जब सूरज उदय होकर एक बांस के बराबर ऊंचा हो जाए तो उस समय नवाफ़िल का पढ़ना नमाज़े इशराक़ कहलाता है। जैद बिन अरक्म रज़ि० से मरवी हदीस में इस नमाज़ को सलातुल अव्वाबीन भी कहा गया है। (मुस्लिम, सलातुल मुसाफ़िरीन हदीस 748)

(नोट) : मगरिब और इशा के बीच पढ़ी जाने वाली नमाज़ को जिस रिवायत में सलातुल अव्वाबीन कहा गया है, वह मुरसल है (अर्थात् जईफ़ है)। हज़रत अबूज़र रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया :

“يُضَبِّحُ عَلَىٰ كُلِّ سُلَامٍ مِّنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَخْمِنَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِيرٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِيُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الْضُّحَىٰ”

“हर आदमी पर लाजिम है कि अपने (शरीर के) हर बन्द (जोड़) के बदले सदक़ा ख़ेरात कर। तो हर तस्बीह सदक़ा है, हर तहमीद सदक़ा है, हर तहलील सदक़ा है, हर तकबीर सदक़ा है, अम्र बिन मारुफ़ सदक़ा है और नव्य अनिल मुंकर सदक़ा है। और इन सब चीज़ों से ज़ुहा की दो रकअतें किफ़ायत करती हैं।” (मफ़हूम)

रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : “अल्लाह तआला फ़रमाता है! ऐ आदम के बेटे ख़ालिस मेरे लिए चार रकअतें अव्वल दिन में पढ़ (अर्थात्

1. सहीह मुस्लिम, सलातुल मुसाफ़िरीन, हदीस 720। तस्बीह अर्थात् सुह्वानल्लाह कहना, तहमीद : अल्लाहु अकबर कहना, तहलील : ला इला-ह इल्लल्लाहु कहना, तकबीर : अल्लाहु अकबर कहना, अम्र बिन मारुफ़ : नेकी का हुक्म या प्रेरणा देना, नव्य अनिल मुंकर : बुराई से रोकना या नफ़रत दिलाना। इस हदीस से मालूम हुआ कि चाश्त (उश्शात) उसी तात्त्व से तात्त्व तात्त्व से उत्पन्न होते हैं।

इशराक़ की) मैं तुझको उस दिन की शाम तक किफ़ायत करूँगा ।”¹

मुआज्ज रज्जि० ने हज़रत आइशा सिद्दीक़ा रज्जि० से मालूम किया । रसूलुल्लाह सल्ल० नमाजे जुहा कितनी रकअतें पढ़ते थे? हज़रत आइशा रज्जि० ने कहा : चार रकअतें और जिस क़द्र अल्लाह तआला चाहता आप (इससे) ज्यादा (भी) पढ़ते ।”²

उम्मे हानी रज्जि० फ़रमाती हैं : रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़तह मक्का के दिन गुस्त किया और आठ रकआत नमाज जुहा पढ़ी ।³

मालूम हुआ कि इशराक़ की रकअतें दो, चार या आठ हैं ।

हज़रत अबू हुरैरह रज्जि० ने फ़रमाया : “मुझे मेरे प्यारे दोस्त नबी सल्ल० ने तीन चीज़ों की वसीयत की, जब तक मैं जिंदा रहूँगा उनको नहीं छोड़ूँगा : हर (अरबी) महीना (में अव्यामे बैज़ : 13, 14, और 15) के तीन रोज़े, चाश्त की नमाज और सोने से पहले वित्र पढ़ना ।”

1. अबू दाऊद, अबवाबुत्तुलूअ, हदीस 1289 व तिर्मिज़ी, वित्र, हदीस 474। हाफ़िज़ जेहबी ने इसे हसन और क़वी अस्नाद जबकि इमाम इब्ने हिबान ने सहीह कहा है। किफ़ायत का एक मतलब यह भी है कि तेरे काम संवारूँगा ।

2. मुस्लिम, सलातुल मुसाफ़िरीन, हदीस 719 ।

3. बुखारी, तहज्जुद, हदीस 1176 व मुस्लिम, हवाला साबिक़, हदीस 330 ।

4. बुखारी, तहज्जुद, हदीस 1178, 2181 व मुस्लिम, हवाला साबिक़, हदीस 721 ।

नमाज़ इस्तिखारा का बयान

जब किसी को कोई (जाइंज) काम हो और वह उसमें संकोच करता हो कि उसे करूँ या न करूँ, या जब किसी काम का इराक करे तो उस मौके पर इस्तिखारा करना सुन्नत है। इसकी सूरत यह है कि दो रक्तत नफ्ल विनप्रता व भय और दिल से पढ़े। रुकूअ व सुजूद और कौमा व जल्सा बड़े इत्मीनान से करे। फिर फ़ारिग होकर यह दुआ पढ़े :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقِدُرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْتَأْلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا تَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا تَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغَيْوَبِ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِّنِي فِي دِينِنِي وَمَعَاشِنِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِنِي فَاقْدِرْهُ لِنِي، وَبِسْمِهِ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّنِي فِي دِينِنِي وَمَعَاشِنِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِنِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، وَاقْدِرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ رَضِّنِي

“या इलाही निःसन्देह में (इस काम में) तुझसे तेरे इल्म की मदद से खबर मांगता हूं और (हुसूले खैर के लिए) तुझसे तेरी कुदरत के ज़रिए ताक़त मांगता हूं और मैं तुझसे तेरा फ़ज्जल अज़ीम मांगता हूं, बेशक तू (हर चीज़ पर) क़ादिर है और मैं (किसी चीज़ पर) क़ादिर नहीं। तू (हर काम के अंजाम को) जानता है और मैं (कुछ) नहीं जानता और तू तमाम गैबों का जानने वाला है। इलाही! अगर तू जानता है कि यह काम (जिसका मैं इरादा रखता हूं) मेरे लिए मेरे दीन, मेरी ज़िंदगी और मेरे अंजाम कार के हिसाब से बेहतर है तो इसे मेरे लिए मुक़द्दर कर और आसान कर फिर इसमें मेरे लिए बरकत पैदा फ़रमा और अगर तेरे इल्म में यह काम मेरे लिए मेरे दीन, मेरी ज़िंदगी और मेरे अंजाम के हिसाब से बुरा है तो इस (काम) को मुझसे और मुझे इससे फेर दे और मेरे लिए भलाई उपलब्ध कर जहां (कहीं भी) हो। फिर मुझे उसके साथ राजी

कर दे।” नबी सल्लू८ ने फ़रमाया कि फिर अपनी हाजत बयान करो।¹

जब आप यह मसनून इस्तिखारा करके कोई काम करेंगे तो अल्लाह तआला अपने फ़ज्जल से ज़रूर इसमें बेहतरी की सुरत पैदा करेगा और बुराई से बचाएगा।

इस्तिखारा रात या दिन की जिस घड़ी में भी आप चाहें कर सकते हैं, सिवाए मकरूह समयों के।

1. बुखारी, तहज्जुद, हदीस 1162, 6382, 7390। कुछ लोग खुद इस्तिखारा करने की बजाए दूसरों से इस्तिखारा करवाते हैं यह रविश एक महामारी की शक्ति इख्लियार कर गई है जिसने जगह जगह दूसरों के लिए इस्तिखारा करने वाले स्पेशलिस्ट पैदा करा दिए हैं यद्यपि अपने लिए स्वयं इस्तिखारा करने की बजाए किसी और से इस्तिखारा करवाना कुरआन व सुन्नत से साबित नहीं बल्कि यह ऐसी हालत में खास तौर से गलत है जबकि इस्तिखारा करवाने वाला इस्तिखारा करवाता ही इस नीयत से है कि मुझे इन “बुजुर्गों” से कोई पक्की खबर या स्पष्ट जानकारी मिलेगी जिसे बाद में वह ठीक वैसा ही सच्चा जानकर किसी काम के करने या न करने का फ़ैसला करता है। यद्यपि इस्तिखारे के लिए न तो यह लाजिमी है कि यह सोने से पहले किया जाए और न यह लाजिमी है कि सपने में कोई स्पष्ट इशारा होगा। सीधी सी बात है कि ज़रूरतमंद यदा कदा इस्तिखारा करता रहे यहां तक कि अल्लाह तआला इसका सीना खोल दे और अधिक चाहता है तो किसी अच्छे व्यक्ति से मशवरा कर ले फिर वह जो काम करेगा अल्लाह तआला उसमें बेहतरी पैदा करेगा इंशाअल्लाह तआला।



अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजि० से रिवायत है कि नबी सल्ल० ने अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब से फरमाया :

ياعبادن! ياعبادن! ألا أغطيتك؟ ألا أمنحك؟ ألا أخبوتك؟ ألا أفعل
بك عشر حصالاً إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوّله وأخره
قديمه وحديته خطأه وعمده صغيره وكبيرة سره وعلاناته، عشر
حصالاً أن تصلى أربع ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب
وسورة فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت:
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، خمس عشرة
مرة، ثم ترکع فتقول لها وأنت راكع عشرة، ثم ترفع رأسك بين
الرکون فتقول لها عشرة، ثم شهوي ساجداً فتقول لها وأنت ساجد
عشرة، ثم ترفع رأسك من السجود فتقول لها عشرة، ثم تسجد
فتقول لها عشرة، ثم ترفع رأسك فتقول لها عشرة، فذلك خمس
وسبعين في كل ركعة، تفعل ذلك في أربع ركعات، إن استطعت
أن تصليها في كل يوم مرتين فأفعل، فإن لم تفعل ففي كل جمعية
مرة، فإن لم تفعل ففي كل شهر مرتين فإن لم تفعل ففي كل سنة
مرة، فإن لم تفعل ففي عمرك مرتين

‘ऐ चचा जान अब्बास! क्या मैं आपको कुछ प्रदान न करूँ? क्या आपको कुछ इनायत न करूँ? क्या मैं आपको कोई तोहफ़ा पेश न करूँ? क्या मैं आपको (निम्न अमल की वजह से) दस अच्छी आदतों वाला न बना दूँ? कि जब आप यह अनल करें तो अल्लाह ज़ुल ज़लाल आपके अगले पिछले, पुराने नए, अंजाने में और जान बूझकर किए गए तमाम छोटे बड़े, छुपे और खुले गुनाह माफ़ फ़रमा दे? (वह यह) कि :

आप चार रक्तात नफ्ल इस तरह अदा करें कि हर रक्तात में सूरह
फ्रातिहा और कोई दूसरी सूरह पढ़ें। जब आप इस क्लिरअत से फ़ारिग हो जाएं

तो क्याम की हालत में ही यह कलिमात पंद्रह बार पढ़ें : (सुब्हानल्लाहि वल हम्दुलिल्लाहि वला इला-ह इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर) फिर आप रुकूअ में जाएं (रुकूअ की तस्बीह से फ़ारिग होकर) रुकूअ में इन्हीं कलिमात को दस बार दोहराएं। फिर आप रुकूअ से उठ जाएं और (समिअल्लाहु लिमन हमिदा/आदि से फ़ारिग होकर) दस बार यही कलिमात पढ़ें। फिर सज्दे में जाएं (सज्दे की तस्बीहात और दुआएं पढ़ने के बाद) यही कलिमात दस बार पढ़ें। फिर सज्दे से सर उठाएं (और उस जल्से में जो दुआएं हैं वह पढ़के) दस बार इन्ही कलिमात को दोहराएं और फिर (दूसरे) सज्दे में चले जाएं। (पहले सज्दे की तरह) दस बार फिर उस तस्बीह को अदा करें। फिर सज्दे से सर उठाएं (और जल्साए इस्तराहत में कुछ और पढ़े बिना) दस बार इस तस्बीह को दोहराएं। एक रकअत में 75 तस्बीहात हुई इसी तरह चारों रकात में यह अमल दोहराएं।

अगर आप ताक़त रखते हों तो नमाज़े तस्बीह रोज़ाना एक बार पढ़ें, अगर आप ऐसा न कर सकते हों तो हर जुमा एक बार पढ़ें।¹ यह भी न कर सकते हों तो हर महीने एक बार पढ़ें। यह भी न कर सकें तो साल में एक बार, अगर आप साल में भी एक बार न कर सकते हों तो ज़िंदगी में एक बार ज़रूर पढ़ें।”²

1. अहले दुनिया को सात दिनों की मुदत मालूम है मुसलमानों के यहां जुमा है, यहूदियों के यहां हफ़्ता है और इसाइयों के यहां इत्वार के दिन से इस मुदत का आरंभ होता है। जिस तरह “हफ़्ता” एक खास दिन का नाम है और इस सात दिनों की मुदत को भी हफ़्ता कहते हैं इस तरह “जुमा” भी एक खास दिन का नाम है और इस सात दिनों की मुदत को भी “जुमा” कहते हैं। अरबी में इस मुदत को “अस्बूअ” भी कहते हैं। इस स्पष्टीकरण को सामने रखें तो मालूम होता है कि इस हदीस का मंशा यह नहीं है कि नमाज़े तस्बीह हर जुमा के दिन पढ़ो बल्कि मक्कसद यह है कि पूरे सात दिनों की मुदत में किसी समय भी पढ़ लो, अतएव केवल जुमा का दिन नमाज़े तस्बीह के लिए खास करना सही ह नहीं।

2. अबू दाऊद, हदीस 1297, इब्ने माजा, हदीस 1386, इमाम इब्ने खुजैमा (हदीस 1216) और हाकिम (1/318) ने इसे सहीह कहा है। याद रहे कि इस हदीस शरीफ में नमाज़े तस्बीह को जमाअत के साथ अदा करने का ज़िक्र नहीं है केवल व्यक्तिगत कर्म

हाफिज़ इब्ने हजर रहो फ़रमाते हैं कि यह हदीस अधिक छोड़ने की

बिना पर हसन दज का ह, शख़ अलबाना फ़रमात ह कि इमाम हाकम आर हाफ़िज़ ज़ेहबी ने इस हदीस की मज़बूती की तरफ़ इशारा किया है और यह हक़ है क्योंकि इसके बहुत से तर्क हैं। अल्लामा मुवारकपुरी और शैख़ अहमद शाकिर ने भी इसे हसन कहा है। जबकि ख़तीब बगदादी, इमाम नववी और दख्ले मस्लिम ने दोस्रे मर्दीह कहा है।

नोट : नमाज़ तस्बीह में तस्बीहात, तशहूहद में अत्तहिय्यात से पहले पढ़ें दूसरे अरकान के मुकाबले।

नमाज तस्बीह के बाद पढ़ी जाने वाली दुआ की सनद सख्त ज़ईफ है इसके रावी अब्दुल कुहूस बिन हबीब को हाफिज़ हैशमी ने छोड़ने वाला और अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने झूठा कहा है।

के तौर पर नवी सल्ल० ने अपने चचाजान को इसकी तर्गीब दी है अतः जो मुसलमान नमाज़े तस्बीह अदा करना चाहें उसे चाहिए कि पहले नमाज़े तस्बीह का तरीका सीखे, फिर उसे एकान्त में अकेला पढ़े। और यह रवैया भी अत्यन्त विनाशकारी है कि बन्दा फ़र्ज़ नमाज़ों पर तो ध्यान न दे मगर नमाज़े तस्बीह (जमाअत से) अदा करने के लिए हर क्षण व्याकुल रहे, अतः फ़र्ज़ नमाज़ों के छोड़ने वाले को पहले सच्ची तौबा करनी चाहिए फिर वह नमाज़े तस्बीह पढ़े तो उसे यक़ीनन फ़ायदा होगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़।

जनाइज़ के आदेश

बीमार का हाल पूछना

रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया कि :

**حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَنْسُ، رَدُّ السَّلَامَ وَعِيَادَةُ الْمَرِينِ
وَلِتَبَاعُ الْجَنَائِزُ وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ وَتَشْمِيمُتُ الْعَاطِسِ**

“मुसलमान के मुसलमान पर पांच हक्क हैं : (1) (जब मिले तो उसे सलाम कहे या उसके) सलाम का जवाब दे। (2) जब बीमार हो तो उसका हाल पूछे। (3) जब मर जाए तो उसका जनाजा पढ़े। (4) जब दावत दे तो उसे कुबूल करे। (5) अगर वह छींक पर (अलहम्दुलिल्लाह) कहे, तो जवाब में (यरहमुकल्लाहु) कहे।”¹

हज़रत अली रज़ि० रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : “जो मुसलमान दूसरे मुसलमान का दिन के अव्वल हिस्से में (दोपहर से पहले) हाल मालूम करता है तो सत्तर हज़ार फ़रिश्ते उसके लिए शाम तक रहमत व म़ग़फ़िरत की दुआ करते हैं और जो मुसलमान दिन के आखिरी हिस्से में (दोपहर के बाद) हाल मालूम करता है तो सत्तर हज़ार फ़रिश्ते उसके लिए सुबह तक रहमत और म़ग़फ़िरत की दुआ करते हैं और उसके लिए जन्नत में बाग है।”²

नबी सल्ल० ने फ़रमाया है : “मुसलमान जब अपने मुसलमान भाई की तीमारदारी के लिए जाता है तो वह वापस लौटने तक जन्नत के मेवे चुनता है।”³

रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : “अल्लाह तआला जिस व्यक्ति के साथ

1. बुखारी, अलजनाइज़, हदीस 1240 व मुस्लिम, सलाम, हदीस 2162।

2. तिर्मिज़ी, जनाइज़, हदीस 970 व अबू दाऊद, जनाइज़, हदीस 3098। इसे इन्हें हिबान (710) इमाम हाकिम (1/341-342) और हाफिज़ ज़ेहबी ने सहीह कहा है।

3. मुस्लिम, हदीस 2568।

भलाई का इरादा करता है उसे तकलीफ़ का शिकार कर देता है।”¹

आपने फ़रमाया : “मुसलमान को रंज, दुख, फ़िक्र और ग्रम पहुंचता है यहां तक कि अगर उसे कांटा (भी) लगता है तो वह तकलीफ़ उसके गुनाहों का कफ़्फारा बन जाती है।”²

और फ़रमाया : “जब किसी मुसलमान को कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो अल्लाह तआला उसकी वजह से उसके गुनाहों को इस तरह मिटाता है जिस तरह पेड़ के पत्ते झड़ते हैं।”³

नबी सल्ल० ने फ़रमाया : “बुखार (हो जाए तो उस) को बुरा न कहो क्योंकि बुखार आदमी के गुनाह इस तरह दूर करता है जिस तरह भट्टी लोहे के मैल को दूर करती है।”⁴

नबी सल्ल० का इशाद है : “अल्लाह तआला मुसाफ़िर और मरीज़ को उन आमाल के बराबर अज़ देता है जो वह घर में और स्वस्थ हालत में किया करता था।”⁵

नबी सल्ल० ने फ़रमाया कि अल्लाह तआला फ़रमाते हैं : “जब मैं किसी बन्दे को उसकी दो महबूब चीज़ों (आंखों) में आजमाता हूं (उसे बीनाई से महरूम करता हूं) फिर अगर वह सब्र करे तो उसके बदले में उसे जन्नत दूंगा।”⁶

रसूलुल्लाह सल्ल० के पास एक काली औरत आई और अर्ज किया कि मिर्गी का दौरा पड़ता है और मेरा सतर खुल जाता है, आप मेरे लिए अल्लाह से दुआ करें। आपने फ़रमाया : “अगर तू सब्र करेगी तो तेरे लिए जन्नत है और अगर चाहे तो दुआ किए देता हूं।” वह कहने लगी : “मैं सब्र करूंगी।” फिर कहा, “मेरा सतर खुल जाता है अल्लाह से दुआ करें कि वह न खुले।

1. बुखारी, मुस्लिम, हदीस 5645।

2. बुखारी, हवाला साबिक, हदीस 5640, 5641, 5642, 5647, 5648 व मुस्लिम, हदीस 2571।

3. बुखारी, हदीस 5647 व मुस्लिम, हवाला साबिक, हदीस 2571।

4. मुस्लिम, हवाला साबिक, हदीस 2575।

5. बुखारी, जिहाद व सीर, हदीस 2996।

6. बुखारी, मुस्लिम, हदीस 5653।

(ताकि मैं बेपर्दा न होऊँ)'" अतएव आप सल्ल० ने उसके लिए दुआ फ़रमाई।'

बीमार के लिए दुआएः :

जब मरीज़ की अयादत के लिए जाएं तो रसूलुल्लाह सल्ल० की ज़बान मुबारक से निकली हुई निम्न दुआएं उसके हक़ में करें :

पहली दुआ : रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : "जो व्यक्ति अपने मुसलमान भाई की तीमारदारी के लिए जाता है और उसके सर के पास बैठकर सात बार यह कलिमात पढ़ता है तो वह ठीक हो जाता है या यह कि उसकी मौत का समय ही आ चुका हो।"

«أَنْشُلْ اللَّهُ الْعَظِيمُ، رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيكَ»

"मैं! बुजुर्ग व बरतर अल्लाह, अर्श अजीम के रब से सवाल करता हूं कि तुझे शिफ़ा से नवाज़े।"¹

दूसरी दुआ : रसूलुल्लाह सल्ल० एक आराबी की अयादत के लिए तशरीफ ले गए और उससे यह कलिमात कहे :

«لَا بِأَسْرَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ»

"डर नहीं (गम न कर) अगर अल्लाह ने चाहा तो (यही बीमारी तुझे गुनाहों से) पाक करने वाली है।"²

तीसरी दुआ : हज़रत आइशा सिद्दीका रज़ि० फ़रमाती हैं कि नबी सल्ल० रोगी (के जिस्म) पर अपना दायां हाथ फेरते और यह दुआ पढ़ते थे :

**«أَذِّهِبْ النَّاسَ رَبَّ النَّاسِ، وَأَشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا
شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقْمًا»**

"ऐ इंसानों के रब! बीमारी को दूर कर और शिफ़ा दे। तू ही शिफ़ा देने वाला है। तेरी शिफ़ा के सिवा कोई शिफ़ा नहीं ऐसी शिफ़ा (दे) जो किसी

1. बुखारी, मरज़ी, हदीस 5652, मुस्लिम, हदीस 2576।

2. अबू दाऊद, जनाइज़, हदीस 3106, इसे इब्ने हिबान, इमाम हाकिम (1/342, 2/416) और इमाम नववी ने सहीह कहा है।

3. बुखारी, मनाकिब, हदीस 3616, 5656, 6562।

बीमारी को नहीं छोड़ती।”¹

रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ्रमाया : “जब किसी मुसलमान को तकलीफ़ (मुसीबत या नुक्सान) पहुंचे तो वह यह कहे :

إِنَّ اللَّهَ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللَّهُمَّ أَجْزِنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِنِي خَيْرًا مِنْهَا

उक्त “हम सब अल्लाह के लिए हैं और उसी की तरफ़ लौट कर जाने वाले हैं। ऐ अल्लाह मुझे मेरी मुसीबत में अज़र और अच्छा बदला (दोनों) अता फ्रमा।” तो अल्लाह तआला उसके बदले में उससे अच्छी चीज़ प्रदान कर देता है।²

चौथी दुआ : मुअव्विज़ात का दम :

हजरत आइशा रजि० रिवायत करती हैं कि नबी सल्ल० बीमार होते तो अपने आप पर मुअव्विज़ात (कुरआन की आखिरी दो सूरतें) से दम करते और अपने शरीर पर अपना हाथ फेरते। हजरत आइशा सिद्दीका रजि० भी मुअव्विज़ात पढ़कर रसूलुल्लाह सल्ल० पर बीमारी की हालत में दम करती थीं।³

पांचवीं दुआ : हजरत उसमान बिन अबी अलआस रजि० से रिवायत है कि उन्होंने नबी अकरम सल्ल० से शरीर के दर्द की शिकायत की। आपने फ्रमाया : “अपना हाथ दर्द की जगह पर रखो फिर तीन बार बिस्मिल्लाह कहो और सात बार यह कलिमात पढ़ो :

أَعُوذُ بِعِزْزَةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأَحَادِرُ

“मैं अल्लाह की ताक़त और कुदरत के साथ पनाह मांगता हूं उस चीज़ की बुराई से जो मैं पाता (महसूस करता) हूं और उससे डरता हूं।” (उसमान फ्रमाते हैं कि) मैंने इसी तरह किया तो अल्लाह तआला ने मेरी तकलीफ़ दूर

1. बुखारी, हदीस 5675, 5743, 5750 व मुस्लिम, सलाम, हदीस 2191।

2. मुस्लिम, जनाइज़, हदीस 918।

3. बुखारी, फज्जाइले कुरआन, हदीस 5016, 5735, 5751 व मुस्लिम, सलाम,

कर दी।¹

छठी दुआ : रसूलुल्लाह सल्ल० हज़रत हसन और हुसैन रज़ि० को इन शब्दों के साथ दम किया करते थे :

«أُعِنِّدُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّائِمَةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَّهَامَةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَّامَةٍ»

“मैं तुम दोनों को अल्लाह के पूरे कलिमात के साथ (उसकी) पनाह में देता हूं हर शैतान और ज़ेहरीले जानवर की बुराई से और हर बुरी नज़र की बुराई से।”

फिर फ़रमाया : “तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिः (भी) इन कलिमात के साथ इस्माईल और इसहाक अलैहिं० के लिए (अल्लाह की) पनाह तलब किया करते थे (उन्हें दम करते थे)।”²

सातवीं दुआ : जिब्रील अमीन अलैहिः० का दम :

हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० के पास जिब्रील अलैहिः० ने आकर कहा है मुहम्मद सल्ल०! क्या आप बीमार हैं? आपने फ़रमाया, हाँ। तो जिब्रील अलैहिः० ने (यह) पढ़ा (और आप पर दम किया) :

«بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِنِكَ مِنْ كُلِّ شَرٍّ يُوذِنِكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنٍ حَاسِدٍ، اللَّهُ يَشْفِنِكَ، بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِنِكَ»

“अल्लाह तआला का नाम लेकर मैं आप पर दम करता हूं हर उस चीज़ से जो आपको तकलीफ़ दे, हर नफ़स और हर हसद करने वाली आंखों के शर, से, अल्लाह तआला आपको शिफ़ा दे। मैं अल्लाह का नाम लेकर आप पर दम करता हूं।”³

1. मुस्लिम, सलाम, हदीस 2202।

2. बुखारी, अहादीस अबिया, अध्याय 10, हदीस 3371। अबू दाऊद, हदीस 4733 व तिर्मिज़ी, हदीस 2060।

3. मुस्लिम, सलाम, हदीस 2186। इन अहादीस से मालूम हुआ कि 1 अपने आप पर खुद दम करना 2 जो दम करवाने आए उसे दम सिखोना कि वह खुद ही अपने आप

में जाएँ तो वे ऐसे ही लाभ नहीं उठाएँगे। इन्हें यह कि वे अपनी जीवन की अपेक्षा अधिक विश्वास करते हैं। इन्हें यह कि वे अपनी जीवन की अपेक्षा अधिक विश्वास करते हैं। इन्हें यह कि वे अपनी जीवन की अपेक्षा अधिक विश्वास करते हैं। इन्हें यह कि वे अपनी जीवन की अपेक्षा अधिक विश्वास करते हैं। इन्हें यह कि वे अपनी जीवन की अपेक्षा अधिक विश्वास करते हैं।

पर दम करे। 3 मरीज़ के मुतालबे के बिना उसे दम करना 4 या रोगी का किसी से दम करवाना सब जाइज़ है। लेकिन अफ़सोस कि मुसलमान केवल आखिरी जाइज़ (दम करवाने) पर ही अमल करते हैं अपने आपको दम करने की सुन्नत लगभग खत्म हो चुकी है क्योंकि इसमें एक आध दुआ याद करनी पड़ती है। याद रखिए, सीधे अल्लाह तआला से मांगना बड़े सौभाग्य की बात है, यह ठीक ठाक इबादत है और रोगी की दुआ तो वैसे भी बहुत कुबूल होती है अतः उसे चाहिए कि न केवल स्वयं दम करे बल्कि इस्तगफ़ार को नीयती बनाए इससे तकलीफ़ से जल्द निजात मिलेगी या दर्जत बढ़ेंगे और खूब

कफ्न व दफ्न

अन्तिम सांसों में नसीहत :

नबी सल्ल० ने फ़रमाया : उन लोगों को जो मरने के क़रीब हों (ला इला-ह इल्लल्लाहु) की नसीहत करो ।”¹

आप सल्ल० ने फ़रमाया कि : “जिसका आखिरी कलाम (ला इला-ह इल्लल्लाहु) हो वह जन्नत में दाखिल होगा ।”²

रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : “जब तुम बीमार या मर्यित के पास जाओ तो भलाई की बात कहो क्योंकि उस समय तुम जो कुछ कहते हो फ़रिश्ते उस पर आमीन कहते हैं ।”³

मरने वाले के पास सूरह यासीन पढ़ने वाली रिवायत (अबू दाऊद हदीस 3121) को इमाम नववी ने झड़फ़ कहा और दारे कुतनी ने कहा, इस बारे में नबी सल्ल० से कोई स्पष्ट हदीस नहीं है।⁴

मौत की इच्छा करना :

रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : “मौत की इच्छा न करो । अगर तुम

1. मुस्लिम, जनाइज़, हस्तीग्रन्थ 916-917 । अर्थात् उनके क़रीब (ला इला-ह इल्लल्लाहु पढ़ो) ताकि उसे सुनकर वह भी पढ़े लेकिन अफ़सोस कि जाहिल ज़िंदा, मरने के क़रीब को तो इसकी नसीहत नहीं करते अलबत्ता मौत के बाद चारपाई को कंधा देते समय कहते जाते हैं “कलिमा शहादत” यद्यपि पहले ज़माने के मुसलमानों में से किसी ने भी यह काम नहीं किया फिर यह आज हमारे दीन का हिस्सा कैसे बन सकता है?

2. अबू दाऊद, जनाइज़, अध्याय फ़िल तल्कीन, हदीस 3116 । इसे हाकिम (1/351, 500) और ज़ेहवी ने सहीह कहा है । क्योंकि इस मरने वाले ने अल्लाह की तौफ़ीक से मौत से पहले (ला इला-ह इल्लल्लाहु) पढ़ा फिर उसी हाल पर अल्लाह की क़ज़ा आ गई और (ला इला-ह इल्लल्लाहु) उसकी ज़िंदगी का आखिरी कलिमा बन गया । अल्लाह तआला सबको इसका सौभाग्य प्रदान करे । आमीन!

3. मुस्लिम, जनाइज़, हदीस 919 ।

4. तल्खीस हबीर 2/104 ।

तेह हो तो शाह याता तेही ता सतोरो औ आया ताता हो तो औ,
करके अल्लाह को राजी कर सकोगे ।”¹

नबी سल्ल० ने फ़रमाया : मौत की इच्छा करो न मौत की दुआ करो, क्योंकि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी (नेकी करने की) उम्मीद ख़त्म हो जाती है और मोमिन की लम्बी उम्र से उसकी नेकियां बढ़ती हैं ।”²

इब्ने उमर रज़ि० फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने मेरा कंधा पकड़ कर फ़रमाया : “दुनिया में इस तरह रह मानो कि तू बेवतन या राही है ।” अतएव इब्ने उमर रज़ि० फ़रमाया करते थे, जब शाम हो तो सुबह का इंतिज़ार न कर। जब सुबह हो तो शाम का इंतिज़ार न कर। स्वास्थ्य को बीमारी और ज़िंदगी को मौत से पहले ग़नीमत जान ।³

आत्महत्या सख्त गुनाह है :

नबी करीम सल्ल० ने फ़रमाया : “जो व्यक्ति अपने आपको गला धोंटकर मारता है वह जहन्नम में अपना गला धोंटता रहेगा और जो व्यक्ति भाला चुभोकर अपनी जान देता है वह जहन्नम में अपने आपको भाला मारता रहेगा ।”⁴

रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : “अल्लाह तआला ने फ़रमाया : मेरे बन्दे ने अपनी जान मुझसे पहले स्वयं ली इसलिए मैंने उस पर जन्त हराम कर दी ।”⁵

मर्यित को चूमना :

जिसका कोई क़रीबी दोस्त, रिश्तेदार मर जाए तो उसका मर्यित को

1. बुखारी, हदीस 7235 ।

2. मुस्लिम, ज़िक्र व दुआ, हदीस 2682 ।

3. बुखारी, रिकाक़, हदीस 6416 ।

4. बुखारी, जनाइज़, हदीस 1365, 5778 ।

5. बुखारी, हवाला साबिक, हदीस 1364, 3463 । सहीह मुस्लिम, जनाइज़, हदीस 978 । में है : “नबी अकरम सल्ल० ने आत्महत्या करने वाले की नमाज़े जनाज़ा नहीं पढ़ी” अतः विशिष्ठ विद्वान् इसकी नमाज़े जनाज़ा में शरीक न हों ताकि बाक़ी लोगों को इबरत हासिल हो ।

मुहब्बत की वजह से बोसा देना जाइज़ है क्योंकि हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ रज़ि० ने रसूलुल्लाह सल्ल० की वफ़ात पर आप को बोसा दिया था ।^१

मय्यित का गुस्त :

उम्मे अतिया रज़ि० ने कहा, हम रसूलुल्लाह सल्ल० की बेटी को नहला रहे थे तो आपने फ़रमाया : “इसको ३, ५ या ७ बार पानी और बेरी के पत्तों से गुस्त दो और आखिरी बार (पानी में) कुछ काफ़ूर भी मिला लो ।” एक रिवायत में है कि ‘‘गुस्त दाईं तरफ़ वुजू वाले अंगों से शुरू करो ।’’ (उम्मे अतिया कहती हैं) हमने (गुस्त के बाद) उसके बालों की तीन चोटियां गूंधीं और उनको पीछे डाल दिया ।^२

1. बुखारी, जनाइज़, हदीस 1241, 1242, 5709, 5710, 5711।
2. बुखारी, जनाइज़, हदीस 1258, 1259, 1255, 1256, 1257 व मुस्तिम, जनाइज़, हदीस 939। इस हदीस से मालूम हुआ कि औरत को औरतें ही गुस्त देंगी अलबत्ता पति पत्नी एक दूसरे को गुस्त दें सकते हैं : (इने माजा, जनाइज़, हदीस 1464-1465) याद रहे कि गुस्ते मय्यित का तरीका भी लगभग गुस्त जनाबत वाला है अलबत्ता गुस्त के दौरान मय्यित के सम्बन्ध का बहुत ख्याल रखना चाहिए, विवरण यह है :

(१) मौत के फ़ौरन बाद मय्यित का मुंह और आंखें बन्द की जाएं, बाजू, टाकें और हाथ पांव की उंगलियां भी सीधी कर ली जाएं और क़मीज़ और बनियान आदि उतार कर चादर से मय्यित का बदन ढांप दिया जाए। मय्यित के बाजू गले, या पिंडली में कोई (शिर्किया) तावीज़ धागा या कड़ा आदि हो तो उसे उतार दें। (इस सूरत में बेहतर यह है कि अगर मरने वाले ने उस जानते वृज्ञते इख्लियार किया था तो दीनदार लोग उसे गुस्त दें न उसके जनाज़े में शरीक हों।)

पानी और बेरी के पत्ते उबाल लिए जाएं फिर हल्का गर्म इस्तेमाल किया जाए और पानी कम से कम इस्तेमाल किया जाए। लकड़ी का एक तख्ता ऐसी जगह रखा जाए जहां पानी का निकास, और गंदगी को ठिकाने लगाना आसान हो, मय्यित को उस तख्ते पर लिटाया जाए। नाफ़ से घुटनों तक की जगह कपड़े से ढांप दी जाए और दौराने गुस्त, सिवाए मजबूरी के मय्यित की शर्मगाह पर नज़र न पड़े, न कपड़े के बिना उसे हाथ लगे।

अगर शरीर धायल हो और उस पर पट्टियां बंधी हों तो एहतियात से पट्टियां खोल कर रुई और हल्के गर्म पानी से आहिस्ता आहिस्ता धाव धोए जाएं। हर काम की शुरूआत

मय्यित का कफ़न :

रसूलुल्लाह सल्लो दोनों कपड़ों में कफ़न दिया गया उनमें
कुर्ता था न अमामा।¹

मय्यित का सोग :

हजरत जैनब बिन्ते जहश रजिं के भाई का इंतिकाल हो गया। तीन दिन बाद उन्होंने खुशबू मंगवाई और उसको मला। फिर कहा मुझे खुशबू की ज़खरत नहीं थी मगर मैंने रसूलुल्लाह सल्लो से सुना कि जो औरत अल्लाह तआला और क्रियामत पर ईमान रखती हो उसके लिए हलाल नहीं कि तीन दिन से ज्यादा किसी मय्यित पर सोग करे, सिवाए पति के जिसका सोग चार माह दस दिन है।²

उम्मे अतिया रजिं का लड़का मर गया। तीसरे दिन उन्होंने झर्दी मंगवा कर बदन पर मली और कहा ‘‘हमारे लिए पति के अलावा किसी और दायीं तरफ से करें इल्ला यह कि केवल बायीं जानिब ध्यान देने की हकदार हो।

नाफ़ की तरफ हाथ से मय्यित का पेट दो या तीन बार दबाया जाए (ताकि अंदर रुकी हुई गंदगी तक निकल जाए) फिर बाएं हाथ पर कपड़े का दस्ताना आदि (जो कफ़न के साथ बनाया जाता है) पहन कर पहले मिट्टी के तीन ढेलों और फिर पानी से उसका इस्तिंजा करें। अगर नाफ़ के नीचे के बालों की सफ़ाई बाक़ी हो तो कर ली जाए।

नाक, दांत, मुँह का खिलाल और कानों में अच्छी तरह गीली रुई फेरकर उनकी अलग से सफ़ाई कर ली जाए ताकि बाद में वुजू के दौरान तीन बार से ज्यादा न धोना पड़े।

बिस्मिल्लाह पढ़कर मय्यित को मसनून वुजू कराया जाए (सर का मसह और पांव रहने दें)।

तीन बार अच्छी तरह सर धोएं।

ज़खरत भर साबुन इस्तेमाल करते हुए पूरे शरीर को तीन या पांच या सात बार अच्छी तरह धोएं। आखिरी बार नहलाते समय पानी में कुछ काफ़ूर मिला लें। सबसे आखिर में पांव धोएं। (मुहम्मद अब्दुल जब्बार)

1. बुखारी, जनाइज़, हदीस 1264, 1271, 1272, 1273, 1287।

2. बुखारी, जनाइज़, हदीस 1282, 5335।

मैत) पर तीन दिन से ज्यादा सोग करना मना है।”¹

मय्यित पर रोना :

अगर मय्यित को देखकर रोना आए और आंसू जारी हों तो मना नहीं, इसलिए कि यह आप से आप रोना है जो जाइज़ है। नबी सल्ल० ने फ़रमाया : “अल्लाह तआला आंख के रोने और दिल के परेशान होने की वजह से अज़ाब नहीं करता बल्कि ज़बान के चलाने और वावेला करने से अज़ाब करता है।”²

नबी सल्ल० ने फ़रमाया : (अल्लाह के यहाँ) वह सब्र भरोसे योग्य है जो सदमा के शुरू में हो।³

अर्थात् वावेल और बैन करने के बाद सब्र करना, सब्र नहीं है। असल सब्र यह है कि मुसीबत के समय सब्र का प्रदर्शन किया जाए और दुख प्रकट करने के फ़ितरी तरीके के अलावा और कुछ न किया जाए।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि० रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : “वह हममें से नहीं है जो गाल पीटे, गरेबान फाड़े और जिहालत की पुकार पुकारे।” (अर्थात् नोहा और वावेला करे)।⁴

नबी सल्ल० ने फ़रमाया : “मैं विरक्त हूं उससे जो (मय्यित की मुसीबत में) सर के बाल नोचे और चिल्लाकर रोए और अपने कपड़े फाड़े।”⁵

रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : अल्लाह तआला फ़रमाता है : “मेरे (उस) मोमिन बन्दे के लिए ज़न्जत है जिसके प्यारे को मैं अहले दुनिया से क़ब्ज़ करता हूं और वह (उसकी भौत पर) सब्र करता है।”⁶

रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : “जिहालत के चार काम ऐसे हैं जिन्हें मेरी उम्मत के लोग भी करेंगे। (1) (अपने) वंश में गर्व करना। (2) (किसी के) वंश में तान करना। (3) सितारों के ज़रिए पानी तलब करना। (4) नोहा

1. बुख़ारी, हवाला साबिक़, हदीस 1278, 313।

2. बुख़ारी, जनाइज़, हदीस 1304 व मुस्लिम, जनाइज़, हदीस 924। अर्थात् नोहा, मातम और बैन करना मना और अज़ाब का कारण है।

3. बुख़ारी, जनाइज़, हदीस 1302 व मुस्लिम, जनाइज़, हदीस 926।

4. बुख़ारी, जनाइज़, हदीस 1294, 1297, 1298 व मुस्लिम, ईमान, हदीस 103।

5. बुख़ारी, जनाइज़, हदीस 1296 व मुस्लिम, ईमान, हदीस 104।

6. बुख़ारी, रिकाक़, हदीस 6424।

करना।” (और यह भी फ़रमाया) “अगर नोहा करने वाली औरत मरने से पहले तौबा न करे तो क्रियामत के दिन उस पर गंधक और ख़ारिश का कुर्ता

होगा।”¹

रसूलुल्लाह सल्ल० के बेटे इब्राहीम जब अन्तिम घड़ी में थे तो आपने उसे उठाया और फ़रमाया : “आंख आंसू बहा रही है और दिल दुखी है मगर इसके बावजूद हम कुछ नहीं कहेंगे सिवाए उस (बात) के जिससे हमारा रब राजी हो। और ऐ इब्राहीम! हम तेरी जुदाई के सबब दुखी हैं।”²

रसूलुल्लाह सल्ल० का नवासा मर गया तो अपिकी आंखों से आंसू जारी हो गए। हज़रत साअद बिन उबादा रजि० ने अज़किया या रसूलुल्लाह! यह क्या है? आपने फ़रमाया : “यह वह रहमत है जो अल्लाह ने अपने बन्दों के दिलों में पैदा की है और अल्लाह अपने बन्दों में से रहमत करने वालों पर ही रहमत करता है।”³

नबी सल्ल० ने फ़रमाया : “जिस औरत के तीन बच्चे मर जाएं तो वह (उसके लिए) जहन्नम की आग से आड़ बनेंगे एक औरत ने पूछा अगर दो बच्चे मर जाएं तो? आपने फ़रमाया : “दो बच्चे भी।” हज़रत अबू हुरैरह रजि० से रिवायत है कि इससे मुगद वे बच्चे हैं जो अभी बालिग न हुए हों।⁴

एक और रिवायत में है कि अल्लाह तआला उन बच्चों पर (अपनी)

1. मुस्लिम, जनाइज़, हदीस 934। जाहिलों का अक्रीदा था कि सितारों की चलत फिरत और उदय व अस्त का बारिश और अन्य ज़मीनी घटनाओं के साथ गहरा संबंध है आजकल ज्योतिष विद्या भी उन्हीं शिर्किया ख़राफ़ात जैसी है। अल्लाह तआला महफूज़ रखे आमीन।

2. बुख़री, जनाइज़, हदीस 1303 व मुस्लिम, फ़ज़ाइल, हदीस 2315। मालूम हुआ कि अल्लाह तआला महबूब की मुहब्बत में आकर अपने फ़ैसले नहीं बदलता बल्कि जो चाहता है सो करता है। वह किसी की ताक़त से प्रभावित होता है न किसी की मुहब्बत से मग़लूब। ग़फ़ूर रहीम है तो हर एक के लिए और बेनियाज़ है तो सबके लिए।

3. बुख़री, जनाइज़, हदीस 1284, 5655, 6602, 6655 व मुस्लिम, जनाइज़, हदीस 923।

4. बुख़री, जनाइज़, हदीस 1240, 1250 व मुस्लिम, हदीस 2633, 2634। यह तब है जब वह औरत अल्लाह के फ़ैसले (बच्चों की मौत) पर सब्र व रज़ा का प्रदर्शन करे।

रहमत और फ़ज्जल के सबब उस व्यक्ति को (अर्थात् उनके बाप को) जन्नत में दाखिल करेगा।

الْيَوْمَ الْيَمِينُ

शोक प्रकाश के शब्द :

إِنَّ اللَّهَ مَا أَخْدَى وَلَهُ مَا أَغْطَى وَكُلُّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، فَلْتَصْبِرْ
وَلْتَخْتَبِسْ

‘निश्चय ही अल्लाह का (माल) है जो उसने ले लिया और उसी का है जो उसने दे रखा है उसके यहां हर चीज़ (के ख़त्म होने) का समय निर्धारित है (अतः) सब्र करके उसका अजर व सवाब हासिल करना चाहिए।’¹

‘निश्चय ही अल्लाह का (माल) है जो उसने ले लिया और उसी का है जो उसने दे रखा है उसके यहां हर चीज़ (के ख़त्म होने) का समय निर्धारित है (अतः) सब्र करके उसका अजर व सवाब हासिल करना चाहिए।’²

: اہلیتِ یامِ نیمہ میں یامِ نیمہ

‘निश्चय ही अल्लाह का (माल) है जो उसने ले लिया और उसी का है जो उसने दे रखा है उसके यहां हर चीज़ (के ख़त्म होने) का समय निर्धारित है (अतः) सब्र करके उसका अजर व सवाब हासिल करना चाहिए।’³

‘निश्चय ही अल्लाह का (माल) है जो उसने ले लिया और उसी का है जो उसने दे रखा है उसके यहां हर चीज़ (के ख़त्म होने) का समय निर्धारित है (अतः) सब्र करके उसका अजर व सवाब हासिल करना चाहिए।’⁴

: اہلیتِ یامِ نیمہ میں یامِ نیمہ

1. बुखारी, हदीस 1248, 1381। बशर्ते कि बाप का अकीदा सही हो।
2. बुखारी, जनाइज़, हदीस 1284।

नमाजे जनाजा

रसूलुल्लाह सल्लो ने फ्रमाया :

(مَا مِنْ رَجُلٍ مُّسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُولُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا لَا يُشَرِّكُونَ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا شَفَعَهُمُ اللَّهُ فِيهِ)

“जिस मुसलमान के जनाजे में ऐसे चालीस आदमी शामिल हों जिन्होंने अल्लाह के साथ शिर्क न किया हो तो अल्लाह तआला उस (मय्यित के हक्क) में उनकी सिफारिश कुबूल करता है।”¹

नमाजे जनाजा पढ़ने के लिए मय्यित की चारपाई इस तरह रखें कि मय्यित का सर उत्तर की ओर और पांव दक्षिण की ओर हों, फिर बुजू करके पंक्ति बांधें। मय्यित अगर मर्द है तो इमाम (उसके) सर के सामने खड़ा हो और अगर औरत है तो उसके बीच खड़ा हो।²

फिर दिल मे नीयत करके दोनों हाथ कंधों या कानों तक उठाएं और पहली तकबीर कहकर सूरह फ़ातिहा पढ़ें।

जनाजे में सूरह फ़ातिहा :

अबू उमामा बिन सहल रज़ियो से रिवायत है कि नमाजे जनाजा में सुन्नत तरीका यह है कि पहले तकबीर कही जाए, फिर फ़ातिहा पढ़ी जाए, फिर नबी सल्लो पर दुरुद और मय्यित के लिए दुआ (की जाए) उसके बाद सलाम (फेरा जाए)।³

तलहा बिन अब्दुल्लाह बिन औफ़ कहते हैं कि मैंने इब्ने अब्बास रज़ियो के पीछे नमाजे जनाजा पढ़ी तो आपने सूरह फ़ातिहा पढ़ी, और फ़रमाया : मैंने

1. मुस्लिम, जनाइज़, हदीस 948।

2. तिर्मिज़ी, जनाइज़, हदीस 1035, 1036, व अबू दाऊद, जनाइज़, हदीस 3194, तिर्मिज़ी ने इसे हसन कहा है।

3. लेखक अब्दुर्रज्जाक़, हदीस 6428, (3/489-490) हाफ़िज़ इब्ने हजर ने इसे सहीह कहा है।

यह इसलिए किया ताकि तुम जान लो कि यह सुन्नत है।”¹

तलहा बिन अब्दुल्लाह की एक रिवायत में फ़ातिहा के बाद दूसरी सूरह पढ़ने का भी ज़िक्र है।²

मालूम हुआ तकबीरे ऊला के बाद सूरह फ़ातिहा का पढ़ना सुन्नत है। सूरह फ़ातिहा और दूसरी सूरह पढ़कर इमाम को दूसरी तकबीर कहनी चाहिए। और फिर नमाज वाला दुरुद शरीफ पढ़ें। इसके बाद तीसरी तकबीर कहकर इन दुआओं में से कोई दुआ पढ़ें :

पहली दुआ :

«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِخَيْتَا وَتَبِعَتَا وَصَغِيرَتَا وَكَبِيرَتَا وَذَكَرَنَا وَأَنْثَانَا، وَشَاهِدَنَا وَغَائِبَنَا اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَنَنَا فَاحْيِ عَلَى الْإِيمَانِ، وَمَنْ تَوَفَّنَا مِنْ نَفْوَقَةٍ عَلَى الْإِسْلَامِ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تُضْلِلْنَا بَعْدَهُ»

“ऐ अल्लाह! हमारे ज़िंदा और मर्दे को, छोटे और बड़े को, मर्द और औरत को, हाज़िर और ग़ायब को बधा दे। ऐ अल्लाह! हममें से जिसको तू ज़िंदा रखे उसे इस्लाम पर ज़िंदा रख और हममें से जिसको तू मौत दे उसे ईमान पर मौत दे। ऐ अल्लाह! हमें इस (मय्यित) के अज़र से महसूम न रख और उसके बाद हमें किसी आज़माइश में न डाल।”³

दूसरी दुआ :

«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَاغْفِرْ عَنْهُ وَأَكْرَمْ مُتَوَلَّهُ وَوَسِعْ مَذْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالبَرْدِ، وَنَفِّهُ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ التَّوبَ الأَبِيسَنَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، وَأَذْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ [وَقِهِ فِتْنَةِ الْقُبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ]»

1. बुखारी, जनाइज़, हदीस 1335। इससे जहरी किरअत भी साबित हुई, हैरत है जो लोग उठते बैठते “फ़ातिहा” का नाम लेते हैं वह नमाजे जनाज़ा में इसे पढ़ते ही नहीं।

2. नसाई (4/74-75) इन्हे तुर्कमानी ने इसे सहीह कहा है।

3. अबू दाऊद, जनाइज़, हदीस 3201, इसे इमाम इब्ने हिबान ने सहीह कहा है।

“‘इलाही! इसे माफ़ फ़रमा, इस पर दया कर, इसे आफ़ियत में रख,
इसे हाथों पापों तोहफ़ी तोहफ़ी तोहफ़ी तोहफ़ी तोहफ़ी तोहफ़ी तोहफ़ी
कर, इसके (गुनाह) पानी, ओलों और बफ़ से धो डाल, इसे गुनाहों से इस तरह
साफ़ कर दे जैसे तू सफ़ेद कपड़े को मैल से साफ़ करता है। इसे इसके
(दुनिया वाले) घर से बेहतर घर, (दुनिया के) लोगों से बेहतर लोग और इसकी
पत्नी से बेहतर जोड़ा प्रदान कर, इसे जन्नत में दाखिल कर और फ़ितनाएं
कब्र, अज्ञाबे कब्र और अज्ञाबे जहन्नम से बचा।’”

तीसरी दुआ :

اللَّهُمَّ إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانَ فِي ذَمِنِكَ وَحَبْلِ جَوَارِكَ فَقِهٌ مِّنْ فِتْنَةِ
الْقَبْرِ، وَعَذَابِ النَّارِ، وَأَنْتَ أَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِمَّ فَاغْفِرْلَهُ
وَارْحَمْهُ، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّجِيمُ

“इलाही यह फ़लां विन फ़लां तेरि ज़िम्मे और तेरी रहमत के साए में है। इसे फ़ितना क़ब्र, अज्ञाबे क़ब्र और आग के अज्ञाब से बचा, तू (अपने वायदे) वफ़ा करने वाला और प्रशंसा योग्य है। इलाही इसे माफ़ कर दे और इस पर दया कर निःसन्देह तू बख्ताने और रहम करने वाला है।”²

चौथी दुआ :

اللَّهُمَّ عَبْدُكَ وَابْنُ أَمْتِكَ، إِخْتَاجَ إِلَيْ رَحْمَتِكَ، وَأَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ
عَذَابِهِ، إِنْ كَانَ مُخْسِنًا فَرِزْ ذِفْنِ حَسَنَاتِهِ، وَإِنْ كَانَ مُسِينًا فَتَجَاوِزْ
عَنْهُ

“इलाही तेरा यह बन्दा, तेरी बन्दी का बेटा, तेरी रहमत का मोहताज है, त इसे अजाब न दे तो तझे क्या परयाह अगर यह नेक था तो इसकी

- । मस्लिम जनाइज हंदीस १९६३ ।

2. अबू दाउद, जनाइज़, हदीस 3202, इब्ने माजा, जनाइज़, हदीस 1499। इमाम इब्ने हिबान ने इसे सहीह कहा है। लेकिन इसकी सनद वलीद बिन मुस्लिम की तदरीस की वजह से झट्टफू है।

नेकियों में वृद्धि कर और अगर गुनाहगार था तो इसे माफ़ फ़रमा।”¹

जनाज़े के मसाइल :

(1) रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : “जो मोमिन सवाब की नीयत से किसी मुसलमान के जनाज़े के साथ जाता, उसके साथ रहता, उसका जनाज़ा पढ़ता और उसको दफ़न करके फ़ारिग होता है तो उसके लिए दो क्रीरात सवाब है। हर क्रीरात उहुद पहाड़ के बराबर है और जो (केवल) जनाज़ा पढ़कर वापस आ जाता है तो उसके लिए एक क्रीरात है।”²

(2) रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : “मथ्यित को जल्द दफ़न करो। अगर वह नेक है तो जिस तरफ़ तुम उसे भेज रहे हो वह उसके लिए लाभदायक है और अगर वह बुरा है तो उसको अपनी गर्दनों से उतार दोगे।”³

(3) सुन्नत यह है कि नमाजे जनाज़ा में सूरह फ़ातिहा और दुआएं आहिस्ता पढ़ी जाएं।⁴

(4) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि० ने जनाज़े में (शिक्षा हेतु) फ़ातिहा बुलन्द आवाज़ से पढ़ी।⁵

अतः जनाज़े में इमाम, शिक्षा हेतु ऊंची आवाज़ से क्रिरअत कर सकता है।

(5) नबी सल्ल० ने फ़रमाया : “जब तुम जनाज़ा देखो तो खड़े हो जाओ और जो व्यक्ति जनाज़े के साथ जाए उस समय तक न बैठे जब तक जनाज़ा


1. हाकिम (1/359) हाफ़िज़ ज़ेहबी ने इसे सहीह कहा।

2. बुखारी, ईमान, हदीस 47, 1323, 1325 व मुस्लिम, जनाइज़, हदीस 945।

3. बुखारी, जनाइज़, हदीस 1315 व मुस्लिम, जनाइज़, हदीस 944।

4. नसाई (4/75) हाफ़िज़ इब्ने हज़र ने इसे सहीह कहा है।

5. नसाई, इसे इमाम हाकिम (1/358, 386) और हाफ़िज़ ज़ेहबी ने सहीह कहा है। और इसकी असल बुखारी में है हदीस 1335। शिक्षा के अलावा सर्वथा जाइज़ होने की बिना पर भी बुलन्द आवाज़ से जनाज़ा पढ़ाया जा सकता है, अतएव औफ़ बिन मालिक रज़ि० फ़रमाते हैं, नबी सल्ल० ने नमाजे जनाज़ा में एक दुआ पढ़ी जो मैंने याद कर ली और मैंने तमन्ना की कि काश यह मेरा जनाज़ा होता। (मुस्लिम, जनाइज़, हदीस 963।)



न रखा जाए।

(6) नबी सल्लू० ने शहीदों को खून समेत दफ़नाने का हुक्म दिया, उन पर नमाज़े जनाज़ा पढ़ी न उनको गुस्ल दिया।^१

(7) हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० ने नमाज़े जनाज़ा की 4 तकबीरें (रिवायत कीं)।^२

(8) हज़रत ज़ैद बिन अशरफ मर्ज़ि० नमाज़े जनाज़ा पर चार तकबीरें कहते। एक जनाज़े पर उन्होंने पांच तकबीरें कहीं और फ़रमाया कि रसूलुल्लाह सल्लू० इस तरह भी करते थे।^३

(9) रसूलुल्लाह सल्लू० ने सुहृद रज़ि० और उनके भाई की नमाज़े जनाज़ा मस्जिद में पढ़ाई।^४

(10) सिदीके अकवर रज़ि० की नमाज़े जनाज़ा भी मस्जिद में पढ़ी गई और फ़ारुके आज़म रज़ि० की नमाज़े जनाज़ा हज़रत सुहैब रज़ि० ने मस्जिद में पढ़ाई।^५

(11) रसूलुल्लाह सल्लू० ने फ़रमाया : “चार मुसलमान जिस मुसलमान की प्रशंसा करें और अच्छी गवाही दें, अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल करेगा।” हमने अर्ज़ किया : “अमर तीन?” आपने फ़रमाया : “तीन भी”। हमने अर्ज़ किया “और दो?” आपने फ़रमाया : “दो भी।”

गायबाना नमाज़े जनाज़ा :

गायबाना नमाज़े जनाज़ा परने पर नज़ारी के किस्से से दलील ली जाती है यह किस्सा, सहीह बुखारी (1245, 1318, 1320, 1327, 1328, 1333) और

1. बुखारी, जनाइज़, हदीस 1310। यह हुक्म इस्तहबाब के तौर पर है और कहा जाता है कि पहले मुस्लिम था बाद में निरस्त हो गया।

2. बुखारी, जनाइज़, हदीस 1343, 1346, 1347।

3. बुखारी, जनाइज़, हदीस 1323 व मुस्लिम, जनाइज़, हदीस 951।

4. मुस्लिम, जनाइज़, हदीस 957।

5. मुस्लिम, जनाइज़, हदीस 973।

6. बैहेकी (4/52)।

7. बुखारी, जनाइज़, हदीस 1368, 2643। यहां उन मुसलमानों की गवाही मुराद है जिनका अकीदा व अमल और आचरण व किरदार किताब व सुन्नत के मुताबिक हो।

सहीह मुस्लिम (951) में मौजूद है, मगर इससे ग्रायबाना नमाज़े जनाजा पर विवेचन करना सहीह नहीं है।¹

1. सहीह बुखारी और अन्य हदीस की किताबों में यह घटना परवी है कि हब्शा में नज्जाशी की वफ़ात हुई। और मदीना में रसुलुल्लाह सल्ल० ने सहाबा को हमराह लेकर उसकी नमाज़े जनाजा पढ़ाई। इससे मालूम हुआ कि मस्तिष्क की ग्रायबाना नमाज़े जनाजा पढ़ी जा सकती है। यही इमाम शाफ़ी, इमाम अहमद बिन हंबल, और जम्हूर सल्फ़ का मसलक है। किसी सहाबी से इसकी मानही मरवी नहीं। कुछ लोग जिन्होंने यह हदीस कुबूल नहीं की उन्होंने विभिन्न क्रेद, शर्तें और बहाने तराशे हैं, लेकिन यह सब मात्र उनके अपने अद्वली विचार हैं। शर्लअन उनकी कोई दलील नहीं।

मसलन कहा जाता है कि यह अमल नवी सल्ल० के साथ खास था। मगर यद रहे कि नवी सल्ल० का हर अमल पूरी उम्मत के लिए उसवा व मनूना है। इसलिए आपका कोई अमल आपके साथ उस समय तक खास नहीं करार दिया जा सकता जब तक कि उसके खास होने की कोई स्पष्ट दलील न हो। और उस अमल के खास होने की कोई दलील नहीं।

यह भी कहा जाता है कि आपके लिए नज्जाशी की मस्तिष्क से पर्दा हटा दिया गया था। मगर एक तो इसकी कोई सहीह लियायत नहीं। दूसरी, अगर पर्दा हटा भी दिया गया हो तो यह खास होने की दलील नहीं बन सकता। यथोक्ति एक तो इस बात की कोई दलील नहीं कि पर्दे का हटाया जाना ही इस नमाज़ के शर्अ़ी होने की वृत्तियाद थी। दूसरे नवी सल्ल० ने गहन की नमाज़ पढ़ाई। दौराने नमाज़ आपको जन्मन में उन्हेन्म दिखलाई गई। क्या कोई कह सकता है कि चूंकि आपके बाद किसी को जन्मत व जन्मन महीं दिखलाई जाएगी इसलिए गहन की नमाज़ आपके साथ खास हुई। और किसी और के लिए शर्अी नहीं।

यह भी कहा जाता है कि यह नमाज़ नवी सल्ल० ने केवल नज्जाशी के लिए पढ़ी। दूसरे सहाबा की वफ़ात हुई और आपको खबर भी मिली। मगर आपने उनकी नमाज़े जनाजा ग्रायबाना नहीं पढ़ी। मगर यह भी सहीह नहीं। क्योंकि नज्जाशी की वफ़ात पर जब 9 हिजरी में यह नमाज़े जनाजा ग्रायबाना मशरूउ हुई। और उस समय से आप सल्ल० की वफ़ात तक आपको दूर दराज किसी सहाबी के वफ़ात पाने की कोई खबर नहीं मिलती। बल्कि उससे पहले के दिनों में भी शाहीद होने वालों के अलावा किसी और दूर दराज वफ़ात का ज़िक्र मुश्किल से मिल सकता। और अगर किसी की वफ़ात हुई भी हो, और आपको उसका पता भी हुआ हो, और फिर भी आपने उसकी ग्रायबाना नमाज़े जनाजा न पढ़ी हो तो यह ज्यादा से ज्यादा इस बात से दलील हुई कि नमाज़े जनाजा शेष अगले पृष्ठ पर

कब्र पर नमाज़ जनाज़ा :

हजरत अबू हुरैरह रजिंह से रिवायत है कि सियाह रंग की एक औरत मस्जिद (नबवी) में झाड़ू फेरा करती थी। वह नज़र न आई तो आप सल्लू८ ने उसके बारे में पूछा। सहाबा रजिंह ने बताया कि वह मर गई है। आपने फ़रमाया : “तुमने मुझे खबर क्यों नहीं दी? मुझे उसकी क़ब्र बताओ।” सहाबा ने आपको उसकी क़ब्र बताई। फिर आपने क़ब्र पर नमाज़े जनाज़ा पढ़ी और फ़रमाया : “यह क़ब्रें तारीकी और अंधेरों से भरी होती हैं। मेरी नमाज़ के सबब अल्लाह तआला उनको रोशन कर देता है।”

यह भी कहा जाता है कि नज्जाशी ऐसी जगह मरा था जहां कोई नमाज़े जनाज़ा पढ़ने वाला न था। मगर सीरत निगारों ने लिखा है कि मक्का में हब्शा की एक जमाअत ने आकर ईमान कुबूल किया था जिस पर “व इजा समिऊ मा उनज़ि-ल अ़लर रसूलि” और दूसरी आयात नाज़िल हुई। (सीरत इब्ने हिशाम 2/605 व कुतुब तफ्सीर) फिर मदीना में भी उनकी एक बड़ी मोमिन जमाअत तशरीफ लाई थी। (तफ्सीर तिबरी इब्ने कसीर आदि मुतालिक़ा आयात)। सुदूर है कि इतने मुसलमान अपने एक सम्मानित व्यक्ति को बिला नमाज़े जनाज़ा दफन कर दें। अतः यह उज्ज भी सहीह नहीं।

1. बुखारी, जनाइज़, हदीस 1337 व मुस्लिम, जनाइज़, हदीस 956। इससे मालूम हुआ कि मस्जिद की सफाई करने की बड़ी श्रेष्ठता है और यह भी मालूम हुआ कि अल्लाह तआला ने नबी अकरम सल्लाहो को हर प्रकार की ग़ैबी खबरें प्रदान नहीं की थीं।

تَدْفُّقُ الْمَاءِ وَجِيَارَاتُهُ

(1) उक्तबा बिन आमिर रजि० कहते हैं कि :

«ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَهَاجَأُ أَنْ تُصْلَى فِيهِنَّ أَوْ أَنْ تَقْبَرْ فِيهِنَّ مَوْتَانًا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بِازْغَةَ حَتَّى تَرْتَفَعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمًا الظَّهِيرَةَ حَتَّى تَمْيلَ الشَّمْسُ وَحِينَ تَضَيِّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرْبِ حَتَّى تَغْرُبُ»

“रसूलुल्लाह सल्लो० ने तीन औकात में नमाज पढ़ने और मुर्दों को दफ़न करने से मना फ़रमाया : (अ) तुलूआ आफ़ताब के समय यहां तक कि बुलन्द हो जाए। (ब) जब सूरज दोपहर के समय पैर सर पर हो यहां तक कि ढल जाए। (स) गुरुब आफ़ताब के समय यहां तक कि गुरुब हो जाए।”

(2) इब्ने उमर रजि० से रिवायत है कि नमाजे जनाजा, नमाजे फ़जर और नमाजे अस्व के बाद अदा की जा सकती है।¹

(3) कब्र गहरी खोदें उसे हमवार और साफ़ रखें।²

(4) मय्यित को पांव की सरफ़ से कब्र में दाखिल करें।³

(5) मय्यित को कब्र में रखते हुए यह दुआ पढ़ें :

بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ

“अल्लाह के नाम से और रसूलुल्लाह सल्लो० के मज़हब और तरीके पर (इसे दफ़न करते हैं)।”⁴

1. मुस्लिम, सलातुल मुसाफ़िरीन, हदीस 831।

2. मोता इमाम मालिक, जनाइज़, (1/229)।

3. तिर्मिज़ी, जिहाद, हदीस 1717, अबू दाऊद, जनाइज़, हदीस 3215, इमाम तिर्मिज़ी ने इसे सहीह कहा है।

4. अबू दाऊद, जनाइज़, हदीस 3211, बैहेकी ने इसे सहीह कहा है।

5. अबू दाऊद, जनाइज़, हदीस 3213। इसे हाकिम और इमाम ज़ेहबी ने सहीह कहा है। अफ़सोस कि यह सुन्नत भी मिट्टी चली जा रही है क्योंकि लोगों ने इसका मुतबादिल ढूँढ रखा है अर्थात वही नारा “कलिमा शहादत”।

(6) सअद बिन अबी वक्फ़्कास रज़ि० ने वसीयत की कि मेरे लिए लहद

बनाना और उस पर कच्ची ईंटें लगाना जैसे रसूलुल्लाह सल्ल० के लिए कथा गया था।^१

(7) आप सल्ल० की क़ब्र ऊंट की कोहान जैसी थी।^२

(8) फिर (क़ब्र पर मिट्टी डालकर) सब लोग मय्यित के लिए बरिंद्राश और साबितकदमी की दुआ मांगें।^३

जनाज़ा के बाद क़ब्रिस्तान से निकल कर दुआ करना रसूलुल्लाह सल्ल० से साबित नहीं अतः यह बिदअत है।^४

क़ब्रों को पुख्ता बनाने की मनाही

क़ब्रों को ऊंचा करना, पुख्ता बनाना, उन पर गुंबद और कुब्बे बनाना हराम है।

जाविर रज़ि० कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने पुख्ता क़ब्रों और उन पर इमारत (गुंबद आदि) बनाने से मना किया और आपने क़ब्र पर बैठने और उनकी तरफ़ मुंह करके नमाज़ पढ़ने से (भी) मना फ़रमाया है। चाहे कोई व्यक्ति मुजाविर बनकर बैठे या चिल्लाकशी के लिए, सब नाजाइज़ है।^५

रसूलुल्लाह सल्ल० ने क़ब्रों पर लिखने से भी मना फ़रमाया है।^६

हज़रत अली रज़ि० बयान करते हैं कि मुझे रसूलुल्लाह सल्ल० ने हुक्म दिया कि मैं हर तस्वीर (चेहरा) मिटा दूँ और हर ऊंची क़ब्र बराबर कर दूँ।^७

1. मुस्लिम, जनाइज़, हदीस 966।

2. बुखारी, जनाइज़, हदीस 1390।

3. अबू दाऊद, जनाइज़, हदीस 3221, हाकिम (1/370) और हाफ़िज़ ज़ेहबी ने इसे सहीह कहा है।

4. नमाज़े जनाज़ा के फ़ौरन बाद मय्यित की चारपाई के पास जमा होकर और इसी तरह तदफ़ीन के बाद चालीस क़दमों के फ़ासले पर पहुंचकर मय्यित के लिए दुआए मण्डिरत का खुसूसी एहतिमाम व इल्लज़ाम करना सरासर बिदअत है।

5. मुस्लिम, जनाइज़, हदीस 970।

6. अबू दाऊद, जनाइज़, हदीस 3225, 3226, हाकिम (1/370) और ज़ेहबी ने इसे सहीह कहा।

7. मुस्लिम, जनाइज़, हदीस 969।

हज़रत उम्मे हबीबा और उम्मे सलमा रजिं० ने रसूलुल्लाह सल्ल० से एक गिरजे का ज़िक्र किया कि उसमें तस्वीरें लगी थीं। आपने फ़रमाया कि : “जब उन लोगों का कोई नेक व्यक्ति मर जाता तो वह उसकी क़ब्र पर मस्जिद बनाते और वहां तस्वीरें बनाते। कियामत के दिन ये लोग अल्लाह के सामने बदतरीन मख्लूक होंगे।”¹

रसूलुल्लाह सल्ल० ने आखिरी बीमारी (मर्जुल मौत) में फ़रमाया : “अल्लाह तआला यहूद व नसारा पर लानत करे जिन्होंने अपने पैग़म्बरों की क़ब्रों को (अमलन) मस्जिदें बना लिया।” हज़रत आइशा रजिं० ने फ़रमाया : “अगर इस बात का डर न होता कि लोग आप सल्ल० की क़ब्र को मस्जिद बना लेंगे तो आपकी क़ब्र खुली जगह में होती।”²

क़ब्रों की ज़ियारत :

रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : “मैंने तुम्हें क़ब्रों की ज़ियारत से मना किया था। अब तुम उनकी ज़ियारत किया करो।”³

एक रिवायत में है क़ब्रों की ज़ियारत मौत याद दिलाती है।⁴

शैख अलबानी फ़रमाते हैं : नबी सल्ल० ने क़ब्रों की ज़ियारत करने वाली औरतों पर लानत की, मगर उसके बाद आपने इजाजत दे दी तो उसमें मर्द, औरत दोनों शामिल हैं। आप सल्ल० एक ऐसी औरत पर से गुज़रे जो क़ब्र पर बैठी रो रही थी आपने उसे अल्लाह से डरने और सब्र करने का हुक्म दिया।⁵

1. मुस्लिम, मस्जिदों, हदीस 528।

2. बुखारी, जनाइज़, हदीस 1390, 1330 व मुस्लिम, मस्जिदों, हदीस 529।

3. मुस्लिम, जनाइज़, हदीस 977। यह ज़ियारत इसलिए मशरूअ नहीं कि वहां जाकर शिर्क व विदअत के काम किए जाएं बल्कि फ़िक्रे आखिरत की जाए और मौहिद लोग अहले क़ुबूर के हक़ में दुआए मशाफ़िरत करते रहें।

4. मुस्लिम, हवाला साबिक़, हदीस 976।

5. बुखारी, जनाइज़, हदीस 1252, 1283, 1302 व मुस्लिम, जनाइज़, हदीस 926।

अगर औरतों का क्रिस्तान जाना नाजाइज़ हाता तो आप उसका क्रिस्तान में जाने से भी मना कर देते।

हज़रत आइशा रज़िया अपने भाई अब्दुर्रहमान की क़ब्र की ज़ियारत को गई उनसे कहा गया, क्या नबी सल्लो ने (औरतों को) इससे मना नहीं किया था? तो हज़रत आइशा रज़िया ने फ़रमाया, पहले मना किया था फिर इजाज़त दे दी थी।¹

आइशा सिद्दीका रज़िया फ़रमाती हैं, मैंने नबी سल्लो से पूछा, जब मैं क्रिस्तान में जाऊं तो कौन-सी दुआ पढ़ूँ? आपने दुआ सिखाई।² इससे भी मालूम हुआ कि औरतों का क्रिस्तान जाना जाइज़ है।

हज़रत अबू हुरैरह रज़िया से रिवायत है कि : ‘रसूलुल्लाह सल्लो ने कसरत से क़ब्रों की ज़ियारत करने वाली औरतों पर लानत फ़रमाई है।’³

मालूम हुआ कि औरतों के लिए बक़सरत ज़ियारत तो मना है मगर कभी कभार जाइज़ है।

रसूलुल्लाह सल्लो ने फ़रमाया : “मुर्दों को बुरा न कहो जो आमाल उन्होंने किए थे वे उन्हें मिल गए।”⁴

ज़ियारत कुबूर की दुआएः

जो व्यक्ति क़ब्रों की ज़ियारत करने जाए। तो वह यह दुआ पढ़े :

السلامُ عَلَى أَهْلِ الدُّبَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَبِرَحْمَةِ اللَّهِ الْمُسْتَقْدِمِينَ إِنَّا
وَالْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَّاهُقُونَ

“मोमिन और मुसलमान घर वालों पर सलामती हो। हममें से आगे जाने

1. मुस्तदरक हाकिम (1/376) इसे हाफ़िज़ ज़ेहबी ने सहीह और हाफ़िज़ इराकी ने जय्यद कहा है।

2. मुस्लिम, जनाइज़, हदीस 974।

3. तिर्मिज़ी, जनाइज़, हदीस 1057, तिर्मिज़ी और इब्ने हिबान ने इसे सहीह कहा है। क्योंकि इनमें सब्र का मादूदा कम होता है और वह शिर्किया उम्र में भी तेज़ होती है।

4. बुख़ारी, जनाइज़, हदीस 1393।

वालों और पीछे रहने वालों पर अल्लाह तआला रहम फ़रमाए और अगर अल्लाह ने चाहा तो हम भी अंकरीब तुमसे मिलने वाले हैं।

मुस्लिम ही की एक रिवायत में यह अल्फाज़ भी हैं : (असअलुल्लाहु लना व लकुमुल आफियह)

“मैं अल्लाह तआला से अपने और तुम्हारे लिए आफ़ियत की दुआ करता हूं।”²

“ମୁଖ୍ୟାର୍ଥ କୁଳଜୀବିନୀ ପାଇଁ ଆଶ୍ରମ ପାଇଁ ଏହାର ପାଇଁ ଆଶ୍ରମ ପାଇଁ

Digitized by srujanika@gmail.com

(ii) दो राज्यों के सभी विधानसभाओं में लगातार चुनावों का नियमन

Digitized by srujanika@gmail.com

www.iskconline.org

શ્રીમતી સાહેબ માટે પ્રદાનો ડાલાઈન વિન્કલ પ્રેર્ણ કરવાની રીત

1. सहीह मुस्लिम, जनाइज़, हदीस 974 की उप हदीस।

२. सहीह मुस्लिम, हवाला साबिक़, हदीस ९७५।

अन्य नमाजें

नमाज़ तौबा :

रसूलुल्लाह सल्लो ने फ़रमाया : “जब कोई आदमी गुनाह करता है फिर उठकर वुजू करता है फिर नमाज़ अदा करता है और तौबा इस्तग़फ़ार करता है तो अल्लाह तआला उसके गुनाह माफ़ कर देता है।”¹

लैलतुल क़द्र के नवाफ़िल :

रसूलुल्लाह सल्लो ने फ़रमाया : “जिसने लैलतुल क़द्र में ईमान और सवाब की नीयत के साथ क़याम किया उसके तमाम गुज़िश्ता गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे।”²

लैलतुल क़द्र रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक़ रातों (21, 23, 25, 27 और 29) में से एक रात है।

पंद्रहवीं शाबान के नवाफ़िल :

पंद्रहवीं शाबान की रात (शबे बराअत) के नवाफ़िल के लिए क़याम करने और जागने का एहतिमास करना अहादीस सहीहा से साबित नहीं। इसी तरह (केवल) पंद्रह शाबान का रोज़ा रखने वाली रिवायत भी (जो इन्हे माजा में है) सख्त झईफ़ है।

प्यारे भाइयो और बहनो! अल्लाह, क़ियामत के दिन केवल वही नमाज़े कुबूल करेगा, जो नबी रहमत सल्लो की नमाज़ के नमूने के मुताबिक़ होगी।

इस किताब में आपने नबी सल्लो की नमाज़ का प्यारा नमूना देख लिया है। हमारी निहायत खुलूस से यह दरख़ास्त है कि आप अपनी नमाज़ें अपने

1. तिर्मिज़ी, सलात, हदीस 406, इन्हे माजा, इक़ामतिस्सलात, हदीस 1395, इमाम तिर्मिज़ी ने इसे हसन कहा है। और यह किसी भी काम से तौबा करने की अफ़ज़लत तरीन सूरत है।

2. बुख़ारी, ईमान, हदीस 35, 1901, 2014 व मुस्लिम, सलातुल मुसाफ़ीरीन,

प्यारे रसूल सल्ल० के नमूने की रोशनी में पढ़ा करें ! ताकि उन नूरानी नमाजों को अल्लाह के पास कुबूल आम हासिल हो। अगर नमूने के मुताबिक आपको नमाज पढ़ते हुए देखकर कोई नुक्ता चीनी करे या अहादीसे रसूल सल्ल० के मुक़ाबिल बुजुर्गों और इमामों के अक़वाल पेश करे तो आप उसकी नादानी से इज्जिनाब करते हुए अमल बिल हदीस पर कारबंद रहें। क्योंकि जिस तरह नबी अकरम सल्ल० की जात रूप जमीन के तमाम बुजुर्गों और इमामों से आला व अरफ़ा है इसी तरह आपकी तालीम, सुन्नत और तरीक़ा भी रूप जमीन के तमाम तरीकों से आला व अरफ़ा है।

दुआ है कि अल्लाह तुआला मुझे और तमाम क्रार्ड्स को अमले सालेह की तौफीक दे। (आमीन)